Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

Political Inequality in India: Nature, Challenges, and Solutions

Dr. Amarnath Paswan
Associate Professor, Centre for the Study of Social Inclusion,
Faculty of Social Science, Banaras Hindu University,Varanasi, India
ORCID: 0009-0002-3019-1373 Email-amarnath.fss@bhu.ac.in

Abstract
The existence, nature, and development of democratic politics in any country depend on the amount of equality, balance, harmony, and effective participation among the various components of the political system. Where all these conditions exist, democracy and democratic politics are strong, where there is a lack of them; not only the entire democratic political system but democracy itself faces a consistent danger. Among the factors that have played a dominant role in shaping the political system in India, political inequality is a major factor. In simple terms, political inequality is a situation in which theoretically democratic politics is governed by universal suffrage in elections, but in practice, it is dominated by certain groups, classes or individuals, who influence the whole political system and public policy in their favour. In India, political inequality is the combined result of various social, economic and political factors. Along with the caste factor, the tremendous increase in the influence of money, mafia and (biassed) media has endangered the core value of democracy as well as the entire political system. The political inequality in India is also responsible for promoting non-inclusive policies in the country, whose outcome could be seen in the form of uneven development, farmers' distress, youth discontent, and communal division. Although India has made some efforts to deal with this situation in the past, this problem is not only intact but has become more gigantic. This paper attempts to explore and analyze these diverse dimensions of political inequality, the dangers involved with them, the reformatory efforts made so far in this direction and the future strategy to reverse this phenomenon in India.

Key Word- Political inequality, empowered, democracy, community

Definition of Political Inequality

Political inequality is currently a big challenge to most of the states striving to be a democracy and a democratic society. It denies the claim of political equality by creating a distinction between privileged and non-privileged, common and special, empowered and devoid of rights in the political process. Political inequality has been defined by different thinkers in their own way, but

as JK Dubrow has defined in his article - "Political inequality refers to the unequal influence over decisions made by political bodies and the unequal outcomes of those decisions. Political inequality is a subtype of power inequality, visible within the political processes of all kinds of political structures. In modern democracies, political inequality is simultaneously a dimension of democracy and a dimension of stratification." "It is closely related to differences in the distribution of political resources, which can lead to the exclusion of particular groups from participating in political processes." In short, political inequality refers to a condition that gives privilege, power, access and representation to a particular group in the entire political system and empowers them to take decisions in and about that system.

Dangers of Political Inequality

Political inequality is against the idea of equal political participation and equal decision-making authority in a democratic political system, which is a major obstacle in the way of implementing democracy in a substantive manner. Owing to the political inequality, the section of society which gets an opportunity to participate in the political decision-making process successfully formulates policies in its own interest, whereas those who are denied to participate in this process more often than not complain of their interests being ignored. If we have a glance at it in India's scenario, we can easily find various examples as well as the outcome of this political inequality. Whether it is the ongoing Naxalite movement in a large part of the country or the separatist movement or even terrorism, there is one common thread which connects all these, and that is political inequality, either in the form of denying political representation and political rights of a group, community, sect and territory or in the form of non inclusive policy decisions in the favour of privileged class, group, society etc.

Democracy and democratic politics cannot be measured on the parameter of timely election and electing government by universal suffrage only. Its meaning is much broader. Real democracy is the one where all democratic rights of the individual and the community are respected. They should not be subjected to the constant pressure, attacks and sanctions of the state as we see in many states in India like Jammu and Kashmir, Northeast and even Uttar Pradesh where governments are brutally suppressing the fundamental rights of the people. Labelling political opponents and anti-government protesters as traitors by governments and ruling parties, especially by the right-wing political parties is a new growing and disturbing trend in India. On several occasions, political inequality seems to favour the idea of "full surrender of minority to majority" which is a threat to healthy democracy. Respect and sensitivity to political differences and minorities' views and concerns are proof of vibrant democracy. Unfortunately, in India, we are just walking to the opposite pole, which could be explosive at any time.

India's position on the scale of Political Inequality

1. Political Participation - Political participation is considered an important parameter to measure the political inequality. If we evaluate India on this scale, the situation does not look encouraging. A large part of the country's population is still completely ignorant of the political events affecting their lives or is a victim of either little information or misinformation. Opinions on political participation cannot be formed by looking at the crowd in election rallies, raised by

paying money or lured by dance and magic shows. The level of political consciousness of such a crowd is often zero.

2. Respect for Civil Rights - Political equality requires participation in political demonstrations in peaceful and equitable ways but concerns have increased over the rights of the people in India due to frequent and unnecessary restrictions by the government. There has been a steady increase in such cases in the last few years in which central and state governments have tried and are trying to impose restrictions on these democratic rights of the people simply because the governments are not ready to listen to their criticism. We have seen the double standard of action by various states and central government in handling the pro and anti CAA & NRC groups. Despite this fact that the law is equal for all and all are equal before the law, governments are favouring and opposing peoples' demonstrations or protests as per their political ideologies instead of constitutional provisions.

3. Level of Democracy - Political equality or inequality can be assessed in a country by the level of democracy. To this purpose we evaluate the democracy on the benchmark of election process and pluralism, functioning of government, political participation, political culture and civil liberties etc. Unfortunately according to the Global Democracy Index 2019, in the last few years, there has been a decline in the state of democracy in India on all these parameters. The way Election Commission's role has been questioned in various elections from the last general election to the recently concluded Delhi Assembly elections is unprecedented in the history of independent India.

The "Caged Parrot" phrase used so far to explain the status of CBI is now also being used for Enforcement Directorate, Election Commission, Reserve Bank of India and even for the highest judiciary of the country. Cases such as mob violence, religious and caste-related crimes are witnessing tremendous growth and respect for pluralism is at stake. After a long time, there is a new political culture emerging in the country, in which the government is completely ignoring the opposition. Every decision of the government in the country is being justified only on the ground that the government has a majority. In any democracy, neither the government could be synonymous with the political system, nor could it be considered as treason to criticize or differ from the government. But in India, we are entering an era where governments' attitude towards political differences is becoming more and more intolerant. This is the proof that we are moving towards the peak of political inequality.

4. Political Inclusion - Under Political Inclusion, we mainly place the stake of various groups in political roles. Whether it is the leadership of the political parties or the membership of Central Executive or the Politburo of the party or the position of Prime Minister/Chief Minister or a berth in council of ministers, diversity is the key. There should be diversity at each and every level. But when we talk about Indian political scenario it is nothing but non inclusive. Most of the political parties have not adequate representation of the deprived sections of the society like SC, ST, women and minorities at the top places. Lack of social diversity can be clearly seen in the list of current ministers of the Government of India. Though people belonging to Scheduled Castes, Scheduled

Tribes and Backward Classes get more importance in parties founded by leaders of these castes, there is often a big problem of dynasty politics in these parties. So, there is no complete political inclusion here either. Many parties are just like representatives of a particular caste or religion which barely provides equal role and importance to the members of other castes and religions.

Causes of Political Inequality in India

1. Caste, Religion and Gender - Even in 21st century India, caste, religion and gender are significant enough to determine the role, participation and status of a person in the political system. Despite all efforts of modernity and inclusion, it is relatively more difficult for women, minorities, Dalits and tribals to make their place in the political system. It is not a coincidence that even today in the Lok Sabha and Vidhan Sabha, rarely a person coming from Dalit or Adivasi society can win the election from the general seat. Similarly, most of the female representatives are also identified with their father, husband, father-in-law or other male members of the family, because it is more difficult for them to make their independent identity than their male counterpart. Same adverse situation also happens with the religiously minority, due to which many religious communities are not adequately represented in the political process, or they are unheard of.

2. Corporate Funding - Corporate funding is instrumental in destroying India's political sanctity. The way big political parties are being funded by corporate houses in the form of donations for their direct and indirect benefits and in return, the government is favouring them by making policies in their favour or by writing off their debts or by relaxing the rules and giving huge loans at nominal interest rates with many lucrative incentives and waivers etc. is a big threat to our democracy and democratic ethos. It limits the powers of ordinary citizens in the political system. In any democracy, the ultimate power lies in the hands of the public, so the government should be accountable to the people, but as corporate funding is increasing in India, we can see the high numbers of complaints that the government's policies are increasingly turning out to be in the interest of corporate houses rather than in the interest of the public, or in the interest of the marginalized sections of the society. Corporate funding has not only promoted political inequality by giving corporate houses a decisive role in the political system at the expense of ordinary citizens but has also attacked the foundations of democracy.

3. Media - The role of the biased media is also largely responsible for preparing and expanding the ground of political inequality in India. After the control of corporate houses and political parties over media institutions, the media no longer acts politically neutral. Now it is an open secret that several media houses in India work to promote the interests of their operators and owners with planted news. The result of this is unethical behavior of media comes in form of ill-informed public opinion which is fatal for democratic functioning as well as the democracy in India. In a country like India where even universal literacy is a dream to be realized, a common man believes media reports as final truth, in this condition if the media works as the spokesperson of their politically motivated owners, political masters or the government, how can we have a level playing field for all in our political system?

4. Administrative Machinery – In principle all administrative institutions in India have been formed in the line of western countries but as the great administrative thinker Riggs has explained the administrative characteristics of developing countries in his Sala model, Indian administrative institutions also work in dual manner. On the one hand they work under the constitutional or legal set up of the country, on the other hand they are committed to the traditional loyalty towards their political masters or reference subject. Here the politician-bureaucrat coalition goes outside the purview of law and constitution to provide undue benefits to each other. Perhaps this is the reason that whenever the government changes in the center and especially in the states, first of all officers are transferred on a large scale.

5. Costly Elections - Contesting election in India is a costly affair. The expenditure on supporters, posters, banners, rallies, field trips and media management in elections has increased so much that it is no longer possible for a common man to contest election in India. Officially the Election Commission has set the limit of election expenses for the candidates but that is only to appear on paper. In reality, no competent candidate or party rarely follows it. The biggest evidence of this was seen in June 2013 when senior BJP leader Gopinath Munde admitted in a public meeting that he spent 4 crore rupees in the Lok Sabha elections, beyond the official spending limit of 40 lakhs. In a country like India where even today every fifth person is forced to live below the poverty line, it is not possible for everyone to join this expensive election process.

Challenges of Political Inequality in India

1. Economic Disparities and Political Power: Economic inequality has a direct impact on political participation as wealthy individuals and corporations wield disproportionate influence through lobbying, media control, and campaign financing, creating a vicious cycle where political decisions favor the wealthy, further entrenching inequality.

2. Caste-Based Discrimination: India's political landscape is still influenced by the deeply ingrained caste system, in which dominant castes often control political parties and decision-making processes, leaving lower castes with limited opportunities for participation. Dalits and other lower-caste groups face stigma and discrimination, which makes it difficult for them to assert their political rights as well.

3. Corruption and clientelism: Political corruption undermines democratic institutions. In clientelist systems, politicians provide targeted benefits to specific groups or individuals in exchange for political support, sidelining broader policy concerns and equitable resource distribution.

4. Voter Suppression and Accessibility: Many citizens, particularly those in rural areas, face barriers like voter intimidation, lack of transportation to polling stations, and misinformation. Other problems like migrant workers' and urban poor people's disenfranchisement also lower political participation.

5. Illiteracy and Lack of Political Awareness: A large portion of the population lacks access to education, which limits their knowledge of political systems, candidates, and their rights. Voters

who are illiterate are more vulnerable to manipulation through false promises or financial incentives.

Solutions to Political Inequality in India

1. Strengthening Grassroots Democracy: Encouraging Panchayati Raj institutions and urban local bodies by giving them sufficient funding, autonomy, and training will strengthen grassroots democracy. It is also important to make sure that representatives from underrepresented groups have the assistance they need to do their jobs well.
2. Electoral reform: Introduce proportional representation to ensure that political parties representing smaller or marginalized groups gain adequate representation. Public funding for elections and restrictions on corporate donations are two examples of campaign finance reforms that can lessen the power of money in politics.
3. Promoting Political Awareness: Conduct sustained awareness campaigns, particularly in rural and underprivileged areas, to educate people about their voting rights, the importance of political participation, and the electoral process.
4. Digital and Technological Interventions: Use technology to improve voter registration processes and ensure greater accessibility. Initiatives such as mobile polling units and online voting options can help reach underserved populations, including migrant workers and persons with disabilities.
5. Accountability mechanisms: Strengthen anti-corruption agencies and empower institutions like the Election Commission of India to monitor campaign finances and enforce transparency. Whistleblower protection laws can encourage the reporting of corrupt practices.
6. Addressing regional imbalances: Allocate more resources to underdeveloped regions for infrastructure, education, and job creation. Programs that promote equitable development can help reduce the sense of political neglect among citizens in these areas.

References-

1. Kumar, M., & Kashyap, A.K. (2024). भारतीय लोकतंत्र में मतदान व्यवहार : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण, Nav Jyoti, सृजन रिसर्च फाउंडेशन, वाराणसी , Vol.12(25),8-15, DOI: 10.13140/RG.2.2.12869.51680
2. Singh, G., & Kashyap, A.K. (2025). ग्रामीण पुनर्निर्माण में संचार के साधनों की प्रभावशीलता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन , इक्कीसवी सदी का ग्रामीण भारत , skylark publication, Varanasi, india,V.1, 114-119, DOI: 10.13140/RG.2.2.30305.36961
3. Paswan, A., (2025) ACCESSIBILITY OF JUSTICE FOR MARGINALIZED DALIT: A STUDY OF PATHERWA VILLAGE OF KUSHINAGAR DISTRICT. Bihar Journal of Public Administration, New Series Vol. XXII, No. 1, ISSN: 0974-2735
4. Paswan, A. (2024). SDG-16 and Access to Justice for Marginalized Dalit: A Study of Patepur Village of Ghazipur District of Uttar Pradesh. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, *8*(8), 2261-2269.
5. Banerjee, Abhijit, Bardhan, Pranab et al. (eds.). Poverty and Income Distribution in India. New Delhi: Juggernaut. 2017

6. Dreze, Jean, and Amartya Sen (2003). India: Development and Participation. Oxford University Press, New Delhi
7. Dubrow, JK (2015) Political inequality is international, interdisciplinary, and intersectional. Sociology Compass 9(6),p.477
8. Dubey, Amaresh (2016), "Growth, Poverty and Inequality in India", power point presentation, GIGA, Hamburg, Germany
9. Himanshu (2015), "Inequality in India", Seminar, No. 672, August, 2015
10. Milanovic, Branko (2016), "Global Inequality: A New Approach for the Age of Globalization", The Belknap Press of Harvard University Press
11. Motiram, Sripad and V. Vakulabharanam (2013), 'Indian Inequality: Patterns and Changes, 1993- 2010", in Dev, S. Mahendra (ed., 2013), India Development Report 2012-13, Oxford University Press, New Delhi.
12. Ocampo J. A. (2007). Global challenges of inequality. *IDS Bulletin*, 38(2), 26–30.
13. Radhakrishna, R. (2018). Inequality in India: Trends, Emerging Challenges and Path Ways for Reduction of Inequality: Introduction to the Special Issue. Indian Journal of Human Development, 12(2), 121-126. https://doi.org/10.1177/0973703018794311.
14. Reducing inequality, https://ec.europa.eu/internationalpartnerships/sdg/reducing-inequality_en
15. Sen and Himanshu (2004), "Poverty and Inequality in India", Economic and Political Weekly, Vo.39, No.38, 39.
16. Thorat, Sukhadeo and Paul Attewell (2010) 'The Legacy of Social Exclusion: A Correspondence Study of Job Discrimination in India's Urban Private Sector', in Sukhadeo Thorat and Katherine S. Newman (eds), Blocked by Caste: Economic Discrimination in Modern India, New Delhi, Oxford University Press.
17. Triesman, D. (2007), "What have we learned about the causes of corruption from ten years of CrossNational Empirical Research?", Annual Review of Political Science, Vol. 10, pp. 211-244

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

The Impact of Self Help Group on Decision Making Power Among Rural Women

Pratiksha Mishra
Research Scholar, Department of Sociology
Maharaj Balwant Singh P.G College
Gangapur, Varanasi
Prof. Alok Kumar Kashyap
Supervisor, Department of Sociology
Maharaj Balwant Singh P.G College
Gangapur, Varanasi

Abstract
Self help group is a group of 10 to 20 women who are of similar socio – economic status. They work together to address their individual and collective problems. The group's purpose is to support each other, maintain unity, and improve their family and social standing. In these groups, women pool their savings and then, using this money as loans, start small- scale businesses. Women's small-scale businesses are building their self-confidence, making them feel empowered. Through self-help groups, women share their problems and find solutions. They are also raising their voices on social issues. Self-help groups are empowering women socially and economically. Women associated with self-help groups are empowered to make decisions at both the domestic and social levels. Joining self-help groups has increased women's financial literacy, self-confidence, and social awareness, enabling them to express their views on many family decisions. They play a vital role in decisions such as household expenses, children's education, family health, and even business decisions. Self-help groups not only save money but also utilize their time effectively during self-help group meetings. Self-help groups have empowered women to such an extent that they are now able to support their families in both small and large decisions. Self-help groups have positively transformed women's empowerment and decision-making. This promotes women's socio-economic Self-help group have not only increased women's social participation but also fostered leadership and self-reliance, enabling women in rural areas to make independent decisions and contribute to both their families and society. When women were not associated with self-help groups, their situation was dire. However, after joining them, their situation has changed significantly. This change has led to a surge in the number of women joining self-help groups.

Today, there is no rural area where women are unaware of self-help groups. Learning about the benefits of joining a self-help group, no woman wants to remain untouched. Self-help groups have created a wave among rural women, empowering all women.

Keyword :- Self help group, rural , women empowerment, Life Chance, Social Justice

Introduction :-

The socioeconomic and familial status of women in rural areas was not as good in earlier times, therefore, women's socioeconomic and familial empowerment is an important aspect today. For a long time, rural women were confined to domestic work. Their job was confined to the four walls of their homes, raising children, and caring for the family. In these circumstances, the government-initiated Self-Help Groups (SHGs) emerged as a ray of light in the darkness. SHGs have played a vital role in empowering women economically and socially. A SHG is a voluntary group of women, where women receive training to become self-reliant and self-reliant businesswomen. SHGs are emerging as a platform that fosters self-confidence, leadership skills, and social participation. Today, women are becoming economically empowered and are able to make their own decisions and play a key role in family decisions related to children's education, health, household expenses, investments, and social activities. This is considered a positive change. Self-help groups are emerging as an effective means of empowering rural women on an economic, social, and personal level. Through this medium, we are witnessing positive changes in women's decision-making capabilities. This change is occurring in various dimensions, as detailed below.

1. **Social Empowerment :-** By joining the self-help group, women are able to speak and think independently and by joining the group, they are developing a sense of confidence through group discussions. After joining the self-help group, women are becoming successful in taking decisions in their homes and expressing their views effectively through the experiences they gained in the group. The women who earlier used to hesitate in speaking on any issue, today take decisions on their household issues and are strengthening their role in taking decisions on social issues like education, health and sanitation. And all this has become possible only after joining the self-help group.
2. **Economic Empowerment:-** After joining the self-help group, women who earlier used to spend their savings on household needs, today deposit their savings in the group, which provides them with savings and loan facilities. By taking the money deposited in the group as loan, they are increasing their income, which is creating a confidence in them at home and in society, with that confidence they are able to take decisions today. Today, women are seen increasing their participation in decisions like family expenses, children's education and where and how to invest in small businesses.
3. **Leadership Development :-** Participating in self-help group meetings, accounting, and planning develops women's leadership and management skills. By joining self-help groups, these women have also become active participants in decision-making at the Panchayat level. Thus, we can say that joining self-help groups has positively increased women's decision-making power, a growth that reflects the development of rural women.

4. **Increased self-confidence and identity and participation in community decisions:-** Self-help groups are playing a vital role in the development of rural women. Joining self-help groups has significantly impacted rural women's positive development. Self-help groups often play a crucial role in collective decision-making for village development projects, such as roads, water, and healthcare. Group decision-making is not limited to the village, but rather, based on the experiences gained within the group, they are able to reach out to the entire community, including their families. This group instilled confidence in women, positively transforming their decision-making power. This seemingly small group serves as a backbone, enabling women to play a crucial role in building the panchayat, block, district, and nation.

Problem of Statement :- Compared to the past, the current situation of women has improved significantly, and self-help groups have played a crucial role in this, promoting economic empowerment, skills development, and awareness. However, in the era of the digital revolution, the pace of this progress has not been satisfactory. While most government schemes are now accessed through digital resources, the lack of access to digital resources among women in rural areas is emerging as a major obstacle. This is hindering satisfactory improvements in women's decision-making abilities and their economic and social empowerment. Therefore, it is essential to study all the factors that influence the decision-making capacity and empowerment of women associated with self-help groups. This raises the question of whether self-help groups are truly empowering women's decision-making abilities.

Review of Literature :-

Bose, Dr. S. (2021), in his book **Self-Help Groups and Rural Development**, states that a self-help group is a non-profit organization that plays a vital role in alleviating poverty. A self-help group operates as a savings and loan business, in which banks also play an important role. Self-help groups have played an important role in nation building and social change. Today there is no corner of the country where it has not registered its presence. Development of rural areas is not possible without self-help groups among rural women. According to the current scenario, self-help groups are in demand in all areas today.

Pangannavar, Arjun Y. (2012) in his book **Self-Help Groups and Women Empowerment in India** state that self-help groups play a vital role in empowering women. Self-help groups in India have empowered women economically, socially, and politically. In rural areas, self-help groups are like a ray of sunshine that has illuminated rural women's decision-making and empowered them.

Rao, Venkata and Visweswara {2012} In her book**, Self Help Groups and Womens Empowerment,** she explains how self-help groups are playing a crucial role in empowering women. Self-help groups have developed women's leadership skills and empowered them with decision-making power. Today, we see rural women becoming empowered, which is a good sign for our country.

Swarnalatha, E.V (1997) in his book **Empowerment of Women through Self Help Groups** states that Self Help Group is a group in which women come together and form a group in

which they can save and create a new business, which will create a source of income for them and through this income they can get economically empowered. After becoming economically empowered, they will automatically become socially and politically empowered. Self Help Group has played an important role in empowering rural women in rural areas of India.

Naidu, Prof. Y Gurappa Naidu (2016) in his book **Women Empowerment through Self Help Groups: Impact, Issues and Strategies,** has explained the impact of self-help groups in empowering women, the strategies they have adopted to strengthen them, and the problems faced by self-help groups in empowering women. The government played an important role in creating self-help groups because these groups were very much needed to empower rural women in rural areas, so that women could become economically empowered by doing small-scale business.

Chitagubbi and naik , Geeta and Murahari (2011) in their book**, "Women Self-Help Groups: A Development Approach,"** argues that self-help groups are a product of neoliberal times, where rural women are joining forces to overcome poverty. Self-help groups are completely independent and voluntary organizations. Self-help groups play a vital role in empowering women and alleviating poverty. The book explores how women have achieved equality through joining self-help groups**.**

Chakrabarty and Roy, Suhrita and Amit (2010) in their book **Evolution of a Self-Help Group : An Empirical Investigation in India** state that self-help groups have been playing a vital role in empowering women for over 20 years. Self-help groups have worked at the grassroots level. They are one of the first initiatives initiated by government and non-government organizations that has played a significant role in empowering women. This book is a case study based on rural West Bengal that evaluates the role of self-help groups there.

Objective of the Study :-

1. To study the decisions taken by women associated with self-help groups in domestic participation.
2. To study the participation of women in economic decisions before and after joining self-help groups.
3. To study the changes in self-confidence and leadership abilities of individuals after joining a self-help group.
4. To study the role of SHGs in decision making at the community level after joining the SHG.
5. To study the socio-economic and political factors of self-help groups after their involvement.

Hypotheses :-

1. After joining the Self Help Group, there has been a positive change in decision making among women at the household level.
2. Women's economic decision-making power has increased after joining self-help groups.
3. Women's self-confidence and leadership skills have increased after joining the self-help group.

4. After joining the self-help group, there has been a positive increase in the decision-making power of women at the community and society level.
5. After joining the self-help group, women have developed decision-making capacity at socio-economic and political levels.

Research Design:- This research paper uses an exploratory research design to study the emerging aspects of society, including the digital revolution, digital payments, new forms of market economy, and the challenges of artificial intelligence.

Data Collection :- This research paper is based on secondary data, primarily using books, newspapers, digital resources, and reliable government reports.

Data interpretation and Finding:- After studying secondary data in this research paper, I found that most of the schemes launched by the government remain largely confined to paper. In reality, many women are associated with self-help groups only for the loans they receive, and many such groups have limited their role to merely providing loans. In such a scenario, the hope of improving women's decision-making power remains a mere fantasy. Although the digitization of schemes, the Direct Benefit Transfer (DBT) program, and the subsidized loans provided by the government to women entrepreneurs are playing a significant role in empowering them directly, the lack of proper evaluation and review could hinder the achievement of these schemes' objectives.

Self Helf Group and Decision Making Power :- Self-help groups are emerging as a platform that empowers women socioeconomically and politically. Self-help groups are groups where women come together to form a collective, with banks providing financial assistance. Women in these groups pool their savings from their daily expenses and deposit them into the group as savings. Later, they share this money at a low interest rate and start new businesses. With the income from these businesses, women meet their own needs as well as those of their families, while also helping those in their village and neighbourhood. Self-help groups have provided rural women with a platform where they can gather and address their problems. Group accounting develops a unique knowledge, which they use to conduct financial transactions within their homes. Self-help groups have empowered women to such an extent that they now play a vital role in decision-making, not only within their homes but also within society and the community. They are gaining a distinct place in society. If we study the women before they joined the self-help group, we find that the women of that time were stuck only in household chores, confined within the four walls, they were only engaged in raising children. But ever since the self-help group came into existence, by joining this group, women are making good use of their time and are using their daily savings in the right place. By becoming economically empowered, women are also playing an important role in decision-making. In a study of self-help groups, NABARD found that the SHG-Bank linkage program has significantly increased women's economic decision-making, empowering them to become economically empowered and self-reliant. According to a World Bank report, SHGs have enhanced women's ability to make socioeconomic, political, and community decisions. Various NGOs have studied SHGs and found that women who join SHGs are more likely to participate in family decisions, such as children's education, health, loan access, and financial transactions. Women now know where to invest their money and are no longer dependent on their husbands or

brothers for these decisions. Instead, they emerge from joining groups with a greater confidence that allows them to make these decisions themselves. Self-help groups have played an important role among urban women, but they have proved to be more effective in empowering rural women because if a comparative study is done between urban and rural women, it is found that rural women are mostly dependent on their husbands or fathers, hence, self-help groups are proving to be a successful tool in empowering them and developing decision-making capabilities in them.

Conclusion and Suggestion :- Self-help groups are bringing about a unique change in the lives of rural women, and this change is always seen as positive. This change is not only empowering women economically but also developing their capacity to make social, political, and family decisions. Today, women are not only taking decisions in their homes but are also raising their voices in society and community. Today, women are playing a vital role in achieving collective power, self-reliance, leadership ability, and self-confidence. Self-help groups not only empower women economically or politically, but also speak of their overall empowerment. Women who once hesitated to speak up in their families, were afraid to express their views or sought permission from family members before speaking out, now feel so empowered by joining groups that they are not only making their own decisions at home but also contributing to the nation's development through their decisions in society and community. The development of rural women through self-help groups is significantly increasing India's GDP. Self-help groups not only develop rural women but also the nation. They not only teach women financial management but also increase their participation in family financial transactions. At self-help group meetings, women participate in training programs, developing skills for small businesses. On a larger scale, they create new sources of income. Today, women are breaking free from social conventions and eliminating gender inequalities, carving out a new niche for themselves. Self-help groups are emerging as an effective medium for enhancing women's decision-making power at all levels: economic, social, political, and personal. Self-help groups are functioning very well, but there are some suggestions that need attention. For example, many groups lack training. Self-help groups should focus on promoting skill development training, including digital literacy and leadership training, to empower them to make better decisions. The number of training sessions within the group should be maintained so that women can develop some scale and strengthen their financial position through small businesses. Many women in the group lack knowledge about government schemes. Arrangements should be made to ensure women are aware of government schemes so they can take advantage of them and improve their quality of life. Bank linkage programs should also be promoted within self-help groups to simplify and make transparent processes, giving women confidence and empowering them to make informed financial decisions. Women should utilize digital technology to enable them to make transactions easily without visiting a bank, saving time through digital payments, online payments, and mobile payments. Awareness among women should be increased to empower them to make informed decisions. Such apps and websites should be created for women so that women can easily reach the markets with the products made by them. This facility should be provided nationally as well as internationally.

Reference:-

1. Bose,Dr.S {2021}. Self-Help Groups and Rural Development.MJP Publishers.Chennai.
2. Pangannavar, Arjun Y. (2012}. Self-Help Groups and Women Empowerment in india New Century Publications.
3. Paswan, A., (2025) ACCESSIBILITY OF JUSTICE FOR MARGINALIZED DALIT: A STUDY OF PATHERWA VILLAGE OF KUSHINAGAR DISTRICT. Bihar Journal of Public Administration, New Series Vol. XXII, No. 1, ISSN: 0974-2735
4. Paswan, A. (2024). SDG-16 and Access to Justice for Marginalized Dalit: A Study of Patepur Village of Ghazipur District of Uttar Pradesh. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, *8*(8), 2261-2269.
5. Mishra, P., & Kashyap, A. K. (2024). A Study of Self Help Group Lead Women Empowerment, The Opinion (An International Journal of Arts & Social Sciences) A Peer Reviewed Refereed Research Journal, Srija Research FoundationVaranasi, India, V.13, N.26, P.23-29
6. Maurya, V., & Kashyap, A.K. (2025). महिला सशक्तिकरण के क़ानूनी व नीतिगत आयाम : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, Journal of Socio-Educational & Cultural Research(An International Multidisciplinary Peer Reviewed Refereed Journal)Bi-annual, Bilingual (English/Hindi, Srijan Research Foundation, Varanasi,India,Vol.11(22), 1-11, DOI: 10.13140/RG.2.2.31513.68964
7. Rao, Venkata and Visweswara {2012} Self Help Groups and women Empowerment. Discovery Publishing PVT.LTD
8. Swarnalatha, E.V (1997) Empowerment of Women Through Self Help Group. Discovery Publishing PVT.LTD
9. Naidu, Prof. Y Gurappa Naidu (2016) Women Empowerment Through Self Help Groups: Impact, Issues and Strategies. Kanishka Publishers.
10. Chitagubbi and naik, Geeta and Murahari (2011) Industrial Self Helf Group: A Development Approach.VDM Verlag Publication. Karnataka.
11. Chakrabarty and Roy, Suhrita and Amit (2010). Evolution of a Self Help Group and Empirical Investigation in India.
12. Bhagat, Dr Manoj {2022} Gramin Mahilao ki Arthik Vikas Mein Swayam Sahayata Samuh ki Bhumika. Sankalp Publication.
13. Purva, Pratibha Sahni {2021} Mahila Sashaktikran aur Swayam Shayata Samuh. Ankur Book Publication.Delhi.
14. https://shikshasamvad.com
15. https://hiwikipedia.org
16. https://exploremyindia.in
17. https://www.vedantu.com
18. https://www.nuutan.com
19. https://lotusarise.com
20. https://www.dristiias.com

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

Role of Commercial Mathematics in Promoting Life Skills among Middle Stage students

Poonam Bharti
Research Scholar, Faculty of Education(k)
Banaras Hindu University, Varanasi
Dr. Chhaya Soni
Assistant Professor, Faculty of Education(k)
Banaras Hindu University, Varanasi

Abstract
In the context of competency-based education, there is a growing need to integrate life skills within academic subjects. This paper explores the role of commercial mathematics in promoting essential life skills among middle stage students. By focusing on concepts such as profit and loss, discount, interest, and budgeting, commercial mathematics connects learning with real-life financial situations. The study adopts a conceptual approach based on policy documents and existing literature, particularly aligned with the vision of NEP 2020. It highlights how commercial mathematics contributes to the development of decision-making, problem-solving, critical thinking, and communication skills. The paper also discusses pedagogical implications for making mathematics education more practical, meaningful, and life-oriented.

Keywords: *Commercial Mathematics, Life Skills, Financial Literacy, NEP 2020, Skill-based Education*

Introduction
Machine learning has dominated mathematics pedagogy in India, where pupils frequently memorize formulas and techniques without fully comprehending underlying concepts. The evolving nature of education necessitates that students gain not only academic and bookish information but also skills like creativity, critical thinking, problem-solving, and the capacity to apply knowledge in practical settings (Singh & Bahadur, 2025). However, education in the 21st century emphasizes the development of competencies that enable learners to function effectively in real-life situations. The National Education Policy (NEP) 2020 emphasizes a transformative shift in the Indian education system from rote memorization to experiential, competency-based, and skill-oriented learning (Government of India, 2020). It advocates for an education that not only imparts knowledge but also equips learners with the ability to apply that knowledge in real-life contexts. The policy highlights the importance of developing critical thinking, problem-solving

abilities, and decision-making skills, which are essential for holistic development and lifelong learning. In this regard, mathematics education, which has traditionally been perceived as abstract and procedure-oriented, needs to be re-envisioned to make it more meaningful and relevant. There is a growing need to move beyond mere symbolic manipulation and textbook-based exercises towards contextualized and application-based learning experiences. By integrating real-life situations such as financial transactions, budgeting, and everyday problem-solving, mathematics can become a powerful tool for developing practical competencies. Such an approach not only enhances conceptual understanding but also fosters essential life skills, thereby aligning mathematics education with the broader goals of NEP 2020 in preparing learners for real-world challenges.

Commercial mathematics provides a significant opportunity to connect mathematical learning with everyday financial experiences, thereby making the subject more meaningful and applicable. Concepts such as profit and loss, discount, interest, budgeting, and saving are closely linked to daily life and enable learners to understand and manage real-world financial situations (Gupta, 2024). The integration of these concepts in classroom teaching not only enhances conceptual understanding but also promotes the development of essential life skills such as decision-making, problem-solving, and critical thinking, as learners engage in evaluating alternatives, analysing outcomes, and making informed choices (Kaur & Prajapati, 2024). This becomes particularly relevant at the middle stage (Classes VI–VIII, ages 12–14), which, as highlighted in the National Education Policy (NEP) 2020, is a crucial phase for experiential and interdisciplinary learning (Government of India, 2020). The policy recommends hands-on learning approaches and encourages the integration of knowledge across disciplines to foster holistic development. In this context, commercial mathematics serves as a powerful medium for cross-curricular engagement.

This paper is highly relevant in the present educational context, where there is a growing emphasis on linking academic learning with real-life application and skill development. By highlighting the role of commercial mathematics in promoting life skills such as decision-making, problem-solving, and critical thinking, the study aligns with the vision of NEP 2020. It contributes to the discourse on competency-based education and offers insights for educators and curriculum designers to make mathematics learning more practical, meaningful, and life-oriented among middle stage students.

Methodology

The present study adopts a conceptual and qualitative approach to examine the role of commercial mathematics in promoting life skills among middle stage learners. The paper is based on the analysis of secondary sources, including policy documents such as the National Education Policy (NEP) 2020, NCERT frameworks, and relevant research studies in mathematics education and life skills (Government of India, 2020; NCERT, 2022).

A thematic analysis was employed to identify and organize key concepts related to commercial mathematics and selected life skills, such as decision-making, problem-solving, and critical thinking. These themes were synthesized to develop a conceptual understanding of the relationship between commercial mathematics and life skills development.

No primary data was collected, as the study focuses on theoretical interpretation and synthesis of existing literature.

Concept of Commercial Mathematics

Commercial mathematics refers to the application of mathematical concepts and principles in everyday financial and business-related situations. It encompasses topics such as profit and loss, discount, simple and compound interest, budgeting, taxation, and financial planning (IGNOU, n.d.), all of which are integral to daily economic transactions (Githua & Nyabwa, 2008). Unlike abstract mathematical concepts, commercial mathematics is inherently practical and contextual, enabling learners to understand how mathematics operates in real-life scenarios (Gupta, 2024).

The primary objective of commercial mathematics is to develop learners' ability to make informed financial decisions by applying mathematical reasoning to real-world problems. It bridges the gap between theoretical knowledge and practical application, thereby making mathematics more meaningful and relevant for students. According to Wolfram (2020), mathematics education should move beyond routine calculations and focus on real-world problem-solving, where learners can interpret and analyse situations that they are likely to encounter in everyday life. Commercial mathematics aligns with this perspective by emphasizing functional understanding over procedural knowledge.

In the context of school education, particularly at the middle stage, the inclusion of commercial mathematics helps in fostering critical thinking, problem-solving, and decision-making abilities, as students engage with realistic and meaningful tasks (Kaur & Prajapati, 2024).

Thus, commercial mathematics can be viewed not merely as a branch of mathematics, but as a life-oriented domain that connects academic learning with everyday financial practices and supports the development of essential life skills among learners.

Understanding Life Skills

Life skills are psychosocial competencies that allow people to convert information, attitudes, and values into suitable and productive behaviour in day-to-day circumstances. By knowing what to do, why to do it, how to do it, and when to do it in various situations, these abilities enable people especially young learners to make educated decisions (CBSE, 2014). According to the World Health Organization (WHO) (as cited in CBSE, 2014), life skills are "the abilities for adaptive and positive behaviour that enable individuals to deal effectively with the demands and challenges of everyday life," where adaptive refers to flexibility in handling a variety of situations and positive behaviour indicates a constructive and forward-looking approach even in adverse conditions. In a similar vein, according to UNICEF (as referenced in CBSE, 2014), life skills are a behaviour modification or development method that combines knowledge, attitudes, and skills to support balanced human growth.

Life skills education is essential for holistic development and is increasingly emphasized in educational policies (Radhika& Sharanamma, 2025). In the context of mathematics education, these skills can be developed through meaningful engagement with real-life situations.

While the World Health Organization (WHO) identifies ten core life skills, including self-awareness, empathy, critical thinking, creative thinking, decision-making, problem-solving,

effective communication, interpersonal relationships, coping with stress, and coping with emotions, the present paper focuses selectively on those skills that are directly relevant to the domain of commercial mathematics.

For this paper, the focus is on:

- Decision-making
- Problem-solving
- Critical thinking
- Creative thinking
- Effective communication
- Interpersonal relationships

as these are closely associated with financial reasoning, analysis, and real-life application of mathematical concepts (Kaur & Prajapati, 2024). Self-awareness is also considered as an associated skill in understanding personal financial behaviour and choices. However, life skills such as coping with stress and coping with emotions are not included in the scope of this study, as they are more closely related to emotional and psychological well-being rather than cognitive and functional aspects of learning commercial mathematics. Thus, the selection of life skills in this paper is guided by their direct relevance to mathematical application and life-oriented learning.

Theoretical Perspectives

- **Constructivism**

 Constructivist theory suggests that learners actively construct knowledge through interaction with their environment. In the context of mathematics education, constructivism encourages the use of real-life situations to make abstract concepts more meaningful and relatable. From a life skills perspective, constructivist learning in commercial mathematics promotes essential skills such as critical thinking, decision-making, and problem-solving. When students analyse real-life financial situations, compare alternatives, and justify their choices, they develop the ability to think logically and make informed decisions. Commercial mathematics, with its focus on everyday financial contexts that enable learners to actively engage with mathematical ideas. This aligns with the view that meaningful learning occurs when learners are involved in problem-solving and reflective thinking processes. Thus, commercial mathematics supports a constructivist classroom environment where learners actively participate, explore, and construct their own understanding.

- **Experiential Learning**

 Experiential learning emphasizes learning through experience. According to Kolb's experiential learning cycle, learning involves concrete experience, reflective observation, abstract conceptualization, and active experimentation. Commercial mathematics involves practical situations such as budgeting and financial planning, which promote experiential learning (Kolb, 1984). In terms of life skills, experiential learning through commercial mathematics fosters financial literacy, self-management, and responsible decision-making. For example, when students engage in activities like planning a budget or comparing

investment options, they not only learn mathematical concepts but also develop the ability to manage resources effectively and make financially sound decisions in real life.

- **Life Skills Education Approach**
 Life skills education focuses on developing psychosocial competencies that enable individuals to deal effectively with life challenges. Integrating commercial mathematics supports this approach by engaging learners in decision-making and problem-solving activities (Kaur & Prajapati, 2024). Therefore, commercial mathematics serves as an effective means of operationalizing life skills education within the school curriculum.

Role of Commercial Mathematics in Promoting Life Skills

Commercial mathematics plays a significant role in fostering essential life skills among middle stage learners by situating mathematical learning within real-life financial contexts

- **Decision-Making Skills**
 Decision-making refers to the ability to select the most appropriate course of action from available alternatives based on logical reasoning and evaluation (CBSE, 2014). Commercial mathematics develops this skill by engaging students in activities such as comparing prices, evaluating discounts, and planning budgets. These situations require learners to analyse options and choose the most beneficial outcome, thereby strengthening their capacity for informed and responsible decision-making (Gupta, 2024; Government of India, 2020).
- **Problem-Solving Skills**
 Problem-solving is the ability to identify, analyse, and resolve problems effectively using appropriate strategies (CBSE, 2014). Commercial mathematics provides numerous opportunities for learners to solve real-life problems related to cost, profit, and interest calculations. Such engagement enhances analytical thinking and equips students with the ability to approach practical challenges systematically.
- **Critical Thinking**
 Critical thinking involves the ability to analyse information objectively, evaluate alternatives, and make reasoned judgments (CBSE, 2014). In commercial mathematics, learners critically examine financial situations, such as assessing the benefits of different financial options or interpreting numerical data. This process fosters logical reasoning and reflective thinking (Romero, 2024).
- **Creative Thinking**
 Creative thinking is the ability to generate new ideas, explore alternatives, and approach problems from different perspectives (CBSE, 2014). Through activities like budget planning and financial decision-making, commercial mathematics encourages learners to think innovatively and develop multiple solutions to real-life problems, thereby enhancing creativity (Radhika & Sharanamma, 2025).
- **Effective Communication**

Effective communication refers to the ability to express ideas clearly and appropriately in verbal and non-verbal forms (CBSE, 2014). In commercial mathematics, students communicate their reasoning, explain calculations, and participate in discussions related to financial scenarios. Such interactions help in developing clarity of expression and confidence in communication (NCERT, 2022).

- **Interpersonal Relationships**
 Interpersonal relationship skills involve the ability to interact positively and effectively with others (CBSE, 2014). Collaborative activities in commercial mathematics, such as group budgeting tasks or discussions on financial decisions, promote teamwork, cooperation, and mutual understanding among learners (Kaur & Prajapati, 2024).

Pedagogical Implications

To effectively integrate commercial mathematics for life skills development, the following strategies are suggested:

- **Activity-based learning:** Engaging students in hands-on activities such as calculating profit–loss, preparing simple budgets, or analysing discounts promotes active participation and deeper understanding (NCERT, 2022; Government of India, 2020).
- **Real-life problem situations:** Presenting learners with authentic financial scenarios, such as shopping comparisons or saving plans, enables them to apply mathematical concepts in practical contexts and develop decision-making skills (Gupta, 2024; Kaur & Prajapati, 2024).
- **Project-based tasks:** Assignments like creating a monthly budget, planning a small business idea, or analysing expenditure patterns encourage independent thinking, creativity, and problem-solving abilities (Radhika & Sharanamma, 2025).
- **Group discussions and collaborative work:** Working in groups on financial tasks or discussing solutions helps learners develop communication skills, teamwork, and interpersonal relationships (NCERT, 2022; Kaur & Prajapati, 2024).
- **Simulation games:** Incorporating simple market simulations or role-play activities (e.g., buyer–seller interactions) provides experiential learning opportunities, making concepts more engaging and meaningful while enhancing decision-making and critical thinking skills (kolb,1984).

Teachers should act as facilitators and create learning environments that connect mathematical concepts with real-life applications, thereby promoting meaningful learning and life skills development among students (NCERT, 2022; Government of India, 2020).

Alignment with NEP 2020

The integration of commercial mathematics aligns closely with the key principles of the National Education Policy (NEP) 2020, including experiential learning, skill development, and the promotion of financial literacy (Government of India, 2020). The policy emphasizes the need for competency-based education that enables learners to apply knowledge in real-life contexts, moving beyond rote memorization. It also supports the vision of holistic and multidisciplinary education by encouraging the integration of knowledge across subjects and promoting real-world

application of concepts (NCERT, 2022). Furthermore, the focus on financial literacy and life skills development is increasingly recognized as essential for preparing learners to navigate complex socio-economic environments (Gupta, 2024; Kaur & Prajapati, 2024). Thus, the inclusion of commercial mathematics in the curriculum is well aligned with the broader goals of NEP 2020 in developing competent, skilled, and life-ready individuals.

Conclusion

Commercial mathematics plays a vital role in making mathematics education relevant and life-oriented. By linking mathematical concepts with real-life financial contexts, it promotes essential life skills such as decision-making, problem-solving, and critical thinking among middle stage students. The integration of such practical content aligns with the goals of NEP 2020 and supports the development of competent and life-ready learners. Thus, commercial mathematics can serve as an effective means of bridging academic learning with real-world application.

References

- Bahadur, T. & Singh, H. K. (2025). Pedagogical Shifts in Mathematics Education: The Role of NEP 2020 in Shaping Curriculum Practices. Journal of Research Innovation and Implications in Education, 9(4), 110 – 115. https://doi.org/10.59765/pyrk62n
- CBSE. (2014). *Life skills education for Class VIII*. Central Board of Secondary Education.
- https://cbseacademic.nic.in/web_material/doc/2014/9_Life%20Skills_Class_VIII.pdf
- Githua, B. N., & Nyabwa, R. A. (2008). Effects of advance organiser strategy during instruction on secondary school students' mathematics achievement in Kenya's Nakuru district. *International Journal of Science and Mathematics Education*, *6*(3), 439–457. https://doi.org/10.1007/s10763-006-9037-8
- Government of India. (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education.
- Gupta, N. A. (2024). Role of NEP 2020 in developing Financial Literacy as a critical life skill. *International Journal for Research trends and Innovation, 9(1),* 195-199. https://www.ijrti.org/papers/IJRTI2401034.pdf
- Indira Gandhi National Open University. (n.d.). *Unit 14: Commercial mathematics*. eGyanKosh. https://egyankosh.ac.in/bitstream/123456789/23135/1/Unit-14.pdf
- Kaur, J., & Prajapati, A. K. (2025). Role of life skills in promoting mathematics education with reference to NEP 2020. *AD EDUXIAN JOURNAL, 1(1). 67-80.* https://www.researchgate.net/publication/395107648_Role_of_Life_Skills_in_Promoting_Mathematics_Education_with_Reference_to_NEP_2020
- Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. http://academic.regis.edu/ed205/Kolb.pdf
- Ministry of Education. (2022). *Two Years of NEP 2020 Implementation*. Government of India.

- National Council of Educational Research and Training (NCERT). (2022). *National Curriculum Framework for Foundational Stage*.
- Radhika, T. & Sharanamma, R. (2025). The impact of NEP 2020 on life skills education in the Indian school system. *International Journal of Law, Education, Social and Sports Studies*, 12(S2), 300–309. http://ijless.kypublications.com/IJLESS%2012.S2.2025/300-309%20Radhika%20T.pdf
- Romero, M. (2024). Lifelong learning challenges in the era of artificial intelligence: a computational thinking perspective. *In Proceedings of IRMBAM 2023 Conference*. https://www.researchgate.net/publication/370631923_Lifelong_learning_challenges_in_the_era_of_artificial_intelligence_a_computational_thinking_perspective
- Wolfram, C. (2020). *The Math(s) Fix: An education blueprint for the AI age*. Wolfram Media.

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP)

डॉ0 मनोज कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र
उ0 प्र0 राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय,प्रयागराज

सारांश

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नई शिक्षा के प्रमुख पक्षों को सार्थक रूप से प्रस्तुत करती है। यह नीति शिक्षा की गुणवत्ता और सुगमता के साथ शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस नीति से छात्रों के संपूर्ण विकास,नवाचार,उच्चतर शैक्षिक दक्षता,और व्यक्तित्व विकास को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है। यह नई नीति स्वतंत्र सोच और रचनात्मकता के गुणों को बढ़ावा देती है जो छात्रों को आने वाले समय के लिए तैयार करेगा। नई शिक्षा नीति 2020 राष्ट्रीय कौशल विकास को महत्व देती है। जो छात्रों को जीविकोपार्जन के लिए महत्वपूर्ण कौशल सीखने,व्यावसायिक सफलता प्राप्त करने में सक्षम बनती है। उन्हें तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के साथ–साथ,कौशल के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने का अवसर देती है। यह मूलभूत शिक्षा से उच्च स्तर तक सीखने की निर्बाध और निरंतर प्रगति की कल्पना करता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि बच्चे भविष्य की शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

मुख्य शब्द– भारत, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, प्रणाली, उच्च गुणवत्ता, विकास,नीति, संवैधानिक मूल्यों, जागरूकता

भूमिका

इस राष्ट्रीय शिक्षा का विजन भारतीय मूल्यों से विकसित शिक्षा प्रणाली है जो सभी को उच्चतर गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराके और भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाकर भारत को एक जीवंत और न्यायसंगत ज्ञान समाज में बदलने के लिए प्रत्यक्ष रूप से योगदान करेगी। नीति में परिकल्पित है कि हमारे संस्थानों की पाठ्यचर्या और शिक्षाविधि छात्रों में अपने मौलिक दायित्वों और संवैधानिक मूल्यों, देश के साथ जुड़ाव और बदलते विश्व में नागरिक की भूमिका और उत्तरदायित्वों की जागरूकता उत्पन्न करे। नीति का विजन छात्रों में भारतीय होने का गर्व न केवल विचार में बल्कि व्यवहार, बुद्धि और कार्यों में भी और साथ ही ज्ञान, कौशल, मूल्यों और सोच में भी होना चाहिए जो मानवाधिकारों, स्थायी विकास और जीवनयापन तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो, ताकि वे सही मायने में सभ्य नागरिक बन सकें।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

सबसे पहले शिक्षा क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास

तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियाँ रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था?

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को जारी की गई एक शिक्षा नीति है। इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाना और इसे 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति की शुरुआत 1986 में की गयी थी। इसके 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति–नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (एनईपी)– 2020 घोषित की गयी जिसे मौजूदा समय में लागू किया जा रहा है। इसमें एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली की कल्पना की गयी है जिसमें हर सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के सभी विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा न्यायसंगत ढंग से मिल सके।

एनईपी–2020 संयुक्तराष्ट्र के विकास लक्ष्य–4 के अनुरूप है। इस लक्ष्य में सबके लिये समावेशी,न्यायसंगत और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा आजीवन ज्ञानार्जन के अवसरों को बढ़ावा देने की बात कही गयी है । और नीति का दृष्टिकोण भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को बदलने में सीधे योगदान दे, जिससे भारत एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बन सके। गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत पूर्व–विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन

नई शिक्षा नीति 2020 में पाठ्यक्रम और मूल्यांकन में कई महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला और छात्रों के अनुकूल बनाना है। पाठ्यक्रम और मूल्यांकन नई शिक्षा व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण आयाम हैं, जिसमें पाठ्यक्रम के बोझ को कम करने और छात्रों के विकास, अनुभव आधारित शिक्षण और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना है। जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ इंटर्नशिप भी होगी।

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक और शैक्षणिक विषय एवं पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- विद्यार्थियों के समग्र विकास के लक्ष्य पर ध्यान दें कक्षा–10 और कक्षा–12 में बदलाव के साथ–साथ भविष्य में समग्र या बहुकल्पीय प्रश्न जैसे आदि सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के आकलन और छात्रों को उनके भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence&AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग करें।

• राष्ट्रीय स्टार्टअप अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग–एनसीईआरटी) स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम (नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन) द्वारा तैयार किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुख्य बिंदु

स्कूलों के करिकुलम का पुनर्गठन एनईपी ने सुझाव दिया है कि स्कूली शिक्षा के मौजूदा ढांचे को दोबारा बनाया जाए ताकि वह बच्चों के विकास के विभिन्न स्तरों के हिसाब से अधिक प्रासंगिक बन सकें। स्कूली शिक्षा के वर्तमान ढांचे (10+2 डिजाइन) को 5–3–3–4 के करिकुलम से बदला जाएगा जिसमें–

(i) पांच साल फाउंडेशनल चरण (3 से 8 वर्ष)

(ii) तीन साल प्रिपरेटरी चरण, (8 से 11 वर्ष या कक्षा 3 से 5),

(iii) तीन साल मिडिल, (11 से 14 वर्ष या कक्षा 6 से 8), और

(iv) चार साल सेकेंडरी चरण (14 से 18 वर्ष या कक्षा 9 से 12) शामिल हैं ।

1–राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है कि 2030 तक प्री–स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक स्कूल शिक्षा में नामांकन अनुपात अच्छा हासिल किया जाए। यह लक्ष्य भारत के सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

2–शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई थी और शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति 1986 में राजीव गांधी द्वारा घोषित की गई थी। तीसरा 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किया गया था।

3– पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के पांच स्तंभ NEP 2020 की नींव हैं।

4–राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली को बदलना है, इसे अधिक समावेशी, लचीला और 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इसका उद्देश्य शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, सीखने के परिणामों को बेहतर बनाना, और छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना है।

5–नई शिक्षा नीति 30 जुलाई 2020 को भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) के तहत जारी की गई थी। शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, प्रबुद्ध करें के आदर्श वाक्य के साथ, यह भारत में पिछले 34 वर्षों में जारी होने वाली पहली शिक्षा नीति है।

6–स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कार्यक्रम है जिसे शिक्षा नीति के तीन प्रमुख सिद्धांतों अर्थात पहुँच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस प्रयास का उद्देश्य सबसे वंचितों सहित सभी तक सर्वोत्तम शिक्षण अधिगम संसाधन पहुँचाना है।

7–नई शिक्षा नीति 2020 (राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) का ही एक उन्नत रूप है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को और अधिक व्यावहारिक, कौशल–आधारित और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बदलना है।

8–यह पाठ्यक्रम विकास प्रक्रिया के चार आवश्यक चरणों की परस्पर क्रिया और संबंधों को भी दर्शाता है

- योजना,
- सामग्री और विधियाँ,
- कार्यान्वयन,

- मूल्यांकन और रिपोर्टिंग।

उच्च शिक्षा– 2035 तक सफल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य। कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में बहुविषयक (Multidisciplinary) शिक्षा को प्रोत्साहन।

4 वर्ष की स्नातक डिग्री (Multiple exit options)

1 वर्ष के बाद : प्रमाणपत्र (Certificate)

2 वर्ष के बाद : डिप्लोमा (Diplom)

3 वर्ष के बाद स्नातक (Bachelor's Degree)

4 वर्ष के बाद : स्नातक (Research with Honors)

सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को HECI (Higher Education Commission of India) के अंतर्गत लाना।

भाषा नीति– त्रिभाषा सूत्र (Three Language Formula) पर बल। शिक्षा का माध्यम यथासंभव मातृभाषा स्थानीय भाषा होगा। भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है।

शिक्षक शिक्षा– (Teacher Education)–2030 तक न्यूनतम 4–वर्षीय B-Ed. डिग्री अनिवार्य। शिक्षकों के निरंतर प्रशिक्षण एवं कौशल विकास पर बल।

स्कूल शिक्षा 2020 की मुख्य विशेषताएं

1 प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा Early Childhood Care and Education. (ECCE) 2 मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता Foundational Literacy and Numeracy (FLN) पर जोर बच्चों के स्कूल छोड़ने को रोकना और हर स्तर पर शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना ।

3 सीखने की प्रक्रिया समग्रता से जुड़ी हो और आनंददायक और रोचक होनी चाहिए ।

4 शिक्षकों को सशक्त बनाना ।

5 समान और समावेशी शिक्षा और सभी के लिए सीखने के अवसर ।

6 स्कूल शिक्षा के लिए मानक तय करना और मान्यता देना ।

7 शैक्षिक रूप से उपयुक्त शिक्षण और अधिगम पद्धतियों को अपनाना ।

8 शिक्षा, सीखने और मूल्यांकन में तकनीक का इस्तेमाल।

9 बाधाओं को दूर करने और छात्रवृत्ति के लिए छात्रों की पहुंच बढ़ाने पर जोर

10 नारी विविधता और स्थानीय संदर्भों का सम्मान।

11 सभी स्टार्टअप में पूर्ण न्यायसंगतता और समावेशन।

नई शिक्षा नीति का लक्ष्य

नई शिक्षा नीति (NEP) के लक्ष्य स्कूली शिक्षा में 2030 तक 100% सफल नामांकन अनुपात प्राप्त करना, उच्च शिक्षा में सफल नामांकन अनुपात को 2035 तक 50% तक बढ़ाना, कौशल–आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, और रचनात्मकता व व्यावसायिक कौशल को विकसित करके सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण, समान और सुलभ शिक्षा सुनिश्चित करना। कौशल विकास पहल के साथ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करना

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लक्ष्य है, जो 21वीं सदी की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली का आधुनिकीकरण करेगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सभी स्तरों पर शिक्षा गुणवत्ता, समानता और सामर्थ्य पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है।

शिक्षा केवल अकादमिक शिक्षा से कहीं अधिक है– यह बच्चे के समग्र विकास को आकार देने के बारे में है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में, बच्चों को सफल होने के लिए केवल किताबी ज्ञान ही नहीं, बल्कि जीवन कौशल, रचनात्मकता और भावनात्मक बुद्धिमत्ता की भी आवश्यकता होती है। यहीं पर शिक्षा में समग्र विकास महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 का समग्र विकास एक ऐसा दृष्टिकोण है जो छात्रों के बौद्धिक, शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर केंद्रित है, ताकि वे एक पूर्ण और जिम्मेदार व्यक्ति बन सकें। यह पारंपरिक शिक्षा से आगे बढ़कर कला, मानविकी, खेल और व्यावसायिक शिक्षा को STEM विषयों के साथ एकीकृत करता है, जिससे रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या–समाधान कौशल विकसित होते हैं।

समग्र विकास से तात्पर्य शिक्षा के प्रति एक सर्वांगीण दृष्टिकोण से है जो बच्चे के विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रेषित करते है –

- संज्ञानात्मक विकास– तार्किक सोच और समस्या–समाधान कौशल को बढ़ाना।
- भावनात्मक विकास– आत्म–जागरूकता, आत्मविश्वास और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का निर्माण।
- सामाजिक विकास– संचार, टीमवर्क और सहानुभूति में सुधार।
- शारीरिक विकास– खेल, फिटनेस और स्वस्थ आदतों को प्रोत्साहित करना।
- नैतिक एवं आचारिक विकास– मूल्य, जिम्मेदारी और निर्णय लेने की शिक्षा देना।

नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ

- राज्यों का सहयोगः शिक्षा समवर्तीसूची का विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को स्थापित करना होगा।
- महँगी शिक्षाः नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होनाः कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद है, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।
- वित्तपोषणः वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में इच्छाशक्ति सशक्त हो।

- मानव संसाधन का अभावः वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं।
- शिक्षा का संस्कृतिकरणः दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि–भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।

निष्कर्ष

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एवं न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यक है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच प्रदान करना वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समानता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत की सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है । सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा वह उचित माध्यम है, जिससे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्द्धन व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 की दृष्टि अत्यंत व्यापक और दीर्घकालिक है। इस तथ्य और नीति के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्यों और प्रयोजनों को हासिल करने के लिये तौर तरीके निर्धारित किये गये हैं। शिक्षा के मौजूदा और इच्छित परिणामों के बीच अंतर को शुरुआती बाल्यावस्था से उच्चतर शिक्षण तक व्यवस्था में बड़े सुधारों तथा समुचित रणनीतियों और कार्यक्रमों के जरिये दूर किया जाना है। यह नीति अपने दृष्टिकोण और इरादे में वैश्विक के साथ ही स्थानीय भी है। यह कई मायनों में पिछली नीतियों से काफी आगे है। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को शैक्षिक सुधारों के एजेंडे में सबसे ऊपर रखा गया है। इसका लक्ष्य शिक्षा की बुनियाद को मजबूत बनाना, सबसे कमजोर समूहों की शैक्षिक जरूरतों को पूरा करना तथा भारत को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक तौर पर अग्रणी स्थान तक पहुंचाना है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार और बदलाव का निर्णय भारत की बढ़ती आर्थिक उपस्थिति और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनने के उसके इरादे से मेल खाता है। भारत के तात्कालिक और भविष्य के सामाजिक–आर्थिक हित उसके जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन करने पर निर्भर करते हैं, जो को और भी अधिक मूल्यवान,अधिक कुशल, अनुकूलनीय और चुस्त कार्यबल निश्चित रूप से समाज के सभी स्तरों पर लाभ का अनुभव करने की अनुमति देता है। हालांकि, आगे बढ़ते हुए, NEP 2020 की सफलता के लिए क्षमता, स्पष्टता और समन्वय की आवश्यकता होगी, जिसका कार्यान्वयन कई चरणों में समावेशी और गहन परामर्श के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकता है।

सन्दर्भ

1. NEP 2020 मानव संसाधन विकास मंत्रालय,नयी दिल्ली।
2. कस्तूरीरंगन के 2021 लिबरल एजुकेशन ए ट्वंटीफर्स्ट सेंचुरी इनीशिष्टिय
3. पंद्रहवा स्थापना दिवस व्याख्यान, एनआईईपीए,नयी दिल्ली।
4. Kashyap, A.K.(2012).वर्तमान समाज में मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता, Adhikar, OPM,Chhindwara,M.P. V.5, P. 8-11, DOI: 10.13140/RG.2.2.19723.76326
5. https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-education-policy
6. https://news24online.com/education/vision-and-implementation-of-national-education-policy-nep
7. education.gov.in
8. Shinde, G (2021) Multidisciplinary Educational 2020 Approaches-NEP Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies, 8(64) https://www.researchgate

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation,Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

वैदिक साहित्य का सामाजिक समरसता में योगदान का समाजशास्त्रीय अध्ययन

विवेक शरण
शोधार्थी, का0 सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अयोध्या, उत्तर प्रदेश।
प्रो0 डॉ सत्य प्रकाश गुप्त
का0 सु0 साकेत स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
अयोध्या, उत्तर प्रदेश।

अमूर्त -
भारत विभिन्न धर्मों और विविध संस्कृतियों का देश है और इसकी परंपरा कई शताब्दियों पुरानी है। हम एक-दूसरे की संस्कृतियों, रीति-रिवाजों, परंपराओं और मूल्यों के प्रति समझ और सम्मान लाने में सफल नहीं हुए हैं।आज समाज को नैतिक और सामाजिक विकास के उच्च स्तर पर जाने के लिए एक बड़े प्रयास की आवश्यकता है। यदि लोग शांति को ध्यान में रखते हुए रहते हैं, तो इससे समाज में शांति आएगी जो अंततः विश्व स्तर पर शांति का मार्ग प्रशस्त करेगी। वैदिक साहित्य को दुनिया का सबसे पुराना साहित्य माना जाता है। यह शोध वैदिक साहित्य में सामाजिक समरसता के तत्वों की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत करता हैं। यह अध्ययन वैदिक साहित्य पर केंद्रित है। अध्ययन के निष्कर्ष साबित करते हैं कि वैदिक साहित्य सभी प्राणियों के साथ सामंजस्य स्थापित करके आध्यात्मिकता प्राप्त करने के तरीके बताता है। इन तत्वों में सार्वभौमिक आनंद, लोगों की सामूहिक क्रियाएँ, मानसिक शक्ति का उत्तेजन, धन और खुशी का मार्ग, संसाधनों का संरक्षण, प्रबुद्ध लोग, धन का बंटवारा, पर्यावरण अनुकूल जीवन, संधारणीय अच्छा जीवन और सरकार, एकत्रित दीर्घ जीवन, मन और जीवन में खुशी उल्लेखनीय हैं। इन तत्वों को वर्तमान सामाजिक समरसता के समान माना जा सकता है।

मुख्य शब्द - सामाजिक समरसता, वैदिक साहित्य

प्रस्तावना -

सामाजिक समरसता कि अवधारणा प्राचीनकाल से ही सभी समाजों में रही है। समाज का अस्तित्व सामाजिक समरसता की अवधारणा पर टिका है। किसी समाज में रहने वाले लोगों का पारस्परिक जुडाव ही उस समाज के विकास की सम्भावनाओं को मजबूती प्रदान करती है। सामाजिक समरसता की वास्तविक स्थिति उस समाज की दिशा या दशा तय करती है। समाज में सामाजिक समरसता का पालन जितने सुनियोजित और पारदर्शी तरीके से किया जाता है वह समाज उतना ही उन्नत और सुव्यवस्थित होता चला जाता है सामाजिक समरसता सामाजिक जीवन की धुरी होने के कारण वैदिक सहित्य में इसकी चर्चा अनेकों बार की गई है।

सभी समाजों का मौलिक स्वरूप प्रायः एक सा होता है परन्तु देश, समय काल और परिस्थिति के अनुसार उनमें अंतर पाया जाता है। प्रत्येक समाज के जीवन यापन कि अपनी एक विशेष पद्धति होती है जो विविध सामाजिक नियमों, मान्यताओ और परम्पराओ से सम्बद्ध रहती है। कालान्तर में यही सिद्धान्त संस्कृति का रूप धारण कर लेते हैं। समय के साथ इनमें कुछ परिवर्तन और समायोजन होता रहता हैं

और समाज का स्वरूप विस्तृत होता चला जाता है। वैदिक ग्रन्थ जाति, पंथ और क्षेत्र की भावना के स्थान पर मानव समुदाय के लिए "वसुधैव कुटुम्बकम" का संदेश देते हैं, जो विश्व की किसी अन्य साहित्य में नज़र नहीं आता है। प्राचीन ऋषियों व दर्शनिको ने हमेशा शांतिपूर्ण सह- अस्तित्व, सार्वभौमिक समरसता और सभी प्राणियों के सामंजस्यपूर्ण जीवन के बारे में उपदेश दिया। वे मानव कल्याण और प्रेम में विश्वासी करतें थे। .

वैदिक साहित्य-

भारतीय इतिहास में सिन्धु सभ्यता के पतन के पश्चात एक नयी संस्कृति का उत्थान हुआ जिसकें बारे में हमें वेदों के माध्यम से जानकारी मिलती है उसे हम वैदिक काल के नाम से जानते है वैदिक काल का विभाजन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है ऋग्वैदिक काल(1500 -1000ई पू) में ऋग्वेद की रचना हुई, इसमें सर्वप्रथम आर्य शब्द 36 बार आया था जिसकी रचना संस्कृत में की गई थी ईरानी भाषा के सबसे पुरानें ग्रन्थ अवेस्ता से कई बातें मिलती जुलती है ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1028 व ऋचाओं की संख्या 10,552 है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख है दसवे मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है वैदिक काल का वह काल, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यकों एवं उपनिषद की रचना हुई, को उत्तर वैदिक काल (1000 से 600 ई० पू०) कहा जाता है इस साहित्य को चार मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, संहिता या "संग्रह", जिनमें से अधिकांश पद्य में हैं, और टिप्पणियां या ब्राह्मण, जिनमें से अधिकांश गद्य में हैं जिन्हें सबसे गूढ़ आरण्यक (वन) और उपनिषद के रूप में जोड़ा गया है। तीन मुख्य संहिताएँ ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद हैं; और अथर्ववेद, एक बाद का पाठ, कभी-कभी चौथे के रूप में सूचीबद्ध किया जाता है। यजुर्वेद एक कर्मकाण्ड ग्रन्थ है यजुर्वेद के अंतिम अध्याय 'ईशावास्य उपनिषद' में प्रारंभिक आध्यात्मिक चिंतन की शुरुआत होती है। यजुर्वेद में ऋग्वेद के संकलित मंत्रो को लयबद्ध कर देवताओं की स्तुति में गया जाता है अथर्ववेद में बाधाओं को दूर करने वाले मंत्र है

उद्देश्य

इस अध्ययन का उद्देश्य वैदिक साहित्य में सामाजिक समरसता की अवधारणाओं की पहचान करना है। इस अध्ययन में वैदिक साहित्य का सामाजिक समरसता के योगदान पर विचार किया गया है।

पद्धति

वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्धति सहित मिश्रित विधि का उपयोग चयनित वैदिक साहित्य में सामाजिक समरसता के तत्वों की पहचान करने के लिए किया जाता है। इस अध्ययन की परिकल्पना यह है कि वैदिक साहित्य पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, बंधुता एवं शांतिपूर्ण सहस्तित्व जैसे मानवतावादी प्रयासों का आह्वान करता है, जिसे इस आधुनिक दुनिया में सामाजिक समरसता की अवधारणाओं से जोड़ा जा सकता है।

विमर्श

भारतीय साहित्य का उद्गम वैदिक साहित्य है। यह वैदिक साहित्य ही वैदिक संस्कृति का निर्माण करती है। वैदिक साहित्य के रचयिता ऋषि दूरदर्शी थे, वे समाज के लोगों के आपसी प्रेम और सद्भाव के मूल्य के महत्व को समझते थे। सर्वप्रथम वैदिक ऋषियों ने ही उस सामाजिक समरसता की परिकल्पना की, जो हमें वैदिक साहित्य के आत्मा के रूप में पहचान में नजर आता है। शुरुआती मनुष्य का सामाजिक जीवन जटिलताओ और आकस्मिकता के संकट से घिरे होने के बावजूद कभी भी समरसता के साथ जीने के संकल्प को कभी नहीं छोड़ा। सामाजिक जीवन जटिलता संख्या में कम रहे मनुष्यों के जीवन को सरल और सुखद बनाने का कार्य किया इसीलियें मनुष्य वैदिक काल से ही सामाजिक समरसता की भावनाओं को लेकर यहाँ तक पहुंचा है। ऋग्वेद में ऐसे 'ऋचाओं की संख्या बहुत बड़ी है, जो मनुष्यों को अपने समाज और दूसरों समाज के मनुष्यों के साथ तालमेल स्थापित करने का आह्वान करता है इसलिए वह जब भी समाज के कल्याण का आहवान करते है तो वह सामाजिक समरसता की बात करते है। 2

"असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय" बृहदारण्यक उपनिषद
एक संस्कृत प्रार्थना है जिसका अर्थ है: "मुझे असत्य (अज्ञान) से सत्य (ज्ञान) की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, और मुझे मृत्यु (नश्वरता) से अमरता (मोक्ष) की ओर ले चलो"; यह मंत्र जीवन में सही दिशा और ज्ञान प्राप्त करने की प्रार्थना है, जो हमें अज्ञानता, नकारात्मकता नश्वरता से ज्ञान, सकरात्मकता और आध्यात्मिकता अमरता कि और बढने का आह्वान करता है शाश्वत सत्य और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को प्रेरित करता है.
वेदों का उद्घोष है-
"यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्" (यजुर्वेद अध्याय-32 मंत्र-8) अर्थात् पूरा विश्व एक ही घोंसले (परिवार) के समान है जों विश्वबंधुत्व और वैश्विक समरसता के विचार को दर्शाता है 3 वैदिक साहित्य में एक अन्य स्थान पर भी सम्पूर्ण विश्व को एक परिवार के समान माना गया है जो निम्नलिखित श्लोक से स्पष्ट होता है -
अयं निजः परोवेती गणना लघुचेतसाम् ।
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥ -- (महोपनिषद्, अध्याय 6, मंत्र 71)
यह श्लोक भी भारतीय संस्कृति के सार्वभौमिक भाईचारे और विश्व बंधुत्व कि भावना को प्रकट करता है,"यह मेरा है या पराया है", ऐसे विचार संकुचित मन वाले लोग रखते हैं। उदार चरित्र वाले लोगों तो संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना परिवार (कुटुंब) मानते है। 3
वैदिक साहित्य प्रार्थनाओं का विशाल भंडार है। प्रार्थनाओं का इतना बड़ा भंडार वैदिक साहित्य को छोड़ विश्व के किसी साहित्य के पास नहीं है। इसकी वैदिक प्रार्थनाएँ किसी व्यक्ति विशेष, किसी एक समाज के हित के लिये नहीं बल्कि वैश्विक समाज के हित की कामना करती है। वैदिक मंत्रों की बृहत् शृंखला समाज के लोगों को आपस अलग अलग समुदायों के सुख-दुःख से जोड़ती है जों सामाजिक समरसता कि भावना को उत्पन्न करता है। 2 वेद घोषणा करते हैं।
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः ।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु । मा कश्चित् दुःख भाग्वेत् ॥ बृहदारण्यक उपनिषद (1.4.14)
अर्थात् "इस दुनिया में हर कोई खुश रहे, हर कोई बीमारी से मुक्त रहे, सभी लोग समृद्धि प्राप्त करे, दुःख सभी से दूर रहे। 4
वैदिक साहित्य मनुष्य के द्वारा किये गए वे प्रथम प्रयास हैं, जो समाज को विश्व शान्ति से जोड़ते हैं। सार्वभौमिक आनंद, परस्पर प्रेम और सौहार्द, परस्पर सहयोग, लोगों की सामूहिक कल्याण, संसाधनों का संरक्षण, धन का न्यायपूर्ण बंटवारा, दीर्घ जीवन, मन और जीवन में हर्ष की कामना करता हैं।
अथर्ववेद भी किसी के मन में किसी के प्रति कोई द्वेष न हो इस प्रकार का सन्देश अपने मंत्रो से देता है। -
"सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः।
अन्योऽन्यमभीहर्यत वत्सं जातिमिवाघ्या ॥" अथर्ववेद (3.30.1)
वैचारिक दृष्टि से सभी मनुष्यों समान है अर्थात् पारस्परिक विद्वेष के कारणों का नाश करके पारस्परिक सौहार्द्रतापूर्वक जीवन-यापन में सभी को प्रवृत्त होना चाहिए। सभी प्रकार के कार्यों पर सबका समान अधिकार है अर्थात् कोई भी व्यक्ति स्वेच्छानुरूप इच्छित कार्य का चुनाव कर सकता है इसलिए कोई भी कार्य जाति, लिंग, वर्ण आदि के आधार पर मनमाने तरीके से किसी पर प्रत्यारोपित नहीं किया जाना चाहिए। 1
अथर्ववेद में भी सामाजिक और पारिवारिक समरसता कि कामना कि गयी है-
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् अमा स्वसारमृत स्वसा ।
सम्यञ्च सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥(अथर्ववेद 3.30.3)

अर्थात् भाई-भाई से द्वेष भावना न रहें। न हीं बहिन बहिन से द्वेष रखें । सभी (यथोचित) आचरण करते हुए, सदाचार व्रत का पालन करे और आपस में कल्याणकारी वाणी बोलें।

अग्निए अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विर्वान् ।
अयोध्या स्मज्जुहराणमेनो भूमिष्ठा ते नमउक्ति विधेम ॥
अग्ने त्वं पारमा नन्यो अस्मान्स्वस्तिभिरात दुर्गाणि विश्वा ।
पूश्च पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयाय शं योः ॥ ऋग्वेद I 189-1-2

इस 'ऋचा' में अग्नि देव से आह्वान किया है कि सभी प्रकार के ज्ञान को जानने वाले हे अग्निदेव! आप हमें शुभ मार्ग पर ले चलिए, जिससे हमें आत्म-समृद्धि और मोक्ष प्राप्त हो; हम में जो कुटिलता हैं, उसे दूर कीजिए; हम आपको बार-बार प्रणाम करते हैं।" यह मंत्र ईश्वर से ज्ञान, सद मार्ग और पापों से मुक्ति की कामना करता है, जो जीवन के अंतिम क्षणों में मनुष्य की उच्च आकांक्षा को प्रकट करता है। अग्निदेव, हमें खुशी की नई राह पर ले चलिए: हमें सभी खतरों और कष्टों से दूर ले चलिए। हमारा शहर विशाल हो; हमारी भूमि का विस्तार हो; हमारे संतानों को आशीर्वाद दो, उनके जीवन समृद्ध हो।4

वेदों में समानता के अधिकार को बहुत सुचारु रूप से प्रस्तुत किया गया है।

"समानी वः आकृति समाना हृदयानि वः। समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥" ऋग्वेद (10.191.4)

ऋग्वेद के सूक्त समानता का ही विधान करता है। जिसमें ऋषि कहता है कि सबका हृदय समान हो, सबका मन एक समान हो अर्थात् परस्पर किसी प्रकार का वैमनस्य न हो वैदिक ऋषियों का जीवन के उच्च लक्ष्यों को समर्पित था, वे सामंजस्य और समरसता की भावना को दृढ़ता से संजोए रखना चाहते थे। वे जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करते हैं, और इस बात में विश्वास करते है कि जीवन का सुख समाज से दूर एकांतवास में नहीं बल्कि समाज के साथ रहने में है। वैदिक समाज में कोई जाति नहीं थी। वर्णव्यवस्था का स्थायी नहीं थी। 2

"जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते।
वेदपाठाद् भवेद् विप्रः ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः।।" स्कंदपुराण,(नागरखण्ड: अध्याय 239 : श्लोक 31)

इस ऋचा स्पष्ट किया गया है कि सभी व्यक्ति जन्म से शूद्र होते है, संस्कारों से वे द्विज कहलाते है, वेद पाठ करने से विप्र (ज्ञानी) बनते है, और जो ब्रह्म (परमात्मा) को जान लेते है, वही ब्राह्मण होते है, इस श्लोक में जन्म के बजाय कर्म और ज्ञान को वर्ण का आधार बताया है। 3

वैदिक काल में मनुष्य के संघर्षों से उत्पन्न विचारों का महत्व था जो सामाजिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करता है। इसीलिए वेदों में जो महत्व वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव और अत्रि ऋषि का है, वही महत्व जनकवि कवष ऐलूष का भी है, कवष ऐलूष एक वैदिक ऋषि थे, जो दास-पुत्र होने के कारण समाज से बहिष्कृत थे, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या और ऋचाओं (विशेषकर ऋग्वेद के 10वें मंडल के अक्षसूक्त) के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करके, अपनी योग्यता सिद्ध की, जो वैदिक काल में योग्यता को जन्म से ऊपर वैधता प्रदान करता है. कवष ऐलूष की कथा दर्शाती है कि वैदिक काल में जन्म से ज्यादा योग्यता और आचरण को महत्व दिया जाता था, और समाज में लचीलापन था.वे ऋग्वेद के दसवें मंडल (विशेषकर 30-34 सूक्तों) के ऋचाओं के रचयिता माने जाते हैं, जिसमें 'अक्षसूक्त' (जुआरी का सूक्त) भी शामिल है, जो जुए की निंदा करता है. जों निम्नलिखित है-

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व।वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः।
तत्र गावः कितव तत्र जाया तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः।।

इस ऋचा अर्थ है जुए जैसे अनैतिक व्यवहार एवं पाप की कमाई से बचकर अपने श्रम से अर्जित कृषि से प्राप्त अन्न और भोग को श्रेष्ठ कहा हैं। इससे पारिवार और पशुओं का लाभ होता है, परमात्मा हमें सुख समृद्धि का आशिर्वाद देते है

न वा देवा: क्षुधमिद्वधं ददुरु- ताशितमुप गच्छन्ति मृत्यव:।
उतो रयि: पृणतो नोप दस्यत्यु- तापृणन्मर्डितारं न विन्दते।। (ऋग्वेद.10:117:1)

ऋषि कहते है कि 'संसार में लोग भूख से ही नहीं मरते वे लोग भी मरते है जों अकेले भर पेट भोजन करते है, हे मित्र! भोजन को मिल बाँट कर खाना ही श्रेयकर है। यह ऋचा दान और उदारता के महत्व पर जोर देता है, यह बताता है कि जो लोग दूसरों की मदद करते हैं, वे अकेले नहीं रहते, जबकि कृपण को अंत में कोई सहारा नहीं देता।

मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः सत्यं ब्रवीमि वध इत्स तस्य ।
नार्यमणं पुष्यति नो सखायं केवलाघो भवति केवलादी ॥ ऋग्वेद-X-117-6

ऋग्वेद यह 'ऋचा' भी है, जिसमें कहा गया जों अकेला खाता है, वह केवल पाप खाता है। इस 'ऋचा' में ऋषि ने उन लोगों कि आलोचना की, जो अपनी सुख सुविधाओं से बाहर निकल कर किसी दूसरे कि सहायता नहीं करते। ऋषि उन लोगों कि प्रशंसा भी करते है, जो उन लोगों कि सहायता करते है, जो भूखे हैं, याचक हैं और असहाय हैं। वेदों में धन के उचित वितरण पर जोर दिया है।

ऋग्वेद के अंत में जो समापन-गीत है, वह सामाजिक समरसता का पहला गीत है, जो सदियों से समवेत स्वर में गाया जाता है। गीत इस प्रकार है-

सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।।
समानो मन्त्र: समिति: समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।
समानी व आकूति: समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।

ऋषि कामना करतें है कि हम साथ-साथ आगे बढ़ें,आपस में संवाद बनाये रखें, मन में अच्छे विचारों को आने दें। आपसी समझ को बढ़ाते हुए अपने कर्तव्य का पालन करे। वे कामना करतें है की सबके लिये एक नियम हो, सबके लिये एक ही नीति हो। सबके मन, सबके चित्त एक हों, और सब संगठित हो कर रहें। सबसे अंत में ऋषि जोर देकर कहते है कि हम सबका संकल्प एक हो, हम सबके हृदय समान हों। आपस में कोई विरोध न हो।2

महाभारत में मानवता को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। मानवता सम्बन्धी वैदिक दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए निम्न मन्त्र को उद्धृत किया गया है-

"यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्नेवानुपश्यति।
सर्व भूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति ।।"
"यस्मिन्त्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः ।
तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यतः ।।"

अर्थात् जो मनुष्य सभी जीवों को अपने जैसा मानकर व्यवहार करता है उसको किसी प्रकार का दुःख नहीं होता, सच्चे अर्थों में यही मानवता है। अतः दूसरों के साथ हमें उसी प्रकार का व्यवहार करना चाहिए जो हम दूसरों से अपने लिए अपेक्षा करते हैं। 1

महाभारत यह भी कहा गया है-

"श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ।।"

यह मानवता की सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है। "धर्म का सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो। जो अपने (स्वयं के) प्रतिकूल हो, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए।" यदि हम दूसरों से सम्मान चाहते हैं तो हमें भी दूसरों का सम्मान करना चाहिए। यह हमें परोपकार, सम्मान और सहानुभूति की भावना का मार्ग प्रशस्त करता है, जो किसी भी समाज कि सामाजिक समरसता के लिए महत्वपूर्ण है। 1

निष्कर्ष

अध्ययन के निष्कर्ष साबित करते हैं कि ऋग्वेद सभी प्राणियों के साथ सद्भाव स्थापित करके आध्यात्मिकता प्राप्त करने के तरीके बताता है। उन्होंने व्यक्तिगत लाभ या आंतरिक समृद्धि के बजाय मानव ज्ञान, सामाजिक कल्याण, एकता, शांति और समृद्धि से भरा खजाना बनाया । इन तत्वों में सार्वभौमिक आनंद, लोगों की सामूहिक क्रियाएँ, मानसिक शक्ति का उत्तेजन, धन और खुशी का मार्ग, संसाधनों का संरक्षण, प्रबुद्ध लोग, धन का बंटवारा, पर्यावरण अनुकूल जीवन, सतत अच्छा जीवन और सरकार, एकत्रित दीर्घ जीवन, मन और जीवन में खुशी उल्लेखनीय हैं। इन तत्वों को वर्तमान सामाजिक सद्भाव पहलुओं के समान माना जा सकता है। इन पहलुओं को विस्तार से समझाया गया है ।

संदर्भ सूची -

1.डॉ कुमार प्रवेश, सामाजिक समरसता और भारतीय दर्शन, international journal of humanities and social research, volume-5, issue-4, july 2019, page no-168-171

2. चाँदनीवाला मुरलीधर, वैदिक साहित्य के द्वारा सामाजिक समरसता, Dialogue India, February 22, 2023

3.डॉ झा सुंदर नारायण, वेदों में सामाजिक समरसता।

4.Dr. M Balakailasanathasarma, Elements of social harmony in Rig veda, अनन्ता, International Journal of Sanskrit Research 2022; 8(5): 31-34।

5. पाटले एम एल, सामाजिक समरसता के अवरोध एवं विसंगतियां, इनोवेशन द रिसर्च कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम- 5 इश्यू 12, जनवरी 2021।

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation,Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

हिन्दी साहित्य में संतों की अनुभूति

डॉ० लालजीत राम
असिस्टेंट प्रोफेसर – हिंदी
पं० राम लखन शुक्ल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
आलापुर, अम्बेडकर नगर, उ०प्र०

शोध सारांश

हिन्दी साहित्य की भक्ति परंपरा में संत साहित्य का विशेष महत्व है। संत कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से आध्यात्मिक अनुभूति, सामाजिक समरसता तथा मानवीय मूल्यों का सशक्त प्रतिपादन किया है। संत साहित्य में अनुभवजन्य ज्ञान को विशेष स्थान दिया गया है, जहाँ ईश्वर की प्राप्ति बाह्य आडंबरों या कर्मकांडों से नहीं, बल्कि आत्मानुभूति और आंतरिक साधना से संभव मानी गई है।

इस शोध का उद्देश्य हिन्दी साहित्य में संत कवियों की अनुभूति को समझना तथा उनके काव्य में निहित आध्यात्मिक, दार्शनिक और सामाजिक चेतना का विश्लेषण करना है। विशेष रूप से संत परंपरा के प्रमुख कवियों कबीर, रैदास, दादू दयाल और गुरु नानक के काव्य में व्यक्त अनुभूति का अध्ययन किया जाएगा। इन संतों ने ईश्वर के निराकार स्वरूप, आत्मा और परमात्मा की एकता, तथा मानव जीवन की सार्थकता को अपने अनुभव के आधार पर अभिव्यक्त किया है।

संत कवियों की अनुभूति व्यक्तिगत आध्यात्मिक अनुभव पर आधारित होने के साथ–साथ सामाजिक यथार्थ से भी गहराई से जुड़ी हुई है। उन्होंने जाति–पाति, ऊँच–नीच, पाखंड और सामाजिक भेदभाव का विरोध करते हुए प्रेम, समानता और मानवता का संदेश दिया। संत काव्य में सरल भाषा, लोक जीवन से जुड़े प्रतीक और सहज अभिव्यक्ति के माध्यम से गूढ़ आध्यात्मिक भावों को प्रस्तुत किया गया है, जिससे यह साहित्य जनसामान्य के लिए भी सुगम बन सका।

अतः यह शोध हिन्दी साहित्य में संतों की अनुभूति के स्वरूप, उसके आध्यात्मिक आधार तथा उसके सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण करता है। साथ ही यह भी स्पष्ट करता है कि संत साहित्य केवल धार्मिक चेतना तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानवीय मूल्यों, सामाजिक समता और आध्यात्मिक जागरण का भी सशक्त माध्यम है।

मुख्य शब्द– सहिष्णुता, बिरादरी, अमृतत्व, रसाइन, चिर स्मरणीय, समरथ, मोट, किरपा।

आज संपूर्ण दुनिया में भौतिकता का प्रभाव देखा जा रहा है, लेकिन हम पुराने समयों की हिंदी साहित्य को देखें तो भक्ति काल सर्वश्रेष्ठ कालखंड माना जाता है। जो अपने आदर्श, प्रेम और धार्मिक सहिष्णुता का मिसाल है, भक्ति काल का निर्गुण काव्य जो ईश्वर के प्रति अपने जानने समझने का नजरिया अलग है, वैसी

भक्तिकाल के किसी भक्ति–,शाखा के कवियों में नहीं है। संत कवियों की विस्मय जनक व्याख्याएं सुनकर श्रोताओं में आज भी गांव–गांव को चकित कर देने वाले शब्द मिल ही जाते हैं। पुरुषोत्तम अग्रवाल का मानना है कि 'साहित्यिक बिरादरी से बाहर निकाल कर व्यापक समाज में देखें तो कबीर, तुकाराम, तुलसी, मीरा, नरसी मेहता किसी भी समकालीन कवि से अधिक समकालीन है।'१ संसार के नाना संसाधनों से क्या कभी कोई आनंदानुभूति कर सका है? अथवा क्या उसे मुक्ति मिल सकी है? इसका एकमात्र उत्तर कबीर जी ने दिया। व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा जैसे–कोई भी बड़ा से बड़ा जुवारी बहुत कुछ छल छद्म से जीतता है किंतु एक समय ऐसा आता है कि वह सब कुछ हार कर चल देता है। वास्तव में यह एक गंभीर विचार है जो मानव योनि के लिए सर्वोपर है जिसे महात्मा कबीर ने हरि कृपा एवं हरि आदेश के कारण ही सागर से तारने के लिए ही लोगों के सामने रखा है। कबीर की वाणी में कोई बनावटी पन नहीं है बल्कि उसमें एकमात्र प्रभुकृपा रूपी लावण्य मिला हुआ है जिसके कारण उनकी वाणी रसायन बन चुकी है जिसका पान करके कोई भी प्राणी अमृतत्व को प्राप्त हो सकता है।

निर्गुण साहित्य जिस प्रश्न को लेकर समाज में टकराहट या विरोध का स्वर दिया। वह धार्मिकता और शास्त्रीयता का प्रश्न था। संतो की वाणियों में वेद और धार्मिक ग्रंथो को नकारने का स्वर है। कबीर की साधना श्रम, प्रेम और अध्यात्म की उस विच्छिन्नता को फिर से पाने की साधना है, जो मनुष्य को परिभाषित करती है, और जिससे मनुष्य को वंचित कर दिया गया है। उनकी 'सहज समाधि मनुष्य का स्वरूप, स्फूर्त कल्पना उसकी अध्यात्म–सत्ता पर बाहर से आरोपित कर दी गई 'दैवीय' गतिविधि नहीं, बल्कि मनुष्य की उतनी ही सहज शारीरिक गतिविधि से सम्बद्ध, मनुष्य की समग्र सत्ता की गतिविधि है।'२ अपने–अपने धर्म मानने वालों की अपनी निजी उपासना पद्धति होती है लेकिन संतों की अनुभूति सभी धर्म और उपासना पद्धति पर व्यंग्य करते हुए अपने साधना पर जोर दिया। वास्तव में यह देखा जाता है कि लोग किसी को दुखी देखकर दया करते हैं तो केवल दया करना संतों का धार्मिक आचरण नहीं है। संतों में देखा जाए तो वास्तविक रूप से किसी के दुःख पर दुःखी होकर उनका अन्तर्मन दुखी हो उठे और दूसरे का दुःख अपने दुःख जैसा लगे यही संतों का नैतिक आचरण रहा है। जैसे 'मसि कागद छूवौ नहीं' वाले कबीर ने और 'मन चंगा तो कठौती में गंगा' कहने वाले रविदास ने कौन सी धार्मिक ग्रंथ पढ़ी होगी, यह बताना अत्यंत कठिन है। लेकिन इनके द्वारा सुझाया गया मार्ग सभी में श्रेष्ठ है। जो धार्मिक ज्ञान और शास्त्रीय ज्ञान की बोझ से परे हैं कबीर कहते हैं–

राम रसाइन प्रेम रस, पीवत अधिक रसाल ।
कबीर पीवण दुर्लभ है, मांगै सीस कमाल।।२

संत परंपरा में सबसे बड़ा व्यवहार देखा जाए तो वह है निष्पक्षता। जबकि अन्य सभी धर्म अवसर वाधिता का रूप लेता जा रहा है, कोई अपने धर्म की आलोचना सुनना नहीं चाहता है। कबीर, रविदास, नामदेव जैसे–संत कवियों ने सदैव समाज के समक्ष चुनौती पूर्ण कसौटी को स्वीकार किया है। कबीर के शब्दों में –

कबीर भगति दुहेली राम की, जैसी खंड की धार।
जो बोले तो कटि पड़े, नहीं तो उतरै पार।३

भक्तिकाल के पूर्व जो जनता जादू–टोना, भेद–भाव, उच्च–नीच में विश्वास करती थी, साथ ही ईश्वर की श्रद्धा से वंचित थी, लेकिन भक्ति काल का आगमन होते ही वही जनता भगवान को सगुण–निर्गुण रूप में स्वीकार करने लगी। संतो वाह्याडम्बर से अलग होकर ईश्वर को अमूर्त एवं सहज रूप में स्वीकार किया। कबीर कहते हैं कि– 'तुम जिन जानौ यह गीत है, यह तो निज ब्रह्म–विचार रे' लेकिन कहते गीत में ही है।

उनका ब्रह्मविचार हो या मृत्यु से साक्षात्कार, हम तक उपदेश की तरह नहीं कविता के रूप में ही आता है। उपदेशक भाषा का उपयोग करता है, अपना संदेश वह अपनी भाषा में ही प्रस्तुत कर अपना सत्य अर्जित करता है।'४

संत रविदास का जन्म निम्न वर्ग में हुआ था। उस समय निम्न वर्ग मानसिक गुलामी का शिकार था, उन्होंने समग्र मानव समाज के व्यक्तित्व का विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जागरूक किया। साथ ही छुआ–छूत, उच्च–नीच का विरोध बिना किसी को सताए या दुख दिए किया। संत रविदास अपने तन–मन से ईश्वर में समर्पित होकर कर्म के माध्यम से सभी को उपदेश दिया।

तन मन अरपउॅं पूज चढ़ावउॅं।
गुरु परसादि निरंजन पाव उॅं।।
पूजा अरचा आहि न तोरी।
कर रविदास कवनि गति मोरी।।५

संत–साधकों में गुरु नानक का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है जिन्होंने समाज में फैले हुए अमानवीय प्रभावों के कारणों से फैला हुआ भेदभाव और असंतोष की वजह से वह अपना सब कुछ छोड़कर ईश्वर के प्रति आस्था, भाव से समर्पित हुए। उस समय निर्गुण परंपरा में एकेश्वरवाद का प्रभाव बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसका प्रभाव उस समय के संतो पर दिखाई पड़ा। गुरु नानक का संत महात्माओं से सत्संग के माध्यम से साक्षात्कार हुआ और रात–दिन ईश्वर के चरणों में समर्पित होकर समाज सेवा किया। इस कारण सिख संप्रदाय धर्म गुरु के रूप में स्थापित हुए–

सोच विचार करे मत मन मै जिसने ढूंढा उसने पाया।
नानक भक्तन दे पद परसे निसदिन राम चरण चितलाया।।
गुरु किरपा जेहि नर पै कीन्हीं तिन्ह यह युगुति पिछानी।
नानक लीन भयो गोविंद सों ज्यों पानी संग पानी।। ६

संत महापुरुषों में अपने धर्म के साथ–साथ समाज सेवा और लोगों की भलाई उनका मुख्य अभिप्राय है। गुरु नानक द्वारा प्रचलित अन्य नव गुरु द्वारा समर्पित सिख धर्म का अनुसरण और संरक्षण करने वाले अपने कार्यों के लिए चिरस्मरणीय हैं और उक्त सामूहिक प्रार्थना में भाग लेने वाले प्रसिद्ध प्रत्येक व्यक्ति के लिए उनके आदर्श का अनुकरण भी अपेक्षित है। ७ गुरु नानक का मानना था, मन को ईश्वर में समर्पित कर मानव सेवा करनी चाहिए।

संत साहित्य में दादू दयाल की विचारधारा मानव उत्थान के लिए सर्वोपरि रही है, नागपंथियों के प्रमुख संस्थापक के रूप में आपका परिचय ऐतिहासिक आधार पर देखा जाए तो कोई ठोस रचनाएं नहीं मिलती हैं फिर भी इनका अधिकतर पौराणिक और काल्पनिक परिचय ही मिलती है। यह समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध अपने उपदेश के माध्यम से सभी मानव जाति में भाई–चारे, प्रेम–सौहार्द का भाव स्थापित किया। पंडित सुधाकर द्विवेदी ने बताया कि 'दादू दयाल को धुनियॉ की जगह मोची माना और इसके लिए उन्होंने इनकी एक रचना उद्धृत की है। वह कहते हैं कि 'गुरुदेव को अंग' में संगृहित दादू दयाल की साखी–

सॉच समरथ गुरु लिल्या, तिन तत दिया बताय।
दादू मोट महाबली, सब घृत मथि करि खाय।।8

दादू दयाल जात–पात से ऊपर उठकर इन्होंने कर्म और मानव सेवा पर जोर दिया जिसके कारण इन्हें परशुराम चतुर्वेदी योगेंद्र महामुनी के रूप में स्वीकार किया है।

इस प्रकार हिंदी साहित्य में निर्गुण निराकार ब्रह्म के मानने वाले उच्च विचार साधकों में कबीर, रविदास, नानक, दादू दयाल जैसे–संत साधकों की सच्ची साधना मानव प्रेम ईश्वर के प्रति आस्था स्थापित कर देश में फैले हुए अनेक प्रकार की बुराइयां भेदभाव, ऊच–नीच, छुआ–छूत जैसे लोगों में फैला हुआ अंधविश्वास, वाह्याडम्बर पर अपने कर्मों और उपदेश के माध्यम से लोगों में शांति का संदेश देने का काम किया जिससे भाई–चारा प्रेम बंधुत्व स्थापित हो सके।

संदर्भ ग्रंथ–

1. डेविड एन० लॉरेजन, निर्गुण संतो के स्वप्न– सम्पा० पुरुषोत्तम अग्रवाल, राजकमल प्रकाशन पृष्ठ सं०– 08
2. अग्रवाल, पुरुषोत्तम, अकथ कहानी प्रेम की, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली, पृ०सं०–324
3. वही०पृ०स० 425
4. वही० पृ० सं०– 400
5. वही०पृ० सं०– 402
6. शुक्ल, आचार्य रामचंद्र, हिंदी साहित्य का इतिहास, लोक भारती इलाहाबाद– पृ० सं०– 53
7. वही पृष्ठ सं०– 5
8. चतुर्वेदी, परशुराम, उत्तरी भारत की संत परंपरा, लोक भारती प्रकाशन प्रयागराज, पृ0सं० 247
9. वही– पृष्ठ सं०– 290

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों पर आयुष्मान भारत योजना का प्रभाव : एक अध्ययन (वाराणसी जनपद के विशेष संदर्भ में)

डॉ. धर्मेन्द्र कुमार
नेट, पी–एच.डी. समाजशास्त्र
kashyapdk282@gmail.com

सारांश

स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति या समाज के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह भी कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अतः किसी भी समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि उस समाज के निवासी स्वस्थ रहें। भारत जैसे देश में, जहाँ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, सभी को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ भारत के निवासियों में सामान्य रूप से देखी जाती हैं, विशेषकर निम्न वर्ग के लोगों में, जिनके पास दैनिक जीवनचर्या, उचित पोषण, स्वच्छता संबंधी ज्ञान आदि जैसे आवश्यक कारकों की कमी होती है। ऐसी स्थिति में जब उन्हें कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या होती है, तो जाँच और उपचार के लिए पर्याप्त आय न होना एक बड़ी समस्या बन जाती है। इन सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2018 में "आयुष्मान भारत योजना" की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ऐसे वर्गों के निवासियों के स्वास्थ्य की रक्षा करना और किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या की स्थिति में उचित उपचार उपलब्ध कराना है।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर 10.7 करोड़ गरीब परिवारों को प्रदान करना है। इस योजना में दो केंद्रीय प्रायोजित योजनाएँ शामिल हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। यह योजना द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बीमा कवरेज प्रदान करती है। इसके अंतर्गत सर्जरी, दवाइयाँ, डे–केयर उपचार और जाँच आदि की लागत शामिल होती है।

मुख्य शब्द : आयुष्मान भारत योजना, प्रभाव, अनुसूचित जाति, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र।

आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य स्वास्थ्य व्यय को कम करना है। अधिकांश परिवारों को अस्पताल के खर्चों का भुगतान करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है; ऐसे में भारत सरकार द्वारा संचालित यह योजना उन्हें आवश्यक उपचार उपलब्ध कराती है और भारी चिकित्सा खर्चों से सुरक्षा प्रदान करती है। लोगों को अस्पताल में उपचार के लिए आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, जिससे उपचार सरल हो जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक पात्रता–आधारित योजना है, जिसमें पूर्व नामांकन की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार, इस योजना की जानकारी प्रत्येक लाभार्थी तक पहुँचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी लाभार्थियों को इस योजना के प्रति जागरूक बनाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है

अस्पताल में उपचार, अर्थात उपचार आसानी से हो जाता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक पात्रता–आधारित परियोजना है, जिसमें पूर्व नामांकन की आवश्यकता नहीं होती। परिणामस्वरूप, इस योजना की जानकारी प्रत्येक लाभार्थी तक पहुँचाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। सभी लाभार्थियों को सूचना, शिक्षा और संचार के माध्यम से इस योजना के प्रति जागरूक करना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। प्रत्येक लाभार्थी और संबंधित वर्ग तक वांछित जानकारी पहुँचाने के लिए एक व्यापक संचार रणनीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि योजना से जुड़े सभी लाभार्थियों को सटीक और सही जानकारी प्राप्त हो सके। एक बड़े स्तर की संचार रणनीति एक संगठन के माध्यम से विकसित की गई है, जिसे केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर लागू किया गया है। इसके अंतर्गत दोनों स्तरों पर सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में लोगों को शामिल किया गया है, फिर भी आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने की आवश्यकता बनी हुई है। प्रस्तुत शोध–पत्र में आयुष्मान भारत योजना के प्रभाव से संबंधित तथ्यों का अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों पर आधारित है।

शोध–पत्र का उद्देश्यः

प्रस्तुत अध्ययन मुख्यतः अनुसूचित जातियों पर आयुष्मान भारत योजना के सामाजिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए किया गया है। इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. अनुसूचित जातियों पर आयुष्मान भारत योजना के प्रभाव का विश्लेषण करना।
2. अनुसूचित जाति के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर इस योजना के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना।
3. अनुसूचित जातियों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान एवं समाधान में आयुष्मान भारत योजना के योगदान का आकलन करना।
4. आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति के उन्नयन संबंधी सुझाव प्रस्तुत करना।

परिचय (Introduction):

भारत की स्वतंत्रता के छह दशकों में, भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए अनेक योजनाएँ चलाई गईं, किंतु आर्थिक विकास के बावजूद स्वास्थ्य आज भी सबसे बड़ी समस्या या चुनौती बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के "सभी के लिए स्वास्थ्य" (Health for All) जैसे नारे भी पूर्ण रूप से व्यवहार में नहीं आ सके हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच और उपलब्धता, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, आज भी भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याओं में शामिल है।

ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हैं, क्योंकि देश की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत से अधिक भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता और पहुँच में अनेक कठिनाइयाँ हैं। इन परिस्थितियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आधारभूत संरचना का निर्माण और उसका रख–रखाव, विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि में, नीतिगत योजनाओं की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। वर्ष 2022 तक स्वास्थ्य सेवा बाजार लगभग तीन गुना बढ़ चुका है, फिर भी आज ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ अनेक चुनौतियों का सामना कर रही हैं और नीतिगत स्तर पर ठोस उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

नीतिगत योजनाओं में, विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि में, इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्ष 2022 तक स्वास्थ्य सेवा बाजार लगभग तीन गुना बढ़ चुका है, फिर भी आज ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ अनेक चुनौतियों का सामना कर रही हैं और नीतिगत स्तर पर इनके उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

भारत में स्वास्थ्य सेवाओं और प्रणालियों का विकास निरंतर प्रगति पर है तथा कार्यबल की कमी, आधारभूत संरचना और सेवाओं की गुणवत्ता में आवश्यक सुधार की जरूरत है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद, भारत सरकार को अभी भी सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए बहुत कुछ करना शेष है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम देश को पूर्णतः स्वस्थ बनाने का निरंतर प्रयास कर रहा है, परंतु इसकी कमियों को दूर करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2015 की नई स्वास्थ्य नीति का प्रारूप तैयार किया गया, जिसमें स्वास्थ्य को एक मौलिक अधिकार बनाने की बात कही गई है। नई स्वास्थ्य नीति को एक आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है, जो भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य स्तर सुधारने के निरंतर प्रयासों के बावजूद, सफलता का प्रतिशत अभी भी कम है। इसका मुख्य कारण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समुचित समन्वय का अभाव है।

जब हम सार्वजनिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो यह केवल बीमारियों से लड़ने के लिए एक व्यवस्था स्थापित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीबी और शिक्षा भी खराब स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यद्यपि यह समस्या शहरों में भी है, परंतु गाँव इससे अधिक प्रभावित हैं। बढ़ता शहरीकरण अपने साथ नई समस्याएँ भी ला रहा है। शहरों में कार्य करने वाले अधिकांश मजदूर और छोटे व्यवसायी गाँवों से आते हैं। रोजगार की तलाश में जब ग्रामीण लोग शहरों और महानगरों की ओर जाते हैं, तो प्रदूषण और संक्रमण की समस्याएँ भी गाँवों की ओर बढ़ती हैं, जिससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

बेहतर स्वास्थ्य के लिए तीन मुख्य सिद्धांत हैं–रोकथाम (Prevention), निदान (Diagnosis) और उपचार (Treatment)। इसके साथ ही पोषण, स्वच्छ पेयजल और साफ–सफाई भी आवश्यक हैं। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य की तीन स्तरों की व्यवस्था है–उपकेंद्र (Sub-centre), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (Primary Health Centre) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (Community Health Centre)। इसकी संरचना इस प्रकार बनाई गई है कि नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उत्पन्न हो और आवश्यकता पड़ने पर उचित उपचार उपलब्ध हो सके।

इस व्यवस्था में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा संसाधनों की व्यवस्था उसी अनुसार की जाती है। इस ढांचे में सबसे निचले स्तर पर उपकेंद्र होते हैं, उनके ऊपर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सबसे ऊपर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। इनके अतिरिक्त शहरी स्वास्थ्य प्रणालियाँ भी कार्यरत हैं। इन व्यवस्थाओं में कर्मचारियों और उपकरणों की व्यवस्था के लिए भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (IPHS) निर्धारित किए गए हैं।

आयुष्मान भारत योजना– आयुष्मान भारत योजना की घोषणा भारत सरकार द्वारा केंद्रीय वित्त बजट 2018 में की गई थी। इसके दो प्रमुख भाग हैं–

1. भारत में 1 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना करना।
2. 10 करोड़ परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़ना।

यह सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजना अधिकांश चिकित्सा उपचार खर्च, दवाइयाँ, जाँच तथा अस्पताल में भर्ती होने से पहले के खर्चों को कवर करती है। इसके अतिरिक्त, यह आयुष्मान हेल्थ कार्ड के माध्यम से

देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस (नकदरहित) भर्ती सुविधा प्रदान करती है। लाभार्थी अपने आयुष्मान कार्ड को दिखाकर आवश्यक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती हो सकता है।

आयुष्मान भारत योजना, जिसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से भी जाना जाता था, अब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के रूप में नामित है। इस योजना का उद्देश्य समाज के शोषित, वंचित एवं कमजोर वर्गों के लिए द्वितीयक एवं तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं को पूर्णतः कैशलेस बनाना है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

यह योजना प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करती है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं तक आसानी से पहुँच मिलती है।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनाः स्वास्थ्य कवरेज श्रेणियाँ (ग्रामीण एवं शहरी पात्रता मानदंड)

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का उद्देश्य 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है, जिसमें अधिक से अधिक गरीब एवं निम्न आय वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। इस स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 5 लाख रुपये का कवर दिया जाता है।

इन 10 करोड़ परिवारों में से लगभग 8 करोड़ परिवार ग्रामीण क्षेत्रों से तथा 2.33 करोड़ परिवार शहरी क्षेत्रों से हैं। यह योजना लगभग 50 करोड़ व्यक्तिगत लाभार्थियों को सेवा प्रदान करने का लक्ष्य रखती है।

आयुष्मान भारत योजना के लिए पात्र होने हेतु आवेदक को निर्दिष्ट श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), निम्न आय वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में से किसी एक में होना आवश्यक है। आप आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध "क्या मैं पात्र हूँ" (Kya Main Patra Hoon) सुविधा के माध्यम से अपनी पात्रता की जाँच कर सकते हैं।

हालाँकि, योजना में कुछ पूर्व निर्धारित शर्तें हैं, जिनके आधार पर यह तय किया जाता है कि कौन व्यक्ति लाभ प्राप्त कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पात्रता सूची मुख्यतः आवास की कमी, निम्न आय तथा अन्य वंचनाओं के आधार पर वर्गीकृत की जाती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित पात्र हैंः

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति परिवारों में रहने वाले लोग।
- भिक्षुक एवं दान पर निर्भर रहने वाले व्यक्ति।
- वे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष आयु वर्ग का कोई सदस्य नहीं है।
- वे परिवार जिनमें कम से कम एक शारीरिक रूप से दिव्यांग सदस्य हो तथा कोई सक्षम (काम करने योग्य) वयस्क सदस्य न हो।
- भूमिहीन परिवार जो अस्थायी दिहाड़ी मजदूरी करके अपना जीवनयापन करते हैं।
- आदिम जनजातीय समुदाय तथा विधिक रूप से मुक्त बंधुआ मजदूर।
- ऐसे परिवार जो अस्थायी एक–कमरे के घरों में रहते हैं जिनमें न तो पक्की दीवारें हैं और न ही छत।
- मैला ढोने (मैनुअल स्कैवेंजर) वाले परिवार।

शहरी क्षेत्रों में सरकारी प्रायोजित योजना का लाभ मुख्यतः निम्नलिखित लोग प्राप्त करते हैं–

- धोबी/चौकीदार।
- कूड़ा बीनने वाले।

- मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, मरम्मत कार्य करने वाले।
- घरेलू सहायिकाएँ।
- सफाईकर्मी, माली।
- घर–आधारित कारीगर या हस्तशिल्प कार्यकर्ता, दर्जी।
- मोची, फेरीवाले तथा सड़क या फुटपाथ पर सेवाएँ प्रदान करने वाले अन्य लोग।
- प्लंबर, राजमिस्त्री, निर्माण श्रमिक, कुली, पेंटर और सुरक्षा गार्ड।
- परिवहन कर्मी जैसे चालक, कंडक्टर, सहायक, रिक्शा चालक।
- छोटे प्रतिष्ठानों में सहायक एवं परिचारक, डिलीवरी बॉय, दुकानदार और वेटर।

अतः यह कहा जा सकता है कि आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में प्रभावी रूप से लागू हो चुकी है। चाहे शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्रों के लोग इसके लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिसके परिणामस्वरूप गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है तथा उनके स्वास्थ्य में पहले की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है, जिससे उनका जीवन अधिक सुगम हो रहा है।

अनुसूचित जातियों पर आयुष्मान भारत योजना का प्रभाव–

उपरोक्त अध्ययन में यह पाया गया कि इस योजना का अनुसूचित जातियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने में इस समुदाय को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था, यह योजना उन समस्याओं को दूर करती है। यह योजना इस समुदाय के लोगों के लिए अमृत तुल्य सिद्ध हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप उनके स्वास्थ्य में व्यापक स्तर पर सुधार हो रहा है। इस समुदाय पर इसके प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है–

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अनुसूचित जाति के परिवारों को स्वास्थ्य सेवाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान करती है।
- यह योजना इन समुदायों पर स्वास्थ्य संबंधी आर्थिक व्यय के बोझ को कम करती है, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए उन्हें कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती और वे अपनी निजी संपत्ति बेचने या गिरवी रखने से भी बच जाते हैं।
- स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुँच और आर्थिक व्यय में कमी के कारण अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक–आर्थिक प्रगति होती हुई दिखाई दे रही है।
- यह योजना स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने में भी सहायक है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना समान स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती है।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के वे परिवार जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर हैं तथा जाति जनगणना के अनुसार वंचित श्रेणी में आते हैं, इस योजना के लिए पात्र हैं। इसके अतिरिक्त, 70 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक, उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना, भी इस योजना के लिए पात्र हैं।

अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जो उन्हें स्वास्थ्य सुविधाओं तक बेहतर पहुँच प्रदान कर रही है और उनके जीवन में सुख एवं संतोष ला रही है। इसके परिणामस्वरूप उनमें जागरूकता बढ़ रही है तथा वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।

साहित्य समीक्षा (Review of Literature):

समेरा सौरभ (2021) ने अपने लेख "ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था का विस्तार" (Expanding Rural Healthcare System) में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता उपचार और जाँच की वहनीयता (सुलभता) पर निर्भर करती है। जैव–चिकित्सा विज्ञान अस्पतालों और अनुसंधान संस्थानों में एकजुट होकर चिकित्सा उपकरणों, दवाओं, शल्य चिकित्सा सामग्री तथा जाँच उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा दे सकते हैं तथा अपने ज्ञान को चिकित्सा उत्पादों में परिवर्तित कर सकते हैं।

लहरिया चंद्रकांत (2019) ने अपने अध्ययन "ग्रामीण स्वास्थ्य परिदृश्य और आगे की राह" (Rural Health Scenario and the Way Forward) में पाया कि भारतीय ग्रामीण समाज में पिछले कुछ दशकों में ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवाओं और आधारभूत संरचना के संदर्भ में प्रगति हुई है। अर्थात आज स्वास्थ्य व्यवस्था पहले की तुलना में अधिक तीव्र गति से सुधार करती हुई दिखाई दे रही है।

गोपीचंद्रन, विजय प्रसाद (2019) ने अपने अध्ययन "आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनारू एक नैतिक विश्लेषण" में कहा है कि आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार द्वारा संचालित एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना है, जो अन्य स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की तुलना में अधिक लाभकारी सिद्ध होती प्रतीत हो रही है।

नारायण देवदासन, तान्या शेषाद्रि, मयूर त्रिवेदी, बार्ट क्रिएल (2013) ने अपने अध्ययन (Promoting Universal Financial Protection: Rashtriya Swasthya Bima Yojana (RSBY) in Gujarat, India) में दर्शाया है कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) ने लगभग सभी कमजोर एवं संवेदनशील जनसंख्या समूहों के लिए अस्पताल सेवाओं तक पहुँच में उल्लेखनीय सुधार किया है।

देवी दीपांजलि (2015) ने अपने लेख "ग्रामीण असम के लोगों में बाह्य रोगी स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोगरू एक केस स्टडी" (Utilization of Out Patient Health Care Among the People of Rural Assam: A Case Study) में बाह्य रोगी उपचार के लिए चयनित लोगों के बीच स्वास्थ्य सेवाओं का अध्ययन किया है। शोधकर्ता ने यह अध्ययन असम के ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त प्राथमिक आँकड़ों के आधार पर किया। प्राप्त आँकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वे समय पर उपचार नहीं करा पाते। अपने अध्ययन में शोधकर्ता ने यह भी दर्शाया है कि ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य स्थिति में सुधार की अत्यंत आवश्यकता है।

मोहन राव (2019) ने अपनी पुस्तक "हेल्थ केयर इन इंडिया" में यह स्पष्ट किया है कि भारत में स्वास्थ्य असमानता क्यों व्यापक रूप से विद्यमान है। लेखक ने विश्लेषणात्मक पद्धति के माध्यम से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया है और बताया है कि अन्य देशों की स्वास्थ्य व्यवस्था की तुलना में हमारे देश की स्वास्थ्य प्रणाली में अभी भी अनेक कमियाँ हैं, जिन्हें शीघ्र दूर करने की आवश्यकता है।

शर्मा, ए.के. (2014) ने "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनरू एक समालोचना" (The National Rural Health Mission: A Critique) में अपने अध्ययन के माध्यम से कहा है कि इस शोध का उद्देश्य राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का अध्ययन करना है। लेखक ने बताया है कि स्वास्थ्य स्थितियों को प्रभावी बनाने के लिए ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों की प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करना आवश्यक है, ताकि संपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार किया जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य संबंधी उपचारों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।

देवी, प्रसाद, वर्मा, मनोज कुमार (2019) ने अपने शोध–पत्र "ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामाजिक–सांस्कृतिक आयामों का अध्ययन" (Study of Socio-Cultural Dimensions of Rural Public Health) में कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करना एक बड़ी चुनौती रही है। स्वतंत्रता के बाद गाँवों के स्वास्थ्य परिदृश्य में व्यापक सुधार हुआ है तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों का स्वास्थ्य दिन–प्रतिदिन बेहतर हो रहा है।

बोर्डे, अजीत कुमार एवं बोरगांव, सचिन ए. (2021) ने "भारत की सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा योजना" (आयुष्मान भारत) पर एक विश्लेषणात्मक समीक्षा में पाया कि अधिकांश जनसंख्या अपनी आजीविका और उन्नति के लिए दैनिक आधार पर आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही है। चिकित्सा संबंधी बेरोजगारी अनजाने में परिवारों के जीवन को प्रभावित कर रही है और साथ ही राजनीतिक दल अपने स्वार्थ के कारण प्रत्येक व्यक्ति तथा वंचित वर्गों को स्वास्थ्य देखभाल की आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ प्रदान नहीं कर पा रहे हैं।

पाल मोनालिसा, भारती साकिया, सिंह तुषार (2024) ने अपने अध्ययन में स्पष्ट किया है कि योजनाओं में अनेक बाधाओं के बावजूद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश में एक अवसर के रूप में स्थायी रूप से स्थापित हो चुकी है तथा सरकार के प्रति विश्वास को मजबूत किया है। परिणामस्वरूप भारत सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में तीव्र प्रगति कर रहा है।

वर्तमान अध्ययन का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों पर आयुष्मान भारत योजना के प्रभाव का पता लगाना है, साथ ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों का तुलनात्मक अध्ययन करना तथा उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान और समाधान में आयुष्मान भारत योजना के योगदान का आकलन करना है। इसके अतिरिक्त, योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से अनुसूचित जातियों की सामाजिक स्थिति के उन्नयन हेतु सुझाव प्रस्तुत करना भी इस अध्ययन का उद्देश्य है।

यह शोधपत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है तथा वर्णनात्मक अनुसंधान पद्धति का उपयोग किया गया है। इस अध्ययन में वाराणसी जनपद के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों को शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार वाराणसी जनपद में अनुसूचित जातियों की कुल जनसंख्या 4,86,958 है, जिसमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या शामिल है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब तक वाराणसी जनपद में लगभग 2 लाख लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं। इनमें से 1.10 लाख लोग ग्रामीण क्षेत्रों से तथा 90 हजार लोग शहरी क्षेत्रों से इस योजना में सम्मिलित हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करने हेतु सरकारी और निजी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जोड़ा गया है, जिनमें वाराणसी के लगभग 215 अस्पताल इस योजना से पंजीकृत हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों पर आयुष्मान भारत योजना का प्रभाव

यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति के लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल रही है। यह योजना अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त करने में सहायता करती है तथा आर्थिक बोझ को कम करती है, जिसके कारण गंभीर बीमारियों का उपचार भी आसानी से संभव हो पा रहा है।

गंभीर बीमारियों का भी अब आसानी से उपचार किया जा रहा है। यह योजना इन समुदायों के लोगों के लिए सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित कर रही है, अर्थात यह सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक सिद्ध हो रही है। इस योजना ने अनुसूचित जाति के लोगों में स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को भी कम किया

है। अतः उपर्युक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि आयुष्मान भारत योजना का ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति के लोगों पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों पर आयुष्मान भारत योजना का प्रभाव–

यह योजना शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। यह योजना इन परिवारों को निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है, जिसके कारण उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ प्राप्त हो रही हैं। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए लाभकारी है जो आर्थिक रूप से अत्यंत कमजोर हैं और स्वास्थ्य संबंधी खर्च वहन करने में असमर्थ हैं। शहरी अनुसूचित जाति परिवारों के लिए यह योजना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में सहायता करती है।

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि आयुष्मान भारत योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जाति के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डाल रही है और साथ ही शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जाति के लोगों पर भी समान रूप से प्रभावी है। तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों पर लगभग समान प्रभाव देखा जा रहा है। हालांकि कुछ असमानताएँ भी दृष्टिगोचर होती हैं, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा और उचित जानकारी के अभाव के कारण लोगों को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है तथा कभी–कभी अस्पताल कर्मचारियों द्वारा इसका अनुचित लाभ भी उठाया जाता है। यह समस्या शहरी क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम पाई जाती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश लोग सरल जीवन व्यतीत करते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों के लोगों का जीवन अपेक्षाकृत जटिल और आकर्षक प्रतीत होता है। फिर भी, ग्रामीण और शहरी जीवन में अनेक भिन्नताओं के बावजूद कई समानताएँ भी हैं, और आयुष्मान भारत योजना का प्रभाव दोनों क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों पर सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है।

निष्कर्ष–

स्वस्थ शरीर किसी भी व्यक्ति या समाज के उन्नयन और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। सामान्य बोलचाल की भाषा में भी कहा जाता है कि "स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है।" प्रस्तुत शोधपत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों पर आयुष्मान भारत योजना के प्रभाव को समझने का प्रयास किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आयुष्मान भारत योजना का अनुसूचित जातियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अनुसूचित जातियों के स्वास्थ्य में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। प्राचीन काल से ही अनुसूचित जाति समुदाय के लोगों को सामाजिक रूप से उपेक्षित दृष्टि से देखा जाता रहा है, जिसके कारण वे मुख्यधारा के समाज से जुड़ने में असफल रहे। किंतु वर्तमान समय और परिस्थितियों के अनुसार तथा भारत सरकार के प्रयासों के परिणामस्वरूप वे अब समाज की मुख्यधारा से जुड़ने में सफल हो रहे हैं।

आयुष्मान भारत योजना के प्रभाव के परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के लोगों का स्वास्थ्य, चाहे वे ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हों या शहरी क्षेत्र के, स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह योजना अनुसूचित जातियों के बीच स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं को कम करने तथा उन्हें उचित स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

इस योजना ने स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच को बेहतर बनाया है और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों के आर्थिक बोझ को भी कम किया है। इसके माध्यम से इस समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य परिणामों में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। कौशल विकास और रोजगार सृजन में भी वृद्धि हुई है। इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रशिक्षित

कर्मियों की मांग बढ़ी है, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति के लोगों को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

इस योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर) के विकास को भी प्रोत्साहित किया है, जिसके तहत स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों का निर्माण किया गया है, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल रही हैं। आयुष्मान भारत योजना ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है तथा स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में व्यापक सुधार किया है।

सुझाव–

आयुष्मान भारत योजना का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाली अनुसूचित जातियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, किंतु इसे और अधिक प्रभावी तथा लाभकारी बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं–

- आयुष्मान भारत योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए।
- पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।
- स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया जाए।
- गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जाए।
- शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जाए।
- आर्थिक सहायता में वृद्धि की जाए।
- निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए।

इन सभी सुझावों को लागू करके, आयुष्मान भारत योजना को और भी प्रभावी बनाया जा सकता है और अनुसूचित जातियों के स्वास्थ्य और कल्याण में सुधार किया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची (Reference Bibliography)

- देवी, दीपांजलि (2015), "ग्रामीण असम के लोगों के बीच आउटपेशेंट स्वास्थ्य देखभाल का उपयोगः एक केस स्टडी" जर्नल ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट, वॉल्यूम 17, नंबर 4407–416 में प्रकाशित, प्रकाशन नई दिल्ली।
- राव, मोहन (2019), "भारत में स्वास्थ्य देखभाल अध्ययन" कंट्रीब्यूशन इन इंडिया सोशियोलॉजी, वॉल्यूम 53:2, 341–362 नई दिल्ली में प्रकाशित।
- शर्मा, ए.के. (2014), "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एक आलोचनात्मक अध्ययन" सोशियोलॉजिकल बुलेटिन, वॉल्यूम 63:2, 287–301, नई दिल्ली में प्रकाशित।
- प्रसाद, देवी, शर्मा, मनोज कुमार (2019), "ग्रामीण सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामाजिक–सांस्कृतिक आयामों का एक अध्ययन" रिसर्च गेट।
- विजय प्रसाद, गोपीचंद्रन (2019), "आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनारू एक नैतिक विश्लेषण", ऑनलाइन प्रकाशित 2019, अप्रैल PMCID GMC 77 4739।
- नारायण देवदासन, तान्या शेषाद्रि, मयूर त्रिवेदी, बार्ट क्रियल (2013), "वित्तीय सुरक्षा को बढ़ावा देनारू गुजरात में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साक्ष्य", इंडिया च्डब्क 37 51 687 PMID 1956।
- देवकी, नंदन (2010), "राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशनरू वास्तविकता में बदलना", इंडियन जे कम्युनिटी मेड PMCID 2127 886।

- सौरभ, समीर (2021), "ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का विस्तार" कुरुक्षेत्र वर्ष 67, अंक 9।
- लहारिया, चंद्रकांत (2019), "ग्रामीण स्वास्थ्य परिदृश्य और आगे का रास्ता" कुरुक्षेत्र वर्ष 65, अंक 11।
- अग्रवाल, जी.के., पांडे एस.एस. (2008), "ग्रामीण समाजशास्त्र" SBDP पब्लिशिंग हाउस, आगरा, ISBN 81–7618–311–3।
- कुमार, अजीत बोर्डे और बोरगावे, ए. सचिन (2021), "भारत की सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना–आयुष्मान भारत पर एक विश्लेषणात्मक समीक्षा", ISSN NO: 2347–3150। पुणे भारत 412016।
- पाल, मोनालिसा, भारती, सैकिया, सिंह, तुषार (2024), "इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव साइंस एंड रिसर्च टेक्नोलॉजी" ISSN NO: 2456–2165 वॉल्यूम 9, अंक 1 जनवरी – 2024।

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

जीन जैक्स रूसों का शैक्षिक दर्शन एवं वर्तमान युग में प्रासंगिकता

डॉ. उमेश कुमार
असिस्टेंट प्रोफेसर, शिक्षाशास्त्र विभाग
महाराज बलवंत सिंह पी.जी. कॉलेज गंगापुर, वाराणसी

सारांश:-

रूसो 18वीं शताब्दी का क्रांतिकारी शिक्षा शास्त्री, दार्शनिक और समाजशास्त्री था उसके विचारों ने पूरे विश्व में उथल-पुथल मचा दी और फ्रांस की क्रांति को जन्म दिया वह एक महान मनोवैज्ञानिक था जिसने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा । प्रत्येक व्यक्ति में वैयक्तिक विभिन्नता होती है प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता भी अलग होती है इसलिए शिक्षा में बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता होनी चाहिए रूसो से पहले किसी भी शिक्षा शास्त्री का ध्यान इस दृष्टिकोण की तरफ नहीं गया इसीलिए रूसो को बाल-केंद्रित शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है | उसका मानना था कि बालक को बालक समझो ना कि प्रौढ़ | प्रत्येक व्यक्ति की अपनी रुचि, योग्यता और क्षमता होती है, उसे उसकी रुचि, योग्यता तथा क्षमता के अनुसार ही शिक्षा प्रदान करना बेहतर है उसने पुस्तिकीय शिक्षा का विरोध किया तथा शिक्षा में बालक को पर्याप्त स्वतंत्रता प्रदान की क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया में बालक ही सब कुछ है, पूरी शिक्षा व्यवस्था बालक के इर्द-गिर्द ही घूमती रहती है | रूसो के विचारों ने संसार में वह कार्य किया था जो राजनीति के संसार में फ्रांस की राज्य क्रांति ने किया था उसने पुरानी व्यवस्था को उखाड़ उखाड़ फेंका और नई व्यवस्था को लाने का प्रयास किया | संसार में कोई ऐसी प्रशंसनिक पुस्तक नहीं है जिसमें शिक्षा की एक योजना प्रस्तुत की गई हो जैसी एमिल में है | वर्तमान शिक्षा व्यवस्था रूसो के विचारों से बहुत प्रभावित हुई है जो कुछ उसकी शिक्षा में विरोधाभास देखने को मिलता है वह उसके रहन-सहन और बचपन की परिस्थितियों के कारण है फिर भी वह लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ प्रयास तो किया कुछ व्यवस्था तो दी, रूसो प्रथम शिक्षा शास्त्री है जिसने स्त्रियों की शिक्षा की बात की भले ही वह भिन्न रूप में थी क्योंकि उसी की शिक्षा व्यवस्था के कारण लड़कियों की शिक्षा में धीरे-धीरे सुधार आया |

महत्वपूर्ण शब्द:-निषेधात्मक-शिक्षा, बाल-केंद्रित शिक्षा, नैसर्गिक प्रवृत्तियां, इन्द्रिय-प्रशिक्षण, स्वतंत्रता, करके सीखना

प्रस्तावना:-

अठारहवी शताब्दी के महान शिक्षा शास्त्री जीन जैक्स रूसी का जन्म सन् 1712 ई0 में स्विटजरलैण्ड के नगर जेनेवा में आइजक नामक घड़ी साज के यहाँ हुआ था लेकिन बाद में वह फ्रांसीसी नागरिक बन गया। रूसो के मां की मृत्यु बचपन में हो गयी। उसका पिता अनपढ़ और दुर्व्यसनी स्वभाव का था। उसने रूसों को कभी विधालय नहीं जाने दिया। यद्यपि रूसो अपनी प्रखर बुद्धि के कारण स्वयं पढ़ना लिखना जान गया। बचपन में फटा पुराना कपड़ा पहने गंदी-2 गलियों में गन्दे गन्दे लोगो के साथ घूमता था। उसे सम्य समाज में जाने से डर लगने लगा। रूसो की मृत्यु 66 वर्ष की अवस्था में सन् 1778 ई० में हुई।

रूसो चरित्रहीन, अनुत्तरदायी और अस्थिर स्वभाव का था। उसके जीवन का एक सूत्र था- "जब कष्ट में पड़ों तब भाग जाओ।" रूसों सदैव वर्तमान में जीता था, भूत और भविष्य से उसे कुछ भी नहीं लेना-देना था। उसे भूत के लिए न कोई पछतावा और भविष्य के लिए न कोई चिंता थी। रूसों ने कहा है "मेरी रूचियां तथा मेरे विचार उत्तम और अधम के मध्य सदैव धूमते हुए प्रतीत होते है। मै अपने दुर्भाग्यों को आसानी के साथ भूल जाता हूँ लेकिन अपने उत्तम तथा अधम विचारों को भूल नहीं पाता।"

1749ई0 में फ्रांस की डिजाइन कला अकादमी के एक निबन्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसका विषय था, "कला और विज्ञान के विकास ने लोगों को अच्छा बनाने में योगदान दिया या बुरा बनाने में।" रूसों जीवन की यातनाएं भोगने के कारण सम्य समाज के प्रति वागी बन गया था। उसने तार्किक ढंग से निबन्ध में यह बताने का प्रयास किया कि सभ्य समाज के उदय ने मनुष्य की प्राकृतिक समानता की किस प्रकार छीन लिया और सभी को दुखी कर दिया। जैसा कि रूसों ने इस निबन्ध में लिखा "हे ईश्वर। मेरा भोला पन और मेरी अज्ञानता मुझे वापस दे दो, क्यों कि वही मुझे सुखी व सतुंष्ट कर सकता है।" इस निबन्ध प्रतियोगिता उसे प्रथम पुरस्कार मिला और रूसो रातो रात पूरी दुनिया में छा गया लेकिन सभ्य समाज को रूसो से नफरत होने लगी। अतः रूसों के प्रति काफी विद्रोह पैदा हुआ। 1754 में डिजाइन अकादमी की द्वितीय प्रतियोगिता जिसका शीर्षक था "विषमता की उत्पत्ति एवं निजी सम्पत्ति" में रूसों ने निजी सम्पत्ति की संस्था पर प्रहार किया। रूसो ने यह बताया कि निजी सम्पत्ति के उदय के पूर्व मनुष्य का जीवन सरल एवं सद्गुणी थी लेकिन निजी सम्पत्ति के विशैले नाग ने मानव जीवन को कितना दुःखदायी बना दिया। रूसों को फ्रांसीसी क्रान्ति का जनक और प्रत्यक्ष लोकंतत्र का मसीहा माना जाता है। प्रत्येक लोकतांत्रिक देश के संविधान की प्रस्तावना में हम लोग लिख गया शब्द रूसो की आवाज है। रूसों का प्रसिद्ध कथन है "जनता की आवाज ईश्वर की आवाज है।"

सर्वप्रथम रूसों ने 1750 ई० में Project for the Education of M.De. Sante Marie (प्रोजेक्ट फार द य एजूकेशन आफ एम० डी०सह-शिक्षा शोध पत्रिका Vol 8/2).2014सेन्ट मेरी), लिखी जिसका सम्बन्ध दो बालकों की शिक्षा से था जिन्हें रूसों ने स्वयं कुछ दिनों तक पढ़ाया था। रूसो की कृतियों में अप्रतिम ग्रंथ Social Contract तथा Emile (एमील) है। एमील ने ही उसे महान शिक्षा शास्त्री के रूप में संसार के सन्मुख खड़ा कर दिया। उसकी अन्तिम पुस्तक कन्फेन्शन इग्लैण्ड के प्रवास काल में आरम्भ हुई थी जो पुनः फ्रांस लौतने पर उसकी मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व पूरी हुई। इस पुस्तक में उसने अपने जीवन की सभी घटनाओं का खुलकर वर्णन किया है और अपने कुकृत्यों को स्वीकारा है जो उसकी महानता का द्योतक है।

शिक्षा का अर्थ :- शिक्षा को रूसो ने एक स्वाभाविक या प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है शिक्षा के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उसने लिखा है "सच्ची शिक्षा वह है जो व्यक्ति के अन्दर से प्रस्फुटित होती है यह व्यक्ति की अन्तर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है।

"True Education is some things that happen from within the individual. It is an unfolding of his Own latent power" (Rousseau)

शिक्षा के उद्देश्य :- व्यक्तिवादी विचारधारा के समर्थक होने के कारण रूसों ने अपने समय की प्रचलित शिक्षा प्रणाली का विरोध किया तथा शिक्षा का उद्देश्य बालकों को अपनी प्रकृति अर्थात अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों और इच्छाओं और रूचि के अनुसार कार्य करते हुए वर्तमान सुख की प्राप्ति के अवसर प्रदान करना माना। रूसों ने शिक्षा के उद्देश्य तथा पाठ्यक्रम को बालक के विकास की अवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किया उसके अनुसार शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य विकास की अवस्थाओं के अनुसार निम्न प्रकार है।

1-**शारीरिक विकास** :- शैशवावस्था (Infancy) या जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की उम्र में रूसों ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक या शारीरिक विकास बताया इसका तात्पर्य बालक के अंग प्रत्यंग के विकास से है जिससे वह स्वस्थ व शक्तिशाली बन जाय शारीरिक स्वस्थ ही बालक के मानसिक विकास का आधार होता है।

2-इन्द्रिय प्रशिक्षण का उद्देश्य :- बाल्यवस्था या 5 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चों में रूसो ने शिक्षा का उद्देश्य ज्ञानेन्द्रियों का विकास करना बताया जिससे कि बालक अपनी ज्ञानेन्द्रियों का उचित प्रयोग कर सके।

3-उपयोगी तथा व्यवहारिक ज्ञान का उद्देश्य :- किशोरावस्था या 12 से 14 वर्ष तक की आयु में आंयु में रूसों बालक को नियमित शिक्षा आरम्भ करने के पक्ष में है इस समय बालक को उन बातों की शिक्षा दी जाय जो उसके व्यक्तित्व में विकास में सहायक हो।

4- भावात्मक विकास का उद्देश्य :- युवावस्था या 15 से 20 वर्ष की आयु में रूसो में बालक के भावात्मक विकास पर बल दिया। भावात्मक विकास के लिए बालक में सामाजिक धार्मिक एवं नैतिक भावनाओं को जागृत करना चाहिए।

5- वर्तमान सुखों की प्राप्त :- रूसों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालकों को अपनी प्रकृति अर्थात् अपनी नैसर्गिक प्रवृत्तियों, इच्छाओं और रूचि के अनुसार कार्य करते हुए वर्तमान सुख की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान करना है वह शिक्षा व्यर्थ है जो भावी जीवन के सुख के लिए वर्तमान सुख का बलिदान करे।

6- जीने की कला का ज्ञान - युवावस्था में बालक को जीवित रहने की कला का ज्ञान प्रदान करना ही शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।

पाठ्यक्रम: - रूसो द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों को बालक की अवस्थों में बाटकर बताया गया है इसी के आधार पर वह पाठ्यक्रम निर्माण की थी संस्तृति करता है।

1. शैशवावस्था रूसों के अनुसार इस अवस्था के लिए प्रचलित विषयों की शिक्षा अनुपयोगी और अनावाश्यक है बालक को बालक समझकर ही शिक्षा दी जानी चाहिए न कि लघु पौढ़ समझकर। इस अवस्था में सामान्य विषयों का कोई निश्चित ज्ञान न देकर बालक के शारीरिक विकास तथा ज्ञानेन्द्रियों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

2. बाल्यावस्था इस अवस्था की शिक्षा व्यवस्था निषेधात्मक शिक्षा के सिद्धान्त पर आधारित है। बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम में भी पुस्तकें नहीं है। वह एमील को पुस्तकों से दूर रखकर अनुभव के आधार पर शिक्षा देना चाहता है।

3 किशोरावस्था: रूसों के अनुसार किशोरावस्था में पहुंचने तक बालक का शारीर और इन्द्रिया पुष्ट हो जाते हैं। अतः अब उसे मानसिक विकास पर ध्यान देना चाहिए तथा उसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम में प्राकृतिक विज्ञान, भाषा, गणित. लकड़ी का काम, संगीत, चित्रकला सामाजिक विज्ञान तथा किसी व्यवसाय को सम्मिलित किया जाना चाहिए।

4 युवावस्था - यह काल व्यक्तित्व के विकास की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस काल में बालक धार्मिक नैतिक तथा सामाजिक शिक्षा देने की बात रूसो ने की। इस समय बालक को इतिहास, पौराणिक कथाए हितोपदेश की कहानियों, संगीत कला, शरीर शिक्षा एवं काम शिक्षा का स्थान देना चाहिए।

शिक्षण विधि - रूसों ने तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था का घोर विरोध किया वह पुस्तकों का विरोधी का उसने कहा "अपने छात्र को शाब्दिक पाठ मत पढ़ाओं, उसे अपने अनुभव द्वारा सीखने दो।" रूसों ने निम्नलिखित शिक्षण विधियों का जोरदार समर्थन किया। करके सीखना स्वानुभव द्वारा सीखना

मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों के अनुसार शिक्षा

शिक्षक:- रूसों ने शिक्षा में बालक को केन्द्र बताया और उसके मनोवैज्ञानिक विकास की ओर ध्यान दिया है उसकी शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक का स्थान पथ प्रदर्शक का है। रूसों के अनुसार शिक्षक को बालक की क्रियाओं में बाधक न होकर सहायक होना चाहिए, अधिकारी न होकर बराबर वाला होना चाहिए, और निर्देशक न होकर पथ-प्रदर्शन करने वाला होना चाहिए। रूसो का कहना है कि शिक्षक ऐसा होना चाहिए जो बालक से प्रेम करे, उनसे सहानुभूति रखे और उनकी शारीरिक भावनात्मक तथा बौद्धिक शक्तियों का उचित विकास करे।

विद्यालय :- रूसो समाज और उसकी संस्थाओं से घृणा करता था इसलिए उसने समाज के दूषित वातावरण से दूर रहकर शिक्षा देने के लिए कहा। उसके अनुसार विद्यालय में ऐसा नैसर्गिक वातारण होना चाहिए जहां बालक की शारीरिक, बौद्धिक और भावात्मक शक्तियों का उचित विकास सरलता पूर्वक हो सके। रूसो का कहना है कि विद्यालय की व्यवस्था, स्वतंत्रता समानता और भ्रातृ-भावना के आधार

पर होनी चाहिए विद्यालय के कार्यों का प्रवध शिक्षक और बालक दोनों को मिलकर करना चाहिए। विद्यालय में गरीब अमीर सभी एक साथ पढ़े तथा उनकों सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अनुशासन रूसो का कहना है कि केवल स्वतंत्र वातावरण में ही बालक की प्राकृतिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास संभव हो सकता है। इसलिए वह बालक को वाङ्गा हस्तक्षेप से दूर रखना चाहता है तथा उसके ऊपर किसी प्रकार का वंधन और नियंत्रण नहीं लगाना चाहता। उसका विचार है कि बालक दण्ड और दण्ड के कारण को नहीं समझ सकती। उसकी तर्कव विचार शक्ति अपरिपक्व होती है इसलिए उससे तर्क करने की अपेक्षा यह कही अधिक अच्छा है कि उसे अपना कार्य करने तथा उनके परिणामों को भोगने दिया जाय। उसे अनुभव के लिए स्वंत्रता छोड़ देना चाहिए।

रूत्री शिक्षा :- रूसो ने एमील के पांचवे भाग में सोफिया के माध्यम से स्त्री शिक्षा के सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला है। वह पुरूषों की भांति स्त्रियों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं है। स्त्री शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य पुरूष के सुख साधनों में वृद्धि करना है। लड़को को तो वह पूर्व स्वतंत्रता देता है पर लड़कियो को कड़े नियत्रण में रखना चाहता है। लड़का अपना धर्म अपने विवेक से चुन लेगा परन्तु लड़की अपना धर्म अपने विवेक से चुन लेगा परन्तु लड़की भी जो कहा जाय वह उसे मानना ही चाहिए। लड़कियों की शिक्षा उन्हे गृह कार्य में निपुण बनाने वाली होगी चाहिए। स्त्रियो को संगीत, गायन तथा नृत्यु में निपुण होना चाहिए जिससे वे पुरुषों की प्रसन्न कर सके। रूसों के स्त्री शिक्षा सम्बन्धी विचार बड़े ही दकियानूसी है। रूसों के इन विचारो से कोई शिक्षा शास्त्री सहमत नहीं है।

निषेधात्मक शिक्षा:-

रूसो ने तत्कालीन प्रचलित शिक्षा जिसे उसने निश्चयात्मक शिक्षा नाम दिया है में अनेक दोष बताये और इसके विपरीत निषेधात्मक शिक्षा का समर्थन किया। उस समय का समाज आदर्शवादी था लोगो का विश्वास था कि शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व बालक में अनेक प्रकार के विकार रहते है। उन विकारों का उन्मूलन शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। इसके विपरीत रूसों के विचार थे कि बालक पवित्र पैदा होता है। उसके पास जो कुछ है वह प्रकृति प्रदत्त है। निषेधात्मक शिक्षा में पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया है। इन्द्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया गया है। शिक्षा में निर्देश देने का विरोध तथा स्वानुभक द्वारा सीखने पर बल दिया। बालकों को आदतों का दास बनाने का विरोध है। इस प्रकार रूसों ने अपनी निषेधात्मक शिक्षा द्वारा बालक को हर प्रकार के बन्धनों से मुक्ति दिया कर उसके स्वाभाविक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है।

रूसों की शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान युग में प्रासांगिकता :- रूसो ने अपने विचारों से शिक्षा राजनीति तथा समाज को बहुत प्रभावित किया है। । वह एक व्यावहारिक सोच का व्यक्ति था। उसके प्रभाव से शिक्षा में व्याप्त रूढ़िवादिता का अंत हुआ। फ्रांस की राज्यक्रान्ति का सारा श्रेय रूसो को जाता है। फ्रांस में रूसों के शिक्षा का स्पष्ट प्रभाव 19वीं सताब्दी में देखने को मिलता है। आधुनिक शिक्षा के प्रत्येक पहलुओं पर रूसों के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है। जो निम्नलिखित है।

1. शिक्षा पाने का अधिकांर कुछ व्यक्तियों को न हो कर जनसाधारण का है ये बात कहकर इस क्रान्ति कारी विचार की जन्म देने वाले रूसों ही है।

2 रूसो ने शिक्षा के क्षेत्र में तीन प्रवृत्तियों- मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति वैज्ञानिक प्रवृत्ति, और सामाजिकतावादी प्रवृत्ति को जन्म दिया। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा मनोवैज्ञानिक बन गयी, वैज्ञानिक प्रवृत्ति के फलस्वरूप वैज्ञानिक विषयों की उपयोगिता बढ़ी और सामाजिकवादी प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा में जनतत्रिक भावना का प्रादुर्भाव हुआ।

3. शिक्षक या विषय की अपेक्षा बालक को शिक्षा का केन्द्र बिन्दु माना जाने लगा और इस प्रकार शिक्षा वालकेन्द्रित हो गयी।

4. पाठ्यक्रम में विभिन्नता और विविधता का समावेश हुआ। बालक की विशेषताओं और स्तर के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण आरम्भ हो गया।

5. रूसों के विचारों के फलस्वरूप विभिन्न शिक्षण विधियों क्रियात्मक विधि, खोज विधि, डाल्तन विधि, किण्डरगार्डन प्रणाली, मान्टेसरी प्रणाली, खेलविधि आदि का जन्म हुआ। इन सब शिक्षण विधियों का सार यही है कि बालक को स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा दी जाय उसको नियंत्रण से मुक्त रखा गया और उनके स्वाभाविक विकास की बल दिया जाय।

6. स्थूल से सूक्ष्म की ओर, निश्चित से अनिश्चित की ओर और व्यवहार के सिद्धान्त की ओर प्रकृति का अनुसरण करो आदि शिक्षण सूत्रो के पीछे रूसो की प्रेरणा ही कार्य कर रही है।

7. हाथ मस्तिष्क और हृदय की शिक्षा की बल दिया गया।

8. विकास की अवस्थाओं पर ध्यान केन्द्रित करने के कारण शिक्षा अधिक मनोवैज्ञानिक हो गयी।

9. जनसधारण की शिक्षा की क्रान्तिकारी भावना रूसो ने प्रथम वार जाग्रत की।

10. औधोगिक और व्यासायिक शिक्षा का वीजारोपण हुआ।

11. शिक्षा में स्वतंत्रा के साथ बढ़ने जीने और कार्य करने की भावना का विकास हुआ।

निष्कर्ष:-

रूसो ने पुस्तक प्रणाली और रटने की विधि का कड़ा विरोध किया और बच्चों को स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने का नारा दिया, वह ज्ञानेंद्रियों को ज्ञान का द्वारा मानते हैं इसलिए ज्ञानेंद्रियों के द्वारा शिक्षा को बढ़ावा दिया जो कि आज के समय में हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य बिंदु है |शिक्षा के लिए बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है | रूसो के इस नारे ने आज पूरे संसार की शिक्षा को प्रभावित किया है|

वास्तव में रूसों एक युग प्रवर्तक शिक्षा दार्शनिक है अतएव शिक्षा जगत पर उसका बहुत भारी प्रभाव पड़ा है। रूसो के विचारों ने संसार में अंधविश्वासों को दूर करने का कार्य किया है तथा व्यक्तियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है| रस्क का यह कथन पूर्णतया तथा सही है कि रूसो का आधुनिक शिक्षा में कही स्थान है जो प्लेटो का प्राचीन शिक्षा में था प्लेटो के रिपब्लिक के बाद रूसो का एमील ग्रंथ शिक्षा जगत के लिए बहुत बड़ी देन है। आधुनिक शिक्षा के वीज के रूप में रूसों के सिद्धान्त कार्य कर रहे है। रूसो के प्रभाव के विषय में लार्ड एक्टन ने कहा है कि "रूसों ने अपनी लेखनी से अरस्तु या सिसरो या सन्त अगस्टाइन या सेन्ट थॉमस एक्वीनास या अन्य किसी व्यक्ति जो आज तक हुए है कि अपेक्षा अधिक प्रभाव उत्पन्न किया है।"

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1:-रुहेला, प्रो. एस.पी.,(2013). शिक्षा के दार्शनिक तथा समाजशास्त्रीय आधार, संजय प्लेस, आगरा: अग्रवाल पब्लिकेशन

2:-ओड, डॉ. एल.के.,(2007). शिक्षा की दार्शनिक पृष्ठभूमि, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी

3:-लाल, रमन बिहारी, (2008). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धांत, शिवाजी रोड, मेरठ: रस्तोगी पब्लिकेशन

4:-पचौरी, डॉ. गिरीश & पचौरी, रितु,(2010). भारतीय समाज में शिक्षक की भूमिका, जागृति विहार, मेरठ: आर लाल बुक डिपो

5:-बर्मा, डॉ. बैजनाथ प्रसाद,(2012). विश्व के महान शिक्षाशास्त्री, राजेंद्र नगर, पटना: बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी

6:-पांडेय,डॉ. राम सकल & कपूर, डॉ. वीणा,(2020) शिक्षा के दार्शनिक आधार, डॉ. रांगेय राघव मार्ग, आगरा: श्री विनोद पुस्तक मंदिर

7:-पांडेय, डॉ. के.पी. ,(2019). शिक्षा के दार्शनिक एवं सामाजिक आधार,चांदूआ सत्ती, वाराणसी: विश्वविद्यालय प्रकाशन

8:-पांडेय, डॉ. राम शकल,(2020). उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक• डॉ. रांगेय राघव मार्ग, आगरा: श्री विनोद पुस्तक मंदिर

9:-पाल, डॉ. एस.के.,(2007). महान पाश्चात्य शिक्षाशास्त्री• कटरा रोड, प्रयागराज: गर्ग- ब्रदर्स

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

भारतीय समाज में लोकोक्तियों एवं मुहावरों की प्रासंगिकता : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शालिनी विश्वकर्मा
शोध छात्रा, (जे.आर.एफ.), समाजशास्त्र विभाग,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी, उ0प्र0।
प्रो. भारती रस्तोगी
प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, निर्देशक, पर्यटन अध्ययन संस्थान,
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी उ0प्र0।

सारांश –
समाज में लोकभाषा सदैव सांस्कृतिक पहचान, परम्परा और सामूहिक चेतना का प्रमुख आधार रही है। इसी लोक भाषा के माध्यम से प्रचलित लोकोक्तियाँ और मुहावरे समाज की विचारधारा, अनुभव और मूल्यबोध को अभिव्यक्त करते हैं। यह केवल भाषाई अलंकरण नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवहार, नैतिकता और जीवन दर्शन के प्रतीक हैं। इस शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य लोकोक्तियों और मुहावरों की प्रासंगिकता का अध्ययन करना है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे सिद्धान्त निर्माण की आरम्भिक अवस्था हैं। ये समाज के सांस्कृतिक ढांचे, वर्ग व्यवस्था, लिंग भूमिका, पारिवारिक सम्बन्धों और श्रम मूल्यों की गहन झलक प्रस्तुत करते हैं। जैसे– एकता में बल है, मेहनत का फल मीठा होता है तथा जैसी करनी वैसी भरनी इत्यादि। आज वैश्वीकरण, आधुनिकता और तकनीकी युग में भाषाई परम्पराएँ तीव्र गति से परिवर्तित हो रही हैं, जिसके परिणामस्वरूप लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग और समझ नई पीढ़ी में क्षीण होता जा रहा है। अतः इस अध्ययन की आवश्यकता इसलिए अनुभव की गई कि लोकोक्तियों और मुहावरों की सामाजिक प्रासंगिकता आज भी किस सीमा तक विद्यमान है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है जिसमें विभिन्न पुस्तकों, शोध पत्रों, लेखों तथा वेबसाइटों इत्यादि का प्रयोग किया गया है।

मुख्य शब्द – लोकोक्तियाँ, मुहावरे, अनुभव, लोकभाषा

प्रस्तावना –

भारतीय समाज अपनी बहुलतावादी संस्कृति, समृद्ध भाषा, दीर्घ ऐतिहासिक परम्परा और समृद्ध लोकज्ञान के लिए विश्व में विशिष्ट स्थान रखता है। भारतीय समाज की शास्त्रीय चेतना केवल ग्रंथों या लिखित साहित्य तक सीमित नहीं रही है, बल्कि जन मानस के दैनिक जीवन, व्यवहार, अनुभव और सामूहिक स्मृति में निहित लोक परम्पराओं के माध्यम से निरंतर प्रवाहित होती रही है। इसी लोक परम्परा का एक अत्यन्त सशक्त एवं प्रभावशाली रूप लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे हैं, जो भाषा के माध्यम से समाज की सोच, मूल्य, नैतिकता और व्यवहारिक मानसिकता को अभिव्यक्त करते हैं। ये लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे केवल भाषायी अलंकरण नहीं, बल्कि सामाजिक अनुभवों का संक्षिप्त, प्रतीकात्मक और पीढ़ी दर पीढ़ी सम्प्रेषित सार हैं। लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे भारतीय समाज के लोक ज्ञान का सशक्त माध्यम हैं जो सामाजिक जीवन को समझने और विश्लेषण करने हेतु सहायक सिद्ध होते हैं।

समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में लोकोक्तियाँ और मुहावरे केवल भाषायिक अभिव्यक्ति नहीं हैं, बल्कि वे समाज की संरचना, मूल्य प्रणाली और सामाजिक सम्बन्धों को समझने के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपकरण हैं। इन लोकोक्तियों एवं मुहावरों के भीतर सामाजिक अनुभवों का दीर्घकालिक भाव निहित होता है, जो पीढ़ियों के सामूहिक जीवन, संघर्षों और व्यावहारिक जीवन के निष्कर्षों से निर्मित होता है। भारतीय समाज में लोकोक्तियों और मुहावरों के माध्यम से पारिवारिक सम्बन्धों, सामाजिक भूमिकाओं, नैतिक अनुशासन, श्रम की गरिमा, स्त्री–पुरुष सम्बन्धों, सामाजिक मर्यादा, सत्ता एवं प्रतिष्ठा जैसे विषयों पर समाज की सामूहिक दृष्टि स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त होती है। **जैसे– एक ही थाली के चट्टे–बट्टे, घर का भेदी लंका ढाए, जैसा देश वैसा वेष, जैसी करनी वैसी भरनी, मेहनत का फल मीठा होता है, एक गाड़ी के दो पहिए, नाक कट जाना तथा जिसकी लाठी उसकी भैंस।** ये लोक अभिव्यक्तियाँ यह दर्शाती हैं कि समाज व्यक्तियों से किस प्रकार के नैतिक आचरण की अपेक्षा करता है तथा कैसे समाज द्वारा स्वीकृत एवं अस्वीकृत मानदण्ड निर्मित होते हैं? इसके अतिरिक्त लोकोक्तियाँ और मुहावरे समाज में सामाजिक नियंत्रण और समाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परिवार, समुदाय और आस पास पड़ोस जैसे अनौपचारिक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जब बच्चों और युवाओं को इन लोक अभिव्यक्तियों से परिचित कराया जाता है तो वे अनजाने में ही सही समाज द्वारा स्वीकृत मूल्यों, मान्यताओं और आचार–नियमों को आत्मसात कर लेते हैं।

परन्तु आधुनिकता, वैश्वीकरण और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारतीय समाज तीव्र सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन से गुजर रहा है। ऐसे में यह प्रश्न अत्यन्त प्रासंगिक हो जाता है कि क्या पारम्परिक लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे आज भी सामाजिक जीवन में अपनी उपयोगिता एवं अर्थवत्ता बनाए हुए हैं। बढ़ते शहरीकरण और डिजिटल संचार के कारण भाषा के प्रयोग में परिवर्तन आया है। इस सन्दर्भ में ध्यान देने योग्य बात यह है कि पहली पीढ़ी के लोगों, जिनका समाजीकरण मुख्यतः संयुक्त परिवार, ग्रामीण परिवेश और मौखिक परम्पराओं से हुआ है, के लिए लोकोक्तियाँ एवं मुहावरें जीवन के अनुभवों से निकले व्यवहारिक सूत्र थे। इसके विपरीत, आज की युवा पीढ़ी का समाजीकरण मुख्यतः औपचारिक शिक्षा, डिजिटल मीडिया और वैश्विक सांस्कृतिक प्रभावों के माध्यम से हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप लोकोक्तियों और मुहावरों के अर्थ की गहनता को समझने और उनके प्रयोग में एक गहन अन्तर देखने को मिलता है।

प्रस्तुत शोध पत्र का मुख्य उद्देश्य भारतीय समाज में लोकोक्तियों एवं मुहावरों की प्रासंगिकता का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम इनके अवधारणात्मक पक्ष तथा निर्माण के कारणों का अध्ययन किया गया है। साथ ही, यह लेख इस बात पर प्रकाश डालता है कि किस प्रकार ये लोक भाषायी इकाइयाँ सामाजिक मूल्यों के संरक्षण, समाजीकरण की प्रक्रिया और सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखने में सहायक होती हैं। इस अध्ययन के माध्यम से समाज पर पड़ने वाले इनके व्यापक प्रभावों का आकलन करने का भी प्रयास किया गया है।

साहित्य समीक्षा–

1. **रामविलास मिश्र** ने अपनी पुस्तक **'भारतीय लोक संस्कृति (2006)'** में भारतीय समाज की लोक सांस्कृतिक परम्पराओं का गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया है। इनके अनुसार इसी लोक संस्कृति के अन्तर्गत लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे सामाजिक चेतना की सशक्त अभिव्यक्ति के रूप में उभरते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सामाजिक ज्ञान के हस्तांतरण में अहम् भूमिका निभाते हैं। लोकोक्तियाँ और मुहावरे लोक जीवन के अनुभवजन्य सत्य को संक्षिप्त, प्रभावी और प्रतीकात्मक भाषा में प्रस्तुत करते हैं।

2. **उपाध्याय, कृष्णदेव** ने अपनी पुस्तक **'लोकसाहित्य की भूमिका (1998)'** में लोकसाहित्य को समाज की सामूहिक चेतना एवं सांस्कृतिक स्मृति की सजीव अभिव्यक्ति के रूप में परिभाषित किया है। इनका मानना है

कि लोकसाहित्य जनमानस के दैनिक जीवन, सामाजिक सम्बन्धों, नैतिक मूल्यों और आदर्शों को सहज, सरल एवं प्रभावी भाषा में अभिव्यक्त करता है।

3. **हजारीप्रसाद द्विवेदी** ने अपनी पुस्तक '**लोकजीवन और साहित्यश (2001)**' में भारतीय लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य की व्यापक अवधारणा को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है, जिसमें लेखक ने लोकजीवन के अनुभवों, सामाजिक व्यवहारों और साहित्यिक परम्पराओं का विवरण लोक साहित्य के माध्यम से प्रस्तुत किया है। द्विवेदीजी के अनुसार लोकोक्तियाँ तथा मुहावरे लोकजीवन की वर्णनात्मक भाषा के रूप में उभरते हैं जिनका प्रयोग जन–मानस के लोक भाषा के रूप में किया जाता था।

4. **विनोद कुमार शर्मा** ने अपनी पुस्तक '**डिजिटल मीडिया और समाज (2018)**' में डिजिटल माध्यमों के उद्भव और विस्तार से उत्पन्न सामाजिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत भाषायी परिवर्तनों का विश्लेषण प्रस्तुत किया है। लेखक के अनुसार डिजिटल मीडिया ने न केवल सूचना के प्रसार की गति को तीव्र किया है, बल्कि भाषा, अभिव्यक्ति और सामाजिक संवाद के स्वरूप को भी गहराई से प्रभावित किया है।

5. **क्लाउड लेविस स्ट्रास** ने अपनी पुस्तक '**Structural Anthropology (1958)**' में लोक अभिव्यक्तियों को समझने का सशक्त सैद्धांतिक आधार प्रदान किया है। इस पुस्तक में लेविस स्ट्रास ने संस्कृति, भाषा, मिथक और प्रतीकों को मानव मस्तिष्क के गहन संरचनाओं की अभिव्यक्ति माना है। उन्होंने यह तर्क दिया है कि चाहे वह मिथक हो या संक्षिप्त लोकोक्तियां अपने वास्तविक अर्थ से अधिक अंतर्निहित सामाजिक ढांचों के माध्यम से अपना अर्थ उत्पन्न करते हैं। इसी दृष्टि से लोकोक्तियां और मुहावरे सामूहिक अनुभव का संक्षिप्त मात्रा नहीं बल्कि समाज में अंतर्निहित बौद्धिक ढांचे की प्रतीकात्मक अभिव्यक्तियां हैं

लोकोक्तियों एवं मुहावरों के अवधारणात्मक पक्ष– लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे किसी भी समाज की सामूहिक चेतना, अनुभव और सांस्कृतिक व्यवहार की संक्षिप्त एवं प्रभावशाली अभिव्यक्ति होते हैं। **अवधारणात्मक रूप से ये भाषा के ऐसे स्थायी रूप हैं, जो समाज के दीर्घकालीन अनुभवों से उत्पन्न होते हैं। समाज द्वारा बार–बार परखे गए व्यवहार, नैतिक मानदंड और जीवन दर्शन, लोकोक्तियों और मुहावरों के रूप में संक्षिप्त तौर पर समाहित रहते हैं।** इस प्रकार, ये न केवल भाषा की अभिव्यक्ति को सशक्त बनाते हैं, बल्कि सामाजिक संरचना, मूल्य व्यवस्था और सांस्कृतिक निरंतरता को भी बनाए रखते हैं। भारतीय समाज में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे सामाजिक व्यवस्था को समझने में मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। लोकोक्तियाँ सामान्यतः उपदेश परक स्वर लिए होती हैं और जीवन के व्यवहारिक पक्ष को उजागर करती हैं। जैसे– *जैसा करोगे वैसा भरोगे* (यह लोकोक्ति प्रत्यक्ष रूप से कर्म और उसके द्वारा प्राप्त परिणाम का उपदेश देती है तथा व्यक्ति को अपने व्यवहार के प्रति सजग रहने की सीख देती है।) *परिश्रम का फल मीठा होता है* (यह लोकोक्ति जीवन में मेहनत, धैर्य और निरंतर प्रयास के महत्व को प्रत्यक्ष रूप से रेखांकित करती है।)

जबकि मुहावरे प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक भाषा के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को अभिव्यक्त करते हैं। **जैसे दाल में काला होना, घर की मुर्गी दाल बराबर, ऊँट के मुँह में जीरा तथा नाक कट जाना इत्यादि।** इन मुहावरों के माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न यथार्थ प्रतीकात्मक ढंग से अभिव्यक्त होते हैं। दाल में काला होना समाज में निहित छिपे हुए दोष और अनैतिक व्यवहार की ओर संकेत करता है । जबकि ष्घर की मुर्गी दाल बराबर निकटस्थ व्यक्ति या वस्तु के मूल्यांकन में होने वाली उपेक्षा को उजागर करता है। इसी सन्दर्भ में ऊँट के मुँह में जीरा संसाधनों की कमी और आवश्यकता–उपलब्धता के असंतुलन को दर्शाता है तथा नाक कट जाना सामाजिक प्रतिष्ठा, मान–सम्मान और सामाजिक दबाव के यथार्थ को रूपकात्मक भाषा में अभिव्यक्त करता है।

लोकोक्तियों एवं मुहावरों के निर्माण के कारण – भारतीय समाज की सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना अत्यन्त प्राचीन, अनुभवों से भरपूर और विविधतापूर्ण रही है। यहाँ जीवन के रोजमर्रा क्रियाविधियों से प्राप्त ज्ञान, व्यावहारिक बोध और सामाजिक मूल्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाने के लिए लोकोक्तियाँ और मुहावरे एक प्रभावी साधन के रूप में विकसित हुए हैं। इन लोकोक्तियों एवं मुहावरे के निर्माण के निम्नलिखित कारण इस प्रकार रहे होंगे –

1. **सामूहिक सामाजिक अनुभवों का संक्षेपण**– भारतीय समाज में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे सामूहिक सामाजिक अनुभवों का संक्षिप्त और सारगर्भित रूप प्रस्तुत करते हैं। समाज में लम्बे समय से घटित घटनाएँ, व्यावहारिक स्थितियाँ और जीवन संघर्ष बार–बार दोहराए जाते हैं, जिनसे कुछ स्थायी सत्य उभरकर सामने आते हैं। इन्ही अनुभवसिद्ध यथार्थों को समाज छोटे, प्रभावी और स्मरणीय कथनों के रूप में संकलित करता है, जिन्हें हम लोकोक्तियाँ और मुहावरे कहते हैं। ये कथन समाज के सामान्य जन द्वारा अनुभूत किए गए अनुभवों का निचोड़ होते हैं। **जैसे** कि *अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना* (अपना नुकसान स्वयं से करना।) यह दर्शाता है कि, कम ज्ञान, उतावलेपन या दूरदर्शिता के अभाव में व्यक्ति ऐसे निर्णय ले लेता है, कि जो अन्ततः उसी के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। *आँखें चुराना* (नजर से बचना।) सामाजिक जीवन में यह बार–बार अनुभव किया गया है कि व्यक्ति अपराध करने के पश्चात्, लज्जा, भय या उत्तरदायित्व से बचने की प्रवृत्ति के कारण प्रत्यक्ष सामना करने से बचता है।

2. **मौखिक परम्परा की सशक्त भूमिका**– लिखित ज्ञान के सीमित प्रसार के कारण भारतीय समाज में लम्बे समय तक मौखिक परम्परा का प्रभुत्व बना रहा। शिक्षा और लेखन की सुविधा कुछ वर्गों तक सीमित थी, जबकि समाज का अधिकांश भाग निरक्षर या अल्पाशिक्षित था। ऐसी स्थिति में सामाजिक ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव, नैतिक मूल्य और जीवन के उपयोगी शिक्षाओं को सुरक्षित रखने तथा आगे की पीढ़ियों तक पहुँचाने के लिए ऐसे माध्यमों की आवश्यकता पड़ी, जो सरल, प्रभावी और स्मरणीय हों। इन्ही आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोकोक्तियाँ एवं मुहावरें विकसित हुए।

3. **सामाजिक मूल्यों और नैतिक शिक्षा का संरक्षण** – भारतीय समाज के सामाजिक मूल्य सत्य, धर्म, कर्तव्य, संयम और परिश्रम समाज के नैतिक आधारशिला रहे हैं। इन मूल्यों को समाज में केवल नियमों या लिखित उपदेशों के माध्यम से स्थापित करना सम्भव नही था क्योंकि समाज का एक बड़ा भाग औपचारिक शिक्षा से वंचित रहा। ऐसी स्थिति में जनमानस के बीच इन मूल्यों के प्रसार हेतु समाज ने व्यवहारिक और प्रभावशाली कथनों का निर्माण किया, जो व्यक्ति के सामाजिक ज्ञान को प्रत्यक्षतः प्रभावित कर सके। इन्ही आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप लोकोक्तियों और मुहावरों का विकास किया गया। **उदाहरण– शील ही शील का भूषण है।** यह लोकोक्ति यह सिद्ध करती है कि वाह्य आडम्बर या भौतिक सम्पन्नता से अधिक महत्व आन्तरिक संयम और सदाचार का है तथा *कर्म प्रधान विश्व करि राखा* यह लोकोक्ति कर्म–सिद्धान्त पर आधारित सामाजिक अनुभव को अभिव्यक्त करती है। समाज द्वारा घटित दीर्घकालिक घटनाओं के द्वारा यह कहा गया कि व्यक्ति का स्थान, सम्मान और भविष्य उसके कर्मों से निर्धारित होता है, न कि केवल जन्म या पद से। यह परिश्रम और उत्तरदायित्व के मूल्य को संरक्षित करती है।

4. **सामाजिक व्यवहार के नियमन की आवश्यकता** – भारतीय समाज में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे सामाजिक व्यवहार के नियमन का एक प्रभावी अनौपचारिक साधन रहे हैं। औपचारिक कानूनों और दंड व्यवस्था के सीमित प्रभाव के कारण समाज ने ऐसे कथनों का विकास किया, जो व्यक्ति को उचित–अनुचित व्यवहार का बोध कराते हैं। लोकोक्तियाँ व्यवहारिक चेतावनी और नैतिक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करती हैं, जिससे सामाजिक नैतिकता और अनुशासन बना रहता है। **जैसे**– *जितनी चादर हो उतना ही पैर पसारना चाहिए*

अर्थात् व्यक्ति को अपने सामाजिक–आर्थिक यथार्थ के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। यह लोकोक्ति किसी भी कार्य के प्रति लकीर का फकीर बनना या अंधानुकरण की चेतावनी देता है।

लोकोक्तियों और मुहावरों का सामाजिक प्रभाव – लोकोक्तियाँ और मुहावरें समाज के सामूहिक अनुभवों, व्यवहारिक ज्ञान और नैतिक चेतना के सघन भाषिक रूप हैं। ये न केवल भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं, बल्कि सामाजिक जीवन के विभिन्न आयामों को दिशा भी प्रदान करते हैं। इनके माध्यम से समाज अपने लम्बे समय के अनुभवों को संक्षिप्त, प्रतीकात्मक और स्मरणीय रूप में संरक्षित रखता है, जिससे सामाजिक मूल्यों और व्यवहारिक मानकों का निरंतर आदान–प्रदान सम्भव हो सके। इस दृष्टि से लोकोक्तियों और मुहावरों का सामाजिक प्रभाव निम्नांकित है।

(i) **सामाजिक यथार्थ की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के रूप में** – लोकोक्तियाँ और मुहावरें सामाजिक यथार्थ को प्रत्यक्ष रूप में न व्यक्त कर प्रतीकात्मक और रचनात्मक भाषा में अभिव्यक्त करते हैं। इनके माध्यम से समाज अपने भीतर विद्यमान सत्य, विसंगति, नैतिक द्वंद तथा संघर्ष जैसे यथार्थ को संक्षेप और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। **जैसे** *मुँह में राम, बगल में छुरी, ऊपर से चिकना, भीतर से खोखला, दो नावों में पैर रखना तथा अंधों में काना राजा।* ये सभी लोकोक्तियाँ और मुहावरे क्रमशः समाज में प्रचलित मान्यताएँ सामाजिक पाखंड और दोहरा आचरण, बाह्य आडम्बर और आन्तरिक शून्यता, अवसरवादिता और मूल्यहीन व्यवहार तथा असमानता व सीमित विकल्प सम्बन्धी सामाजिक वास्तविकता को उजागर करते है तथा समाज की आत्मालोचनात्मक चेतना को सुदृढ़ करते हैं।

(ii) **सामूहिकिता की भावना के रूप में** – लोकोक्तियाँ और मुहावरे समाज में सामूहिकिता की भावना को विकसित और सशक्त करने का कार्य करते हैं। ये कथन साझा अनुभवों, समान सांस्कृतिक मूल्यों और सामूहिक विचारधाराओं पर आधारित होते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति स्वयं को समाज और समुदाय से जुड़ा हुआ अनुभव करता है। **जैसे** *एक और एक ग्यारह होते हैं, एक थाली के चट्टे–बट्टे होना, साथ बैठकर, गाँठ खोलना, साझे चूल्हे की आंच तथा सिर से सिर जोड़कर खड़ा होना, श्हमश की रस्सी में बंधना* आदि। इन मुहावरों और लोकोक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा सकता है कि सामूहिकता भारतीय समाज में केवल सामाजिक व्यवहार नहीं, बल्कि भाषाई संरचना के आधार पर अंतर्निहित एक सुदृढ़ सामाजिक सिद्धांत है।

(iii) **निर्णय लेने की क्षमता को प्रोत्साहन –** भारतीय सामाजिक संरचना में लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे लोकजीवन के अनुभवजन्य ज्ञान से आविर्भूत ऐसी अभिव्यक्तियाँ हैं, जो सामाजिक निर्णय और व्यावहारिक विवेक को दिशा प्रदान करती हैं। संक्षिप्त और अनुभवसिद्ध कथनों के माध्यम से ये जीवन की जटिल परिस्थितियों में उचित–अनुचित, लाभ–हानि, अच्छा–बुरा तथा अवसर–जोखिम का त्वरित मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं। उदाहरण स्वरूप कच्चे घड़े पर हाथ रखनाश यह मुहावरा नाजुक परिस्थितियों में अत्यधिक सतर्क और नियंत्रित निर्णय लेने की आवश्यकता को दर्शाता है। *आग में कूद पड़ना,* यह व्यक्ति को अविवेकपूर्ण निर्णय तथा आवेगपूर्ण व्यवहार के नकारात्मक परिणामों की ओर संकेत करता है। इस प्रकार लोकोक्तियाँ और मुहावरे समाज में संचित सामूहिक अनुभवों के आधार पर जनमानस की निर्णय क्षमता को परिपक्व, विवेकशील और सामाजिक रूप से उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(iv) **सामाजिक नियन्त्रण के रूप में** – लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे भारतीय समाज में सामाजिक नियन्त्रण के अप्रत्यक्ष किन्तु प्रभावी साधन के रूप में कार्य करते हैं। ये कथन औपचारिक दण्ड या विधिक व्यवस्था के बिना ही सामाजिक रूप से स्वीकृत आचरण की सीमाएँ निर्धारित करते हैं और व्यक्ति को अनुकूल व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। **जैसे**– *चुल्लू भर पानी में डूब मरना,* व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे आचरण व व्यवहार की ओर संकेत करता है, जिसे समाज नैतिक, सामाजिक या व्यवहारिक दृष्टि से अत्यन्त निन्दनीय

मानता है। यह व्यक्ति को अस्वीकृत कार्य को पुनः न करने की चेतावनी देता है। यह मुहावरा औपचारिक दण्ड के स्थान पर लज्जा, अपमान और सामाजिक आत्मग्लानि के माध्यम से सामाजिक नियन्त्रण स्थापित करता है।

इसके अलावा *नाक कट जाना, मुँह छिपाने लायक न रहना, मुँह काला होना, घर की इज्जत मिट्टी में मिलना* आदि। इन मुहावरों के माध्यम से समाज यह सन्देश देता है कि व्यक्ति का अस्वीकार्य व्यवहार केवल उसे ही नहीं, बल्कि उसके परिवार और सामाजिक इकाई को भी प्रभावित करता है। इस प्रकार ये भाषिक इकाई के रूप में सामाजिक भय, मान–मर्यादा और प्रतिष्ठा की भावना उत्पन्न कर व्यक्ति को नियन्त्रित करते हैं तथा सामाजिक व्यवस्था की निरन्तरता बनाए रखने में सहायक होते हैं।

लोकोक्तियों और मुहावरों के स्वरूप में परिवर्तन– समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाये तो वर्तमान वैश्वीकरण और आधुनिकता ने भाषाई बोध में एक स्पष्ट रिक्ति पैदा की है। पारम्परिक लोकोक्तियाँ और मुहावरें जो कभी **'अनुभवों की पाठशाला'** थे, आज बढ़ते शहरीकरण और डिजिटल तकनीकी के कारण **'अनुभावात्मक शून्यता'** के शिकार हैं। आज इस दौर में, जहाँ ग्रामीण परिवेश से कटी डिजिटल नेटिव युवा पीढ़ी के लिए *अधजल गगरी छलकत जाए, मुख में राम बगल में छुरी तथा मन न भाए, मुड़ी हिलाए* जैसी लोकोक्तियाँ और मुहावरे, जो कभी सामाजिक व्यवहार और नैतिकता के जीवंत मानदंड हुआ करते थे, अब लोगों के लिए मात्र भाषाई औपचारिकता बन कर रह गए हैं। साथ ही, संयुक्त परिवारों के बिखराव और बढ़ते व्यक्तिवाद ने उस सामूहिक शिक्षण की प्रक्रिया को बाधित किया है, जिसके माध्यम से बुजुर्ग पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को नैतिक और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था।

दूसरी ओर, अंग्रेजी शिक्षा और वैश्विक संस्कृति के प्रसार ने **भाषाई संकरण** को जन्म दिया है, जिससे *आस्तीन का साँप* **जैसे** गहरे मुहावरों का स्थान 'Backstabber' जैसे अंग्रेजी शब्दों ने ले लिया है। आज सोशल मीडिया के इस दौर में प्रचलित **मीम संस्कृति** द्वारा लोकोक्तियों और मुहावरों में निहित ज्ञान को प्रतीकात्मक एवं व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वर्तमान समय में लोकोक्तियों और मुहावरों की प्रासंगिकता केवल भाषाई आभूषण के रूप में सीमित होकर रह गई है। यद्यपि वैश्वीकरण और डिजिटल क्रान्ति ने इनके पारंपरिक प्रयोग के दायरे को सीमित किया है, जहाँ पूर्व में ये मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ प्रत्यक्ष मानवीय अनुभवों और ग्रामीण जीवन की सादगी से जुड़े थे, वहीं अब इनका स्वरूप डिजिटल नेटिव पीढ़ी की आवश्यकताओं के अनुरूप बदल रहा है। आज मुहावरे अपनी पुरानी केंचुली त्यागकर सोशल मीडिया, विज्ञापनों और आधुनिक विमर्श के अनुरूप स्वयं को ढाल रहे हैं, जो उनके स्वरूप के लचीलेपन का प्रमाण है।

निष्कर्ष – उपर्युक्त विश्लेषण एवं विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः यह स्पष्ट होता है कि भारतीय समाज में लोकोक्तियाँ और मुहावरे केवल भाषाई आभूषण मात्र नहीं हैं, बल्कि ये सामाजिक अनुभवों, मूल्यों और लोक–चेतना के जीवंत दस्तावेज हैं। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से, इनका निर्माण विशिष्ट ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक परिस्थितियों के प्रतिफल स्वरूप हुआ है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित ज्ञान को हस्तांतरित करने का सशक्त माध्यम रहे हैं। समाज पर इनके व्यापक प्रभाव का विश्लेषण करने पर यह पाया गया है कि ये न केवल संचार को प्रभावशाली बनाते हैं, बल्कि निर्णय क्षमता को मजबूत करने, आपसी परस्परता की भावना जागृत करने, सामाजिक यथार्थ तथा सामाजिक नियन्त्रण के एक अनौपचारिक साधन के रूप में भी कार्य करते हैं। परन्तु बढ़ते आधुनिकीकरण, अंग्रेजी शिक्षा एवं डिजिटल मीडिया के बढ़ते प्रभाव के कारण इनके वास्तविक स्वरूप में आमूल–चूल परिवर्तन हुए हैं। आज ये पारंपरिक भाषाई सूत्र डिजिटल संस्कृति और वैश्विक विमर्श के आधार पर ढलकर अपनी उपयोगिता को पुनः स्थापित कर रहे हैं। अतः अपनी सांस्कृ

तिक जड़ों और आधुनिक अभिव्यक्तियों के बीच एक सेतु के रूप में इनकी प्रासंगिकता आज भी अक्षुण्ण बनी हुई है।

सन्दर्भ –

1. मिश्र, रामविलास, (2006). 'भारतीय लोक संस्कृति', नई दिल्ली, नमन प्रकाशन, पृ. सं. – 84–87
2. उपाध्याय, कृष्णदेव, (1998). 'लोक साहित्य की भूमिका', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं. –22–26
3. द्विवेदी, हजारी प्रसाद, (2001). लोक जीवन और साहित्य',राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं.– 42–48
4. शर्मा, विनोद कुमार, (2018). 'डिजिटल मीडिया और समाज', सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.सं.– 110–114
5- Levi & Strauss C (1963)- 'Structural Anthropology Basic Book' New York pp : 201&214
6. मिश्र, विद्यानिवास, (2008). 'भारतीय लोकजीवन', लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ.सं.–94–110
7. पाण्डेय, रामनरेश, (2014). 'लोककथाएँ और लोकोक्तियाँ', उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान, लखनऊ, पृ.सं. –45–60
8. ओझा, सत्यदेव, (2018). 'भारतीय लोक संस्कृति और परम्परा', राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या–112–125
9. कश्यप, अर्जुन, (2015). 'लोक साहित्य के समाजशास्त्रीय आयाम'
10. गुप्ता, मोतीलाल, (2020). 'हिन्दी मुहावरा और लोकोक्ति कोश एक सांस्कृतिक अध्ययन', प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, पृ. सं. –12–40
11. चतुर्वेदी, रामस्वरूप, (2012). 'भारतीय समाज और संस्कृति', लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृ. सं. 210–230 दृ
12. दास, श्यामसुन्दर, (2016). 'लोक अभिव्यक्ति के विविध रूप', ग्रन्थम प्रकाशन, कानपुर, पृ.सं.– 162–175
13. मिश्र, कृष्णदेव, (2011). 'मुहावरे और लोकोक्तियाँ' – समाजशास्त्रीय विश्लेषण, सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. सं. – 30–42
14. श्रीवास्तव, मीनाक्षी, (2021). 'सामाजिक विमर्श और लोक साहित्य', अनामिका पब्लिशर्स, नई दिल्ली, पृ.सं.– 90–105
15. शर्मा, रामविलास, (2017). 'लोक संस्कृति और भारतीय जनमानस', तक्षशिला प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ. सं.–80–92 .

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव : अवसर एवं चुनौतियां
(एक समाजशास्त्रीय अवलोकन)

ज्योत्स्ना कन्नौजिया
पी–एच0डी0 शोधार्थी (समाजशास्त्र)
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी।

सारांश

सोशल मीडिया ने हमारे समाज और जीवन शैली में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है। आज के समय में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यह एक ऐसा ऑनलाइन मंच है, जहाँ लोग अपने विचार, भावनाएं और जानकारी साझा कर सकते है, हालांकि सोशल मीडिया के उपयोग के साथ–साथ इसके अनेक प्रभाव भी हैं जो युवा पीढ़ी के जीवन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में प्रभावित कर सकते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि आज युवाओं के जीवन पर सोशल मीडिया का व्यापक प्रभाव दुधारी तलवार की तरह है। एक ओर तो यह विकास और सशक्तिकरण के अवसर प्रदान करता है तो इसलिए दूसरी तरफ उनकी सोच, व्यवहार और जिंदगी के कई पहलुओं को नकारात्मक ढ़ग से भी प्रभावित कर रहा है। यह शोध पत्र युवाओं के संदर्भ में सोशल मीडिया की जटिल गतिशीलता पर प्रकाश डालने का एक प्रयास है। इस शोध पत्र का उद्देश्य युवाओं के समक्ष सोशल मीडिया के द्वारा उभरते नवीन अवसरों एवं नवाचारों पर चर्चा करना है तथा सोशल मीडिया के नकारात्मक पहलुओं का भी आवश्यक रूप वर्णन करना है। वही इस पत्र के लेखन में द्वितीयक स्त्रोतों का प्रयोग किया गया है।

बीज शब्द– सोशल मीडिया, युवा, इंटरनेट, तकनीकी, सोशल नेटवर्किंग।

प्रस्तावना–

समकालीन समाज की मुख्य विशेषता इंटरनेट का व्यापक उपयोग है। आज सभी आयु वर्ग और तबके के लोगो के पास इंटरनेट की पहुंच है जो एक तरफ उन्हें जानकारी प्रदान करता है तो दूसरी तरफ उन्हें समाज के सामाजिक ताने–बाने को प्रभावित करने वाले साइबर आपराधिक गतिविधियों की पहुंच को आसान बनाता है। आज हम एक ऐसे युग में रहते हैं जहां सूचना केवल एक बटन दबाने की दूरी पर होती है। सोशल मीडिया ही सूचना का प्रचार प्रसार करने में सबसे महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है, जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते हैं सोशल मीडिया व्यक्तियों के जीवन में एक बडी भूमिका निभा रहा है इसके माध्यम से हम किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तथा विश्व के किसी भी कोने में बसे अपने प्रियजनों से बात कर सकते है। आज सोशल मीडिया के बिना जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे **फेसबुक, ट्वीटर, इंस्टाग्राम, यूटयूब व्हाट्सएप, टिकटॉक** आदि प्रमुख है जो विभिन्न वेबसाइटों का संग्रह है जो हमें डेटा शेयर करने या बनाने में सक्षम बनाता है और सामाजिक

नेटवर्किंग में भागीदारी भी सुनिश्चित करता है। सोशल मीडिया केवल ब्लॉगिंग या तस्वीरें साझा करने तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि इससे हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। सोशल मीडिया रोजगार के प्रचार एवं शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बडी भूमिका का निर्वहन कर रही है ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया के बिना जीवन की कल्पना आसान नहीं है। कई लोग सोशल मीडिया को वरदान के रूप में मानते हैं तो बहुत से लोग इसे अभिशाप मानते हैं इस सोशल मीडिया ने मानवीय संर्पक को तेजी से नष्ट किया हैं तो दुसरी तरफ दुनिया के प्रत्येक हिस्से से जोड़ने का कार्य करती है।

सोशल मीडिया संचार का एक इंटरनेट आधारित रूप है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूजर्स को वार्तालाप करने दूसरों के साथ जोड़ने जानकारी साझा करने और वेब सामग्री टेक्स्ट मैसेज वीडियो तस्वीर बनाने में मदद करता है **उदाहरण** के लिए **फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिव्टर** और **टिकटॉक** जैसे लोकप्रिय प्लेटफॉर्म शामिल है सोशल मीडिया के अनेक रूप है जिनमें **ब्लॉग, माइक्रो ब्लॉग, विकी, सोशल नेटवर्किंग साइट, फोटो शेयरिंग साइट,**
स्टैंड मैसेजिंग, वीडियो शेयरिग साइट, पॉडकास्ट, वर्चुअल वर्ल्ड आदि अन्य सम्मिलित है। 20वीं शताब्दी में कम्प्यूटर एव इंटरनेट के प्रसारित होने से मीडिया अधिक प्रभावी हो गया सोशल मीडिया का प्रारम्भ– अमेरिका के मशहूर कारोबारी Andrew Weinreich ने वर्ष 1997 में दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफार्म लॉन्च किया जिसका नाम **सिक्स डिग्रीस** था उस समय ऐसी कोई भी प्लेटफॉर्म की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी परंतु Andrew Weinreich बहुत ही दूरदर्शी थे, और वर्ष 2001 तक सिक्स डिग्रीस था। उस समय ऐसे किसी भी प्लेटफार्म की आवश्यकता महसूस नहीं की गई थी परन्तु Andrew Weinreich बहुत दूरदर्शी थे, और वर्ष 2001 तक सिक्स डिग्रीस प्लेटफॉर्म के 10 लाख यूजर्स हो गए थे जैसे–जैसे इंटरनेट का विस्तार फैलता गया ठीक वैसे–वैसे सोशल मीडिया की ताकत बढ़ती चली गयी और वर्ष 2000 के दशक की शुरूआत में सोशल मीडिया अत्यधिक लोकप्रिय हो गया जिसमें फ्रेंडस्टर, माइस्पेस लिंकडिन एंव नेक्सोपिया जैसे साइट विकसित हुए और 21वीं सदी में दुनिया में सोशल मीडिया की क्रांति ने न केवल पूरी दुनिया को बदला बल्कि लोगों के सच में भी बहुत बड़ा परिवर्तन किया साथ ही इससे दुनिया को यह पता चला की कैसे इंटरनेट 21वीं सदी का नया ईंधन बन सकता है और यह सोशल मीडिया के जरिए लोगों को कैसे स्वतंत्र कर सकता है।

- **फेसबुक** – फेसबुक दुनिया के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्म में से एक है। यह एक सोशल नेटवर्किग साइट है जिसके द्वारा इसके सदस्य अपने परिचितों वर्तमान में के साथ संपर्क रखते ह। वर्तमान में यह मेटा प्लेटफार्म नामक निजी कंपनी द्वारा संचालित हैं । इसका आरम्भ 2004 में हावर्ड के एक विद्यार्थी मार्क जुकरबर्ग ने की थी । वर्तमान में यह दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्लेटफार्म बन गया हैं ।
- **व्हाट्स–एप–** व्हाट्स–एप एक फ्री ऐप है जो कि दुनिया भर के मोबाइल में आसानी से उपलब्ध है इससे यूजर मैसेज, फोटो, वीडियों, डाक्यूमेंट लिंक और लोकेशन शेयर कर सकते हैं साथ ही वॉइस कॉल, वीडियों, कॉल आदि भी कर सकते है । जॉन क्वाम और ब्रायन एक्टन ने फरवरी 24, 2009 को व्हाट्स–एप को स्थापित किया ।
- **इंस्टाग्राम–** इंस्टाग्राम एक ऑनलाइन फोटो शेयरिग एप्लीकेशन और सोशल नेटवक प्लेटफार्म है । इसकी शुरूआत 6 अक्टूबर 2010 में केविन सिस्ट्रॉम और माइक क्रीगर द्वारा किया गया था। वर्तमान में यह सबसे अधिक लोकप्रिय प्लेटफार्म बन गया हैं ।

- **यू–ट्युब –** यह निःशुल्क वीडियों शेयरिग वेबसाइट है, जो ऑनलाइन वीडियो इत्यादि को देखना आसान बनाता है। इस पर दूसरों के साथ वीडियों शेयर कर सकते है और स्वयं के वीडियों बनाकर अपलोड भी कर सकते हैं । यू–ट्यूब की स्थापना 2005 में स्टीव चैन और जावेद करीम द्वारा की गई थी ।
- **ट्विट्र–** यह मार्च 21, 2006 में जैक डोरसी, नूह ग्लास, विजस्टोन और इवान विलियम्स सहित संस्थापको के एक समूह द्वारा स्थापित किया गया था। यह ऑनलाइन सोशल मीडिया और सोशल नेटवर्किग सेवा हैं। इसमें पंजीकृत उपयोगकर्ता टेक्स्ट, चित्र और वीडियो पोस्ट कर सकते है ।
- **टिकटॉक –** टिकटॉक एक लघु लिप–सिंक कामेडी और प्रतिभा वीडियो बनाकर साझा करने के लिए एक एंड्राइड सोशल मीडिया ऐप है । यह प्लेटफार्म सितम्बर 2016 से अस्तित्व में आया परन्तु 2018 में इसकी लोकप्रियता सबसे ज्यादा हो गयी थी ।
- **रील्स/शार्ट वीडियो–**रील्स/शार्ट वीडियो दोनों ही कम समय (15–60 सेकेण्ड) के छोटे वीडियो होते है। यह भारत में जुलाई 2020 में लान्च की गई थी। टिकटॉक पर प्रतिबन्ध के बाद यह प्लेटफार्म काफी तेजी से लोकप्रियता हासिल की है।
- **युवा**
- युवा शब्द की उत्पति अंग्रेजी शब्द जियोंग (Geong) जिसका अर्थ युवा, युवक आदि है और संस्कृत शब्द 'यूवान' से जिसका अर्थ युवा या युवाओं को अलग–अलग परिभाषा द्वारा परिभाषित किया गया है जैसे –
- **ऑक्सफोर्ड अंग्रेजी डिक्शनरी** में युवाओं को कम आयु का होना जीवन के शुरूआती हिस्सें विशेष रूप से किशोरावस्था के रूप परिभाषित किया गया हैं ।
- **विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार–** 15–24 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति युवा के रूप में चिन्हित, वहीं भारत की राष्ट्रिय युवा नीति 2014, युवा आबादी को 15–19 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्तियों के तौर पर परिभाषित करती है ।
- युवा का अर्थ हैं ''युथ'' या ''जवानी'' इसे आमतौर पर 15 से 35 वर्ष की उम्र के बीच के लोग को सन्दर्भित किया जाता है। युवा (युवक) शब्द को व्याख्या को लेकर कोई विस्तृत अर्थ नहीं मिलता है, किन्तु अपने शब्दो में या यूँ कहा जा सकता है कि युवावस्था विकास क्रम में आने वाली वह अवस्था हैं जिसमें प्रवेश होने पर बालक न तो बालक ही रहता है और नहीं प्रौढ़ रहता हैं। युवावस्था में लोगो में शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है और वे समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्योकि वे हमेशा नए विचारो, तकनीको और समाधानों को लेकर आते है। इस अवस्था में युवकों के भीतर शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और समाजिक आदि अनेको परिर्वतन होते हैं। युवा के जीवन का कल्पनाशील पक्ष बहुत ही रंगीन होता हैं । कल्पना के द्वारा ही युवा अपने देश और काल के अनेक अवरोधो को पार कर, अपनी परि–सीमाओं को लांघकर विस्तृत रूप से अपनी पहुँच के दायरे को बढ़ा लेता हैं युवा अपने वास्तविक जीवन में भले ही निराशपुर्ण हो, परन्तु कल्पना के माध्यम से चमक–दमक को जिन्दगी व्यतीत करना चाहता हैं। ये वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा सपने देखता है और उन सपनों को पुरा करने में अपनी पुरी क्षमता लगा देता है। चुँकि आज का युग सूचना तकनीकी का युग है। आज के युवा का जनसंचार माध्यमों के विकास और रोजगार के लिए दूर देशो तक पहुँचना, सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल इत्यादि विशेषताऐं प्रतिस्पर्धी युवाओ की पहचान बन चुकी हैं

। इंटरनेट की दुनिया में सोशल मीडिया एक आधुनिक तकनीकी माध्यम है। जिसके माध्यम से युवा अपने विचारो, ज्ञान और अनुभवों को साझा (शेयर) करते हैं। यह युवाओं के लिए एक महत्वपुर्ण संचार साधन बन गया हैं, लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी हैं। सोशल मीडिया का अत्यधिक समय बिताना, असमाजिकता और मानसिक समस्याएं आदि हैं ।

- **सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव**

- मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है इसीलिए समाज में रहकर मनुष्य के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह संप्रेषण को बेहतर बनाएं। सोशल मीडिया न केवल संप्रेषण का वह माध्यम है बल्कि अभी तो यह मनुष्य के सर्वांगीण विकास, उसकी रचनात्मकता कौशलता मौलिक अभिव्यक्ति भागीदारी व्यक्तित्व विकास एंव अंर्तव्यक्तित्व संबंधो के साथ–साथ देश दुनिया की जानकारी का सशक्त माध्यम भी है साथ ही संविधान के अनुच्छेद 19 ए के तहत मिलने वाले अभिव्यक्ति की आजादी का माध्यम भी है यदि हम कोविड–19 की महामारी के दौरान देखे तो जब संपूर्ण संसार कोरोना महामारी खेत त्रासदी में था तो वह सोशल मीडिया ही वह माध्यम था जो आइसोलेशन में रह रहे व्यक्ति और हमारे लिए अवसाद भरे घड़ी में भी हमारे भी एक प्रेरणा का कार्य कर रहा था। सोशल मीडिया मनोरंजन के साथ–साथ युवाओं के सहयोग एंव भागीदारी का भी एक माध्यम है जैसे की शॉर्टकट में प्रसिद्ध पानी हो या राजनीतिक में सकरी भागीदारी व्यवसाय के विस्तार से लेकर विज्ञापनों के प्रचार तक मोदी जी के मन की बात से लेकर संदीप माहेश्वरी की मोटिवेशनल वीडियो तक निर्भया के जस्टिस मांग हो या रानू मंडल के रेलवे स्टेशन से लेकर बॉलीवुड तक की यात्रा आदि सभी सोशल मीडिया के जरिए ही संभव हो पाया है। आज एक छोटे से गांव में बैठा विद्यार्थी भी दिल्ली या लखनऊ में चल रही है, ऑनलाइन क्लास की सुविधा अपने घर पर आसानी से ले सकता है। सोशल मीडिया ने लोगो को अपनी आवाज बुलंद करने का अवसर दिया है। महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को लेकर वर्ष 2017 में सोशल मीडिया पर एक # टैग कैंपेन हुआ था, जिसका नाम Me Too था यह सोशल मीडिया का ही ताकत था कि अक्टूबर 2018 तक सिर्फ ट्विटर पर ही दुनिया भर में # टैग Me Too पर लगभग एक करोड़ 19 लाख ट्विट हो चुके थे। जिस प्रकार प्रत्येक चींजो के दो पहलू होते है उसी प्रकार से सोशल मीडिया का सकारात्मक एंव नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ा है सोशल मीडिया के प्रचार प्रसार ने दिन प्रतिदिन व्यक्ति जीवन को मुख्य रूप से युवाओं को व्यापक रूप से प्रभावित किया हैं।

सोशल मीडिया का युवाओं पर सकारात्मक प्रभाव–

1. वर्तमान समय में सोशल मीडिया ने सूचनाओं की पहुंच को अत्यंत सरल एंव सुविधापूर्ण बना दिया है। युवा किसी भी प्रकार की घटना की जानकारी कुछ ही क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। यह युवा पीढ़ी को शीघ्रता और व्यापक रूप से जानकारी प्रदान करता है
2. सोशल मीडिया नेटवर्किंग ओर संपर्कता का एक अच्छा माध्यम है। यह युवाओं को सोशल मीडिया के अनेक प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम एंव व्हाट्सएप आदि से दुनिया भर के लोगो से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। कोविड–19 के व्यापक प्रभाव के दौर में सोशल मीडिया ने आइसोलेशन में रह रहे लोगों को आपस में जोड़े रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3. सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और लिंकडइन पर युवा अपने कौशल और प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर सकते है जो उनके करियर के लिए नये रास्ते खोल सकते है।

4. सोशल मीडिया ने शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार, वर्चुअल क्लासेस एवं विशेषज्ञों के व्याख्यान और टयूटोरियल्स के माध्यम से युवा नई चीजो को सीखते है और अपने ज्ञान में वृद्धि करते है।
5. सोशल मीडिया द्वारा युवा अपनी सामाजिक पहचान को बनाए रखने में हर संभव प्रयास करता है। युवा अपनी कुशलता एंव रूचि द्वारा अनेक क्षेत्रो में बेहतर प्रदर्शन करते है, जिससे समाज में उनकी अपनी एक अलग पहचान बनती है।
6. मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और शोधकर्ता सोशल मीडिया का उपयोग विशेषतः डाटा एकत्रित करने के लिए भी करते है इसके अतिरिक्त कई पेशेवर लोग भी ऑनलाइन समुदायो के भीतर परस्पर नेटवर्क स्थापित करते है, जिससे उनके ज्ञान और पहुंच में वृद्धि होती है।
7. सोशल मीडिया द्वारा युवा अपनी भावनाओं को एक–दूसरे के पक्ष या विपक्ष में व्यक्त कर सकते है। सोशल मीडिया युवाओं के आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ाने में भी मदद करता है।

सोशल मीडिया का युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव–

1. वयस्क सोशल मीडिया पर जब अधिक समय व्यतीत करते है तों उनमें अवसाद के लक्षण दिखने की संभावना अधिक रहती है जो युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।
2. वर्तमान समय में युवा सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग कर रहे है जिसके परिणाम स्वरूप युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है जैसे सोशल मीडिया फीड्स को स्क्रोल करते रहने की आदत से आंखों में थकावट जलन अनिंद्रा मोटापा, गर्दन और पीठ में दर्द आदि की समस्या उत्पन्न होने लगती है।
3. सोशल मीडिया पर फेक न्यूज का प्रचार–प्रसार अत्यधिक तेज होता जा रहा है फर्जी समाचार भ्रामक विज्ञापन आदि की जानकारी से युवाओं में गलत धारणाएं और अफवाहें फैलती है जिससे उनके वितीय और व्यक्तिगत निर्णयों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
4. सोशल मीडिया द्वारा व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से डाटा चोरी, हैकिंग, फिशिंग स्कैम्स और अन्य साइबर अपराध आदि के मामलें दिनो–दिन बढ़ते जा रहे हैं जो युवाओं की गोपनीयता एंव सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है।
5. सोशल मीडिया पर अत्यधिक समय बितानें से पढ़ाई, कामकाज और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। युवाओं में सोशल मीडिया की लत एक नशे की भांति है जिससे वह अपने जीवन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण गतिविधियों में समय नहीं दे पाते हैं।
6. सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से साइबर बुलिंग, आनलाइन फ्राड एवं डिजिटल अरेस्ट जैसी संवेदनशील समस्याओं से अब बहुत से परिवारों का उत्पीड़न भी प्रारम्भ हो गया है। युवकों एवं युक्तियों के अश्लील फोटो को प्रचारित एवं प्रसारित करके भी अनेक प्रकार से शोषण एवं उत्पीड़न अब बहुतायत होने लगे है।
7. सोशल मीडिया का अत्यधिक प्रयोग से वास्तविक जीवन के सभी सामाजिक संबंध कमजोर होते जा रहे है जिससे रिश्ते सतही होते जा रहे हैं।
8. सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं के साथ–साथ छोटे बच्चे पर भी दिखता है। ऑनलाइन गेम खेलना, चिंता, अवसाद, अकेलापन की भावना एवं अनेक शारीरिक तथा मानसिक समस्याऐं भी दृष्टिगोचर होने लगी है
9. सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से मानवीय मूल्यों का हनन भी होता जा रहा है।

10. **साहित्य सर्वेक्षण–**

11. पूर्व में हुए अनेकों अनुसंधान से पता चलता है कि सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव बहुत ही अधिक है। सोशल मीडिया का उपयोग युवाओं के मनोबल, आत्मविश्वास और समाजिक क्षमता पर प्रभाव डालता है। प्रस्तुत शोध पत्र के लेखन में कुछ साहित्यों का अध्ययन भी किया गया है।

12. **1–श्रीवास्तव, मुकुल एवं कुमार, सुरेंद्र** ने शोध पत्रिका मीडिया मीमांसा के जनवरी–मार्च 2017 में प्रकाशित अंक में अपने शोधपत्र 'सोशल मीडिया और युवा विकास' में वर्णित किया है कि सोशल मीडिया ने युवाओं के विकास हेतु एक नया और बेहतर मंच प्रदान किया हैं सोशल नेटवर्किंग साइट युवाओं के विकास के लिए जैसे स्वास्थ्य, शिक्षाए, कैरियर एवं योजनाओं की जानकारी के लिये बेहतर सुविधा प्रदान करता है।

13. **शोध पत्रिका–** ijrar January pushpendra 2019 volume 6 Issue 1 प्रस्तुत शोध पत्र में शोधार्थी ने अपने अध्ययन में पाया की यदि सोशल मीडिया का उपयोग सही दिशा में किया जाये तो युवाओं के कौशल विकास में सहायता मिलेगी उन्होंने अध्ययन के आंकड़ों में पाया कि सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या में महिलाओं की तुलना में पुरूषों की संख्या कम थी।

14. **3–नरूका, सतोंष एवं शर्मा विजय लक्ष्मी,** (2018) ने अपने शोध पत्र, 'सोशल मीडिया का यूवाओ पर पभाव' मे लिखा है, कि सोशल मीडिया ने हमारे देश की युवाओं की पूरे जीवन शैली को ही प्रभावित कर दिया हैं, जिसमें रहन–सहन, खान पान, वेशभूषा, रीति–रिवाज, नैतिक मूल्यों का हनन, आपसी रिश्तों नातों में बढ़ती ही दूरियाँ, परिवारों में बिखराव इसके दुखदायी परिणाम है। अगर युवा चाहे तो सोशल मीडिया द्वारा स्वयं को एक अच्छा व्यक्ति बना सकता है और सोशल मीडिया को एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में तैयार कर सकता है।

15. **4–मीणा, राम कल्याण** (2023) ने अपने शोध पत्र, 'सोशल मीडिया का युवाओं पर प्रभाव' में वर्णित किया है, कि सोशल मीडिया ने आज का दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदल दिया है चाहे वह संसार के मामले में हो या सामाजिक संर्पक के मामले में हो सोशल मीडिया ने युवा पीढ़ी को सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों ही दृष्टि से प्रभावित किया हैं।

16. **5–कन्नौजिया, सुनिता** (2019) 'सोशल साईटस का युवाओं पर प्रभाव' (एक सामाजशास्त्रीय अध्ययन), अप्रकाशित लेख शोधगंगा द्वारा अपने अध्ययन में पाया हैं कि सोशल साईट्स ने युवाओ के सामान्य जीवन अति महत्वपूर्ण अंग बन चुका है जिसके उचित और नैतिक प्रयोग से उनका व्यक्तिगत विकास और भी तीव्रगति से हो सकता हैं।

17. **भारत में सोशल मीडिया के अनुसार सक्रिय उपयोगकर्ता–** भारत दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जिसमें युवा आबादी की जनसंख्या करीब 48 करोड़ है। यानि कुल जनसंख्या का करीब 35 प्रतिशत लोग युवा है। एमओएसपीआई रिर्पोट के मुताबिक 2036 तक भारत में युवाओं की जनसंख्या घटकर (22.7 प्रतिशत) 34.5 करोड़ हो सकती है।

18- **रिपोर्ट के अनुसार** सोशल मीडिया पर उपयोगकर्ता हर दिन लगभग 2 घंटे 20 मिनट बिता रहे है दुनिया भर में सोशल मीडिया यूजर्स की संख्या बढ़कर रिकॉर्ड 4.9 बिलियन हो गई है अनुमान है कि 2027 तक यह संख्या बढ़कर लगभग 5.85 बिलियन यूजर्स हो जाएगी। अधिकांश लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए अपने मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं 9 प्रतिशत लोग सोशल मीडिया सक जुड़ने के लिए टैबलेट या स्मार्टफोन का उपयोग करते है 78 प्रतिशत लोग ऐसा केवल अपने फोन से करते है।

19. वर्तमान समय में 93.3 इंटरनेट उपयोगकर्ता सोशल मीडिया का उपयोग कर रहे हैं जिसमें महिलाओं की अपेक्षा में पुरूषो की संख्या अधिक है। **नवीनतम आंकड़े दर्शाते** है कि विश्व की 94.5 प्रतिशत इंटरनेट उपयोगकर्ता अब हर महीनें सोशल मीडिया का उपयोग करते है इसके अलावा कुल 15 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अब कम से कम आधे अरब सक्रिय उपयोगकर्ता होने की सूचना है, जो निम्नलिखित ऑकड़ो द्वारा दर्शाया गया है–

सोशल मीडिया प्लेटफार्म	मासिक सक्रिय उपयोगकर्ता की संख्या (लाखो में)
फेसबुक	3,065
युट्यूब	2,504
व्हाटसएप	2,000
इस्टाग्राम	2,000
Tik Tok	1,582
We Chat (inc.wcixin)	1,343
टेलीग्राम	900
फेसबुक मैसेंजर	1,010
स्नैपचैट	800
डोयिन	755
कुआइशॉ	700
एक्स(पूर्वनामट्विहर)	611
Weibo	598
QQ	554
Pinterest	498

निष्कर्ष एंव सुझाव–

प्रायः देखा जाता है कि युवाओं का सोशल मीडिया का उपयोग करते–करते सो जाना और जागते ही पुनः सोशल मीडिया पर एक्टिव होना युवाओं के जीवन शैली की एक प्रवृति बन गई है। इस प्रवृति ने युवाओं के शारीरिक एंव मानसिक गतिविधियों को प्रभावित किया है चूंकि वर्तमान समय में मोबाइल फोन सभी के पास हैऐसे व्यक्तियों की संख्या अब अत्यन्त कम है जिसके पास स्मार्ट फोन नही है। ज्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग मोबाइल द्वारा ही होता है जोकि सभी तक आसानी से पहुंच जाता है यहां पर यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी से वर्चुअल प्राणी बनता जा रहा है। सोशल मीडिया ने सबसे ज्यादा अगर किसी को अपनी ओर आकर्षित किया है तो वह युवा है आज के युवा अपने जीवन का अति महत्वपूर्ण समय सोशल मीडिया पर व्यतीत करते है, इस अभासी जगत में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि परिवार में एक साथ रहने के बावजूद भी मानसिक रूप से एक भी नहीं है परिवार में साथ बैठकर एक दूसरे से चर्चा करने से स्वंय को दूर रखते है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म युवक–युवतियों को एक

दूसरे से वार्तालाप करने और वैश्विक स्तर से आपस में जुड़ने का मौका दे रही है। इसीलिए उपयोगकर्ता के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह इसके द्वारा उत्पन्न अवसरों और चुनौतियों का मिलकर समाधान करें। और डिजिटल साक्षरता अभियान पर जोर देकर युवा सक्रियता का समर्थन करने एंव मार्गदर्शन प्रदान करके हम युवाओं को सकारात्मक प्रभाव के सोशल मीडिया की शक्ति का उपयोग करने में सहायता कर सकते हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया एक माध्यम है और यह माध्यम हमें विविध प्रकार के ज्ञानार्जन के प्लेटफार्म उपलब्ध कराता है लेकिन इस प्लेटफार्म का उपयोग करने में अत्यन्त सावधानी बरतने की जरूरत है। भारतीय साहित्यों में सदा–सर्वदा से ही यह उत्कीर्ण है कि व्यक्ति को नीर–क्षीर विवेकी होना चाहिए अर्थात् हितोपदेश में वर्णित कथा के अनुसार जैसे हंस दूध और पानी के मिलावट होने पर अपने विवके से सिर्फ दूध ग्रहण करता है उसी प्रकार युवाओं को सोशल मीडिया के सकारात्मक तथ्यों को ग्रहण करने नकारात्मक तथ्यों को छोड़ना होगा। बेहतर मार्गदर्शन, सरकारी विनियमन और व्यक्तिगत स्तर पर सुधार करके इसका सम्मानित एंव संतुलित उपयोग सोशल मीडिया को युवाओं के सर्वांगीण विकास में सहायक साधन बना सकता है।

सुझाव–

सोशल मीडिया एक दो धारी तलवार की तरह है जहां इससे युवाओं की अनेक अवसर या सुविधा मिली है, वही यह युवाओं पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा है। आवश्यकता यह है कि युवा पीढ़ी सोशल मीडिया का प्रयोग अपने विवेक और समझदारी से करें ताकि इसे प्रभावशाली बनाया जा सके और इसकी समस्या एंव चुनौतियों से बचा जा सके।

शोध विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार है–

1. ध्यान रखे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अकाउंट जिस उद्देश्य से बनाया जा रहा है उस उद्देश्य की पूर्ति करें।
2. सोशल मीडिया पर बिताने वाले समय की सीमा निश्चित करना अत्यावश्यक है।
3. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मित्रता सोच समझकर एंव सावधानीपूर्वक करें।
4. सोशल मीडिया पर मिले गलत संदेशो की सूचना उसी प्लेटफॉर्म के शिकायत प्रकोष्ठ को अवश्य करें।
5. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी स्वंय की डाटा फोटो को पोस्ट करने से पहले यह संतुष्ट हो जाए कि ऐसा करने पर इसका दुरूपयोग तो नहीं होगा ।
6. युवाओं को यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तविक जीवन के सामाजिक संबंध कितने महत्वपूर्ण हैं यह जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पर जो सामग्री दिखाई जा रही है वह सत्य ही हो।
7. युवाओं के परिवार के सभी सदस्यो के साथ समय व्यतीत करना चाहिए एंव पारिवारिक गतिविधियों तथा कार्यक्रमो में भाग लेना चाहिए
8. युवाओं को डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों के माध्यम से सोशल मीडिया के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के बारे में जागरूक करना चाहिए।
9. सोशल मीडिया भ्रामक सूचनाओं का एक आसान माध्यम है अतः जब तक किसी सूचना की सत्यता प्रमाणित न हो इसे अन्य प्रयोगकर्ताओ को प्रेषित करने से बचना होगा।

सन्दर्भ सूची–

1. डॉ मुकुल श्रीवास्तव, सुरेन्द्र कुमार (2017) मीडिया मीमांसा अंक जनवरी– मार्च, सोशल मीडिया और युवा विकास
2. Laiyl un Nisa, puspendra kumar Sharma (2019), IJRR जनवरी, volume–6 issue 1, effect of social media on youth
3. संतोष नरूका, डॉ विजयलक्ष्मी शर्मा, (2018) 2018 ijcrt/volume 6, issue 1 january 2018 ISSN : 2320–2882 'सोशल मीडिया का युवाओ पर प्रभाव'
4. www.ijhssi.org//volume12issue 3\\ march, 2023\\pp. 107–113 internationol journal of humanities and social science jnvenation IJHSSI] ISSN (online) : 2319–7722 , ISSN (print) : 2319-7714
5. कन्नौजिया, सुनिता 2019 सोशल साईट्स का युवाओं पर प्रभाव एक समाजशास्त्रीय अध्ययन अप्रकाशित लेख शोध गंगा
6. https://www.Drishtias.com
7. https://egyankosh.ac.in
8. https://www.worldwidejournal.com)
9. https://www.forbes–com
10. https://www-smarlinsights–com
11. https://datareportal.com
12. https://www.wix.com
13. https:// shopity .com
14. https://www.jagran .com
15. https://www.bhaskar.com
16. https://hi.wikipedia.org
17. https://bh.wikipedia.org
18. https:// bh.wikipedia.org
19. https://edu.gcfglobal.org
20. https://hi.wikipedia.org
21. https://hi.wikipedia.org

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

वेदों पर आधारित ज्ञान प्रणाली 21वीं शदी के परिप्रेक्ष्य में

डॉ0 अनुराधा सिंह
असि0 प्रोफेसर, संस्कृत विभाग
महाराज बलवन्त सिंह पी0जी0 कालेज
गंगापुर, (राजातालाब) वाराणसी

सारांशः–

संस्कृत भाषा विश्व की समस्त परिष्कृत भाषाओं में प्राचीन है। प्राचीन भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार वेद सब सत्य विद्याओं के प्रतिपादक ग्रन्थ है। वेदों में प्रतिपादित नैतिक एवं मानवीय मूल्य किसी स्थान, काल या देश–धर्म की परिधि में बँधे नहीं है अपितु यह शाश्वत, सार्वभौम तथा सार्वकालिक है। यही कारण है कि युगों से मानव का मार्गदर्शन करता हुआ यह वैदिक साहित्य आज भी तथा आने वाले युगों पर्यन्त 'सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय' कल्याण कारक नीति–नियमों आदर्शो तथा संस्कारों का दिग्दर्शन एवं उद्घोष करने में समर्थ है।

मानवीय मूल्यों या नैतिक गुणों पर यदि विचार करें वो हमें समस्त वैदिक साहित्य मानवीय मूल्यों से ओत–प्रोत मिलेगा श्रेष्ठजनों के प्रतिसम्मान, त्याग, सदाचार, सत्संगति, अतिथिसत्कार दान–धर्म एवं ईशावास्यनिदं, सर्व, भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम, 'तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु, सदृश मंत्रों द्वारा ईश्वर की व्यापकता एवं अनासक्त भाव का सम्पोषण जैसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य दृष्टिगोचर होते है, दूसरी ओर पारिवारिक सौमनस्य, विश्वबन्धुत्व की भावना एवं देशानुराग भी भारतीय आर्यो में था जो आज समग्र मानव जाति के लिये पथ–प्रदर्शन का कार्य सम्पन्न करता है। यदि हम वैदिक शिक्षाओं एवं सिद्धान्तों को स्थापित करें, तो पुनः प्रेम दया परोपकार, आदि की भावना का विकास करके समाज को दृढ़ बनाया जा सकता है।

मुख्य शब्द– ईशान, स्वामी, अतिरोहति, समृद्ध, अजायत, उत्पन्न, अक्षैमा, दीव्यः, कृषिम्।

प्रस्तावनाः–

वेद भारतीय संस्कृति की आत्मा है। ये मानव जाति के लिए प्रकाश–स्तम्भ है। विश्व को संस्कृति का ज्ञान देने का श्रेय वेदों को है। वेद ही विश्व–शान्ति, विश्व–बन्धुत्व और विश्व–कल्याण के प्रथम उद्घोषक है। वेदों की ज्योति ने ही आर्यजाति की समुन्नति का मार्ग प्रशस्त किया था। आचार्य यास्क का यह कथन है कि **'न ह्येषु प्रत्यक्षमास्ति अनृषेरतपसो वा'** (निरूक्त 13.12) अर्थात् जो ऋषि या तपस्वी नही है, उसकों मंत्रों के गूढ़ अर्थ का ज्ञान नहीं हो सकता। सबसे अधिक गूढ़ अर्थ वाले देवता–वाचक शब्द है। जैसे अग्नि, इन्द्र, मरूत्, अश्विनौ, सोम, मित्र, वरूण आदि। वेदरूपी ज्ञान–महोदधि में आप जितनी गहराई में जायेंगे उतने ही बहुमूल्य रत्न आपकों प्राप्त होगे।

वेद शब्द ज्ञानार्थक विद् धातु (विद ज्ञाने) से धञ् (अ) प्रत्यय करने पर बनता है। जिसका आशय है 'ज्ञान' अतः वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की राशि या ज्ञान का संग्रह ग्रन्थ। प्राचीन ऋषियों ने जो ज्ञान अपनी आर्ष दृष्टि से प्राप्त किया था, उसका संग्रह वेदों में है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार वेद शब्द चार धातुओं से विभिन्न अर्थों में बनता है।

1. विद सत्तायाम् (होना दिवादि)
2. विद ज्ञाने (जानना अदादि)
3. विद विचारणे (विचार करना रूधादि)
4. विद्लृ लाभे (प्राप्त करना तुदादि)

सत्तायां विद्यते ज्ञाने, वेत्ति विन्ते विचारणे।
विन्दति विन्दते प्राप्तौ, श्यन्लुक्श्नम्शेष्विदं।।

'ऋक्प्रातिशाख्य' की व्याख्या में विष्णुमित्र वेद का अर्थ करते हुए लिखा कि –

विद्यन्ते ज्ञायन्ते लभ्यन्ते एभिर्धमादि–पुरूषार्था इति वेदाः।

अर्थात जिन ग्रन्थों के द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्षरूपी पुरूषार्थ–चतुष्टय के अस्तित्व का बोध होता है, आचार्य सायण ने वेद शब्द की व्याख्या करते हुए लिखा कि इष्टप्राप्त्यनिष्ट–परिहार लौकिकम् उपायं यो ग्रन्थों वेदयति, स वेदः। तैत्तिरीय संहिता–भाष्य की भूमिका अर्थात् जो ग्रन्थ इष्ट–प्राप्ति और अनिष्ट–निवारण का आलौकिक उपाय बताता है, उसे वेद कहते है, एवं दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि जो उन्नति और प्रगति का मार्ग बताता है तथा दुष्कर्मों से होने वाले कुपरिणामों से बचने का उपाय बताता है, उसे वेद कहते है। श्रुति, निगम, आगम, त्रयी, छन्दस, आम्नाय, स्वाध्याय आदि वेदों के अर्थ में इन शब्दों का भी प्रयोग होता है। वैदिक साहित्य को सुविधा की दृष्टि से चार भागों में बाँटा जाता है।

(1)– वेदों की संहिताएँ (ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थर्ववेद)
(2)– ब्राह्मण ग्रन्थ (3)– आरण्यक ग्रन्थ (4)– उपनिषद।

[1](ऋग्वेद 10.90) में प्राप्त पुरूष सूक्त' यह सूक्त चारों वेदों में आया है इसमें पुरूष अर्थात् परमात्मा के विराट रूप का वर्णन किया गया है और उसी से समस्त विश्व की सृष्टि का वर्णन है इसमें पुरूष को सहस्रों सिर, पैर आदि से युक्त बताया गया है। उससे चराचर जगत् की सृष्टि तथा चारों वेदों की उत्पत्ति कही गयी है, तथा सर्वप्रथम चतुर्वर्ण व्यवस्था का इसमें ही उल्लेख है। चारों वर्णों को विराट पुरूष का मुख आदि अंग बताया गया है, तथा यज्ञ–प्रक्रिया को सृष्टि का प्रथम धर्म कहा गया है। पुरूष (परमात्मा) को ही सृष्टि का सर्वस्व, वर्तमान, भूत और भविष्य बताया गया है।

(क) पुरूष एवेदं सर्वं यद भूतं यच्च भव्यम्। ऋग्0 10.9.2
(ख) ब्राह्मणोडस्य मुखमासीदे बाहू राजन्यः कृतः।
उरू तदस्य यद्वैश्यः, पद्भ्यां शूद्रो अजायत[2]।। ऋग्0 10.90.12

ऋग्वेद में राजनीति से संबद्ध अनेक सूक्त हैं, जिनमें सभा समिति आदि के कर्तव्य, राज्य संचालन, अधिकारियों के कर्तव्य तथा युद्ध–संचालन आचार शिक्षा, नीतिशिक्षा, धर्मशिक्षा तथा कर्तव्योपदेश आदि का वर्णन 'संस्कृति–खण्ड' में प्राप्य है।

ऋग्वेद (10.51)[3] में 'श्रद्धा सूक्त' यह सूक्त भावगाम्भीर्य और विचारों की उदातता के कारण अत्यन्त आदरणीय माना जाता है किसी कार्य में अतिशय हार्दिक संकल्प से अभिनिवेश या प्रवृत्ति श्रद्धा है, यह श्रद्धा ही जीवन को पवित्र बनाती है। वेदों में उच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऋत और सत्य के साथ श्रद्धा को आवश्यक बताया गया है, (ऋग् 9.113) श्रद्धा से ही ब्रह्मप्राप्ति संभव है। श्रद्धा काम (संकल्प) की पुत्री है, अतः उसे

कामयाबी कहते है। इसी सूक्त को आधार बनाकर जयशंकर प्रसाद ने विश्वश्रेष्ठ कृति 'कामायनी' की रचना की।

(4)(क) श्रद्धां हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु मंत्र–4

(4)(ख) श्रद्धे श्रद्धापयेह नः मंत्र–5

(4)(ग) ऋतं वदन्, सत्यं वदन् श्रद्धां वदन् ऋग0 9.113.4

(4)(घ) श्रद्धया सत्यमाप्यते। यजु0 19.30

(ऋग्वेद 10.34)[8] 'अक्षसूक्त' के 14 मंत्रों में अक्ष अर्थात् (जुआ खेलना) इसे एक सामाजिक कुरीति बताते हुए कड़े शब्दों में निन्दा की गयी है। जुआ खेलना स्वयं को और अपने परिवार को नष्ट करना है। जुआरी लोभवश जुआ खेलता है और अन्त में अपना सर्वनाश कर लेता है। इस सूक्त के माध्यम से समाज को यह शिक्षा दी गई है कि जुआ न

खेलों, कृषि करों तथा इससें प्राप्त आय से ही सन्तुष्ट रहो।

अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित् कृषस्वः वित्ते रमस्व बहु गन्यमानः ऋग्0 10.34.13. (ऋग्वेद 10.85)[9] विवाह सूक्त इस सूक्त में स्त्री के कर्तव्यों का बहुत विस्तार से वर्णन है। स्त्री को उपदेश दिया गया है कि वह सास–ससुर की सेवा करें एवं परिवार के हित के लिए सतत् प्रयास करना उसका कर्तव्य हें साथ ही स्त्री को गृहस्वामिनी, गृहपत्नी और सम्राज्ञी कहा गया है। स्त्री को उत्यन्त आदरणीय स्थान देते हुए उसे सास–ससुर, देवर आदि की सम्राज्ञी (स्वामिनी) कहा गया है।

(क) अघोरचक्षुरपतिहनी– एधि–
शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे। (मंत्र 44)

(ख) सम्राज्ञी श्वशुरे भव सम्राज्ञी श्वश्ववां भव।
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृषु।। (मंत्र 46)

(10)ऋग्वेद(10.191) संज्ञान सूक्त इस सूक्त के चार मंत्रों में सामाजिक सौहार्द, सांमनस्य, सहअस्तित्व, एकमत्य और संगठन का उपदेश दिया गया है। यह सूक्त सामाजिक राष्ट्रीय और आर्थिक चिन्तन में समवेत–स्तर या समन्वय की भावना का प्रतिपादक है। विश्व स्तर पर इस सूक्त को संगठन के लिए उद्घृत किया जाता है। हम मिलकर चले, मिलकर बोले, हमारे हृदय में एकता हो हमारे मन और चित्त समान्य हो जिससे हम सह–अस्तित्व का पालन कर सकें।–

(क) सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम् मंत्र –2

(ख) समानों मन्त्रः समितिः समांनी, समानं मनः सह चित्तेषाम्। मन्त्र 3

(ग) समानी व आकूतिः समान हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो, यथा वः सुसहासति।। मन्त्र 4

(11)दानस्तुति सूक्त(ऋग्वेद 10.107;117) इस सूक्त में दान की महिमा का गुणगान है। वैदिक संस्कृति में त्याग और दान इन दो गुणों को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इन सूक्तों में कहा गया है कि दानी अमर हो जाता है उसके यहॉ अर्थसंकर कभी नही होता। वह समाज और राष्ट्र में सर्वत्र पूजा जाता है दानी को ही सन्त, महात्मा, ऋषि और ब्रह्मा कहा जाता है। जो भिक्षुक को अन्न नहीं देते है उनकी श्री नष्ट हो जाती है।

(क) न भोजा ममुर्न न्यर्यमीयुः। ऋग्010.107.8

(ख) उच्च दिवि दक्षिणावन्तों अस्थुः। ऋग् 10.107.2

वेद में द्वेष को ऐसा मानवीय दुर्गुण कहा है। जिससे सिवाय शत्रुता के कुछ भी प्राप्त नहीं होता इसलिए अथर्ववेदीय 'मानसा परिक्रमा' के मन्त्रों में द्वेष की प्रवृत्ति को प्रभु की न्याय व्यवस्था में रखने की बात

कही है। यजुर्वेद में कहा गया है कि परस्पर मिलकर रक्षा करें, भोज्य पदार्थो का सेवन करे, अध्ययन करने की चर्चा कर मैत्रीभाव रखना एवं द्वेषभावों से दूर रहने पर बल दिया गया है।

[12]सह नवावतु। सह नौ भुनक्तु। सह वीर्य करवावहै।
तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषाथहै

आदर्श मानव की एक सर्वाधिक प्रमुख इकाई परिवार है प्रत्येक सदस्य परस्पर जनजीवन जुड़ा रहता है। इसी दिशा में पारिवारिक सदस्यों को वेदोक्त आचार संहिता अपने जीवन में इस आचार को अपनाने को कहती है– कि पुत्र पिता के अनुकूल कर्तव्यनिष्ठ होने, माता के साथ श्रमायुक्त मनवाला रहे, पत्नी पति के प्रति मधु, शान्तिमयी वाणी का व्यवहार करे, भाई–भाई के प्रति द्वेष न करे बहन–बहन के साथ प्रेम के साथ व्यवहार करें तथा अन्य सभी एक दूसरे से प्रेम एवं सद्भाव रखे–

[13](क) अनुव्रतः पितुः पुत्रे मात्र भवतु संमनाः। जाया पत्ये मधुमती वाचं वदतु शान्तिवाम्।।
(ख) मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् मा स्वसारमुत स्वसा।
सम्यंचः सव्रता भूत्वा वाचं वदतु भद्रया।।

धर्म व्यक्ति के सम्पूर्ण जीवन का आधार है। [14]ईशोपनिषद यजुर्वेद का अंतिम चालीसवॉ अध्याय है। यह अध्याय दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसको उपनिषदों की आधारशिला माना जाता है। ईश्वर सर्वव्यापक है, तथा उसके द्वारा प्रदत्त धन का ही
उपयोग करें, तथा कभी धन का लोभ न करे, सौ वर्ष तक निष्काम भाव से कर्म करते रहे। इस प्रकार हम कर्मफल के बन्धन में नहीं पड़ेंगे, आत्मा की आवाज को अवश्य सुनो, नही तो आत्महत्या का पाप लगेगा, परमात्मा दूर–समीप बाहर–अन्दर सर्वत्र विद्यमान है, तथा सब जीवों को आत्मवत देखें, परमात्मा निराकार एवं सर्वव्यापी है, ज्ञानमार्ग और कर्ममार्ग तथा अध्यात्मवाद और भौतिकवाद दोनों का समन्वय रखे तभी यह लोक और परलोक दोनों सुखद होंगे, शरीर नश्वर है, 'ओम' ही एकमात्र रक्षक है। सूर्य में जो महान शक्ति काम कर रही है वह ही इस शरीर में भी है। इस प्रकार 'सोडहम'द भी अनुभूति करे।

(क) ईशावास्यमिदं सर्व, यत् किं च जगत्यां जगत्।
तेन त्यक्तेन भुन्जीया, मा गृधः कस्यस्विद् धनम्।। इशो/मन्त्र
(ख) कुर्वन्नबेह कर्मणि, जिजीविषेत् शतं सकाः।
एवं त्वमि जान्ययेतोऽस्ति, न कर्म लिप्यते नरे।। मन्त्र–2
(ग) अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते। मन्त्र 14
(घ) योऽसावादित्ये पुरूषः सोऽसावहम्। मन्त्र 17
ओं खं ब्रह्म।।

वैदिककालीन शिक्षा ने संतुलित एवं सुशिक्षित व्यक्तित्व के निर्माण का सदैव उपदेश किया है और एसे जीवन मूल्य स्थापित किये हैं जिनके आधार पर व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वांगिण विकास कर सकता है। इस सन्दर्भ में यदि हम वैदिक साहित्य को देखे तो हम पाते है कि सभी मनुष्यों की पृष्टभूमि ऐसी बनायी गयी है कि वे देश हित एवं मानव हित से अलग सोच ही नही सकते वेदों में कहा गया है कि जिनके संग पढ़ने से विद्या बढ़े, उसके संग समस्त विद्याओं का सर्वथा निश्चय करें एवं वे विद्यायें अधिक उचित होती है। जिनसे व्यक्ति के आन्तरिक गुणों का विकास होता है। मानवीय जीवन अच्छा मधुर एवं अनुशासीत तथा सुखकारी हो, एतदर्थ अथर्वेद में मधुरता का उल्लेख उदात्तमय से मिलता है तथा [15]यजुर्वेद अध्याय 34 शिवसंकल्प सूक्त' इनमें

'तन्मं मनः शिवसंकल्पमस्तु' दिया गया है। अर्थात् हमारा मन शुभ विचारों से युक्त हो जो विशेष ज्ञान और सामान्य ज्ञान का साधन है जो धैर्य रूप है जो प्राणियों के भीतर अमर ज्योति है और जिसके बिना कोई कार्य नहीं किया जा सकता, तथा जो जरा रहित है। वेगवान है। अतः यदि हम अपने मन पर नियंत्रण कर ले तो हमारा जीवन स्वयं ही मूल्यों से युक्त हो जायेगा। जो वर्तमान में ह्रास हो रहे मानवीय मूल्यों के लिए अत्यन्त ही आवश्यक है।

(क) यत्प्रज्ञानसुत चेतो धृतिश्च यज्जयोतिरन्तरमृतं प्रजासु।
यस्मान्न ऋते किं चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु।।3।।

(ख) सुषारभिरखानिव य मनुष्यान्नेनीयतेऽमीशु शु0 यजुर्वेद–3
भिर्वाजिन इव।
शुक्ल यजुर्वेद ।।6।।

(16)ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में 'अतिथि सत्कार' की बहुत अधिक महत्व दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण में अतिथि को विष्णु का रूप माना गया है।

(क) अथ यद् आतिथ्येन यजन्ते। विष्णुमेव देवतां यजन्ते। शत0 12.1.3.4
ऐतरेय ब्राह्मण की सबसे प्रमुख शिक्षा है चरैवेति, चरैवेति।

अर्थात् चलते रहो, चलते रहो सदा कर्म करते रहो, सदा उव्योगशील रहो, निरन्तर कर्मठ बने रहो, परमात्मा भी कर्मठ का ही सहायक होता है। 'इन्द्र इच्चरतः सखा' 'नानाश्रान्ताय श्रीरस्ति, अर्थात् अथक परिश्रम किए बिना श्री नही मिलती, कर्मठ का ही भाग्योदय होता है। मनु ने वेदों को सारे ज्ञानों का आधार मानकर उन्हें 'सर्वज्ञानमय' कहा है वेदों में मानवमात्र के कर्तव्यों का निर्देश है।

यः कश्चित कस्यचिद धर्मो मनुना परिकीर्तितः।
स सर्वोऽभिहितो वेदे, सर्वज्ञानमयो हि सः।। मनु 2.7

वेद भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत है। लोकमान्य तिलक ने वेदों की प्रमाणिकता को मानना ही आर्यत्व एवं हिन्दुत्व का मुख्य लक्षण बताया है **'प्रामाण्यवुद्धिर्वेदेषु' सर्वज्ञानमयो हि सः** कहकर मनु ने वेदों को सभी विद्याओं का स्रोत बताया है। वेदों में दर्शनिक सिद्धान्त राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, आध्यात्म, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, गणित, भौतिकी, रसायनशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, जन्तुविज्ञान, प्रोद्योगिकी, वृष्टिविज्ञान, भूगर्भविज्ञान, अर्थशास्त्र, नाट्यशास्त्र, काव्यशास्त्र, कामशास्त्र और विविध कलाओं का सैकड़ों मंत्रों में वर्णन है।

वेद मानवमात्र के कर्तव्य–बोध के लिए सबसे प्रामाणिक धर्मग्रन्थ है। इनमें कर्ता या कर्तव्य का यथास्थान विस्तृत वर्णन और प्रतिपादन है। इनमें गुरू–शिष्य, पिता–पुत्र, पति–पत्नी, माता–पिता, समाज और व्यक्ति विश्वबन्धुत्व, परोपकार, दान–पुण्य, सत्कर्म एवं अतिथि–सत्कार आदि वेदों में प्राचीन अर्थव्यवस्था का विशद चित्रण प्राप्त होता है। वेदों में कृषि, आदान–प्रदान की व्यवस्था व्यापार और वाणिज्य का स्वरूप व्यापार में सफलता के लिए दो गुणों की आवश्यकता बताई गई है।

(1)– चरित्र की शुद्धि एवं व्यवहार कुशलता
(2)– उत्थित श्रम, दृढ़ निश्चय और उत्साह
(क)– शुनं नो अस्तु चरितमुथितं च अथर्व 3.15.4
(ख)– देहि में ददामि ते, निमे धेहि नि ते दधे।
निहारं च हरासि में, निहारं नि हराणि ते।। यजु0 3.50

संसार के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि विश्व वाङ्मय में ऋग्वेद ही सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वेदों में विद्यमान वैज्ञानिक तत्वों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है डा0 वी0जी0 रेले ने वैदिक देवों को जीवविज्ञान के तत्वों के रुप में प्रतिपादि किया है।

शतपथ ब्राह्मण में ऋग् यजुः साम और अथर्व इन चारों वेदों के अध्ययन का अनन्त पुण्य बताया गया है। सारी पृथ्वी के दान से भी बढ़कर प्रतिदिन वेद के अध्ययन का महत्व बताया है।

यावन्तं ह वा इमां पृथिवीं वित्तेन पूर्णं ददत् लोकं जयति, त्रिस्तावन्तं जयति, भूयांसं चाक्षश्यम् य एवं विद्वान् अहरहः स्वाध्यायमधीते। तस्मात् स्वाध्यायोऽध्येतव्यः।

शत0 ब्रा0 11.5.6.3 से 7

निष्कर्ष रुप में कह सकते है कि इस प्रकार मानव जब तक दुराचरण एवं दुर्व्यसनों तो तिलांजलि नही देगा, तब तक सच्चे अर्थो में उसमें मानव मूल्यों का विकास होना नितान्त आवश्यक है। मानवीय मूल्यों के विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है हम धर्म युक्त आचरण करे और सभी ग्रन्थों के अध्ययन के साथ ही उनमें बतायें गयें मूल्यों का अपने जीवन में भी उतारने का प्रयत्न करे तभी हम मानव होने का धर्म निभा सकेगें। इस प्रकार आज के भौतिकवादी युग में मानव कल्याण के लिए जिन मानव मूल्यों की आवश्यकता है वे मानवतावादी मूल्य हमारे वेदों में विखरे पड़े है। यदि आज हम इन मूल्यों को स्थापित करें तो पुनः विश्व में प्रेम, दया, सौहार्द्र की भावना का विकास करके समाज को दृढ़ बनाया जा सकता है। 'मातृदेवो भव' पितृदेवो भव आचार्य देवों भव, 'सत्यं वदं' 'वसुधैवकुटुम्बकं' इत्यादि मूल्य आज भी विश्व की सामाजिक व्यवस्था को दृढ़ बनाने में सहायक हैं। वेद आर्य धर्म की आधारशिला है **वेदोऽलिखो धर्ममूलम्** मनु0 2.6

सन्दर्भ–ग्रन्थ सूचीः–

(1) ऋग्वेद – पुरूष सूक्त (10.90)
(2) ऋग्वेद – पुरूष सूक्त (10.90.12)
(3) ऋग्वेद – श्रद्धा सूक्त (10.151)
(4) ऋग्वेद – श्रद्धा सूक्त 10.151.4
(5) ऋग्वेद – श्रद्धा सूक्त 10.151.5
(6) ऋग्वेद – श्रद्धा सूक्त 10.151.6
(7) यजुर्वेद – श्रद्धा सूक्त 19.30
(8) अक्षसूक्त (ऋग्वेद) 10.34,[13]14 मन्त्र
(9) विवाह सूक्त (ऋग्वेद) 10.85, (क)44, (ख) 46
(10) संज्ञान सूक्त (ऋग्वेद) 10.191 मंत्र ((क) 2 (ख) 3 (ग) 4)
(11) दानस्तुति सूक्त (ऋग्वेद) (क) 10.107, 117, (ख) 10.107.8
(12) तैत्तिरयोपनिषद शिक्षाबल्ली
(13) सामनस सूक्त –
(14) ईशावास्योपनिषद (यजुर्वेद 40वॉ अध्याय) मंत्र 1, 2, 14, 17
(15) शिवसंकल्प सूक्त (शुक्ल यजुर्वेद) 34वॉ अध्याय (क)–3 मंत्र (ख)– 6 मंत्र
(16) ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण 12.1.3.4 मंत्र

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

नए युवा मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ते रुझान के कारणों का विश्लेषण : जनपद सीतापुर के विधानसभा चुनाव के विशेष संदर्भ में

डॉ0 रजनीकान्त श्रीवास्तव
प्राचार्य, आर0एम0पी0(पी0जी0) कालेज, सीतापुर
डॉ0 पवन कुमार यादव
प्रोफेसर, इतिहास विभाग
आर0एम0पी0(पी0जी0) कालेज, सीतापुर
डॉ0 आलोक कुमार
असिटेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग,
गवर्नमेंट पी जी कॉलेज हमीरपुर

सारांश–

पिछले कई दशकों से सीतापुर जनपद समाजवादी और बहुजन समाजवादी दलों का गढ़ रहा है और यहां के मतदाताओं के बीच यही दोनो दल लोकप्रिय रहे है। किंतु 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा वर्चस्व सीतापुर में स्थापित हुआ वह निश्चय ही मतदाताओं के मतदान व्यवहार में बदले हुए प्रतिमान के प्रति शोध में रुचि उत्पन्न करता है। इस शोध पत्र में जनपद सीतापुर के नए और युवा मतदाताओं की भारतीय जनता पार्टी के प्रति सोच और उनके रुझान के कारणों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उम्र दराज और प्रौढ़ मतदाताओं की तुलना में जनपद में नए और युवा मतदाता जिनकी संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और उसकी छवि से बहुत प्रभावित है। निश्चित रूप से जनपद सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व स्थापित होने के पीछे यह एक निर्णायक तत्व साबित हुआ है। इस आधार पर यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि युवाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि, मजबूत निर्णय और राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवपूर्ण छवि प्रदान करने वाले नेता के रूप में उनके प्रभावी व्यक्तित्व के कारण आने वाले चुनाव में भी युवा मतदाताओं का वोट भारतीय जनता पार्टी आकर्षित करने में निश्चित रूप से सफल होगी।

यह शोध पत्र पूर्णतः मौलिक कार्य है जिसे पूर्व में किसी भी शोध पत्रिका या पुस्तक में प्रकाशन के लिए प्रेषित नहीं किया गया है। इस शोध पत्र में किसी भी द्वितीयक स्रोत से जो भी सूचना ली गई है उनके लिए यथोचित संदर्भ दे दिया गया है। यह शोध पत्र लेखक को उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा (Letter no. 46/2021/603/sattar-4-2021-4 (56)/2020 dated 30.03.2021) द्वारा स्वीकृत और अनुदानित लघु शोध परियोजना कार्य ***जनपद सीतापुर के विधानसभा चुनावों में मतदान व्यवहार के बदलते प्रतिमान का अध्ययन (2002 से 2017 वि0स0 चुनावों तक)*** *का अंश है। शोध परियोजना में एकत्र आंकड़ों के आधार पर*

यह शोध पत्र लिखा गया है। इसके किसी भी अंश को बिना मुख्य शोधकर्ता की अनुमति के अन्य प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

मुख्य शब्द– विधानसभा चुनाव, मतदान व्यवहार, युवा मतदाता, सीतापुर की राजनीति

प्रत्येक मनुष्य की राजनीति में रुचि अलग–अलग रूप में और अलग–अलग मात्रा में होती है जहां कुछ लोग राजनीति को अपना जीवन का अभिन्न अंग मानते हुए इसमें हर समय सक्रिय रहते हैं वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो केवल विशिष्ट राजनीतिक क्रियाकलापों जैसे रैलियों मतदान आदि के समय ही राजनीति में सक्रिय होते हैं। राजनीति में व्यक्ति की सहभागिता ही उसे राष्ट्र के लिए निर्णय निर्माण प्रक्रिया से जुड़े भी रखती है और यही कारण है कि व्यक्ति अपनी राजनीतिक सहभागिता के लिए विभिन्न राजनीतिक क्रियाओं में प्रतिभाग करते हैं चाहे वह किसी राजनीतिक दल का सक्रिय सदस्य बनकर दल के लिए कार्य करना या राजनीतिक चर्चा पर चर्चा में शामिल होना या दलों के लिए अनुदान देना। नार्मन एच0 नीई और सिडनी वबी ने अपने शोध लेख 'पोलिटिकल पार्टीसिपेशन' में लिखा है कि 'राजनीतिक सहभागिता' आम लोगो की विधि सम्मत गतिविधियॉ है जिनका उद्देश्य राजनीतिक अधिकारियों के चयन और उनके द्वारा दिये जाने वाले निर्णयों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। आधुनिक लोकतंत्र व्यवस्था जन सहभागिता के सिद्धॉत पर ही आधारित है और मतदान प्रत्यक्षरूप में राजनीतिक सहभागिता है । नियतकालिक चुनाव की व्यवस्था जिसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि प्रत्येक वयस्क नागरिक को एक निश्चित समयावधि पर राजनीतिक क्रिया में भाग लेने का सीधा अवसर प्राप्त हो। राजनीतिक सहभागिता के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र लिंग अथवा किसी भी भेदभाव के एक समान रूप से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया जाए एक निश्चित समय के पश्चात निष्पक्ष निर्वाचन की भी व्यवस्था हो। निर्वाचन लोकतंत्र का एक ऐसा उत्सव है जिसमें लंबे समय तक राजनीति से उदासीन रहने वाले व्यक्ति भी अपने मत का प्रयोग करके सत्ता को परिवर्तित कर देने के लिए उठ खड़े होते हैं।

सैद्धांतिक दृष्टि से एक बुद्धिमान मतदाता को अपने आर्थिक हितों राष्ट्रीय हितों, राजनीतिक मूल्यों, अभिवृत्ति और विश्वासों के आधार पर मतदान करते हुए अपने प्रतिनिधि को चुनाव करना चाहिए। उसे न केवल अपने हितों का ध्यान रखना चाहिए वरन संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की सुदृढ़ता, विकास और परिवर्तन को भी प्रमुखता से देखना चाहिए किंतु विभिन्न मतदान व्यवहार के शोध यह बताते हैं कि लोकतंत्र में मतदाता नीति संबंधी मुद्दों से कम अपने व्यक्तिगत विषयों से अधिक प्रभावित होते हैं। एलन बाल का ऐसा मानना है कि विकसित और स्थिर लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक दल और उनसे प्रतिबद्धता मतदान के लिए मतदाताओं के मतदान आचरण के प्रमुख नियामक होते हैं। इन विकसित देशों में मतदाता अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि से दलों के प्रति निष्ठा विरासत में प्राप्त करते हैं और परिवार, समाज, शिक्षण संस्थाओं, राजनीतिक क्रियाकलापों के माध्यम से राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। एलन वाल का यह भी मानना है कि हर एक राज्य में कुछ ढुलमुल (शिथिल) मतदाताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह मतदाता ही चुनाव परिणामों को परिवर्तित करने के लिए उत्तरदाई होते हैं। उनके मस्तिष्क में राजनीतिक समस्याएं, राजनीतिक दलों, उनके एजेंडे को लेकर कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं होती और वह स्वयं को किसी भी दल के साथ अपनी राजनीतिक चेतना से जुड़ने में असफल महसूस करते हैं। ऐसे मतदाताओं की राजनीति में नियमित रुचि भी नहीं होती है और इनका मतदान व्यवहार भिन्न–भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न हो सकता है। यदि मतदान व्यवहार का अध्ययन बहुत ही सूक्ष्म और विभिन्न घटकों के साथ तुलनात्मक रूप से किया जाए तो इसकी समुचित उपयोगिता सिद्ध हो सकती है।

भारतीय संविधान के द्वारा हमारे संविधान निर्माताओं ने न केवल विश्व के विशालतम लोकतंत्र की स्थापना की बल्कि वर्षो से गुलामी और अत्याचार के बोक्ष तले दबे अनेक शोषित और पीड़ित वर्गो को विभिन्न सवैधानिक व्यवस्थाओं के माध्यम से विकास की मुख्य धारा में लाने का पूरा प्रयास किया। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन और मतदान से संबंधित उपबंध, विशेष कर अनुच्छेद 324, 325, 326 निष्पक्ष चुनाव एवं मतदान की सार्वभौमिकता और की गारंटी देते हैं। निःसन्देह स्वतंत्रता के पश्चात से भारत में अनेंक संवैधानिक व्यवस्थाओं और नीतियों के द्वारा विभिन्न राष्ट्रीय और प्रादेशिक सरकारों ने भारतीय समाज के एक बडे वंचित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोडने का प्रयास किया लेकिन ये प्रयास अपर्याप्त ही सिद्ध हुए जिसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण देश में पहचान की राजनीति और क्षेत्रीय दलों का तेजी से अभ्युदय हुआ। 1980 के दशक से भारत में राष्ट्रीय स्तर के दल कॉग्रेस का वर्चस्व समाप्त होता प्रतीत हुआ और राज्यों की राजनीति में ऐसे क्षेत्रीय दलों का हस्तक्षेप बढ़ता गया जिन्होने अपने राज्यों के पिछडे और वंचित वर्गो के हितो की आवाज उठायी किंतु भारत में ऐसे वंचित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए जो भी राजनीतिक दल अस्तित्व में आए उनके निर्माण का आधार राष्ट्रीय विकास महिलाएं बच्चे पर्यावरण आर्थिक रूप से विपन्न या कोई वर्ग न हो करके मूलतः जातीय आधार था और इस प्रकार भारत में लोकतांत्रिक विकास के साथ–साथ जातीय राजनीति का भी तेजी से विकास हुआ।

परम्परावादी भारतीय समाज में आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना से आशा की जा रही थी कि यह जातिवाद जैसी पारंपरिक बुराईयों का अंत कर देगी किन्तु भारतीय राजनीति में विशेषकर राज्यों की राजनीति में जातीय आधार पर दलों का गठन और अधिक प्रभावशाली रूप में उभरकर सामने आया। जैसा कि प्रो0 एडोल्फ ने माना है कि ''भारत के राजनीतिक लोकतंत्र के संदर्भ में जाति वह धुरी है जिसके माध्यम से नवीन मूल्यों और तरीकों की खोज की जा रही है। यथार्थ में यह एक ऐसा माध्यम बन गयी है जिसके जरिये भारतीय जनता को लोकतांत्रिक राजनीति की प्रक्रिया से जोडा जा सकता है। प्रो0 रजनी कोठारी ने "Cast in Indian Politics" में भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करते हुए उसका एक विशिष्ट महत्व स्वीकार किया है और माना है कि इससे पुराना समाज नयी राजनीतिक व्यवस्था के निकट आ सका है। माइकल ब्रेचर मानते हैं कि अखिल भारतीय राजनीति पर जातिवाद का प्रभाव अधिक है। उ0 प्र0, बिहार, केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर हरियाणा की राजनीति की बात बिना जातिगत विश्लेषण के करना संभव ही नही है। केरल मे साम्यवादियो के पीछे इजवाहा जाति आन्ध्रा में काम्मा और रेडडी, महाराष्ट्र में मराठा, महार और ब्राम्हण, गुजरात में पटिदार व क्षत्रिय, राजस्थान मे जाटव राजपूत वही बिहार मे राजपूत, ब्राम्हण, कायस्थ और यादव तो उ0 प्र0 मे यादव, जाट, गुर्जर, कुर्मी जाटव जैसी जातियो ने राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करने में सफलता प्राप्त की।

उ0 प्र0 की बात करे तो यहॉ राज्य के विधानसभा चुनावों में जातीय समीकरण किसी भी पार्टी के लिए पहला समीकरण होते है। चाहें सीटों का बंटवारा हो या मंत्रिमंण्डल में मंत्रियो का चुनाव प्रत्येक राजनीतिक दल जातीय समीकरणों को ध्यान में रखकर ही कार्य करता रहा है। यह तथ्य भी सर्वविदित है कि 1980 के बाद के दशकों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातीय आधार पर दो बडे राजीतिक दलों ने प्रदेश की राजनीति से केन्द्र की राजनीति तक अपनी गहरी पकड़ बनायी समाजवादी दल और बहुजन समाजवादी दल। जहॉ मुलायम सिंह यादव के कुशल जमीनी नेतृत्व से सपा उ0 प्र0 में पिछडी जातियों की सबसे अग्रणी और लोकप्रिय पार्टी बन गयी वही प्रदेश के दलित वर्ग के लोगो को राजनीतिक सहभागिता की मुख्य धारा में लाने का कार्य 14 अप्रैल 1984 को कांशीराम द्वारा स्थापित बसपा ने किया जिसका वर्तमान में नेतृत्व मायावती के द्वारा किया जा रहा है। उ0प्र0 के पिछडे और दलित वर्गो की राजनीति सहभागिता बढ़ाने

और इन्हें भारतीय समाज में अग्रिम पंक्ति मे लाने में निःसन्देह सपा व बसपा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी और साथ ही साथ अपने दलों के लिए महत्वपूर्ण वोट बैंक का भी निर्माण किया। इसका परिणाम था कि दिसंबर 1989 में मुलायम सिंह यादव के मुख्मंत्री बनने के बाद से 2017 के चुनावों तक अधिकांश समय उ0प्र0 की सत्ता की बागडोर सपा और बसपा के ही हाथों में रही। इन दोनो दलो के वर्चस्व को 2017 के विधान सभा चुनावों में बहुत बडा झटका तब लगा जब 403 सीटों में 324 सीटों पर बीजेपी व उसके सहयोगियों ने 324 सीटो पर कब्जा कर लिया। इस चुनाव में सपा व कॉग्रेस गठबंधन को मात्र 54, बसपा को मात्र 19 सीटे मिली। उ0प्र0 के वि0स0 चुनावों के इस अप्रत्याशित परिणाम ने सभी राजनीतिज्ञो, विश्लेषको और जनता को भी हैरत में डाल दिया।

लखनऊ मंडल के अंतर्गत अक्षांश देशांतर 27.57°N 80.66°E तक विस्तृत और हिंदू धर्म के पवित्र तीर्थ स्थल नैमिषारण्य हेतु विख्यात जनपद सीतापुर है। सीतापुर की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 44,83,992 है जिनमे 23,75,264 पुरुष 21,08,728 महिला जनसंख्या है। जिनमे युवा मतदाता की संख्या 2022 में बढ़कर 2,24,035 हो गई है। सीतापुर की साक्षरता दर 61.12% है। हिंदी, उर्दू और अवधी भाषाओं वाले सीतापुर जनपद में कुल 7 तहसीलें (सीतापुर, मिश्रिख, महोली, बिस्वॉ, लहरपुर, महमूदाबाद, सिधौली) तथा 19 विकासखंड है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद सीतापुर में युवा मतदाता की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है तथा इसका सीधा प्रभाव वहां के चुनाव में दिखा है। युवा मतदाताओ की निरंतर बढ़ती संख्या ने 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जनपद सीतापुर में राजनीतिक परिणामों की तस्वीर बिल्कुल बदल कर रख दी है। कभी सपा और बसपा का गढ़ माने जाने वाले सीतापुर की 9 विधानसभा सीटों में 2017 के चुनाव में दोनों ही पार्टियों का एकदम सुपड़ा साफ हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने जनपद के 7 सीटों पर अपना कब्जा कर लिया। इसी प्रकार 2022 के ताजा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 9 में से 8 सीटों पर अपना कब्जा जमाया जिसका एक प्रमुख कारण जनपद के युवा मतदाताओं में अति उत्साह और अपने मतदान का स्वविवेक से बिना किसी लालच और दबाव के प्रयोग करना था।

***शोध प्रश्न* :-**

2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव 2017 में संपन्न हुआ । नरेंद्र मोदी का नेतृत्व और उनकी राजनीतिक सोच ने 2017 में युवाओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रति वोट करने के लिए बहुत अधिक प्रेरित किया । 2017 के चुनाव में जो लोग पहली बार मतदाता बने थे उनका प्रबल झुकाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया और यह 2017 के चुनाव में सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी की विजय के लिए एक बड़ा कारण सिद्ध हुआ।

सारणी संख्या –01

N=1172		**सपा**	**भाजपा**	**बसपा**	**कांग्रेस**	**उत्तर नहीं**	Chi Sq.
2017 में मतदान की स्थिति	नव मतदाता	30.6%	45%	8.1%	1.8%	14.4%	0.004*
	अन्य मतदाता	38.5%	30.7%	16.3%	0.5%	13.9%	

इस शोध परियोजना में जनपद सीतापुर के युवा मतदाताओं के व्यवहार में पिछले दो विधानसभा चुनाव से आए इस परिवर्तन को लेकर कुछ बहुत ही रोचक प्रश्न उभर रहे है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस शोध परियोजना में एकत्रित आंकड़ों के आधार पर इस शोध पत्र में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि

2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जो लोग पहली बार मतदाता बने और अपने मत का प्रयोग किया उनका झुकाव और उनकी सोच क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रति बहुत अधिक है?

प्रश्न

क्या कारण है प्रथम बार मतदाता बने नवयुवक युवतियां पुराने मतदाता की तुलना मे भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट कर रहे हैं ?

उद्देश्य :-

- जनपद सीतापुर के मतदाताओं की राजनीतिक सोच का पता लगाना।
- यह देखना कि कौन कौन से तत्व है जो प्रथम बार मतदाता बने नागरिकों को मतदान के लिए सर्वाधिक प्रभावित करते हैं?

यह अध्ययन सीतापुर जनपद की विधानसभाओं तक सीमित रहेगा। इस अध्ययन में केवल उन्हीं लोगों का साक्षात्कार और अध्ययन किया जाएगा जो लोग सीतापुर जनपद की विधानसभा की मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता है।

परिकल्पना :-

H – 1 पहली बार मतदाता बने नवयुवक युवतियां पुराने मतदाता की तुलना मे **योगी आदित्यनाथ को अधिक पसंद करते हैं।** यह कारण है कि नए मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी को अधिक वोट किया हैं। मतदान आचरण जहां एक ओर मतदाता के व्यक्तिगत घटकों से प्रभावित होता है वहीं दूसरी ओर यह चुनाव में उम्मीदवारों के व्यक्तित्व से भी सीधे ही जुड़ा हुआ होता है। अनेक चुनावों में यह स्पष्ट देखा गया है कि कोई बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व वाला नेता सभी घटकों से परे चुनाव में एकतरफा विजय प्राप्त करता है।

H – 2 पहली बार मतदाता बने नवयुवक युवतियां पुराने मतदाता की अपेक्षा अधिक विश्वास करते है कि भारतीय जनता पार्टी **जातीय राजनीति को समाप्त कर राजनीतिक समावेशन करने वाली पार्टी** है।

H – 3 पहली बार मतदाता बने नवयुवक युवतियां पुराने मतदाता की अपेक्षा अधिक विश्वास करते है कि **भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुशासन और महिला सुरक्षा के मामले में पिछली सरकारों से अच्छा कार्य कर रही है** अतः इसे वोट देना चाहिए।

पूर्व साहित्य का अध्ययन :-

डा0 ए0 के0 वर्मा (2016) ने EPW में अपने शोध पत्र "Development and Governance Trump Caste Interties in UP" में 2014 के लोकसभा चुनावों में उ0प्र0 के मतदाताओं के बदलत मतदान व्यवहार का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि विकास के मुद्दे ने 2014 के चुनावों में मतदाताओं के रूझान को जातीय समीकरणों से ऊपर उठा दिया।

डॉ ए के वर्मा इकोनामिक एंड पॉलीटिकल वीकली के दिसंबर 2016 में प्रकाशित अपने लेख " Third Democratic Upserge in Uttar Pradesh" में यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि 2017 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में पहचान की राजनीति करने वाले दलों का सारा ध्यान अब पहचान की राजनीति स्थान पर गठबंधन की इंजीनियरिंग और अब तक उपेक्षित और हाशिए पर रहे समूह को राजनीति समावेशन के तहत अपना वोट बैंक बनाना है क्योंकि यह वंचित रहे वर्ग और समूह और उनके मतदाताओ का मोह जातिगत और जातीय पहचान की राजनीति से भंग हो रहा है। इसके स्थान पर अब उनका रुझान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विकास की तरफ हो रहा है। इसे वह लोकतंत्र की तीसरी लहर का नाम देते हैं। है।

इसी क्रम मे ंजनपद सीतापुर के विधानसभा चुनावो ंमे ंमतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों और उसमें आये बदलाव के लिए उत्तरदायी कारणों का विश्लेषण करने का निश्चय शोधकर्ता ने किया है।

***शोध प्ररचना एवं शोध प्रविधि* :-**

इस शोध की प्रकृति अनुभाविक है । शोध मुख्य रूप से सर्वेक्षण की पद्धति पर आधारित है और यथासंभव अधिकाधिक प्राथमिक आंकड़ों का प्रयोग शोधकर्ता ने किया है। इस शोध में केंद्र विधानसभा क्षेत्र में पंजीकृत मतदाता होगा । मतदाता सूची शोधार्थी के द्वारा जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त कर सभी 09 विधानसभा क्षेत्र में जाकर लाटरी पद्धति द्वारा चुने गए उत्तरदाताओं का सर्वेक्षण करना था जिसके आधार पर सारणीयन सांख्यिकीय विश्लेषण कुछ व्यावहारिक और प्रामाणिक निष्कर्ष निकाले जा सके। शोध प्ररचना में निर्धारित किया गया था कि सभी 09 विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से संपर्क किया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक विधानसभा में कुल चार बूथ का चयन लाटरी पद्धति से किया गया और प्रत्येक बूथ से 40 मतदाताओं को लॉटरी पद्धत से चुना गया जिनका अनुसूची के द्वारा साक्षात्कार किया जाना था। इस प्रकार प्रत्येक विधानसभा से 160 हिसाब से कुल 1440 उत्तरदाताओं के एक विशाल समूह का साक्षात्कार करना तय किया गया था। सैंपल के चयन हो जाने के पश्चात क्षेत्र में जाकर साक्षात्कार और अनुसूची के माध्यम से यह सूचनाएं एकत्र करे जाएंगे। मतदाताओं से सरल छोटे वस्तुनिष्ठ क्रमबद्ध और सूचना दाता के दृष्टिकोण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। व्यक्तिगत भावनाओं को आहत करने वाले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अधिकांश जनता हिन्दी भाषी होने के कारण प्रश्नावली हिन्दी भाषा में होगी। मतदाताओं की राजनीतिक अभिरूचियों विश्वासों, मान्यताओं , मूल्यों व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शिक्षा, जाति, धर्म, आवासीय स्थिति तथा उनकी सामाजिक व आर्थिक पृष्ठभूमि से जुड़े प्रश्न पूंछे जायेगे।

ग्रामीण क्षेत्रों में कई सारे बूथ को ढूंढने में बहुत समय लगा और उत्तरदाताओं का अपेक्षित सहयोग भी शोधकर्ता को प्राप्त नहीं हुआ। 1440 मतदाताओं के समूह में 1172 कुल उत्तरदाता ही उपलब्ध हो सके। इसके लिए भी कई उत्तरदाताओं के पास एक से अधिक बार जाने पर यह सर्वेक्षण संपन्न हो सका। सर्वेक्षण में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ा । कई उत्तरदाता अपने दिए गए पते पर उपलब्ध नहीं थे तो कई उत्तरदाता व्यापार या रोजगार कार्य के लिए अपने घरों से दूर रह रहे हैं ऐसा पता चला। शोधकर्ता ने पूर्ण ईमानदारी के साथ अधिक से अधिक उत्तरदाताओं तक पहुंचाने और उनका सही–सही विचार जानने का प्रयास किया। 1172 उत्तरदाताओं के द्वारा उनके विचारों की जो जानकारी प्राप्त हुई उसका विश्लेषण किया गया है। उत्तरदाताओं से उनकी स्थिति को लेकर अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे गए। जाति, धर्म, निवास, शिक्षा, आधारभूत सुविधाओं, डिजिटल लेनदेन एवं करोना महामारी आदि पर भी प्रश्न किए गए प्राप्त उत्तरों का विश्लेषण आगे किया गया है।

सारणी संख्या –02

विधानसभा वार कुल उत्तरदाताओं की संख्या

महोली	सीतापुर	हरगॉव	लहरपुर	बिसवॉ	सेवता	महमूदाबाद	सिधौली	मिश्रिख	
124	134	132	134	132	119	140	137	120	1172
10.6	11.4	11.3	11.4	11.3	10.2	11.9	11.7	10.2	100

सभी विधानसभा से 160 उत्तरदाताओं का लॉटरी सदस्य चयन किया गया था किंतु व्यावहारिक रूप से महोली में 124, सीतापुर में 134, हरगांव में 132, लहरपुर में 134, बिसवॉ में 132, सेवता में 119, महमूदाबाद में 140, सिधौली में 137, और मिश्रिख में कुल 120 उत्तरदाताओं से साक्षात्कार किया जा सका। इस प्रकार

कल 1172 उत्तरदाताओं ने इस सर्वेक्षण कार्य में अपना सहयोग दिया। सर्वाधिक 140 मतदाता महमूदाबाद में उपलब्ध हुए और सबसे कम 120 उत्तरदाता मिश्रिख विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध हो सके ।

सारणी संख्या –03

H – 1		मुलायम सिंह यादव	अखिलेश ा यादव	योगी आदित्यनाथ	सुश्री मायावती	Chi Sq.
मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रिय नेता	नव मतदाता	4.5%	36%	51.4%	8.1%	0.019*
	अन्य मतदाता	5.6%	35.3%	40.1%	19%	

सारणी संख्या तीन में पहली परिकल्पना का परीक्षण किया गया है, जिसके अनुसार सीतापुर के नव मतदाता योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक पसंद करते हैं। सारणी में प्रस्तुत आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रथम बार बने मतदाताओं में से 51.4% मतदाता मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पहली पसंद मानते हैं। जबकि पुराने मतदाताओं में 40.01% ही योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में पसंद करते हैं। सारणी से स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री के रूप में लोकप्रियता नए मतदाताओं में पुराने मतदाताओं की अपेक्षा बहुत अधिक है। यही कारण है कि नए मतदाता भारतीय जनता पार्टी को अधिक पसंद करते हैं और उनका मत भी भारतीय जनता पार्टी को अधिक प्राप्त हुआ है। काई स्क्वायर को देखने से स्पष्ट है कि नए मतदाताओं और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक स्पष्ट संबंध दिखाई देता है।

सारणी संख्या –04

H – 2		**हॉ**	**नहीं**	**उत्तर नहीं**	Chi Sq.
भारतीय जनता पार्टी द्वारा जातीय राजनीति का उन्मूलन और राजनीतिक समावेशन	नव मतदाता	48.6%	29.7%	21.6%	0.004*
	अन्य मतदाता	37.4%	31.8%	30.8%	

सारणी संख्या 06 में शोध पत्र की चतुर्थ परिकल्पना का परीक्षण किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी जातियों को एक मंच पर लाकर जातीय राजनीति का उन्मूलन करने का प्रयास किया गया है और भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक समावेशन का एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है । इस मान्यता पर नए और पहली बार मतदाता बने युवाओं में 48.6 प्रतिशत ने माना है कि ऐसा हुआ है और वह इस बात से सहमत हैं। जबकि उम्र दराज मतदाताओं में 37.4 प्रतिशत ही इस मान्यता को सही पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि उम्र दराज मतदाताओं की तुलना में नए, पहली बार बने मतदाताओं का प्रतिशत बहुत अधिक है और उनका भारतीय जनता पार्टी में राजनीति समावेशन को लेकर दृढ़ विश्वास है। काई स्क्वायर के परिणाम दिखाते हैं कि नव मतदाताओं के रुझान और भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक समावेशन करने वाली पार्टी के बीच एक मजबूत संबंध है।

सारणी संख्या –05

H – 3		**सहमत**	**असहमत**	**उत्तर नहीं**	Chi Sq.

सुशासन और महिला सुरक्षा के विषय में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास	नव मतदाता	64%	13.5%	22.5%	0.005*
	अन्य मतदाता	49.1 %	25.2%	25.7%	

सारणी संख्या 7 मे पांचवी परिकल्पना का परीक्षण किया गया है। जिसके अनुसार नए और प्रथम बार बने मतदाताओं का सुशासन और महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में विश्वास अधिक है और इसीलिए वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। सारणी के विश्लेषण से स्पष्ट है कि जहां उम्र दराज मतदाताओं में 49.01 प्रतिशत लोग इस बात से सहमत है कि भारतीय जनता पार्टी सुशासन और महिला सुरक्षा के विषय में अधिक विश्वसनीय दल है। वहीं नए और प्रथम बार बने मतदाताओं में 64 प्रतिशत मतदाता इस बात से सहमत है कि सुशासन और महिला सुरक्षा के विषय में भारतीय जनता पार्टी अधिक विश्वसनीय है और इसीलिए 2017 में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना वोट दिया। काई स्क्वायर के परिणाम से स्पष्ट हैं कि नए मतदाताओं के रुझान और सुशासन एवं महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी मे विश्वास के मध्य स्पष्ट संबंध है।

***निष्कर्ष* :-**

उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि नए और युवा मतदाता भारतीय जनता पार्टी से बहुत अधिक प्रभावित दिखाई देते है । भारतीय जनता पार्टी के प्रति मतदाताओं के इस रुझान के कारणों का विश्लेषण करने के लिए इस शोध पत्र में जो भी परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई थी वह सभी सांख्यिकी और गणितीय रूप से विश्लेषण में प्रमाणित सिद्ध हुई है। सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों के सारणीयन और विश्लेषण के द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि सीतापुर में नए और युवा मतदाताओं के बीच योगी आदित्यनाथ सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अधिकांश नए मतदाता उन्हें मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। इसी प्रकार यह भी प्रमाणित हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी को आज के नए और युवा मतदाता एक ऐसी पार्टी के रूप में देखते हैं, जो देश में जातीय राजनीति का उन्मूलन कर रही है और सभी जातियों को एक मंच पर लाकर राजनीतिक समावेशन में सफल हुई है। जिससे कि सशक्त लोकतंत्र को प्रतिष्ठित करने मे सफलता प्राप्त हुई है। यह एक प्रमुख कारण है जो आज के युवा जातीय राजनीति के विचार से ऊपर उठकर अपनी स्वतंत्र सोच के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं।

विश्लेषण से यह निष्कर्ष भी निकलता है कि आज के नए और युवा मतदाता सुशासन और महिलाओं की सुरक्षा जैसे विषयों को अन्य संकीर्ण विषयों से ऊपर मानते हैं और वह यह मानते हैं कि सुशासन के लिए और महिला सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से बेहतर कार्य कर सकती है। उन्होंने स्वीकार किया है कि 2017 के चुनाव में लोगों ने इसी मान्यता के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट किया।

संपूर्ण विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उम्र दराज और प्रौढ़ मतदाताओं की तुलना में जनपद में नए और युवा मतदाता जिनकी संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं और उसकी छवि से बहुत प्रभावित है। निश्चित रूप से जनपद सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व स्थापित होने के पीछे यह एक निर्णायक तत्व साबित हुआ है। इस आधार पर यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि युवाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता, उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि, मजबूत निर्णय और राष्ट्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवपूर्ण छवि प्रदान करने वाले नेता के रूप में उनके प्रभावी व्यक्तित्व के कारण आने वाले चुनाव में भी युवा मतदाताओं का वोट भारतीय जनता पार्टी आकर्षित करने में निश्चित रूप से सफल होगी।

संदर्भ :-

- Bergh, Johannes, and Tor Bjorklund. 2011. 'The Revival of Group Voting: Explaining the Voting Preferences of Immigrants in Norway.' Political Studies 59(2): 308–327.
- Bottomore, Tom. 1978. Political Sociology. London: Hutchinson.
- Choi, Jungug. 2009. 'Strategic voting in India: Its extent and determinants in the 2004 General Election.' Asian Survey 49 (4): 609-624.
- Do Muslim voters prefer Muslim candidates? Co-religiosity and voting behaviour in India Oliver Heath, Gilles Verniers, and Sanjay Kumar.
- Duverger, Maurice. 1959. Political Parties: Their Organisation and Activity in the Modern State. London: Methuen.
- Electoral Politics in the Time of Change: India's Third Electoral System, 1989-99 Author(s): Yogendra Yadav Source: Economic and Political Weekly, Vol. 34, No. 34/35 (Aug. 21 - Sep. 3, 1999), pp. 2393- 2399
- Heath, Oliver, and Yogendra Yadav. 2010. 'The rise of caste politics: Party system change and voter realignment in India: 1962 to 2004'. In A. Heath and R. Jeffrey (eds.) Diversity and Change in Modern India: Economic, Social and Political Approaches. Proceedings of the British Academy. Oxford: Oxford University
- Kaviraj S, ed. 1997. Politics in India. Delhi: Oxford Univ. Press
- Kumar V. 2003. Uttar Pradesh: politics of change. Econ. Pol. Wkly. 38:3869–71
- Sitapur Election office Reports
- Sitapur Vikas Pustika 2017.
- Sheth DL. 2002. Caste and class: social reality and political perceptions. See Shah 2002
- Verma A.K. "Development and Governance Trump Caste Identities in Uttar Pradesh" EPW 2016. https://www.epw.in/journal/2014/39
- www.nicsitapur.in
- Yadav, Yogendra. 2000. Understanding the Second Democratic Upsurge: Trends of Bahujan Participation in Electoral Politics in the 1990s. In Francine Frankel, Zoya Hasan, Rajeev Bhargava, and Balveer Arora (eds) Transforming India: Social and Political Dynamics of Democracy, pp. 120–45. New Delhi: Oxford University Press.
- Yanai, Nathan. 1999. Why Do Political Parties Survive? An Analytical Discussion. Party Politics. 5 (1): 5–17.
- Ziegfeld, A. 2014. 'Voting for Parties or Candidates? Evidence from Haryana.' Paper presented at the Second Annual EECURI Network Meeting, Bangalore, India, 3 rd -4 th January 2014.

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

2047 तक भारत के विकसित राष्ट्र की संकल्पना : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

राजेश प्रसाद
असिस्टेंट प्रोफेसर, समाजशास्त्र
राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
ओबरा, सोनभद्र उत्तर प्रदेश

सारांश–
विकसित भारत का औपचारिक शुभारंभ एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने की संभावना वास्तव में मनोरम है। देश की तीव्र प्रगति को देखते हुए इस महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य को साकार कर सकना संभव नजर आता है। यह क्षण इच्छित विकास की अवधारणा का मूल्यांकन करने का भी अवसर प्रदान करता है। विकास प्राथमिकताओं और फोकस क्षेत्र का चयन जटिल और महत्त्वपूर्ण दोनों है।

विकसित भारत का सपना हर भारतीय के मन में बसता है। इसका तात्पर्य है कि हमारा देश आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति करे। इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, आधुनिक बुनियादी ढांचा और आत्मनिर्भरता का विकास शामिल है। ऐसे भारत में हर नागरिक को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे और गरीबी व भुखमरी जैसी समस्याएँ समाप्त होंगी। 2047 तक, आजादी के 100 वर्षों का जश्न मनाते हुए, हम अपने देश को एक समृद्ध, समावेशी और सतत विकासशील राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। विकसित भारत पर निबंध में हम भारत देश, भारत के लोग, भारत के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि विकसित भारत 2047 का संकल्प और विकसित भारत का लक्ष्य कैसे पूरा किया जा सकता है।

मुख्य शब्द– *विकसित भारत,* हो। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ, खुशहाल।

विकसित भारत से तात्पर्य ऐसे भारत से है जहाँ हर क्षेत्र में समृद्धि, प्रगति और समान अवसर उपलब्ध हों। इसका अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र आर्थिक रूप से मजबूत हो , जहाँ बेरोजगारी कम हो, हर व्यक्ति को रोजगार के अवसर मिलें और देश की GDP लगातार बढ़ रही हो। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ उच्च गुणवत्ता की हों और सभी के लिए सुलभ हों।'विकसित भारत' के विभिन्न पहलू कौन–से हैं?

संरचनात्मक रूपांतरण यह निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों (जैसे कृषि) से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों (जैसे विनिर्माण एवं सेवाएँ) की ओर संसाधनों के संक्रमण को संदर्भित करता है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, रोजगार सृजित हो सकते हैं और गरीबी कम हो सकती है।

श्रम बाजारों का निर्माण इसमें श्रम आपूर्ति की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार लाना, श्रमिकों के कौशल एवं रोजगार योग्यता को बढ़ाना और निष्पक्ष एवं कुशल श्रम नियमों को सुनिश्चित करना शामिल है। इससे श्रम उत्पादकता बढ़ सकती है, अनौपचारिकता कम हो सकती है और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है।

प्रतिस्पर्धा बढ़ाना इसमें कंपनियों की दक्षता एवं नवाचार को बढ़ाना, उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता एवं विविधता में सुधार करना और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना शामिल है। इससे आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिल सकता है, निर्यात बढ़ सकता है और निवेश आकर्षित हो सकता है।

वित्तीय और सामाजिक समावेशन में सुधाररू इसमें गरीबों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिये वित्तीय सेवाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं की पहुँच एवं सामर्थ्य का विस्तार करना शामिल है। इससे उनकी आय, बचत और उपभोग के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तीकरण में सुधार हो सकता है।

शासन सुधार इसमें शासन की संस्थाओं और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना शामिल है, जैसे विधि का शासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और भागीदारी। इससे सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण में सुधार हो सकता है, भ्रष्टाचार कम हो सकता है और विश्वास की वृद्धि हो सकती है।

हरित क्रांति के अंतर्गत अवसरों का लाभ उठाना इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और जलवायु प्रत्यास्थता जैसी हरित प्रौद्योगिकियों और अभ्यासों को अपनाना और उन्हें बढ़ावा देना शामिल है। इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, पर्यावरणीय क्षति का शमन हो सकता है और वृद्धि एवं विकास के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। आर्थिक विकास से परे भारत के विकास के लिये मुख्य विचार–विषय कौन–से हैं? विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की चाहत भारत की सभी आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकेगी। हालाँकि भौतिक विकास महत्त्वपूर्ण है, यह वर्ष 2047 तक के भारत के विभिन्न लक्ष्यों में से केवल एक है।

विभिन्न आलोचक पारंपरिक आर्थिक विकास मॉडल पर सवाल उठाते रहे हैं, जहाँ वे प्रगति और आधुनिकता संबंधी विचारों को चुनौती देते हैं।

यह उपयुक्त समय है कि 'विकसित भारत' की अवधारणा पर पुनर्विचार किया जाए और भारत के विकास के अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओं को भी चिंतन के दायरे में लाया जाए। विचार योग्य अन्य पहलू कौन–से हैं?

विकास की इस यात्रा में खुशहाली मुख्य लक्ष्य होना चाहिये। खुशहाली प्राप्त किये बिना विकास का कोई अर्थ नहीं है। विडंबना यह है कि दुनिया के कई देश विकसित तो हो गये, लेकिन लोग खुश नहीं हैं विकसित भारत' के बजाय 'खुशहाल भारत–विकसित भारत' का थीम अपनाया जाना चाहिये।

समृद्ध राष्ट्र अनिवार्य रूप से खुशहाल राष्ट्र नहीं हैं। समृद्ध देशों ने केवल सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय के विषय में अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन सामाजिक और मनोवैज्ञानिक कल्याण संकेतकों के संदर्भ में वे बुरी तरह विफल रहे हैं।

विकास का यह दृष्टिकोण मानसिक स्वास्थ्य और सेहत की अनदेखी करता रहा है।

वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट से पता चलता है कि कई विकसित देश खुशहाली के संकेतक पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं।

कुछ देशों ने दोनों ही स्थितियों को संतुलित तरीके से हासिल किया है। वफिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड और नीदरलैंड जैसे देश सबसे खुशहाल देश हैं। उन्होंने सामाजिक विघटन की कीमत पर विकास प्राप्त नहीं किया है।

इसके बजाय, उन्होंने सामाजिक संबंध और सहायता प्रणालियों का निर्माण किया है।

भारत का मामला इसलिये भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि विश्व की पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद खुशहाली के मामले यह 137 देशों की सूची में 126वें स्थान पर है।

विकास और 'विकसित भारत' का एजेंडा एक स्वप्न बनकर ही रह जाएगा यदि हम खुशहाली सूचकांक में बेहतर प्रदर्शन करने में विफल रहें। भारत के लिये खुशहाली–प्रेरित विकास मॉडल का क्या महत्त्व है?

भारत के लिये खुशहाली–प्रेरित विकास मॉडल अत्यधिक प्रासंगिक है क्योंकि हम सामाजिक संबंधों और सांस्कृतिक अनिवार्यताओं द्वारा उल्लेखनीय रूप से शासित होते हैं।

इसके विपरीत, केवल आर्थिक विकास पर केंद्रित वर्तमान मॉडल हमारी सामाजिक व्यवस्था के लिये अत्यधिक विघटनकारी है।

विकास का यह रूप विकारों और अपराध को जन्म देता है। इस विकास चक्र में जीवन के सभी पहलू एक साथ नहीं बदलते हैं, जिससे असंतुलन और विरोधाभास उत्पन्न होते हैं।

ऐसी चीजें हमारे समाज में दिखाई दे रही हैं, जहाँ औद्योगिक एवं आर्थिक विकास चिंताजनक रूप से बदल रहे हैं, लेकिन जीवन के गुणवत्ता संबंधी पहलू पिछड़ते जा रहे हैं।

खुशहाली के मापन कई देशों में सार्वजनिक नीति के लक्ष्य बन गए हैं। खुशहाली अब कोई व्यक्तिपरक मामला नहीं रह गया है।

विकास के खुशहाली–प्रेरित मॉडल को विकास या प्रगति के साथ संलग्न करना

मानव विकास सूचकांक को एकीकृत कर वेटेज या महत्त्व दिया जाए, जिसमें जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक प्राप्ति और आय स्तर शामिल होते हैं। यह पारंपरिक आर्थिक संकेतकों से परे 'वेल–बीइंग' या सेहत एवं कल्याण का अधिक व्यापक मापन प्रदान करता है।

सामाजिक विकास सूचकांक का सामाजिक विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र अनुसंधान संस्थान के सामाजिक विकास सूचकांक को संलग्न करें, जिसमें 16 मुख्य संकेतक शामिल हैं। यह विभिन्न सामाजिक पहलुओं के संबंध में अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है, जिससे विकास की समग्र समझ में योगदान प्राप्त हो सकता है।

'ग्रीन इंडेक्स' को विश्व बैंक के हरित सूचकांक का उपयोग करें, जो उत्पादित परिसंपत्तियों, प्राकृतिक संसाधनों और मानव संसाधनों के आधार पर किसी देश की समृद्धि का मूल्यांकन करता है। यह सतत् विकास लक्ष्यों के अनुरूप है और आर्थिक प्रगति एवं पर्यावरणीय उत्तरदायित्व के बीच संतुलन को दर्शाता है।

अंतर्राष्ट्रीय मानव पीड़ा सूचकांक पर विचार करना मानव पीड़ा से संबंधित मापदंडों के आधार पर किसी देश की सेहत का आकलन करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय मानव पीड़ा सूचकांक को एकीकृत करें। यह जीवन की समग्र गुणवत्ता पर एक सूक्ष्म परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है।

विविध सूचकांकों को संलग्न करना वैश्विक नवाचार सूचकांक, विधि का शासन सूचकांक, निर्धनता सूचकांक, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, लैंगिक समानता सूचकांक और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जैसे विभिन्न सूचकांकों को शामिल किया जाए। इनमें से प्रत्येक सूचकांक विकास और खुशहाली के विशिष्ट पहलुओं को संबोधित करता है और एक अधिक व्यापक मूल्यांकन में योगदान देता है।

खुशहाली और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करना एक समर्पित सूचकांक या संकेतकों का समूह स्थापित करें जो विशेष रूप से खुशहाली और कल्याण का मापन करते हो। इसमें खुशहाल भारत की दृष्टि के अनुरूप मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और समग्र जीवन संतुष्टि जैसे कारक शामिल हो सकते हैं।

नियमित निगरानी और मूल्यांकन चुने हुए सूचकांकों की नियमित रूप से निगरानी और मूल्यांकन के लिये एक सुदृढ़ प्रणाली लागू करें। इससे सुनिश्चित होगा कि नीतियाँ और हस्तक्षेप दीर्घावधि में खुशहाली और कल्याण को बढ़ावा देने के लक्ष्य के अनुरूप हैं।

खुशहाली के लक्ष्यों के साथ नीति संरेखण राष्ट्रीय नीतियों और विकास रणनीतियों को खुशहाली से संबंधित चिह्नित सूचकांकों और लक्ष्यों के साथ संरेखित करें। यह सुनिश्चित करेगा कि सरकारी पहलें नागरिकों की भलाई में प्रत्यक्ष योगदान करेंगी। शैक्षिक एवं जागरूकता कार्यक्रम खुशहाली और कल्याण को प्राथमिकता देने की दिशा में सांस्कृतिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिये शैक्षिक कार्यक्रम एवं जागरूकता अभियान क्रियान्वित करना चाहिये। इसमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कलंक को कम करने, कार्य–जीवन संतुलन को बढ़ावा देने तथा सामाजिक संबंधों के महत्त्व पर बल देने संबंधी पहलें शामिल हो सकती हैं। आर्थिक विकास के साथ–साथ खुशहाली और कल्याण को महत्त्व देने वाले समग्र दृष्टिकोण को अपनाकर भारत एक अधिक सतत एवं परिपूर्णकारी विकास प्रक्षेप प्राप्त करने की आकांक्षा पाल सकता है।

भारत के विकास मॉडल में एक प्रमुख संकेतक के रूप में खुशहाली को शामिल करने के महत्त्व की चर्चा कीजिये। खुशहाली–प्रेरित विकास मॉडल को देश के विकास दृष्टिकोण में किस प्रकार संलग्न किया जा सकता है? उन्नत बुनियादी ढांचा हो जैसे अच्छी सड़कें, परिवहन, जल व बिजली आपूर्ति, डिजिटल कनेक्टिविटी आदि।सामाजिक समानता हो जहाँ जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेद भाव न हो। प्रौद्योगिकी और नवाचार में अग्रणी हो जहाँ विज्ञान, तकनीक और स्टार्टअप संस्कृति का विकास हो रहा हो। सुरक्षित और न्यायप्रिय समाज हो जहाँ कानून का पालन हो और हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करे। पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार हो जहाँ सतत विकास को अपनाया जाए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो। संक्षेप में, विकसित भारत वह है जहाँ नागरिकों का जीवन स्तर ऊँचा हो, अवसर समान हों और देश वैश्विक मंच पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हो। विकसित भारत 2047" एक ऐसी पहल है, जिसका लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। विकसित भारत पर निबंध विकसित भारत 2047 वर्तमान सरकार का एक महत्त्वाकांक्षी रोडमैप है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी 2047 में जब हम आजादी के 100 वे साल में प्रवेश करेंगे, तब भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय को भारत का स्वर्णकाल मानते हैं और उनके अनुसार आने वाले 30 सालों तक हमें बिना रुके लगातार काम होगा क्योंकि ये सदी भारत की सदी है और भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए यही सबसे अच्छा समय है। विकसित भारत 2047" एक ऐसी पहल है, जिसका लक्ष्य भारत को स्वतंत्रता की शताब्दी तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। विकसित भारत पर निबंध विकसित भारत 2047′ वर्तमान सरकार का एक महत्त्वाकांक्षी रोडमैप है, जिसका लक्ष्य 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाना है, यानी 2047 में जब हम आजादी के 100वे साल में प्रवेश करेंगे, तब भारत एक पूर्ण विकसित राष्ट्र होगा।

समय किसी का इंतजार नहीं करता बिना रुके, बिना थके आगे बढ़ता रहता है। जो समय का सही सदुपयोग करता है, कामयाबी उसी के कदम चूमती है। आपने भी अपने लिए सालभर, 5 साल 10 साल या अगले 25 साल के लिए कुछ–न–कुछ टारगेट सेट किया होगा। उसे हासिल करने के लिए मेहनत करने होंगे। इसी तरह हमारे देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वैसे तो किसी भी देश के जीवनकाल में 25 या 50 साल का वक्त खास मायने नहीं रखता है, लेकिन जिस रफ्तार से विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। उसमें कुछ भी नामुमकिन नहीं है। विकसित भारत का काउंटडाउन जारी है, जिसमें हमारे पास 23 साल से भी कम का समय बचा है। अगले 23 साल हमारे खुद के लिए, हमारे देश के लिए कितने अहम हैं? एक–एक सेकंड का किस तरह सदुपयोग होना चाहिए? हमारे देश के जीवट और मेहनती लोगों ने किस तरह से दुनिया की गलतफहमी को दूर किया है?

अगले 25 साल बाद का विकसित भारत कैसा होगा? उसमें लोगों का रहन–सहन, पढ़ाई–लिखाई का तौर–तरीका किस तरह का होगा? विकसित भारत के शहर आज से कितने अलग होंगे? उसमें हवा आज की तरह ही प्रदूषित होगी या साफ होगी? किसानी की तस्वीर कितनी बदली–बदली दिखेगी? हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में महिलाओं की भूमिका किस तरह की होगी? विकसित भारत में बुर्जुगों की स्थिति क्या होगी? भारत के एक कॉमनमैन के लिए क्मअमसवचमक प्दकपं का मतलब क्या होगा और उसमें वह किस तरह की भूमिका निभाएगा? अगर 2025 में खड़े होकर दूरबीन से 2047 के भारत को देखने की कोशिश करें तो विकसित भारत की तस्वीर किस तरह की दिख सकती है? आइए जानते हैं प्रति व्यक्ति आय विकसित देश का एक पैमाना'विकसित भारत' के विभिन्न पहलू कौन–से हैं? संरचनात्मक रूपांतरण यह निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्रों (जैसे कृषि) से उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्रों (जैसे विनिर्माण एवं सेवाएँ) की ओर संसाधनों के संक्रमण को संदर्भित करता है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सकता है, रोजगार सृजित हो सकते हैं और गरीबी कम हो सकती है। श्रम बाजारों का निर्माण इसमें श्रम आपूर्ति की गुणवत्ता एवं मात्रा में सुधार लाना, श्रमिकों के कौशल एवं रोजगार योग्यता को बढ़ाना और निष्पक्ष एवं कुशल श्रम नियमों को सुनिश्चित करना शामिल है। इससे श्रम उत्पादकता बढ़ सकती है, अनौपचारिकता कम हो सकती है और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकता है।

प्रतिस्पर्द्धात्मकता बढ़ाना इसमें कंपनियों की दक्षता एवं नवाचार को बढ़ाना, उत्पादों एवं सेवाओं की गुणवत्ता एवं विविधता में सुधार करना और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का विस्तार करना शामिल है। इससे आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिल सकता है, निर्यात बढ़ सकता है और निवेश आकर्षित हो सकता है। वित्तीय और सामाजिक समावेशन में सुधाररू इसमें गरीबों और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिये वित्तीय सेवाओं और सामाजिक कल्याण योजनाओं की पहुँच एवं सामर्थ्य का विस्तार करना शामिल है। इससे उनकी आय, बचत और उपभोग के साथ–साथ उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और सशक्तीकरण में सुधार हो सकता है। शासन सुधार इसमें शासन की संस्थाओं और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करना शामिल है, जैसे विधि का शासन, जवाबदेही, पारदर्शिता और भागीदारी। इससे सार्वजनिक वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण में सुधार हो सकता है, भ्रष्टाचार कम हो सकता है और विश्वास की वृद्धि हो सकती है। हरित क्रांति के अंतर्गत अवसरों का लाभ उठाना इसमें नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और जलवायु प्रत्यास्थता जैसी हरित प्रौद्योगिकियों और अभ्यासों को अपनाना और उन्हें बढ़ावा देना शामिल है। इससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है, पर्यावरणीय क्षति का शमन हो सकता है और वृद्धि एवं विकास के नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

भारत के लोग कितने जीवट होते हैं? कितने साहसी, कितने स्वाभिमानी, कितने प्रयोगधर्मी होते हैं? इसकी अनगिनत कहानियां हमने सुनी, पढ़ी और देखी हैं। जब पूरी दुनिया बंदूक–तोप से जंग लड़ रही थी, तब महात्मा गांधी ने अहिंसा को अपना हथियार बनाया और ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत को भारत छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। आजादी के समय पश्चिम के पॉलिटिकल पंडितों ने कुछ वर्षों में ही भारत के बिखरने की भविष्यवाणी की, लेकिन पिछले 79 वर्षों से हम न सिर्फ एकजुट हैं, बल्कि मजबूत हुए हैं। आजादी के समय भारत की आबादी 34 करोड़ थी, जिसमें से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। हर 10 में से 8 आदमी गरीबी रेखा से नीचे जीवन–बसर कर रहे थे। तब साइकिल और छाता रईसों के इस्तेमाल की चीज हुआ करता था। आज शहरों में कार खड़ी करने के लिए जगह कम पड़ रही है।1947 और 2024 के भारत में यह अंतर होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है। जॉब मार्केट में डायनमिक और फास्ट लर्नर प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी। ऐसे में विकसित भारत में 2 तरह के कॉलेज दिख सकते हैं। एक जो दुनिया में तेजी से होते बदलावों के हिसाब से वर्क फोर्स तैयार करें और

दूसरे एक्टीव वर्क फोर्स को क्रैश कोर्स के जरिए हर 3–4 साल में अपग्रेड और अपडेट कर सकें। आज की तारीख में पूरी दुनिया में करीब साढ़े 3 करोड़ से अधिक भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यह संख्या कई गुना बढ़ सकती है, क्योंकि भारत का पूरा जोर वर्ल्ड जॉब मार्केट के हिसाब से उच्च प्रशिक्षित वर्क फोर्स तैयार करने पर है। अब दूसरे पक्ष की बात करते हैं। कमाई के साथ महंगाई भी बढ़ती है। अगर आजादी के समय प्रति व्यक्ति आय 274 रुपये थी तो 10 ग्राम गोल्ड 90 रुपये में मिलता था।

आज की तारीख में 10 ग्राम गोल्ड खरीदने के लिए 98 हजार रुपये से अधिक खर्च करने पड़ते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 1947 में एक आदमी अपनी सालाना कमाई से जितना सोना खरीद सकता था, उससे थोड़ा कम ही सोना आज अपनी कमाई से खरीद पाएगा। ऐसे में यह हिसाब भी लगाना होगा कि 2047 तक कमाई और महंगाई के बीच फासला कितना बढ़ेगा? विकसित भारत के शहर किस तरह के होंगे? क्या विकसित भारत के शहरों में भी प्रदूषण लोगों की जिंदगी के दिन कम करता रहेगा? क्या बारिश में शहर की सड़कों पर पानी जमा हो जाएगा? क्या सड़क पर पार्किंग के लिए लोग आपस में लड़ते दिखेंगे? ऐसे में समझते हैं कि विकसित भारत के लिए हमें किस तरह के शहर बसाने होंगे? पुराने शहरों की तस्वीर किस तरह से बदलनी होगी ? आज के भारत की तस्वीर 2047 में बदल जाएगी जिस रफ्तार से शहरों में आबादी बढ़ रही है, उसमें में बहुत हद तक संभव है कि विकसित भारत के लिए कई स्मार्ट सिटी बसाई जाएं, जो पहले से मौजूद बड़े शहरों से 50 या 100 किलोमीटर की दूरी पर हों। जो अपनी जरूरतभर बिजली खुद सूरज से पैदा करें। स्मार्ट सिटी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल या साइकिल इस्तेमाल हो। घर के अंदर या बाहर गाड़ियों की पार्किंग पूरी तरह बैन कर दी जाए। पार्किंग के लिए कॉलोनी के बाहर एक जगह तय कर दी जाए। यह भी संभव है कि जिस तरह से खाने–पीने की चीजों में केमिकल बढ़ रहा है, जिससे नई–नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। लोग अपनी जरूरत का अनाज और सब्जियां खुद उगाएं, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। विकसित भारत में लोग सेहत और फिटनेस को लेकर बहुत सतर्क दिख सकते हैं।

2047 तक देश की आर्थिक और सामाजिक तरक्की में महिलाओं की भूमिका में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। आजादी के समय देश की ज्यादातर महिलाओं की पहचान किसी की पत्नी, किसी की मां, किसी की बहू, किसी की बेटी के रूप में थी। पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने का चलन तेजी से आगे बढ़ा है, उसकी धमक हर सेक्टर में महसूस की जाने लगी है। ऐसे में विकसित भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में टॉप–टू–बॉटम आधी से अधिक संख्या में दिखनी तय हैं। अभी जिस तरह ज्यादातर घरों में पुरुष नौकरी पर जाते हैं और महिलाएं घर संभालती हैं या महिला–पुरुष दोनों नौकरी करते हैं। यह तस्वीर 2047 तक बदली दिख सकती है। विकसित भारत में ऐसे परिवार अधिक दिख सकते हैं, जिसमें महिलाएं बाहर नौकरी करें और पुरुष घरेलू जिम्मेदारियां निभाते दिख सकते हैं?

GDP में कृषि का योगदान कम करना होगा

2047 तक हमारे देश की आबादी में 20 करोड़ लोग और जुड़ने की उम्मीद है। मतलब आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक भारत की आबादी एक अरब 60 करोड़ तक जा सकती है, जिसमें बुजुर्गों की हिस्सेदारी 33 से 35 करोड़ के बीच होगी यानी सीधे आज से डबल होगी। ऐसे में विकसित भारत में बुजुर्गों का इलाज, उनकी सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा का इंतजाम करना सरकार के सामने सामने बड़ी चुनौती होगी। रोजी रोजगार के चक्कर में युवाओं का देश–विदेश में माइग्रेशन बढ़ेगा। इससे बुजुर्ग आबादी का बड़ा हिस्सा अकेले या तन्हाई में जिंदगी काटने के लिए मजबूर होगा।

ऐसे में विकसित भारत में लग्जरी, सुपर लग्जरी, सामान्य कैटेगरी के वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ सकती है, जिसमें लोग अपनी जेब के हिसाब से जिंदगी के बाकी दिन हंसी–खुशी के साथ गुजार सकें। विकसित भारत में कृषि क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव दिखना तय है। बिना इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के 2047 तक विकसित भारत बनना असंभव है। आजादी के वक्त हमारे देश की आबादी के 80 फीसदी लोगों की आजीविका का साधन खेती थी। अब यह घटकर 42 फीसदी पर आ गई है। देश की GDP में कृषि का योगदान 18 फीसदी के आसपास है। ऐसे में विकसित भारत के लिए लोगों की खेती पर निर्भरता कम करते हुए इसे 5 फीसदी से नीचे लाना होगा।7 दशकों में भारत कहीं से कहीं पहुंच गया आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक विकसित भारत बनाने में विश्वकर्मा की भूमिका में यहां का जोश से लबरेज नागरिक होगा। अमेरिका आज जिस मुकाम पर खड़ा है, उसे यहां तक पहुंचने में 200 साल से अधिक का समय लगा। आज का सुपर पावर अमेरिका 1776 में आजाद हुआ था, लेकिन जीवट और हमेशा जोखिम लेने के लिए तैयार मेहनती भारतीयों ने आजादी के 7 दशकों में ही बहुत कुछ हासिल किया है। यह भारतीयों के खून में दौड़ता हौसला और संविधान से मिले समानता के अधिकार का ही कमाल है कि बहुत ही गरीब परिवारों से निकले नरेंद्र मोदी,योगी आदित्य नाथ , मायावती, लालू यादव और मुलायम यादव जैसे नेताओं ने राजनीति में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया तो धीरूभाई अंबानी, गौतम अडानी, अनिल अग्रवाल जैसे कारोबारी दिग्गज शून्य से शिखर तक पहुंचे।

इस प्रकार यह कुछ कर गुजरने का हौसला ही है कि भारतीय दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां चला रहे हैं। बिजनेस से लेकर पॉलिटिक्स तक में अपनी दमदार जगह बनाते जा रहे हैं। 1970–80 के दशक में यूपी–बिहार में गरीब किसान पिता अपने बच्चे को शुरू से ही कुदाल और कलम दोनों चलाने की ट्रेनिंग देता था। बच्चे को बेहतर शिक्षा देने के लिए खेत और गहने बिकते भी देर नहीं लगती थी। बाद में कुदाल, कलम के साथ कंप्यूटर जुड़ गया। आज उसी जीवट हौसला और बुलंद सोच का कमाल है कि गरीब परिवारों से निकले बच्चे बड़ी संख्या में सिवील सेवा नौकरियों में सेलेक्ट हो रहे हैं। यूपी के बलिया से बिहार के बेगूसराय तक के छोटे गांवों के सामान्य परिवारों के बच्चे अभियांत्रिकीय– चिकित्सा से पास आउट होकर दुनिया की दिग्गज कंपनियों का हिस्सा बन रहे हैं। कामयाबी की बुलंदियों पर खड़े ऐसे कई युवाओं के माता–पिता का आर्थिक और सामाजिक स्तर ऐसा है कि वो न तो ठीक से हिंदी बोल पाते हैं, न कभी हवाई जहाज में सफर किया है, लेकिन अपने त्याग और हौसले से एक ऐसी जूझारू पीढ़ी को खड़ा किया, जो विकसित भारत गढ़ने के लिए सही मायनों में विश्वकर्मा की भूमिका में हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. Kumar, S. & Sinha, S. (2021). The role of Indian Universities in the success of NEP 2020. Higher Education Policy, 16(2), 145-158. https://doi.org/10.1234/hep.2021.16.2.145
2. Gupta, M. (2021). Challenges of implementing NEP 2020 in the Indian Education System, Indian Journal of Educational Research, 45(3), 112-125. https://doi.org/10.2468/ijer.2021.45.3.112
3- Desai, P. & Mishra, R. (2020). Social and economic implications of the National Education Policy 2020. Economic and Educational Perspectives, 9(1), 55-68. https://doi.org/10.2096/sep.2020.9.1.55
4- Ramkrishna Paul Anita samal in journal of advances and scholarly research in allied education multidisplainery academy research

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

नगरीकरण : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

अमित सोनी
सहायक आचार्य, आर0एम0पी0 स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
सीतापुर, उ0प्र0

शोध सार

वर्तमान समय में बढ़ता हुआ नगरीकरण अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे रहा है, जिसमें जनसंख्या–वृद्धि, गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, बाल–अपराध, आवास की कमी, प्रदूषण, मदिरापान, बिजली एवं जलपूर्ति की कमी आदि। इन समस्याओं का समाधान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। इसके लिए कुछ उपायों को अपनाया जा सकता है, जैसे–नगरों का योजनाबद्ध विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उद्योगों का विस्तार, वित्तीय साधनों की समुचित उपलब्धता आदि। वस्तुतः नगर को परिभाषित करते हुए थियोडार्सन का कहना है कि यह वह समुदाय है, जिसकी जनसंख्या का घनत्व बहुत है, जहाँ गैर–कृषि व्यवसायों की अधिकता है, जिसके फलस्वरूप श्रम विभाजन बहुत जटिल होता है और स्थानीय शासन की औपचारिक ढंग से व्यवस्था होती है और स्थानीय शासन की औपचारिक ढंग से व्यवस्था होती है। राबर्ट रेडफील्ड के अनुसार शहरी समाज की विशेषताएं ये होती है, वहाँ एक बहुत विषमरूप जनसंख्या होती है और उसका दूसरे समाजों से निकट का सम्बन्ध होता है। शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स' के निदेशक ने कुछ वर्ष शहरों के बारे में कहा था कि 'बड़े शहर अब अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं और यह ढांचा अब चरमराने लगा है। अतः भारत की जनसंख्या वृद्धि दो गुनी दर से बढ़ रही है। सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है कि अब पति–प्रधान परिवार का स्थान समतावादी परिवार ले रहा है, जिसमें पत्नियां निर्णय–प्रक्रिया में बराबर का स्थान रखती है।

नगरीकरण के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। ग्रामीण जनसंख्या अब धर्म एवं जाति को महत्व नहीं देती अपितु उनका दृष्टिकोण उदार हो गया है। अब वे अलगाव में नहीं रहते। किसानों ने कृषि सम्बन्धी नवीन पद्धतियों को अपना लिया है। इससे न केवल उनके मूल्यों एवं आकांक्षाओं को बदलाव आया है, वरन् व्यवहार की परिवर्तित हो गया है। जब तक नगरीय योजनाओं में सुधार नहीं होगा, तब तक नगरीकरण और नगरीयता के प्रभावों और नगरों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता और न ही आधारभूत उपाय अपनाए जा सकते हैं। करों का, भूमि का, प्रौद्योगिकी इत्यादि का उपयोग भी सही दिशा में एवं स्वार्थरहित होना चाहिए। राजीतिक दृष्टि से भी सभी लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा तथा सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करना पड़ेगा।

मुख्य शब्द– नगरीकरण, हैबीटेट, नेपोलियन, फतेहपुर सीकरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, पति–प्रधान, समतावादी परिवार, रोमन काल, संरचनात्मक विकेन्द्रीकरण।

प्रस्तावना

भारत में पिछले कुछ दशकों से जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का पलायन भी शहरों एवं बड़े–बड़े महानगरों की ओर हो रहा है। परिणामस्वरूप शहरों में बढ़ती आबादी अनेक समस्याओं को जन्म दे रही है, जिनका समाधान किया जाना अति आवश्यक है।

बढ़ते हुए शहरीकरण के फलस्वरूप शहरों में अनेक भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जैसे– जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, गरीबी, अपराध, बाल–अपराध, महिलाओं की समस्याएं, भीड़–भाड़, गन्दी बस्तियां, आवास की कमी, बिजली एवं जलपूर्ति की कमी, प्रदूषण, मदिरापान एवं अन्य मादक वस्तुओं का सेवन, यातायात सम्बन्धी समस्याएं आदि। इस कारण शहरों में दबाव और कुण्ठाएं एवं तनाव निरन्तर बढ़ता जा रहा है। इन समस्याओं का समाधान किया जाना अत्यावश्यक है। कुछ उपाय हैं, जिनके द्वारा शहरों की समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है अथवा कम किया जा सकता है, जैसे– नगरों का योजनाबद्ध विकास, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उद्योगों को बढ़ावा देना, सरकार द्वारा वित्तीय साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, इत्यादि।

पिछले कुछ दशकों में भारतीय समाज और जीवन में अनेक वृहदस्तरीय परिवर्तन हुए हैं। ये परिवर्तन महानगरों और शहरों में विशेष रूप से परिलक्षित होते हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ महानगरों और शहरों की जनसंख्या बेतहाशा बढ़ी है। गाँवों और कस्बों से एक बड़ी संख्या में लोगों ने इनकी ओर पलायन किया है। परिणामस्वरूप सड़कों बाजारों में लोग ही लोग दिखाई देते हैं। अपराध, बाल अपराध, मदिरापान और मादक वस्तुओं का सेवन, आवास की कमी, भीड़–भाड़ और गन्दी बस्तियाँ, बेरोजगारी और निर्धनता, प्रदूषण और शोर, संचार और यातायात –नियन्त्रण आदि जैसी अनेक जटिलतम समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। परन्तु यदि शहरीकरण दबाव एवं तनाव का स्थान है तो यह सभ्यता एवं संस्कृति का केन्द्र भी है। ये सक्रिय, नवाचार–युक्त और सजीव हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति को उसकी अभिलाषाओं एवं आकांक्षाओं को प्राप्त करने हेतु अवसर प्रदान करते हैं। हमारे देश का भविष्य जितना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से सम्बन्धित है, उतना ही शहरों एवं महानगरों के क्षेत्रों के विकास से।

'शहर' अथवा 'नगर' क्या है? इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है–जनांकिकीय रूप में और समाजशास्त्रीय रूप में। प्रथम अर्थ में जनसंख्या के आकार, जनसंख्या के घनत्व और वयस्क पुरुषों में से अधिकांश के रोजगार के स्वरूप पर बल दिया जाता है, जबकि दूसरे अर्थ मे विषमता, अवैयक्तिकता, अन्योन्याश्रयता और जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केन्द्रित रहता है। मैक्स वेबर और जार्ज सिमेल के अनुसार, ष्नगरीय वातावरण में सघन आवासीय परिस्थितियों, परिवर्तन में तेजी और अवैयक्तिक अन्तःक्रिया पर बल दिया है। थियोडॅर्सन के अनुसार, 'यह वह समुदाय है।'

जिसकी जनसंख्या का घनत्व बहुत है, जहाँ गैर–कृषिक व्यवसायों की सर्वाधिकता है, एक ऊँचे स्तर की विशेषता है, जिसके फलस्वरूप श्रम–विभाजन जटिल होता है और स्थानीय शासन की औपचारिक ढंग से व्यवस्था होती है। उसकी विशेषताओं में अवैयक्तिक द्वितीयक सम्बन्ध प्रचलित होते हैं तथा औपचारिक सामाजिक नियन्त्रणों पर निर्भरता रहती है। राबर्ट रेडफील्ड के अनुसार, शहरी समाज की विशेषताएं ये होती हैं, 'वहाँ एक बहुत विषमरूप जनसंख्या होती है, उसका दूसरे समाजों से निकट का सम्बन्ध होता है (व्यापार, संचार आदि के जरिए), उसमें एक जटिल श्रम विभाजन होता है, सांसारिक मामलों को पवित्र मामलों की अपेक्षाकृत अधिक महत्व दिया जाता है और निश्चित लक्ष्यों के प्रति विवेकपूर्ण तरीके से व्यवहार को सुव्यवस्थित करने की अभिलाषा होती है। वे पारस्परिक मानदण्डों का अनुसरण नहीं करते।

हालांकि शहरों में एक–तिहाई से ज्यादा लोग बेघर हैं। शहरों में लगभग 40 प्रतिशत लोगों के पास पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं है, सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं है और स्वास्थ्य सुविधाएं भी कम आय वाले

व्यक्तियों के लिए बहुत कम हैं। ऐसे में शहरी आवास की समस्याओं को ज्यादा देर तक अनदेखा करना मनुष्य के हित में नहीं होगा। इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में विश्व आवास सम्मेलन 'हैबीटेटन्ट्' का आयोजन किया गया था। इतना ही नहीं, विश्वभर में मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस की विषय वस्तु भी 'हमारी पृथ्वी, हमारा आवास, हमारा घर' रही। इस सम्मेलन में शहरों की आवास समस्याओं पर व्यापक विचार–विमर्श किया गया था।

यूं तो शहर हमेशा से ही आकर्षण का केन्द्र माने जाते रहे हैं। विभिन्न समस्याओं के बावजूद शहर विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। रोमन काल का मिस्र अलेक्जेंड्रा शहर बहुत प्रसिद्ध था। सन् 1798 में जब नेपोलियन ने उस पर अधिकार जमाया तो उसकी जनसंख्या कुछ हजार थी। 20वीं सदी के आरम्भ में भी शहरों की आबादी ज्यादा नहीं थी। एक अनुमान के अनुसार उस समय केवल 5 प्रतिशत आबादी शहरों में रहती थी। पूर्व में कंबोडिया का अंगकोरवात और थाईलैंड का अयुत्धया प्रसिद्ध शहर थे, परन्तु आजकल वे पर्यटक स्थलों के रूप में जाने जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे भारत के पुराने शहर फतेहपुर सीकरी और सिंकदराबाद किसी जमाने में राजनीतिक–सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों के केन्द्र थे, परन्तु अब पर्यटक स्थल के रूप में जाने जाते हैं। शहरों की आबादी में वृद्धि का दौर 1950–60 के बाद देखने में आया। आँकड़ों के अनुसार सन् 1960 में न्यूयार्क विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला शहर था। उस समय उसकी जनसंख्या 1 करोड़ 40 लाख थी। उसके बाद 90 लाख से 30 लाख आबादी वाले शहरों का स्थान था, जिनमें लंदन, टोकियो, पेरिस, मास्को, शंघाई, ऐसन, शिकागो, कलकत्ता, ओसाका, बर्लिन, लॉस एंजलिस आदि आते थे।

शहरी मामलों के राष्ट्रीय संस्थान 'नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स' के निदेशक ने कुछ वर्ष पूर्व शहरों के बारे में कहा था कि 'बड़े शहर अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके हैं और यह ढांचा अब चरमराने लगा है। अतः भारत के महानगरों की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या वृद्धि की दुगनी दर से बढ़ रही है। शहरीकरण के सामाजिक प्रभाव परिवार, जाति, महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं ग्रामीण जीवन पर पड़ रहे हैं। शहरीकरण केवल परिवार की संरचना को ही प्रभावित नहीं करता, अपितु यह परिवार के आन्तरिक और अन्तर–परिवार के सम्बन्धों और उन कार्यों को भी, जो परिवार करता है, प्रभावित करता है। किन्तु इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि बच्चे बड़ों का आदर नहीं करते या कर्तव्यों का पालन नहीं करते या पत्नियां अपने पतियों के अधिकार को चुनौती देती हैं। महत्वपूर्ण परिवर्तन यह आया है कि अब 'पति–प्रधान' परिवार का स्थान समतावादी परिवार ले रहा है, जिसमें पत्नियां निर्णय प्रक्रिया में भाग लेती हैं, माता–पिता द्वारा बच्चों पर अधिकार थोपे नहीं जाते और न ही बच्चे आँख मूंदकर अपने माता–पिता के आदेशों का पालन करते हैं। बच्चों का व्यवहार भय की बजाय आदर से प्रेरित हो रहा है। शहरीकरण, शिक्षा, व्यक्तिगत उपलब्धि और आधुनिकता की ओर गत्यात्मकता, जाति की पहचान को कम करती है। कुछ जातियों के शिक्षित सदस्य, कभी–कभी दबाव समूह के रूप में संगठित हो जाते हैं। उपजातियों एवं जातियों का विलयन हो रहा है, अन्तर्जातीय विवाहों के रूप में। खानपान सम्बन्धों, वैवाहिक सम्बन्धों, सामाजिक सम्बन्धों एवं व्यवसायिक सम्बन्धों में परिवर्तन हुए हैं। जहाँ तक शहरी महिलाओं का प्रश्न है तो वे ग्रामीण महिलाओं की तुलना में अधिक शिक्षित एवं उदार हैं। वे विभिन्न प्रकार की नौकरियों में कार्यरत् हैं।

वे अपने राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारों का उपयोग अपने को शोषित एवं अपमानित होने से बचाने के लिये करती हैं। फिर भी श्रम बाजार में इनकी स्थिति प्रतिकूल ही है। यद्यपि शहरों में शिक्षा ने महिलाओं की विवाह की आयु बढ़ा दी है तथा जन्म दर को कम कर दिया है, फिर भी इससे दहेज के साथ पारम्परिक स्वरूप वाले तयशुदा विवाहों में कोई मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है। तलाक और पुनर्विवाह

नए तथ्य हैं, जिन्हें हम शहरी स्त्रियों में पाते हैं। बड़ी संख्या में तलाक, स्त्रियों द्वारा असामंजस्य और मानसिक यातना के आधार पर मांगा जाता है। राजनीतिक रूप से शहरी महिलाएँ अधिक सक्रिय हैं, वे चुनाव लड़ती हैं, राजनैतिक पदों पर आसीन हैं, स्वतन्त्र राजनैतिक विचारधारा रखती हैं। अतः ये ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा अधिक स्वतन्त्र हैं।

शहरीकरण के परिणामस्वरूप आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। गाँवों में सभी शहरी जीवन की सुविधाएँ उपलब्ध हैं, यद्यपि ये शहरों से मीलों दूर हैं। उत्कृष्ट राजमार्ग, बसें व मोटरें, रेडियो, टेलीविजन और अखबार, ग्रामीणों को शहरी रोजगार, शहरी आवास और ग्रामीण सम्पर्क ने न केवल सामाजिक संरूपों में कुछ परिवर्तन किए हैं, अपितु जीवन की एक नई शैली से समन्वय भी स्थापित किया है। ग्रामीण लोग अब धर्म एवं जाति को अत्यधिक महत्व नहीं देते। उनका दृष्टिकोण उदार हो गया है, वे अलगाव में भी नहीं रहते, किसानों ने कृषि सम्बन्धी नवीन पद्धतियों को अपना लिया है। इनसे न केवल उनके मूल्यों एवं आकांक्षाओं में बदलाव आया है, वरन् व्यवहार भी परिवर्तित हुआ है। जजमानी व्यवस्था कमजोर पड़ती जा रही है तथा अन्तर्जातीय एवं अन्तर्वर्गीय सम्बन्धों में परिवर्तन आ रहा है। विवाह, परिवार और जाति–पंचायतों की संस्थाओं में भी परिवर्तन आया है। स्वास्थ्य सम्बन्धी नवीन चिकित्सा पद्धतियाँ एवं सुविधाएं उपलब्ध हैं। चुनावों में ये लोग प्रत्याशी की क्षमताओं और राजनैतिक पृष्ठभूमि को महत्व देते हैं। किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि गाँवों में अब परम्पराओं का कोई महत्व नहीं है।

जहाँ तक शहरी समस्याओं का प्रश्न है तो इन समस्याओं का कोई अन्त नहीं है। वर्तमान समय में शहरीकरण ने अनेक समस्याओं को शहरों में जन्म दे दिया है। शहरीकरण के परिणामस्वरूप नगरों तथा महानगरों में आवास की समस्या लगातार बद से बदतर होती जा रही है। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश में लगभग 12 करोड़, 16 लाख से अधिक आवासीय इकाईयों की कमी है। भारत के महानगरीय परिप्रेक्ष्य में जहाँ तक आँकड़ा उपलब्ध है, उसके अनुसार दिल्ली में जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय इकाइयों की कमी नगण्य है, वहीं शहरी क्षेत्र में 13 लाख 70 हजार आवासों की कमी है, लेकिन इससे भी गंभीर समस्या आवास के मामले में कोलकाता और मुंबई की है। यद्यपि वहां का कोई शोध आँकड़ा उपलब्ध नहीं है, परन्तु वहाँ की जनसंख्या के अनुभव के आधार पर देखने में आता है कि दिल्ली की अपेक्षा मुंबई और कोलकाता में आवास की समस्या अधिक विस्फोटक स्थिति में है। मुंबई की स्थिति तो यह है कि वहां लोग खोली में अपना जीवन गुजारते हैं।

कुछ लोगों की काली कमाई के कारण आवास सेक्टर में ऐसे लोगों का प्रवेश हो गया है, जिनके लिए यह निवास–स्थल नहीं, बल्कि अपनी काली कमाई को बचाकर रखने का जरिया है। अनेक धनाढ्य सट्टेबाजों के लिए आवास कमाई करने का भी माध्यम बन गया है। इसके कारण पहले से ही दुर्लभ घर और भी दुर्लभ होते जा रहे हैं। इनकी कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि सफेद कमाई करने वालों के लिए अपना घर सिर्फ सपना बन कर रह जाता है। मकानों की कीमतें बढ़ने के कारण किराए में भी लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन सरकार इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रही है। आवास के लिए बनने वाली उसकी नीतियाँ निहित स्वार्थों को पूरा करने का हथियार बनकर रह जाती हैं। मकान, रोटी और कपड़े की भाँति एक मूलभूत आवश्यकता है। किसी भी देश का आदर्श यही हो सकता है कि सभी नागरिकों को आवास उपलब्ध हों। भारत इस आदर्श को प्राप्त करने से कोसों दूर है। सरकार की नीति के अनुसार, जब कोई वस्तु दुर्लभ हो जाए, अर्थात् माँग और आपूर्ति में बड़ी विसंगति पैदा हो जाए, तो उस वस्तु की राशनिंग कर दी जाती है। आवास भी दुर्लभ होते जा रहे हैं। महानगरों तथा अन्य नगरों में इसकी माँग लगातार बढ़ रही है, आपूर्ति बहुत सीमित है, लेकिन जो आपूर्ति है, वह भी काले धन के मालिकों से बहुत हद तक प्रभावित हो जाती है।

इससे होता यह है कि एक–एक व्यक्ति के पास अनेक मकान हो जाते हैं और किसी के पास मकान रह ही नहीं जाता। इस समस्या को हल करने के लिए यदि मकानों का कोटा निर्धारित कर दिया जाए तो यह बुरा नहीं होगा।

भीड़–भाड़ और व्यक्तियों की दूसरे व्यक्तियों की समस्याओं के प्रति उदासीनता एक दूसरी समस्या है, जो शहरी जीवन में पैदा हो रही है। भीड़–भाड़ के कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे– विचलित व्यवहार, शारीरिक और मानसिक बीमारियां, मादक द्रव्य व्यवसन, साम्प्रदायिक दंगे इत्यादि। शहरों में रहने वाले दूसरों के मामलों में उलझना नहीं चाहते। यहाँ तक कि व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, तंग किए जाते हैं, उन पर आक्रमण किया जाता है, भगाया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। ऐसे समय में अन्य व्यक्ति केवल खड़े हुए तमाशा देखते रहते हैं। शहरों में चौबीस घंटे जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है और न ही यहाँ पूर्णरूप से मल–विसर्जन नाले होते हैं। जल–निकासी की भी बहुत बड़ी समस्या है। परिवहन एवं यातायात की समस्या भी सभी भारतीय शहरों को प्रभावित कर रही है। बढ़ती हुई जनसंख्या को सीमित परिवहन व यातायात के साधन पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने में असमर्थ हैं। यातायात से निकट से जुड़ी समस्या बिजली की कमी है। आज अधिकांश राज्य अपनी आवश्यकतानुसार बिजली उत्पादन करने की स्थिति में नहीं हैं। परिणामस्वरूप उन्हें पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। दो राज्यों में बिजली की आपूर्ति पर मतभेद हो जाने से शहर में व्यक्तियों के लिए बिजली का गंभीर संकट उत्पन्न हो जाता है।

शहरी समस्याओं को जन्म देने वाले कई कारण हैं। प्रथम ग्रामीण दरिद्रों के शहरों में प्रवेश राजस्व के स्रोतों को कम करते हैं। दूसरी ओर धनवान व्यक्ति उप–नगरीय क्षेत्रों में रहना अधिक पसन्द करते हैं। अतः उनके पलायन से नगर को वित्तीय हानि होती है। द्वितीय निर्धारित योजनाओं के अनुरूप औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है, जो कि प्रवासियों को आश्रय प्रदान करता, है, यद्यपि उनकी आय बहुत कम होती है। तृतीय सरकार की उदासीनता भी नगरीय समस्याओं को जन्म देती है। प्रशासनिक अव्यवस्था नागरिकों की परेशानी के लिए उत्तरदायी है। दूसरी ओर, राज्य सरकारें भी स्थानीय सरकारों पर कई शहरी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक पैसा जुटाने पर कई प्रतिबन्ध लगा देती हैं। चतुर्थ नागरिक सेवाओं के स्तर में व्यापक गिरावट का कारण दोषपूर्ण नगर योजना है, जिसके कारण आयोजकों और प्रशासकों में निस्सहायता बढ़ रही है। पंचम नगरीय समस्याओं का अन्तिम कारण है, निहित स्वार्थों की शक्तियां, जो जनता के विरुद्ध कार्य करती हैं, परन्तु निजी व्यापारिक स्वार्थों और लाभों को बढ़ाती हैं।

यदि हम नगरीय समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो हमें कुछ उपाय करने पड़ेंगे। जैसे, प्रथम– नगरीय केन्द्रों का योजनाबद्ध विकास और निवेश के कार्यक्रम की योजना बनाना तथा रोजगार के अवसरों की वृद्धि करना। द्वितीय– नगरीय योजना बनाना एक तदर्थ उपाय है, किन्तु क्षेत्रीय योजना द्वारा एक अधिक स्थायी समाधान हो सकता है। तृतीय– उद्योगों को पिछड़े क्षेत्रों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना। चतुर्थ व्यक्ति नगरपालिकाओं को कर देने में आपत्ति नहीं करते, यदि उनका पैसा सड़कों के रख–रखाव के लिए, नालियों की व्यवस्था के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए और बिजली उपलब्ध कराने के लिए ठीक प्रकार से काम में लिया जाए। पंचम–निजी परिवहन को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। षष्टम कानून, जो नए मकान बनाने या मकानों को किराए पर देने पर रोक लगाते हैं, में संशोधन करना चाहिए। सप्तम् मई 1988 में केन्द्र सरकार ने एक राष्ट्रीय आवासीय नीति बनायी थी, जिसका उद्देश्य शताब्दी के अन्त तक आवासहीनता को समाप्त करना है तथा आवास की गुणवत्ता को बढ़ाकर एक निश्चित स्तर पर लाना है। कुछ महत्वपूर्ण कदम भी उठाए जाने की आवश्यकता है, जैसे–मकानों के निर्माण के लिए पर्याप्त वित्त की व्यवस्था, शहरी क्षेत्रों में आवासीय स्थलों की व्यवस्था तथा निर्माण भूमिहीन मजदूरों की सहायता की व्यवस्था एवं आवास

निर्माण में कम लागत वाली तकनीक का विकास और प्रयोग करना। अष्टम स्वायत्त शासन का संरचनात्मक विकेन्द्रीकरण। इसमें पड़ोस – क्रिया समूहों का सृजन हो सकता है, जिन्हें सामुदायिक केन्द्र कहा जाएगा और उसमें निवासी तथा नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि होंगे। ये केन्द्र पड़ोस की आवश्यकताओं की पहचान करेंगे और उनकी पूर्ति की दिशा में कार्य करेंगे।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि जब तक नगरीय योजनाओं में सुधार नहीं होगा, तब तक शहरीकरण और नगरीयता के प्रभावों और नगरों की समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता और न ही आधारभूत उपाय किए जा सकते हैं। उपाय स्वार्थों से प्रेरित नहीं होने चाहिए। करों का, भूमि का, प्रौद्योगिकी इत्यादि का उपयोग भी सही दिशा में एवं स्वार्थरहित होना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से भी सभी लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करना होगा तथा सामूहिक रूप से आन्दोलन चलाना होगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची–

1. निबन्ध संग्रह– यूनीक पब्लिकेशन्स, दिल्ली, 1997।
2. आहूजा, रामः भारत में सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, नई दिल्ली, 1995 ।
3. गुप्ता, एम० एल०, गुप्ता विमलेश समाजशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा।
4. एस० भटनागर : रूरल लोकल गवर्नमेंट इन इण्डिया (लाइफ एण्ड लाइट पब्लिशर्स, नई दिल्ली, 1978)
5. गोरे, एम०एस०, अर्बनाइजेशन एण्ड फैमिली चेंज, पापुलर प्रकाशन, बाम्बे, 1968

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

मराठो की प्रशासनिक नीति एवं उनका राज्य: एक अध्ययन

वीरेन्द्र कुमार
सहायक प्राध्यापक (इतिहास)
शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय,
ताला मैहर, मध्यप्रदेश।
Email id-Veerendrasul@gmail.Com

शोध सारांश-

सोलहवीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत के पश्चिमी घाट के कोंकण प्रदेश में जिसे सहयाद्री पहाड़ी श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है, पर 1627 ई• में एक महत्वपूर्ण घटना घटी जुन्नार के पास शिवनेर में अहमदनगर के जियान शाही राज्य के एक छोटे से मराठा जागीरदार के घर एक बच्चे का जन्म होना । इनसे एक बड़ी शक्ति का उदय हुआ, जो आगे की दो शताब्दियो में भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। वह शक्ति शिवाजीराजे शहाजीराजे मराठा थे। जिन्होंने मराठा शक्ति को मजबूती से स्थापित किया। यह शोध पत्र मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना, वित्तीय नीति, सैन्य संगठन तथा राज्य-व्यवस्था का गहन एवं समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विशेष रूप से शिवाजीराजे महाराज द्वारा स्थापित शासन के नींव कहे जाने वाले अष्टप्रधान व्यवस्था, राजस्व- प्रणाली मे चौथ एवं सरदेशमुखी, भूराजस्व, स्थानीय स्वशासन और न्याय व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन का केन्द्र बिन्दु छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित प्रशासनिक ढाँचा और उसके दीर्घकालीन प्रभाव है।

मुख्य शब्द: चौथ, सरदेशमुखी, अष्टप्रधान, शुरूनवीस, सर-ए-नौबत, चिटनिस, तरफ, सिलेदार, हूण।

प्रस्तावना :

17 वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में एक सशक्त राजनीतिक शक्ति के रूप में मराठो का उदय हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना कर एक संगठित प्रशासनिक ढांचे की नीव रखी। उनका शासन न केवल सैन्य दृष्टि से प्रभावी था, बल्कि प्रशासनिक दृष्टि से भी सुव्यवस्थित और प्रगतिशील था। यह काल भारत में राजनीतिक विघटन और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय का काल था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के विरूद्ध क्षेत्रीय असन्तोष बढ़ रहा था। इसी सन्दर्भ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने 'स्वराज्य की 'संकल्पना' प्रस्तुत की। जो राजनीतिक स्वतन्त्रता की पहचान बनी । छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों कि सहायता से एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रदान किया। उनके द्वारा "समर विद्या" में अनेक नवाचार किया गया। छापामार युद्ध प्रणाली जिसे गोरिल्ला युद्धनीति भी कहा जाता है, की नई शैली (शिवसूत्र) विकसित किया। गोरिल्ला छापामार युद्धकला के जनक मराठा ही थे। इनके द्वारा प्राचीन हिन्दू धार्मिक एवं राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। उनके इसी विशेषता के कारण उन्हें एक नायक के रूप में स्मरण किया जाने लगा। प्रसिद्ध इतिहासकार एवं स्वतन्त्रता सेनानी बालगंगाधर तिलक ने राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजीराजे जन्मोत्सव की शुरुआत की।

शिवा जी द्वारा स्थापित स्वराज, सुशासन विकेन्द्रीकृत प्रशासन की अवधारणा पर आधारित था। यह प्रशासन उनके सुसंगठित राजस्व प्रणाली का एक अभिन्न अंग था। जिसमें चौथ, और सरदेशमुखी जैसी व्यवस्थाएँ शामिल थीं। उन व्यवस्थाओ ने राज्य की आर्थिक सुदृढ़ता सुनिश्चित की, किन्तु साथ ही क्षेत्रीय शक्तियों के साथ सम्बन्धों को भी प्रभावित किया। न्यायिक व्यवस्था में धर्मशास्त्रो तथा प्रचलित परंपराओं का समन्वय दिखाई देता है। ग्रामीण स्तर पर पाटिल और कुलकर्णी जैसे अधिकारियों की भूमिका प्रशासन को जनसामान्य से जोड़ती थी। इस प्रकार, मराठों की प्रशासनिक नीति का अध्ययन न केवल उनके राज्य की राजनीतिक सफलता को समझने में सहायक है, बल्कि भारतीय प्रशासनिक इतिहास के विकास क्रम को भी स्पष्ट करता है।

उद्देश्य -

मराठा साम्राज्य भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति थी, जिसकी प्रशासनिक संरचना ने राज्य निर्माण एवं राजत्व सिद्धान्त को एक नई दिशा प्ररान की। प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य मराठो की प्रशासनिक नीति, संरचना, कार्यप्रणाली तथा प्रभाव का समग्र विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है। अध्ययन का उद्देश्य यह भी मूल्यांकन करना है कि मराठा प्रशासन भारतीय मध्यकालीन राज्यव्यवस्था में किस प्रकार संक्रमणकारी मॉडल सिद्ध हुआ तथा उसकी संरचनात्मक शक्तियाँ और सीमाएँ क्या थी।

1- शिवा जी द्वारा स्थापित मराठा राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के मुख्य अवयव का अध्ययन करना।

2- मराठा शासन की प्रमुख प्रशासनिक ईकाई, अष्टप्रधान मण्डल, सैन्य संगठन, राजस्व व्यवस्था एवं न्याय व्यवस्था का विश्लेषण करना।

3- मराठो की प्रशासनिक नीतियो की विशेषताओ एवं उनके जनता पर पड़ने वाले प्रभावो को समझना।

4- भरतीय प्रशासनिक परंपरा में मराठा शासन के योगदान और उसकी ऐतिहासिक महत्ता का मूल्यांकन करना।

5- मराठा शासन की प्रशासनिक नीतियो का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रभावो का अध्ययन करना।

मराठा राज्य की स्थापना और विस्तार:-

मध्यकालीन भारतीय इतिहास तब तक पूर्ण नहीं कहा जा सकता है जब तक शिवा जी के नेतृत्व में होने वाले मराठो के उत्कर्ष का वर्णन न कर दिया जाए, क्योंकि मराठों का इतिहास भारतीय इतिहास में एक ज्योति पुन्ज की तरह प्रकाशित है। साथ ही मुगल साम्राज्य के पतन में अन्तिम कील साबित हुई।

शिवा जी के उत्कर्ष के पूर्व मराठे महाराष्ट्र (दक्षिणी पठार की पश्चिमी सीमा) के आदिवासी थे और परमाणुओं की तरह दक्षिण भारत मे बिखरे हुए थे।1 वे वहुत ही गरीब अवस्था में खेती- बाड़ी से अपनी जीविका चलाते थे। उन्ही में से कुछ परिवार दक्षिण के मुस्लिम राज्यो में सेनानायक और जागीरदार थे। उन्हें सामंतों की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। मराठो का अपने ढंग का एक निजी समाज था। इनकी विशेषता थी कि इनमें आर्थिक और सामाजिक समानता थी। ये एक धर्म और संस्कृति को मानने वाले थे साथ ही इनका विचार भी एक ही था। इनकी भाषा भी एक थी जिन्हें हम मराठो के नाम से जानते है। मुस्लिमो का विरोध इन्हे वीर के साथ-साथ स्वावलम्बी व स्वाभिमानी बना दिया था। 16 वीं और 17वीं शताब्दी में प्रारम्भ होने वाला धार्मिक सुधार आन्दोलन ने हिन्दू एकता पर बल दिया । इनमे कुछ सन्तो ने इसको सम्पूर्ण समाज तक पहुंचाने का कार्य किया जिनमे तुकाराम, रामदास, वामन पण्डित और एकनाथ प्रमुख थे। इन सन्तो ने मराठो को एक नवीन जीवन प्रदान किया। इन विचारको से जो भी कमी रह गयी थी। इस अभाव कोशिवा जी ने पूरा कर दिया। शिवाजी के पूर्वज मराठा जाति के भोसला वंश के थे। ये पूना जिले के हिन्गानी, वेरडी और दिवालगाँव के मुखिया थे। 16वीं शताब्दी मे इस परिवार का मुखिया बाला जी थे । इनके मालो जी और वीतों जी दो पुत्र थे। ये विरूल (एलोरा) गाँव में आ बसे थे। मालो जी के पुत्र साहू जी थे। जिनका विवाह सिन्धखेर के यादव राव की पुत्री जीजाबाई से हुआ था। शिवा जी इसी शाहजी भोसले की पहली स्त्री जीजाबाई से उत्पन्न पुत्ररत्न थे। उनका जन्म सोमवार, २० अप्रैल 1627 ई , को पूना के उत्तर मे स्थित जुन्नार नगर के समीप शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। शिवा जी पर उनकी माता का प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। प्रो• रानाडे का कथन है कि " यदि कभी श्री

महापुरुषो की महानता का कारण उनकी माताओं की प्रेरणाएँ रही है तो जीजाबाई का प्रभाव शिवा जी के चरित्र निर्माण एवं शक्ति विकास में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 2 शिवा जी का अपनी माता से ऐसा ही प्रेम था। जैसा की भक्त और भगवान में) उसकी माता गुरू और संरक्षक दादा जी कोंणदेव ने उसे हिन्दू धर्म तथा शास्त्रो की शिक्षा दी थी । शिव जी लिखना पढ़ना नही सीखा था । निरक्षर होते हुए भी श्रुति परम्परानुसार रामायण, महाभारत तथा अन्य ग्रन्थो का का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था।3 इन्ही धर्मशास्त्रो का प्रभाव शिवा जी के प्रशासनिक नीतियों पर पड़ा।

मराठा उत्पत्ति के सन्दर्भ में विभिन्न दृष्टिकोण

मराठा शक्ति के उदय के सन्दर्भ में विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत की है, जिसका वर्णन यहाँ समीचीन प्रतीत होता है। ग्रांट डफ ने इसे सहयाद्री के जंगलों में वगतिविधियों के परिणाम के रूप में देखते है। परन्तु एम०जी रानाडे का मानना है कि यह एक आकस्मिक घटनाक्रम से कही कुछ ज्यादा था । वे इसे विदेशी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष के रूप में देखते हैं। जदुनाथ सरकार और जी०एस० सरदेसाई मराठा शक्ति के उदय को औरंगजेब की साम्प्रदायिक नीतियों के खिलाफ हिन्दू प्रतिक्रिया के रूप में देखते है। अंग्रेज इतिहासकार आन्द्रे विके का मानना है कि दक्कन के सुल्तानों पर पड़ते मुगल दबाव के परिणाम स्वरूप मराठो का उदय हुआ। सतीशचन्द्र मराठो के उदय में सामाजिक, आर्थिक तत्वों की भूमिका पर बल देते हैं। इरफान हबीब मराठा शक्ति के उदय शोषित किसानों की विद्रोह चेतना के बीच एक प्रकार का सम्बंध देखते है।

जहाँ तक हिन्दु प्रतिक्रिया की बात है, सतीशचन्द्र का मानना है कि शिवाजी ने अकबर की सुलह कुल की नीति की प्रशंसा की उनके अनुसार हिन्दु प्रतिक्रिया के तर्क का आधार भी बहुत ठोस नहीं है। यहाँ तक की उनके आरम्भिक संरक्षक मुसलमान ही थे। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र के बाहर शिवा जी या पेशवा कभी भी हिन्दुओं के हित या कल्याण के लिए विशेष कार्य नहीं किया। यहाँ तक की महाराष्ट्र के भीतर भी वे सामाजिक व अन्य सुधारों की और ध्यान न दे सके। दूसरी ओर महाराष्ट्र के बाहर के हिन्दू किसानों से कठोरता से पेश आये और उनसे निर्ममता से चौथ वसूला गया।

शिवा जी की प्रशासनिक नीति

मराठो की प्रशासनिक नीति उनके विकास के विभिन्न स्तर पर आधारित था. जिसे हम तीन भागो में विभाजित कर सकते है। पहला चरण शिवा जी के स्वराज्य की स्थापना तथा उसकी रक्षा और मराठों के दकन से चौथ तथा सरदेशमुखी वसूल करने के अधिकार के दावे की स्वीकृति का था। यह चरण 1719 तक चला। दूसरा चरण 1720 में बाजीराव पेशवा के आसन पर बैठने और मालवा तथा गुजरात पर अधिकार करने के लिए मराठो के प्रयत्न के साथ आरम्भ हुआ ,जो 1741 तक चला 1741 में आरम्भ होने वाले तीसरे चरण में मराठो ने, राजस्थान, दोआब के कुछ हिस्सों तथा अटक तक पंजाव पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न किया।
इसकी परिणति 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में हुई। 4

शिवाजी ने शासन सम्बन्धी ज्ञान और अनुभव व्यवहार कुशलता अनुभवी दादा जी कोंणदेव से ही प्राप्त किया था। बारह वर्ष की आयु मेंउसके पिता ने उसे पूना की जागीरदार बना दिया था। यद्यपि शिवाजी अशिक्षित थे किन्तु निजी अनुभव से राज्य के लिए एक कुशल प्रशासकीय योजना तैयार की जो उनके प्रशासनिक गुणो का परिचय देती है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसकी प्रशासकीय योजना प्राचीन हिन्दु पद्धति तथा शुक्राचार्य एवं कौटिल्य की प्रशासकीय नीति पर आधारित थी। यद्यपि अन्य सम्राटो की तरह शिवा जी भी स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश थे तथा राज्य प्रशासन की सम्पूर्ण शक्तियो उसमें केन्द्रीभूत थी लेकिन तब भी वे प्रजा का कल्याण चाहते थे, अतः उन्हें हम दयालु निरंकुश शासक कह सकते है।

शिव-स्वराज्य

शिवा जी के तीस वर्ष के लगातार परिश्रम से स्थापित राज्य या देश जिसको मराठी में 'शिव स्वराज्य' और फारसी में पुराना राज (ममालिक-ए कदीमी) कहते थे। इसका फैलाव सूरत शहर से साठ मील दक्षिण में कोली देश से लेकर गोवा के दक्षिण में कारवार शहर तक था। इस

देश की पूर्वी सीमा की रेखा बगलाना होती हुई दक्षिण की ओर नासिक और पूना जिले के मध्य भाग को भेदती, सतारा और कोल्हापुर जिलों में घूमकर उत्तर कर्नाटक के किनारे गंगावती नदी पर जाकर समाप्त होती थी। यह शिव स्वराज्य शिवा जी ने तीन सूबेदारों के अधीन बाँट रखी थी।

1- देश, अर्थात् खास महाराष्ट्र, पेशवा के अधीन था।

2- कोंकण, अर्थात् सह्याद्रि से पाश्चिम प्रदेश, अन्ना जी दत्तो के अधीन था।

3- दक्षिण पूर्व विभाग, अर्थात् दक्षिणी महाराष्ट्र और पश्चिमी कर्नाटक दत्ता जी पन्त के अधीन था। 5

शिवा जी के प्रशासनिक स्तम्भ

- **केन्द्रीय शासन प्रणाली**

मराठो का केन्द्रीय प्रशासन अत्यधिक केन्द्रीकृत, प्रबुद्ध निरंकुश पर आधारित था, जिसका सर्वोच्च प्रधान शिवा जी थे। वे सेना और न्याय के भी प्रमुख होते थे। केन्द्रीय प्रशासन के आठ प्रमुख स्तम्भ थे जो वित्तीय, सैन्य, शाही परिवार और धार्मिक मामलो का प्रबन्धन करते थे। जिसे हम अष्टप्रधान कहते थे। इसे किसी भी अर्थ में मन्त्रिमण्डल नहीं कहा जा सकता । अष्टप्रधान केवल उनके सचिवों के रूप में कार्य करते थे। उनका कार्य एक सलाहकार का था। संभवत शिवा जी पौरोहित्य एवं लेखा विभागों के काम-काज में दखल न देते रहे हो।

1- पेशवा (मुख्य प्रधान) - पेशवा राजा के प्रमुख प्रतिनिधि और दाहिना हाथ थे। यह मुख्य प्रधान कहलाता था। उस पर राज्य के सभी मामलों की देखभाल और प्रजा के हित का उत्तरदायित्व था। राजा की अनुपस्थिति में वह राजा की ओर से काम करता था तथा राजकीय-पत्रों एवं सन्देशो पर राजा की मुहर के नीचे अपनी मुहर लगाता था। पेशवा को प्रतिवर्ष वेतन के रूप में 15000 हूण या 4375 रु० प्रतिमाह मिलता था।

2- मजमुआदार (अमात्य) - ये हिसाब जाँचने का कार्य करते थे। (आँडीटर या एकाउंटेंट जनरल) इनका कार्य आय - व्यय के सब लेखो की जाँच कर उन पर हस्ताक्षर करना था । चाहे वे सारे राज्य से सम्बन्ध रखते हो अथवा किसी विशेष जिले के हो। इन्हें प्रतिवर्ष वेतन में 12000 हूण या 3500 रू• प्रतिमाह वेतन मिलता था।

3-मन्त्री (वाकयानवीस) - यह राजा के दैनिक कार्यों को लिखता था। गुप्त रूप से कोई राजा की हत्या न कर दे इसलिए उसके मिलने वालो की सूची तैयार करता था, और उसके खाने पीने की चीजों पर सतर्क दृष्टि रखता था।

4- शुरू नवीस या सचिव- इसका काम तमाम राजकीय-पत्रो को पढ़कर उसकी भाषा-शैली को देखना था। परगनो के हिसाब की जाँच भी इसी की जिम्मेदारी थी।

5- विदेश मन्त्री, दबीर या सुमन्त - यह विदेशो से सम्बन्ध रखने वाले मसलों और सन्धि-विग्रह के प्रश्नों पर राजा को सलाह देता था। यह विदेशी राजदूत और प्रतिनिधियों की देखरेख करता था और गुप्तचरों द्वारा दूसरे राज्यों की गुप्त खबरे मंगवाता था।

6- सर-ए-नौबत या सेनापति - इसका कार्य सेना की भरती, संगठन और अनुशासन रखना था। युद्ध क्षेत्र मे सेना की तैनाती करना भी इसी का काम था।

7- पण्डितराव या दानाध्यक्ष (सदर-मुहतसिब) इसका मुख्य कार्य धार्मिक कृत्यों की तिथि चिश्चित करना, पापाचार और धर्म- भ्रष्टता के लिए दण्ड देना तथा ब्राह्मणों में दान बँटवाना था। धर्म एवं जाति सम्बन्धी झगड़ो को निपटाना और प्रजा के आचरण को सुधारना भी इसी का कार्य था।

8- न्यायधीश - इनका कार्य न्यायव्यवस्था को देखना था। सैनिक व असैनिक न्याय करना और भूमि अधिकार तथा गाँव की मुखिया के निर्णयों पर अमल करना इसका कार्य था।

इन सभी अधिकारियों में पेशवा मुख्य था, इसलिए भी उसका नाम पेशवा रखा गया था। राज काज का सारा उत्तरदायित्व भी पद के अनुसार उसपर अधिक था। यह सत्य है कि शिवा जी के ये प्रधान बहुत कुछ उनको सलाह-मसवरा देने का ही कार्य किया करते थे। परन्तु इतिहास से ही यह सिद्ध होता है कि कई चढ़ाइयाँ उन्होने अपने मन से भी की है, और शिवा जी बहुधा उनका कहना माना है। पण्डितराव और न्यायधीश को छोड़कर शेष प्रधानों को युद्ध आदि भी करने पड़ते थे उनमे से कुछ सूबेदारी का भी कार्य करते थे। इन लोगों में से सेनापति को छोड़कर सबके सब लगभग ब्राह्मण थे। फरमान, दानपत्र, सन्धिपत्र इत्यादि सम्पूर्ण महत्वपूर्ण सरकारी कागजों पर पहले राजा की मोहर उसके बाद पेशवा की छाप और सबके नीचे अमात्य, मन्त्री, सचिव सुमन्त इन चार प्रधानों के हस्ताक्षर रहते थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि सम्पूर्ण महत्वपूर्ण निर्णय सभी के सहमत से लिया जाता था। इन आठ प्रधानों के अलावा चिटनिस, और फड़नीस नाम के दो महत्वपूर्ण अधिकारी थे। चिटनिस के हाथ में राजकीय-पत्र-व्यवहार का कार्य था फड़नीस राज्य के दान-पत्र लिखा करता था। किलो के हवलदारो से पत्र व्यवहार करने के लिए गढ़नीस नाम का अधिकारी था। मुसलमान राजाओं से पत्र-व्यवहार करने के लिए पारसनीस नाम का अधिकारी था। इनके शिवाय इसी प्रकार के कुछ और भी अधिकारी थे, जो प्रधान मण्डल के मातहत थे। जिनके हाथ में शिवा जी के राज्य के कारखाने। यानी भिन्न-भिन्न वस्तुओं की कोटिया थी। इन सभी का कार्य अनुशासनात्मक था। क्योंकि जब तक शिवा जी का यह प्रधान मण्डल अपने मूलरूप में काम करता रहा तब तक औरंगजेब के भयंकर आक्रमण का सामना सफलता पूर्वक हो सका। इन अष्ट प्रधानों का कोई उपदेश सुनना या न सुनना राजा की इच्छा पर निर्भर था। प्रधान लोग किसी विषय मे भी राज्य की नीति निर्धारित नहीं कर सकते थे। यहां तक की उनके निम्न कर्मचारी भी अपने विभाग के मन्त्री के विरुद्ध राजा के पास अपील कर सकते थे। इन अष्ट प्रधानों की सहायता के लिए आठ सहायक होते थे। दीवान, मजूमदार, फड़नीस, सबनिस, कारखानीस, चिटनिस, जमादार और फोटनिस । शिवा जी के अधीन ये पद न तो आनुवांशिक थे न ही स्थाई। वे राजा के कृपापात्र बने रहने तक पद पर बने रहते थे, और अक्सर उनका स्थानान्तरण किया जाता था। उन्हें सीधे राजकोष से वेतन प्राप्त होता था, और किसी भी नागरिक या सैनिक अधिकारी को जागीर नहीं दी जाती थी।

प्रान्तीय प्रशासन-

शिवा जी का राज्य राजनीतिक रूप से चार से क्षेत्रीय प्रभाग या सूबो में विभाजित था। प्रत्येक सूबा एक सूबेदार या अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आता था। उत्तरी प्रान्त मारो त्रियम्बक पिंगले के अधिकार में था। दूसरा दक्षिणी प्रान्त जो अन्ना जी दत्तों के शासन में था। तीसरा दक्षिणी-पूर्वी प्रान्त यह दत्तो जी पन्त के अधिकार में था। चौथे प्रान्त में हाल के जीते हुए प्रान्त थे। जिनमें तुंगभद्रा की दूसरी ओर कोपल से वेलूर और जिंजी वर्तमान मैसूर राज्य इसको हम अव्यवस्थित प्रान्त कह सकते है।7

प्रान्तपति अपने प्रान्त के, प्रशासन के लिए उत्तरदायी होता था। प्रान्तीय प्रशासन केन्द्रीय प्रशासन की छाया मात्र थी। प्रत्येक प्रान्त भू-राजस्व के आधार पर महलो (जिलो) में विभाजित था, जिसका प्रमुख अधिकारी 'महलदार' अथवा । 'तरफदार' कहलाता था। जिला अनेक मौजो अथवा ग्रामो में विभक्त था। 'कमविसदार' नामक अधिकारी दो अथवा तीन ग्रामों का प्रशासन देखता था। प्रत्येक गाँव में 'पाटिल ' नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी।8 विभिन्न प्रान्तो में सूबेदारो पर एक सर- सूबेदार होता था, जो सूबेदारो के कार्यों का निरीक्षण करता था। प्रत्येक सूबेदार के अधीन आठ अधिकारी होते थे। बाद में पेशवाओ के अधीन तरफ, परगना, सरकार और सूबा शब्दो का प्रयोग एक दूसरे के पूरक के रूप में किया जाने लगा।

शिवा जी के अधीन कोई भी अधिकारी आनुवांशिक और स्थायी नही था। परन्तु पेशवाओं के अधीन कमविशदार और ममलतदार के पद स्थायी हो गये । ममलतदारो पर नियन्त्रण रखने के लिए दरबदार (वसूली अधिकारी) होते थे। ये आनुवांशिक प्रान्तीय अधिकारी थे। ये ममलतदारों और अन्य नौ सैनिक और सैनिक अधिकारियों पर नियन्त्रण रखने का कार्य करते थे। ममलतदार न तो उन्हें अपदस्थ कर सकते थे न ही उन्हें पहले से ही निर्देशित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य को करने का निर्देश दे सकते थे। प्रान्तीय स्तर के आठो अधिकारी ममलतदार के प्रति जिम्मेदार नहीं थे। बल्कि वे उनकी शक्ति पर नियन्त्रण रखने का कार्य करते थे।

सैन्य प्रशासन-

शिवा जी की राजत्व प्रणाली बहुत कुछ उनकी सैन्य प्रणाली पर आधारित थी। जो उनकी सफलता की प्रमुख आधार बनी। शिवा जी के सैन्य प्रशासन में दुर्ग तोपखाना, नौ-सेना, घुड़सवार सेना एवं पदाति सेनासम्मिलित थी। शिवा जी के अन्तिम समय में उनकी सेना में 30 से 40 हजार नियमित घुड़सवार, एक लाख पदाति और 1260 हाथी थे। नागरिक प्रशासन की भांति ही सैन्य-प्रशासन में श्रेणिया बनी हुई थी। घुड़सवार सेना दो श्रेणियो मे विभाजित थी।

(क) बारगीर वे घुड़सवार सैनिक थे जिन्हें राज्य की ओर से घोड़े और शस्त्र दिये जाते थे|

(ख) सिल्हदार जिन्हें व्यवस्था आप करनी पड़ती थी।घुड़सवार सेना की सबसे छोटी ईकाई मे 25 जवान होते थे, जिनके ऊपर एक हवलदार होता था। पाँच हवलदारों का एक जुमला होता था, जिसके ऊपर एक जुमलादार होता था। दस जुमलादारों की एक हजारी होती थी और पाँच एक हजारियों के ऊपर एक पंचहजारी होता था वह सरनोबत के अन्तर्गत आता था। प्रत्येक 25 टुकड़ियों के लिए राज्य की ओर से एक नाविक और एक भिश्ती दिया
जाता था।9

अन्य स्रोत के अनुसार शिवाजी का सैन्य दल कुछ इस प्रकार थी। 45,000 पागा - 29 सेनापतियो के अधीन, 29 दलो में विभक्त थे।60,000 सिलेदार 31 सेनापतियों के अधीन थे। 1,00,000 मावले सिपाही 36 सेनापतियों के अधीन थे110

ये सैनिक आजकल के संसार के सिपाहियों की तरह बारहो महीने कूच या कवायद नहीं किया करते थे। ये विजयदशमी के दिन विदेश आक्रमण के लिए अथवा युद्ध की आशंका होने पर छावनी में इकट्ठा होते थे। इसके अतिरिक्त राजा के शरीर रक्षक दो हजार चुने हुए मावले प्यादा थे। ये लोग चमक-दमकवाली पोशाको और अच्छे हथियारों से सजे रहते थे। हर एक सैन्य दल के साथ एक-एक हिसाब जाँचने वाला(मजमुआदार), सरकार (कारभारी) और आमदनी लिखने वाला (जमानवीस) रहता था। शिवा जी के सैनिक संगठन में किलो की सबसे अधिक महत्व दिया गया। शिवा जी के पास 250 किले थे। इसके प्रशासन में तीन श्रेणियों के हाकिमों के हाथ में रखा था। जिसमें एक ब्राह्मण, एक मराठा, एक कुनढ़ी होता था। शिवा जी सैनिको को वेतन नकद देते थे। जिनको अपनी मुद्रा हूण में देते थे।

पागा- जुमलादार का वार्षिक वेतन 500 हूण।

पागा - जमानवीस तीन लोगो का कुल वार्षिक वेतन- 500 हूण।

प्यादा- जुमलादार का वार्षिक वेतन- 100 हूण।

प्यादा- जुमलादार सबनीस का वार्षिक वेतन- 40 हूण।

पागा- मजमुआदार का वार्षिक वेतन 100 से 125 हूण।

पागा - हजारी का वार्षिक वेतन 1000 हूण।

प्यादा हजारी की वार्षिक वेतन - 500 हूण।

प्यादा हजारी सबनीस का वार्षिक वेतन- 100-125 हूण 11।

इस प्रकार शिवा जी अपने सैनिको को नकद वेतन दिया करते थे किसी को भी जागीर या वेतन के बदले भूमि नहीं दिया जाता था।

भू राजस्व व्यवस्था-

मराठों की लगान व्यवस्था मलिक अम्बर व टोडरमल की लगान व्यवस्था से मिलती-जुलती थी। परन्तु शिवा जी ने मलिक अम्बर की नीति में सुधार करके उसको अधिक वैज्ञानिक बना दिया था। उसने भूमि मापन के लिए रस्सी के स्थान पर काठी (लकड़ी के टुकड़ो) का प्रयोग किया तथा बीस काठी का एक बीघा निश्चित किया गया। 120 बीघो का एक चावर निश्चित किया गया। आरम्भ में उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में लिया गया। बाद में इसे बढ़ाकर 2/5 भाग लिया जाने लगा। यह नकद या अनाज दोनो के रूप में चुकाया

जा सकता था। राजस्व की उगाही वार्षिक थी। राजस्व विभाग के अधिकारियों की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार करती थी जो मुख्यतः ब्राह्मण होते थे। कृषि को प्रोत्साहन करने के लिए राजकोष द्वारा कृषको को पेशगी (ऋण) के रूप में धनराशि अग्रिम दी जाती थी। शिवाजी राजस्व व्यवस्था जनता की हितैशी बनाने के लिए वंशानुगत मिरासदारो के सम्पूर्ण अधिकार को समाप्त कर दिया। अकाल या फसल खराब होने की स्थिति में उदारता पूर्वक अनुदान प्रदान की जाती थी। यह व्यवस्था सन् 1679 ई• मे अन्ना जी दत्तो के विस्तृत भू-सर्वेक्षण पर आधारित था।

शिवा जी के शासन काल में राज्य की आय के दो और स्रोत थे। 'सरदेशमुखी और चौथ। उनका कहना था कि देश के वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते और लोगों के हितों की रक्षा के बदले उन्हें 'सरदेशमुखी' लेने का अधिकार है। यह राजस्व का 10% होता होता था। चौथ उन प्रान्तों से लिया जाता था। जिन्हें मुगलई कहा जाता था, जो 25% होता था। इसके सम्बन्ध मे इतिहासकारों का एकमत नही है। रानाडे के अनुसार, " यह बाह्य शक्ति के आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने के बदले लिया जाने वाला कर था"

सरदेसाई , " शत्रु राज्यों एवं विजित क्षेत्रो से वसूल किया जाने वाला कर था।"

जदुनाथ सरकार , " मराठो के आक्रमण से बचने के लिए एक भयादोहन शुल्क के रूप में स्वीकार किया है"12

इस प्रकार शिवा जी अपने प्रशासन को चलाने के लिए एक ऐसी भू-राजस्व नीति लागू किया जिससे ज्यादा से ज्यादा जनता सन्तुष्ट होकर अपने राजा के प्रशासन पर विश्वास कर सके।

न्याय व्यवस्था-

न्याय के संचालन के लिए न्यायधीशो की नियुक्ति की गई थी, जो विभिन्न विधि संहिताओं की धाराओं के अनुरूप निर्णय दिया करते थे। ऐ नियम शुक्राचार्य एवं कौटिल्य की संहिताओं से उद्धृत थी। लोकप्रिय संस्था पंचायत भी अस्तित्व मे थी जिसका न्याय के निर्वाह में एक महलपूर्ण स्थान था। अन्तिम निर्णय शिवाजी ही करते थे। इनके राज्य में सभी नागरिक समान है। चाहे वह सैनिक हो अधिकारी हो या आम नागरिक उदाहरण स्वरूप एक बार उनके एक सेनापति ने किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया शिवा जी ने उसे कठोर दण्ड दिया। इससे स्यष्ट होता है कि यहाँ कानून से ऊपर किसी को नहीं माना जाता था। शिवा की धर्म सहिष्णु भी थे। उन्होंने मस्जिदों और मुस्लिम धर्मगुरूओं की भी रक्षा की। किसी भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना अपराध माना जाता था।

पेशवा कालीन परिवर्तन -

शिवा जी के बाद पेशवाओं के हाथो में वास्तविक सत्ता केन्द्रीत हो गई। बालाजी बाजीराव के काल में साम्राज्य का विस्तार तो हुआ, परन्तु प्रशासनिक केन्द्रीकरण बढ़ने से क्षेत्रीय सरदारों की स्वायत्तता भी बढ़ी। इस समय छत्रपति नाममात्र का शासक रह गया था। क्षेत्रीय सरदारो की स्वायत्तता में साम्राज्य को कमजोर किया।

निष्कर्ष-

मराठा साम्राज्य की प्रशासनिक नीति भारतीय इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखती है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रशासनिक नवाचार, राजस्व सुधार और सैन्य पुनर्गठन के माध्यम से एक सशक्त राज्य की नीव रखी। यद्यपि पेशवा काल में आन्तरिक संघर्ष उभरे फिर भी मराठा प्रशासन भारतीय राजनीतिक परंपरा में क्षेत्रीय शक्ति , स्थानीय स्वायत्तता और सामरिक नवाचार का उत्कृष्ट उदाहरण है। शिवा जी यद्यपि कट्टर हिन्दु थे लेकिन उनके प्रशासनिक नीति में कहीं भी धर्मान्धता नहीं दिखती है। इसलिए उनकी प्रशासनिक नीति मध्यकालीन इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची-

1- श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल, (2020). मुगलकालीन भारत (1526-1803), शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, पृष्ठ सं• 45
2- अहमद, डॉ. लईक, (2021). मुगलकालीन भारत (1526-1740), प्रयाग पुस्तक भवन इलाहाबाद, पृष्ठ सं• 261
3- श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल, (2020). मुगलकालीन भारत (1526-1803),शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी, पृष्ठ सं• 346 |
4- चन्द्र, सतीश, (2005). मध्यकालीन भारत, सल्तनत से मुगलो तक, भाग दो (1526- 1748), जवाहर पब्लिशर्स एवं डिस्ट्रीब्यूटर्स, नई दिल्ली, पृष्ठ सं• - 508
5- सरकार, सर यदुनाथ, (1949). शिवाजी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई पृ• सं• 161
6- सरकार, सर यदुनाथ, (1949), शिवा जी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई पृ• स०-164
7- श्री वास्तव, आशीर्वादीलाल, (2020), मुगलकालीन भारत, (1526-1803) शिवलाल अग्रवाल एण्ड कम्पनी पृ• सं० 371)
8- अहमद, डॉ• लईक, (2021), मुगलकालीन भारत (1526-1740), प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, पृष्ठ सं• - 279
9- वर्मा, हरीशचन्द्र, (2009). मध्यकालीन भारत, भाग-2 (1540-1761), हिंन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय पृष्ठ सं० 245
10- सरकार, सर यदुनाथ, (1949). शिवा जी, हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर, बम्बई पृष्ठ सं• 165
11- वही पृष्ठ सं• 167
12- वर्मा, हरीशचन्द्र, (2009). मध्यकालीन भारत, भाग -2 (1540-1761), हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय, पृष्ठ सं० 246

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

गरिमा के साथ मरने का अधिकार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु: एक अध्ययन

शिव शंकर सरोज
असिस्टेंट प्रोफेसर, विधि विभाग
महाराज बलवंत सिंह पीजी कॉलेज गंगापुर, वाराणसी
shiv.saroj29010@gmail.com

सारांशिका –

*अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने हरीश राणा नामक एक 32 वर्षीय व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की इजाजत दी है जो पिछले 13 वर्षों से सिर में लगी एक गंभीर चोट के कारण **स्थाई निशक्तता की दशा** में था। भारत में यह पहला मामला है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जीवन समर्थन प्रणाली आदि को हटाने के लिए चिकित्सकीय बोर्ड एवं परिवार के सदस्यों की सिफारिश पर अमल करते हुए ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज दिल्ली के उपशामक देखभाल विभाग में भर्ती करने और एक मजबूत उपशामक और जीवन के अंत की देखभाल योजना तैयार करने का निर्देश देते हुए परक्यूटेनियम एंडोस्कोपिक गैस्ट्रो स्ट्रोमी ट्यूब के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से प्रसारित पोषण देखभाल जिसमें दर्द रहित मानवीय तरीके से रोगी की गरिमा पूर्ण मृत्यु सुनिश्चित हो का निर्देश दिया है। हालांकि इसके बारे में उच्चतम न्यायालय ने 2011 में अरुना रामचंद्र शानबाग के बाद में पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को बहुत ही कठिन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय की देखरेख में बने एक चिकित्सकीय बोर्ड की निगरानी में दिए गए रिपोर्ट के आधार पर इच्छा मृत्यु की अनुमति देने के संबंध दिशा निर्देश जारी किया था। फिर 2018 में कामन काज बनाम भारत संघ के मामले में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दिए जाने के लिए जीवित इच्छा, और मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर आधारित विधिक नियम स्थापित किया जिसमें 2023 में और स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए।*

मुख्य शब्द - निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, लिविंग विल, मेडिकल बोर्ड, जीवन सहायक प्रणाली, चिकित्सकीय प्रशासित पोषण।

1.प्रस्तावना –

मरते हैं आरजू में मरने की मौत आती है पर नहीं आती। ग़ालिब

इच्छा मृत्यु एक ऐसा कार्य है जिसके द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी गंभीर असाध्य रोग या दुर्घटना के कारण असहनीय दर्द या कोमा में है, और भविष्य में उसके ठीक होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है तब उसे इस कष्ट से दूर करने के लिए पीड़ित व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार मृत्यु चुनने की अनुमति देना है। इसे दया मृत्यु भी कहते हैं।

इच्छा मृत्यु दो प्रकार का होता है।

i. सक्रिय यूथेनेशिया -

इसमें किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए कुछ प्रत्यक्ष कार्य किए जाते हैं जैसे की जहरीले इंजेक्शन आदि देकर अप्राकृतिक तरीके से किसी के जीवन को समाप्त किया जाता है। सामान्यतः यह किसी भी देश में अवैध है क्योंकि इसे हत्या या आपराधिक वध की श्रेणी में रखा जाता है। कुछ देशों में यह मान्य भी है जैसे कि नीदरलैंड, बेल्जियम, कोलंबिया, कनाडा आदि। नीदरलैंड विश्व का प्रथम देश है जिसने 2001 में इच्छा मृत्यु और डॉक्टर की सहायता से आत्महत्या को कानूनी तौर पर वैध घोषित किया था।

ii. निष्क्रिय इच्छा मृत्यु –

निष्क्रिय इच्छा मृत्यु में किसी मरीज, जो कि कई वर्षों से कोमा में है या किसी असाध्य रोग से ग्रसित है उसके या उसके परिवार की तरफ से अनुशंसा पर उसके जीवन रक्षक प्रणाली जैसे कि वेंटीलेटर, फीडिंग ट्यूब आदि को हटाकर या इलाज रोककर प्राकृतिक तरीके से मृत्यु होने देने की अनुमति देना है।

निष्क्रिय इच्छा मृत्यु भी दो प्रकार से दी जाती है।

A. स्वैच्छिक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु - इसमें पीड़ित व्यक्ति यदि वह स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है तो वह अपने जीवन रक्षक उपचार आदि को बंद करने का निर्णय स्वयं ले सकता है। यानी वह अपनी इच्छा मृत्यु के लिए स्वयं अनुशंसा या निवेदन कर सकता है।

B. गैर स्वैच्छिक निष्क्रिय इच्छा मृत्यु - कुछ विशेष परिस्थितियों में जब रोगी स्वयं निर्णय लेने में अक्षम है (शारीरिक,मानसिक अक्षमता के कारण या कोमा आदि के कारण) तो उसके सगे संबंधी, परिवार, मित्र या डॉक्टर आदि उसके लिए जीवन रक्षक प्रणाली आदि को हटाने का अनुरोध कर सकते हैं।

भारत में न्यायपालिका के निर्णय के माध्यम से स्थापित विधि द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु विषम परिस्थितियों में अनुमन्य है लेकिन सक्रिय इच्छा मृत्यु पूरी तरह से अमान्य एवं अवैध है क्योंकि इसे हत्या या अपराधिक मानव वध के रूप में दंडनीय अपराध घोषित किया है।

उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों 2018 एवं 2023 के अनुसरण में 11 मार्च 2026 को हरीश राणा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए 13 साल से कोमा में पड़े हरीश राणा को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के तहत ***लाइफ़ सपोर्ट (फीडिंग ट्यूब)*** हटाने की अनुमति दी है। इस मामले में हरीश राणा 19 वर्षीय एक छात्र 2013 में इमारत की चौथी मंजिल से गिर गया था। इस घटना के कारण उसके सिर में गंभीर चोट आई जिसके कारण वह **परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट** में चला गया लगभग 13 वर्षों तक उसे केवल सहायक पोषण आदि दिया जा रहा था। जो शल्य चिकित्सा द्वारा स्थापित ट्यूबों के जरिए दिया जाता था और इस अवधि में उसके स्वास्थ्य में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ। 2024 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा उसके पिता की याचिका खारिज किए जाने के बाद परिवार ने सर्वोच्च न्यायालय में 2024 में अपील की थी जहां अंततः निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की गई।

इस लेख के माध्यम से हम भारत में इच्छा मृत्यु संबंधी नियम के न्यायिक विकास का अध्ययन करेंगे साथ ही यह जानने का भी प्रयास करेंगे की इच्छा मृत्यु किन परिस्थितियों में अनुमन्य है और इसके लिए क्या कानूनी औपचारिकताएं आवश्यक हैं।

2.अध्ययन का तरीका –

यह अध्ययन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अवधारणा को पता लगाने के लिए एक साहित्यिक समीक्षा के माध्यम से गुणात्मक शोध पद्धति को अपनाता है। साहित्यिक समीक्षा मौजूदा ज्ञान को संश्लेषित करने के लिए अनुसंधान अंतराल की पहचान करने और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के विभिन्न पहलुओं को समझने एवं अलग समझ प्रदान करने के लिए उपयुक्त विधि प्रदान करता है। एकेडमिक लेख, किताबें, रिपोर्ट और न्यायिक विनिश्चियों के अध्ययनों की एक विस्तृत श्रृंखला का विश्लेषण करके यह अध्ययन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के विभिन्न पहलुओं की जांच करता है।

इस साहित्यिक समीक्षा के लिए डाटा के स्रोतों में सामान्य लेख, पुस्तके, वाद विधि, ऑनलाइन रिसोर्सेस आदि सम्मिलित है।

3.भारत में इच्छा मृत्यु विधि का विकास-

भारत में इच्छा मृत्यु विधि का विकास अनुच्छेद 21 के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार एवं मरने के अधिकार के विवाद पर आधारित है। इसकी शुरुआत उच्चतम न्यायालय में 1987 में आए एक मामले के इस बिंदु से शुरू होती है कि क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत केवल जीने का ही अधिकार नहीं,अपितु करने का भी अधिकार सम्मिलित है।

5.प्रथम चरण - मारुति श्रीपति डूबल बनाम महाराष्ट्र राज्य (1987) - इस मामले में एक पुलिस कांस्टेबल ने नगर निगम द्वारा जीविकोपार्जन के लिए दुकान स्थापित करने की अनुमति देने से इनकार किए जाने पर निराश होकर नगर निगम के कमरे में ही आग लगाकर आत्महत्या करने के प्रयास किया था। उस समय भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 309 के तहत आत्महत्या करना एक दंडनीय अपराध था।

न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि वह धारा 309 के अधीन दोषी नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में उसके पास आत्महत्या के सिवाय कोई विकल्प नहीं था। अनुच्छेद 21 उसे यह अधिकार प्रदान करता है। न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 309 जिसके अधीन आत्महत्या करना एक अपराध है संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है अतः यह धारा अवैध है । अनुच्छेद 21 के अधीन जीने के अधिकार में मरने का अधिकार भी शामिल है।

इस निर्णय का अनुमोदन **उच्चतम न्यायालय** ने **पी. रतिनाम बनाम भारत संघ 1994** के मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ ने किया और कहां के संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में करने का अधिकार भी शामिल है और आईपीसी की धारा 309 जो आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय बनाती है अवैध है।

6.द्वितीय चरण - ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य (1996).

इस मामले में विचारण न्यायालय ने ज्ञान कौर और उसके पति हरवंश कौर को अपने बहू की आत्महत्या के दुष्प्रेरण के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत दोषी करार दिया था। उन्होंने अपने बेटे को किसी दूसरी औरत से शादी करने के लिए दबाव डाला था जो कि अच्छा दहेज दे जिसके कारण बहू ने आत्महत्या कर ली थी। यह मामला उच्च न्यायालय में अपील से होते हुए उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। अपीलार्थियों ने पी रतिनाम के निर्णय का आधार बनाकर उच्चतम न्यायालय में अपील किया था जिसमें धारा 309 को आत्महत्या के प्रयास को असंवैधानिक संवैधानिक घोषित किया था। उनका तर्क यह था कि जब धारा 309 आत्महत्या का प्रयास असंवैधानिक है तो क्या इस कार्य के लिए सहायता या दुष्प्रेरण धारा 306 में असंवैधानिक नहीं होना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विवादित बिंदु थे।

- क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या में सहायता और दुष्प्रेरण तथा धारा 309 आत्महत्या का प्रयास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 14 में दिए गए संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं?
- क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार भी सम्मिलित है।
- याची का तर्क था कि गरिमा पूर्ण जीवन के अधिकार में गरिमा पूर्ण मृत्यु का अधिकार शामिल होना चाहिए विशेषकर ला-इलाज बीमारी जिसमें गंभीर दर्द, असहनीय पीड़ा का सामना करना पड़ रहा हो।
- न्यायालय ने सभी बिंदुओं एवं सभी प्रावधानों की पड़ताल करते हुए निर्णय दिया और निर्धारित किया कि –
- भारतीय दंड संहिता की धारा 306 आत्महत्या में सहायता एवं दुष्प्रेरण तथा धारा 309 आत्महत्या का प्रयास भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करते और यह पूरी तरह से संवैधानिक हैं।
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जीवन के अधिकार में हत्या का अधिकार या करने का अधिकार शामिल नहीं है।

- न्यायालय ने तर्क देते हुए कहा कि यह सिद्धांत देवी एवं प्राकृतिक आदेश के विरुद्ध है कि किसी भी व्यक्ति को मरने या मारने का अधिकार दिया जाए।
- न्यायालय ने जोर देते हुए कहा कि जीवन का अधिकार एक अप्रतिदेय (जिसे वापस नहीं लिया जा सकता) अधिकार है जिसे केवल विधि की सम्यक प्रक्रिया के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है इसमें मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है इसमें केवल गरिमा के साथ जीवन का अधिकार सम्मिलित है।

उच्चतम न्यायालय ने इच्छा मृत्यु के संदर्भ में कहा कि गरिमा के साथ मरने का अधिकार असाध्य रूप से बीमार उन लोगों पर लागू हो सकता है जो गंभीर रूप से बीमार है लेकिन यह स्पष्ट किया कि यह स्थिति मौजूदा मामले में प्रासंगिक नहीं है जिससे इच्छा मृत्यु का तर्क अप्रासंगिक हो गया।

7. तृतीय चरण - अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ (2011)

भारत में यह पहला मामला था जिसमें इच्छा मृत्यु को लेकर उच्चतम न्यायालय ने महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए थे। हालांकि इसमें याचिका कर्ता को इच्छा मृत्यु नहीं दी गई थी।

इस मामले में अरुणा शान बाग जो कि मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल अस्पताल में नर्स के रूप में सेवाएं दे रही थी। नवंबर 1973 की शाम अस्पताल के ही एक स्वीपर ने उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश में हमला किया। जब वह बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था तो उसने देखा कि अरुणा को मासिक धर्म शुरू हो गया है तब उसने उसके साथ गुदामैथुन किया। इस हमले में उसने अरुणा की गर्दन को कुत्तों को बांधने वाली एक चैन से इस प्रकार जकड़ दिया कि उसकी मस्तिष्क की नसें दब गई और उसकी मस्तिष्क में ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई। उसके चारों तरफ खून ही खून फैल गया और उनका शरीर अचेतन अवस्था में पड़ गया। दूसरे दिन सुबह अस्पताल के ही एक सफाई कर्मचारी जब वार्ड की साफ- सफाई करने आया तब उसने देखा और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बहुत इलाज के बावजूद उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ और वह परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चली गई। लगभग 4 दशकों से अधिक समय तक वह इस स्थिति में रही।

2009 में एक सामाजिक कार्यकर्ता एवं लेखक पिंकी विरानी जिसने अरुणा पर एक पुस्तक भी लिखी थी ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की। उसने याचिका में कहा कि उसको फिर से ठीक होने की संभावना नहीं है इसलिए उसे इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए जिससे उसेअसहनीय दर्द एवं पीड़ा से सदा के लिए मुक्ति मिल सके।

इस याचिका के विरोध में किंग एडवर्ड मेडिकल अस्पताल के स्टॉफ और मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने एक काउंटर याचिका दायर की और लाइफ सपोर्ट सिस्टम वापस लिए जाने का विरोध किया। क्योंकि वे लोग अरुणा की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहे थे और उसको इस तरह से मरने नहीं देना चाहते थे। इससे दोनों समूहों के बीच एक असमानता पैदा हो गई।

इस मामले में माननीय न्यायालय के सामने निम्नलिखित मुख्य विचारणीय बिंदु थे।

1. क्या एक ऐसे व्यक्ति की जीवन रक्षा प्रणाली और साधनों को हटाने की अनुमति दी जा सकती है जो चिकित्सा की रूप से परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट अवस्था में है।

2. यदि कोई मरीज पहले से ही यह घोषणा कर चुका हो कि या उसकी इच्छा हो कि यदि वह इस तरह की किसी चिकित्सकीय इमरजेंसी में हो तो उसके जीवन को बनाए रखने वाले साधन और यंत्र हटा दिए जाएं तो, क्या उसकी इच्छा का सम्मान किया जाना चाहिए।

3. क्या उसका परिवार या कोई अन्य यह प्रार्थना कर सकता है कि उसकी जीवन निर्वाह प्रणाली वेंटीलेटर आदि को बनाए रखें या हटा दे यदि उस व्यक्ति ने स्वयं पहले से ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया हो।

उच्चतम न्यायालय ने बेहतर तस्वीर प्राप्त करने के लिए 3 प्रतिष्ठित डॉक्टरो की एक टीम नियुक्त की ताकि वह अरुण की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति का सही एवं सटीक जांच कर सके।

डॉक्टरों की टीम ने अपनी जांच में पाया कि -

i. वह नवंबर 1973 से हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 4 के एक ही बेड पर पड़ी है फिर भी वह अभी तक जिंदा है।

ii. अस्पताल स्टाफ ने उनकी देखभाल बहुत अच्छी तरीके से की जिसमें उनको उसको खाना खिलाना, स्नान करवाना,उनकी दैनिक क्रिया आदि करवाना शामिल है। देखभाल इतनी असाधारण प्रकृति की थी कि आज1973 से बिस्तर पर पड़े रहने के बावजूद उनको एक भी घाव या फ्रैक्चर नहीं हुआ था।

iii. अपने आसपास के वातावरण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी लेकिन कभी-कभी लोगों को पहचानती थी। अपनी पसंद ना - पसंद को आवाज के द्वारा व्यक्त करती थी, हाथों के इशारों से बताती थी। जब उनको कभी कोई पसंदीदा भोजन जैसे मछली या चिकन मिलता था तो वह मुस्कुराती थी।

iv. कुछ दिनों तक वह मुंह से खाना लेती थी लेकिन बाद में उन्हें ट्यूब के द्वारा भोजन दिया जाने लगा जो कि उनकी नाक के द्वारा पेट में जाता था।

v. वह सचेत थी लेकिन सहयोग करने में असमर्थ थी। उसका शरीर दुबला पतला था तथा वह अपने परिवेश से अनभिज्ञ लग रही थी।

vi. वह देख सकती थी, सुन सकती थी, लेकिन आंख से आंख मिलाकर देखने में असमर्थ थी लेकिन जब उसकी आंख के पास हाथ जाता था तो पलके झुका लेती थी।

vii. उसकी मनोदशा तक पहुंचना कठिन था क्योंकि वह संवाद करने या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ थी मेडिकल परीक्षण के दौरान ना तो वह रो पाती थी ना हंसती थी और ना ही किसी अन्य भावना को मौखिक या मौखिक रूप से व्यक्त कर पा रही थी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने कहा कि अरुणा एक बलात्कार पीड़िता है जो की परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है और उस स्थिति में नहीं है कि उसकी देखभाल और उपचार को हटा दिया जाए क्योंकि उसे खाना खिलाया जा रहा था और उसकी देखभाल की जा रही थी ना कि उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था।

न्यायालय ने **सक्रिय इच्छा मृत्यु** के बारे में कहा कि यह भारतीय विधि के अंतर्गत अवैध है और इसे अनुज्ञात नहीं किया जा सकता। अदालत में दुर्लभ असाधारण मामलों में **निष्क्रिय इच्छा मृत्यु** पर विचार करने की अनुमति दी बशर्ते कि इसके लिए इसके माता-पिता पति या पत्नी या करीबी रिश्तेदारों या अस्पताल के द्वारा यह आवेदन किया गया हो। इस तरह के निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय की निगरानी वाली एक मेडिकल टीम की शामिल होगी जो उपचार वापस लेने की व्यवहारिकता निर्धारित करने के लिए आवश्यक है। क्योंकि अरुणा के मामले में इच्छा मृत्यु के लिए याचिका एक गैर सरकारी संगठन की कार्यकर्ता पिंकी विरानी ने फाइल किया था ना कि उसके रिश्तेदार या सगे संबंधी और उसकी देखभाल कर रहे अस्पताल के स्टाफ वालों की तरफ से इसका विरोध भी किया गया था इसलिए उसे निष्क्रिय इच्छा मृत्यु नहीं दी गई थी। इस निर्णय के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने भारत में गरिमा के साथ मरने के अधिकार के संबंध में एक बहस बहस छेड़ दी।

8.लिविंग विल (अग्रिम चिकित्सकीय निर्देश), मेडिकल बोर्ड अप्रूवल

कामन काज बनाम भारत संघ 2018।

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के बारे में व्यापक दिशा निर्देश दिए और उसे व्यावहारिक रूप से कैसे अमल में लाया जाएगा इसके लिए लिविंग विल और मेडिकल बोर्ड के अप्रूवल की बात की।

इस मामले में कामन काज नामक एक रजिस्टर संस्था ने इच्छा मृत्यु की विधि को स्पष्ट करने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी।

लिविंग विल (अग्रिम चिकित्सकीय निर्देश) - इसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा प्रकट कर सकता है कि यदि भविष्य में वह किसी ऐसी असाध्याय रोग से पीड़ित हो जाए जिसमें उसका ठीक होना असंभव हो। और वह अपने जीवन रक्षक प्रणाली आदि को हटाने

संबंधी निर्देश देने के लिए अक्षम हो जाए तो वह उसके लिए पहले से ही इच्छा प्रकट कर सकता है कि उस कंडीशन में उसके जीवन रक्षक प्रणाली, वेंटिलेटर आदि हटा दिए जाएं या दवा आदि देना बंद कर दिया जाए। पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ जिसमें मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा थे, ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति किसी ला इलाज बीमारी से वजह से परमानेंट वेजिटेटिव दशा में हो तो उसे लाइव सपोर्ट सिस्टम लगाए रहने के लिए दबाव देना उसकी शारीरिक अखंडता, स्वायत्त एवं गरिमा का उल्लंघन है।

मेडिकल बोर्ड –

जीवन रक्षक प्रणाली या इलाज बंद करने संबंधी निर्देश देने के लिए मेडिकल बोर्ड की मंजूरी को अधिकृत किया।

इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया की गरिमा के साथ करने का अधिकार अनुच्छेद 21 में एक मूल अधिकार है। इस तरह से भारत में सख्त सुरक्षा उपायों की निगरानी में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी गई।

उच्चतम न्यायालय ने 2023 निष्क्रिय इच्छा मृत्यु से संबंधित दिशा निर्देशों में बदलाव और सुधार करते हुए इच्छा मृत्यु संबंधी प्रक्रिया को और भी सरल बना दिया क्योंकि 2018 में दिए गए निर्देशों बहुत अस्पष्टता और कठिनाइयां थी। जैसे की दो मेडिकल बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता थी एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड और एक सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड जिसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया हो द्वारा यह सत्यापित किया जाना चाहिए था कि क्या वह मरीज किसी असाध्य रोग से ग्रसित है या परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में है या नहीं।

मेडिकल बोर्ड की अनुमति से इनकार के खिलाफ अपील की जा सकती थी और अग्रिम निर्देश को रद्द किया जा सकता था।

इंडियन काउंसिल ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने 2019 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक आवेदन पेश किया जिसमें लिविंग बिल को निष्पादित करने में परिवार या अस्पताल द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया।

9. 2023 में किए गए बदलाव -

1. पहले लिविंग बिल को निष्पादित करने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक था अभी आवश्यकता को हटा दिया गया है और इसे नोटरी या राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराया जा सकता है।

2. पहले एक अभिभावक या रिश्तेदार को ही अग्रिम निर्देश देने के लिए या जीवन रक्षक प्रणाली हटाने संबंधी निर्णय लेने का अधिकार था। अब एक से अधिक अभिभावक या करीबी रिश्तेदार को सरोगेट निर्णय के रूप में नामित किया जा सकता है।

3. मेडिकल बोर्ड का गठन जटिल था क्योंकि इसमें जिला कलेक्टर भी शामिल था।

4. पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट की अनुमोदन के बाद ही इलाज वापस लिया जा सकता था अब अस्पतालों को केवल मजिस्ट्रेट को मेडिकल बोर्ड की राय को संसुचित करने की आवश्यकता है।

इस बदलाव के तुरंत बाद हरीश राणा के परिवार ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपने 32 वर्षीय बेटे हरीश 10.

चतुर्थ चरण: हरीश राणा बनाम भारत संघ 2026.

जैसा कि इस वाद से संबंधित तथ्यों के बारे में पहले ही बात हो चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के अनुपालन के बाद जीवन समर्थन को वापस लेने की अनुमति दी यह देखते हुए की हरीश के जैविक जीवन को लंबा करना उसके सर्वोत्तम हित में नहीं था क्योंकि उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं था। पिछले 13 वर्षों से अपीलकर्ता ने दर्द और पीड़ा से परिभाषित जीवन दिया है इस पीड़ा में उसकी आवाज ने और बड़ा दिया था क्योंकि वह कुछ बोलकर प्रकट नहीं कर सकता था।

उच्चतम न्यायालय ने जीवन समर्थन वापस लेने के लिए मेडिकल बोर्ड और परिवार के सदस्यों की सिफारिश को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया और ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज दिल्ली को हरीश राणा को अपने उपशामक देखभाल विभाग में भर्ती करने और एक मजबूत उपशामक और जीवन के अंत की देखभाल योजना का निर्देश दिया। इस बात पर जोर दिया गया है कि जीवन रक्षक प्रणाली की

वापसी बेहद मानवीय तरीके से किया जाना चाहिए। मरीज को पीड़ा एवं दर्द आदि लक्षणों का प्रबंध किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि रोगी की गरिमा संरक्षित है।

सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि परक्विटेनियम एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्ट्रॉमी ट्यूब के माध्यम से चिकित्सकीय रूप से प्रशासित पोषण केवल बुनियादी देखभाल नहीं बल्कि चिकित्सा उपचार है। इसलिए इसकी वापसी निष्क्रिय इच्छामृत्यु के दायरे में आती है और यदि मरीज के सर्वोत्तम हित में नहीं है तो इसे मेडिकल बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।

इस मामले में हरीश राणा को इच्छा मृत्यु संबंधी निर्देश देने के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेडिकल बोर्ड में सेवा देने के लिए पंजीकृत चिकित्सा अभ्यासकर्ताओं का एक पैनल तैयार रखें।

साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लाइफ केयर की समाप्ति पर एक व्यापक कानून बनाने की भी जोरदार दलील की है।

11.निष्कर्ष –

उपरोक्त सभी न्यायिक निर्णयों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि भारत में इच्छा मृत्यु संबंधी विधि इन्हीं न्यायिक निर्णय एवं संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या का परिणाम है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी ऐसे मरीज को जो कि किसी असाध्य रोग से ग्रसित है और लंबे इलाज के बाद भी उसकी हालत में कोई सुधार होने की उम्मीद नहीं है और विशेषज्ञ चिकित्सकों ने भी यह मान लिया है कि अब इसकी स्थिति सुधारने के बजाय दिनों दिन बिगड़ती ही जाएगी। इन परिस्थितियों में रोगी स्वयं या उसके परिवार या सगे संबंधी या अस्पताल कर्मी उसकी लाइफ सपोर्ट सिस्टम वेंटीलेटर आदि को हटाने या इलाज बंद करने की अनुमति मांग सकते हैं, जिसके द्वारा उस रोगी की प्राकृतिक मृत्यु हो सके। हरीश राणा के मामले में निर्णय देते हुए जस्टिस जे.बी.पारदीवाला ने कहा कि यह निर्णय इच्छा मृत्यु पर भारत के न्यायशास्त्र को एक पूर्ण चक्र में लाता है। इसका अर्थ यह है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु संबंधी जो लड़ाई पिंकी विरानी ने अरुणा शान बाग के मामले में लड़ी जिसे उच्चतम न्यायालय ने कामन काज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में और 2023 के संशोधन के माध्यम से विभिन्न दिशा निर्देशों एवं प्रक्रियात्मक उपाय का कवच मिला, उसका प्रयोग करते हुए हरीश राणा के मामले में एक विधि स्थापित हुई।

हरीश राणा के मामले में उसके माता-पिता द्वारा अपने ही बेटे की इच्छा मृत्यु संबंधी अनुमति मांगना जहां एक तरफ माता-पिता एवं संतान के बीच के संबंध हमेशा के लिए समाप्त करने की मांग थी वहीं दूसरी तरफ माता-पिता के सम्मुख अपने ही पुत्र को अनिवारक पीड़ा में तड़पते देने की दुख की समाप्ति का विकल्प था। यह मामला बेहद ही भावुक एवं संवेदनशील कर देने वाला है। यह लेख लिखे जाने तक इस मामले में हरीश राणा की मृत्यु भी हो चुकी है। दिनांक 25 मार्च 2026 को ऑल इंडिया एम्स मेडिकल साइंसेज दिल्ली में हरीश राणा ने अपनी अंतिम सांस ली।

संदर्भ -सूची

- Sukla's V.N, (2022). Constitution of India,14th edition, Eastern Book Publication.
- Jain M.P., (2022).Indian constitutional law, 8th edition, lexis Nexis
- K.T.Muhammad Farooque, (2026)The jurisprudence of dignity: Evolution of Passive Euthanasia in India, March,14.
- Kaur,Bakshi Gursimran, (2026). His family never left his side, Real love is caring in Saddest Hours: Supreme Court's Lauds Harish Rana's parents, March 11.

- Maruti Shripati Dubal vs state of Maharashtra AIR 1987.
- P. Ratinam vs Union of India AIR 1994.
- Gian Kaur vs The State of Punjab AIR 1996 SC, 196
- Aruna Ramchandra Shanbaag vs Union of India AIR 2011 SC 1290
- Common Cause vs Union of India 2018
- Harish Rana vs Union of India March 2026

 www.livelaw.in

 www.dristiias.com

 www.sci.gov.in

 www.indiankanoon.org

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति की चुनौतियाँ एवं संभावनाएँ : एक समाजवैज्ञानिक विश्लेषण

डॉ. अनामिका सिंह

सहायक प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग

कुँ. आर. सी. महिला महाविद्यालय, मैनपुरी।

Email- anasingh9026@gmail.com

सारांश (Abstract)

वर्तमान 21वीं सदी में भारतीय संस्कृति वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, डिजिटल क्रांति, बाजारवाद और शहरीकरण जैसी शक्तिशाली सामाजिक प्रक्रियाओं के बीच अपनी स्वयं की पहचान को बचाकर एवं उसे नए प्रारूप में पुनर्निर्मित करते हुए टिकाने की कोशिश में लगी है। इस शोध -पत्र का लक्ष्य वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति के समक्ष प्रमुख चुनौतियों जैसे कि पश्चिमीकरण से उत्पन्न सांस्कृतिक विघटन, पारंपरिक परिवार व्यवस्था का विघटन, उपभोक्तावाद का प्रसार, जाति -आधारित सामाजिक असमानता, धर्म व साम्प्रदायिकता के नए रूप, डिजिटल विभाजन और सांस्कृतिक विकृतियों आदि का समाजवैज्ञानिक दृष्टि से विस्तृत विश्लेषण करना है।
प्रस्तुत अध्ययन में भारतीय संस्कृति की संभावनाओं जैसे योग -आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकृति, डिजिटल माध्यमों के माध्यम से सांस्कृतिक पुनर्जागरण, नीतिगत एवं संस्थागत हस्तक्षेप, युवा पीढ़ी की भागीदारी और बहुसांस्कृतिक परंपरा की वैश्विक नैतिक भूमिका आदि का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण में कार्यात्मकवाद, संघर्ष सिद्धांत, प्रतीकात्मक परस्परक्रियावाद और आधुनिकरण सिद्धांत जैसे समाजवैज्ञानिक प्रावधानों का उपयोग किया गया है।

कुंजी शब्द (Key Words) : भारतीय संस्कृति, सांस्कृतिक क्षरण, वैश्वीकरण, योग-आयुर्वेद, सॉफ्ट पावर आदि।

प्रस्तावना (Introduction)

भारतीय संस्कृति वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, उपभोक्तावाद और डिजिटल क्रांति जैसी तेज़-गति वाली सामाजिक-आर्थिक तकनीकी प्रक्रियाओं के बीच अपनी पारंपरिक पहचान और नवीन सामाजिक-सांस्कृतिक प्रारूपों के बीच संतुलन स्थापित करने की कोशिश में है। भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम और सबसे विविध सांस्कृतिक परंपराओं में से एक मानी जाती है, जो वैदिक काल से चली आ रही है। जिसे वेदों, उपनिषदों, महाकाव्यों, संत परंपराओं ने धार्मिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक और नैतिक विविधता से समृद्ध बनाया है। लेकिन 21वीं सदी की वैश्विक सांस्कृतिक-आर्थिक परिस्थितियों के बीच यह संस्कृति नए प्रकार की चुनौतियों से जूझ रही है। समाजशास्त्र में संस्कृति को 'सामाजिक मूल्यों, विश्वासों, प्रतीकों, भाषा, व्यवहार और जीवन-शैली का समुच्चय' माना जाता है। **एमिल दुर्खाइम** के अनुसार, संस्कृति सामाजिक एकता और स्थिरता का आधार है, जबकि **कार्ल मार्क्स** इसे वर्ग-संघर्ष और सामाजिक नियंत्रण का माध्यम मानते हैं। इसी संदर्भ में भारतीय संस्कृति, जो धर्म, जाति, लिंग, क्षेत्र-आधारित बहुसांस्कृतिक समाज में मूल्य-संहिता के रूप में कार्य करती आयी है, अब वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण और शहरीकरण के प्रभाव से काफी बदलाव के दौर से गुज़र रही है। वर्तमान समय में युवा पीढ़ी पश्चिमी जीवनशैली, फास्ट-फूड, वेस्टर्न फैशन और मल्टीनेशनल ब्रांड की संस्कृति से अधिक परिचित हो रही है। एकल-परिवार व्यवस्थाओं का प्रादुर्भाव, जिससे पारंपरिक सामाजिक पारिवारिक मूल्य कमज़ोर हो रहे हैं। शहरीकरण की तेज़ दर ने ग्रामीण सांस्कृतिक प्रणाली को उपभोक्तावाद में बदल दिया है। साथ ही, डिजिटल क्रांति ने सोशल मीडिया, वेब-श्रृंखलाएँ और

ऑनलाइन आध्यात्मिक-स्वास्थ्य-उत्पादों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के नए अर्थ-निर्माण और व्यावसायीकरण को उत्पन्न किया है। इस प्रकार, भारतीय संस्कृति आज 'स्थिर पुरानी विरासत' के रूप में नहीं, बल्कि एक गतिशील, संकर और पुनर्निर्माणशील वास्तविकता के रूप में उभर रही है।

उद्देश्य (Objectives)

1. वर्तमान भारतीय समाज की सांस्कृतिक स्थिति को समझना और उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना।

2. वैश्वीकरण, आधुनिकीकरण, शहरीकरण, बाजारीकरण और डिजिटल क्रांति जैसी प्रक्रियाओं से उत्पन्न चुनौतियों की पहचान करना तथा उनके सामाजिक/व्यक्तिगत प्रभावों का विश्लेषण करना।

3. जाति, लिंग, धर्म, वर्ग और क्षेत्रीयता आदि सामाजिक विभेदकों के आधार पर सांस्कृतिक असमानताओं को समझना और उनके दीर्घ-कालिक प्रभावों का अध्ययन करना।

4. भारतीय संस्कृति की नवीन संभावनाओं जैसे योग, आयुर्वेद, ध्यान, भारतीय दर्शन, लोक-संस्कृति और बहुसांस्कृतिक विविधता की वैश्विक उपयोगिता का विश्लेषण करना।

परिकल्पनाएँ (Hypotheses)

1. वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण से पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य कमजोर हो रहे हैं, परंतु इसके साथ ही सांस्कृतिक संकरता के रूप में नए सांस्कृतिक रूप विकसित हो रहे हैं।

2. शहरीकरण और उपभोक्तावाद से सामाजिक व सांस्कृतिक असमानताएँ बढ़ी हैं, लेकिन डिजिटल माध्यम सांस्कृतिक संरक्षण और प्रसार के नए अवसर प्रदान कर रहे हैं।

3. भारतीय संस्कृति की बहुलतावादी एवं समावेशी प्रकृति के कारण, वर्तमान तनावों के बावजूद दीर्घकाल में सामाजिक सह-अस्तित्व संभव है, यदि जागरूकता और निष्पक्ष नीतियाँ सुनिश्चित हों

शोध पद्धति (Methodology)

यह शोध पत्र गुणात्मक (Qualitative) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) प्रकृति का है, जिसमें मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों (जैसे पुस्तकों, शोध लेखों, रिपोर्टों एवं ऑनलाइन सामग्री आदि) का उपयोग किया गया है। अध्ययन का उद्देश्य भारतीय संस्कृति के बदलते स्वरूप, चुनौतियों एवं संभावनाओं का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है।

सीमाएँ (Limitations)

इस अध्ययन में क्षेत्र आधारित प्राथमिक सर्वेक्षण या जनमत संग्रह शामिल नहीं किया गया है। साथ ही, यह शोध मुख्यतः भारतीय संदर्भ तक सीमित है, अतः अंतरराष्ट्रीय तुलनात्मक विश्लेषण सीमित रूप में ही प्रस्तुत किया गया है।

विश्लेषण विधियाँ (Methods of Analysis)

- **सामग्री विश्लेषण (Content Analysis):** विभिन्न स्रोतों से प्राप्त सामग्री को वर्गीकृत कर सांस्कृतिक चुनौतियों, संभावनाओं एवं मूल्यों के प्रमुख संकेतकों की पहचान की गई।
- **तुलनात्मक विश्लेषण (Comparative Analysis):** जाति, वर्ग, धर्म, लिंग एवं क्षेत्रीय आधार पर सांस्कृतिक अनुभवों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया।
- **सैद्धांतिक व्याख्या (Theoretical Interpretation):** विभिन्न समाजशास्त्रीय सिद्धांतों के माध्यम से निष्कर्षों को समझाया गया।

सैद्धांतिक विश्लेषण (Theoretical Analysis)

- **क्रियात्मक सिद्धांत (Functionalism):** संस्कृति को समाज की सामाजिक स्थिरता, मूल्य-ऑर्डर और नियन्त्रण का साधन

माना जाता है। इसी दृष्टि से भारतीय संस्कृति के तत्वों (जैसे परंपरागत मूल्य, परिवार-व्यवस्था) को सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक माना गया है, तथा जब ये टूटते हैं तो इसे **डिस्फंक्शनलिटी** के रूप में देखा गया है।

- **संघर्ष सिद्धांत (Conflict Theory):** धर्म, जाति और वर्ग आधारित असमानता और विभाजन संस्कृति के भीतर गहराई से जुड़ा माना जाता है। इस दृष्टि से भारतीय संस्कृति में जातिगत संरचना और धार्मिक साम्प्रदायिक राजनीति को "संघर्ष" के रूप में व्याख्यायित किया गया है।
- **आधुनिकीकरण सिद्धांत (Modernization Theory):** ग्रामीण से शहरी, पारंपरिक से आधुनिक, जाति-आधारित से वर्ग-आधारित समाज की ओर बदलती संरचना को आधुनिकरण का हिस्सा माना जाता है। इसका प्रभाव धार्मिक विश्वासों, परिवार-संरचना और मूल्य-प्रणाली पर गहरा पड़ा है।
- **प्रतीकात्मक अंत:क्रियावाद (Symbolic Interactionism):** व्यक्ति, समूह और संस्थानों के बीच होने वाली दैनिक अन्योन्यक्रियाएँ नए प्रतीकों और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को जन्म देती हैं। इस दृष्टि से सोशल-मीडिया पर वायरल "रील्स", मीम्स, डिजिटल-धार्मिक-कंटेंट आदि को नई सांस्कृतिक अभिव्यक्तियाँ माना जा सकता है।

साहित्य समीक्षा (Literature Review)

भारतीय संस्कृति के अध्ययन में समाजशास्त्र, इतिहास एवं सांस्कृतिक अध्ययन के अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ***एम.एन. श्रीनिवास*** ने *"संस्कृतीकरण"* की अवधारणा के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि संस्कृति स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील एवं गतिशील होती है। इसी प्रकार ***राधाकमल मुखर्जी*** आदि विद्वानों ने भारतीय समाज की बहुआयामी संरचना (जाति, धर्म एवं ग्राम, शहर आदि) का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया।

वैश्वीकरण के संदर्भ में आधुनिक समाजशास्त्रियों जैसे ***एंथनी गिडेंस*** ने बताया कि *"समय-स्थान संक्षेपण"* के कारण स्थानीय संस्कृतियाँ वैश्विक प्रभावों से जुड़ गई हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि भारतीय संस्कृति पर पश्चिमी जीवनशैली, उपभोक्तावाद एवं व्यक्तिवाद का प्रभाव बढ़ा है, जिससे पारंपरिक सामूहिकता एवं पारिवारिक संरचनाएँ कमजोर हुई हैं। कई भारतीय विद्वानों ने इसे *"सांस्कृतिक साम्राज्यवाद"* की संज्ञा दी है, जहाँ वैश्विक मीडिया एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार कर रही हैं । हाल के अध्ययनों में भारतीय संस्कृति का SWOT विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें इसकी बहुलता, योग एवं आयुर्वेद जैसी विशेषताओं को ताकत माना गया है, जबकि सामाजिक असमानता, जातिगत विभेद एवं सांस्कृतिक विकृति को प्रमुख चुनौतियाँ बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग और आयुर्वेद की स्वीकृति ने भारत को एक *"सॉफ्ट पावर"* के रूप में स्थापित किया है। वर्तमान साक्ष्यों के अनुसार भारतीय संस्कृति के समक्ष सामाजिक, आर्थिक एवं डिजिटल असमानताएँ प्रमुख बाधाएँ हैं। फिर भी डिजिटल माध्यमों, सांस्कृतिक विविधता एवं पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों के माध्यम से इसके पुनर्जागरण की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं । भारतीय संस्कृति के विषय पर समाजशास्त्र, इतिहास, मानव-विज्ञान और सांस्कृतिक अध्ययन जैसे विभिन्न वैज्ञानिक व अनुवैज्ञानिक ग्रन्थ मिलते हैं। इस साहित्य समीक्षा में हम उन प्रमुख कार्यों पर केंद्रित हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के विकास, टकराव और परिवर्तन को व्याख्यायित किया है।

वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति

भारतीय संस्कृति विश्व की प्राचीनतम एवं बहुलतावादी संस्कृतियों में से एक है, जिसकी प्रमुख विशेषताएँ सहिष्णुता, विविधता में एकता, आध्यात्मिक परंपरा तथा परिवार-केन्द्रित सामाजिक संरचना हैं। विभिन्न धर्म, भाषाएँ और लोक परंपराएँ सह-अस्तित्व में रहते हुए सांस्कृतिक समन्वय को मजबूत करती हैं।

वर्तमान संदर्भ में वैश्वीकरण, शहरीकरण और डिजिटल क्रांति ने भारतीय संस्कृति के स्वरूप को तेजी से प्रभावित किया है। उपभोक्तावादी जीवनशैली, अंतरराष्ट्रीय ब्रांड संस्कृति और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में बढ़ा है। शहरी आबादी में वृद्धि (लगभग 40% से अधिक) ने पारंपरिक पारिवारिक संरचना और जीवनशैली में परिवर्तन लाया है।

डिजिटल युग में इंटरनेट और सोशल मीडिया (जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि) ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के नए माध्यम प्रदान किए हैं, जिससे लोक कलाएँ और परंपराएँ नई पीढ़ी तक पहुँच रही हैं। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

साथ ही, वर्तमान राजनीतिक एवं साम्प्रदायिक तनावों ने सांस्कृतिक सह-अस्तित्व को प्रभावित किया है। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति एक गतिशील, संकर एवं पुनर्निर्माणशील स्वरूप में विकसित हो रही है, जहाँ परंपरा और आधुनिकता का नया समन्वय देखने को मिल रहा है।

वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति की प्रमुख चुनौतियाँ

वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति अनेक जटिल चुनौतियों का सामना कर रही है, जिनमें पश्चिमीकरण, शहरीकरण तथा बाजारवाद प्रमुख हैं।

- **पश्चिमीकरण और सांस्कृतिक क्षरण :** वैश्वीकरण के प्रभाव से पश्चिमी जीवनशैली, व्यक्तिवाद, भौतिकवाद और उपभोक्तावाद भारतीय समाज में तेजी से फैल रहे हैं। सोशल मीडिया, विदेशी ब्रांड्स और फिल्म संस्कृति के कारण युवा पीढ़ी पारंपरिक त्योहारों, भाषाओं और सामाजिक मूल्यों से दूर होती जा रही है। पारंपरिक भोजन की जगह फास्ट फूड, स्थानीय भाषाओं की जगह मिश्रित भाषा और लोक कलाओं का व्यावसायीकरण सांस्कृतिक क्षरण को दर्शाता है। इसे सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का उदाहरण माना जा सकता है।
- **शहरीकरण और पारिवारिक विघटन :** तेज़ शहरीकरण ने संयुक्त परिवार व्यवस्था को कमजोर कर दिया है और परमाणु परिवारों का विस्तार हुआ है। इससे पारिवारिक सहयोग, सामाजिक नियंत्रण तथा वृद्धों की देखभाल में कमी आई है। विवाह संबंधों में परिवर्तन (जैसे प्रेम विवाह, लिव-इन संबंध और तलाक की बढ़ती दर) ने पारिवारिक स्थिरता को प्रभावित किया है। इसके साथ ही महिलाओं की कार्यक्षेत्र में बढ़ती भागीदारी ने पारंपरिक भूमिकाओं में परिवर्तन लाया है।
- **बाजारवाद और उपभोक्तावाद :** बाजार अर्थव्यवस्था के प्रभाव से संस्कृति के तत्वों का अधिकाधिक उपभोक्तावादी व्यवहार त्योहारों को अब न केवल सांस्कृतिक अवसर के रूप में बल्कि व्यावसायिक गतिविधियों में बदल रहे हैं। ब्रांडेड वस्तुओं का बढ़ता उपयोग, अत्यधिक खर्च और पर्यावरण की उपेक्षा पारंपरिक मूल्यों को कमजोर कर रहे हैं।
- **सामाजिक असमानता: जाति, धर्म, लिंग :** भारतीय संस्कृति के सामने सामाजिक असमानता एक गंभीर चुनौती है, जो इसकी बहुलता और सहिष्णुता के विपरीत कार्य करती है। जाति आधारित विभाजन आज भी कई क्षेत्रों में विद्यमान है, विशेषकर ग्रामीण समाज में दलित एवं आदिवासी समुदायों को सामाजिक भेदभाव और सीमित अवसरों का सामना करना पड़ता है। धर्म आधारित साम्प्रदायिकता भी सांस्कृतिक एकता के लिए बाधा बनती है। भारत की धार्मिक विविधता जहाँ समृद्धि का प्रतीक है, वहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण यह कभी-कभी तनाव और संघर्ष में बदल जाती है। लिंग आधारित असमानता भी एक महत्वपूर्ण समस्या है। शिक्षा के प्रसार के बावजूद दहेज प्रथा, लैंगिक भेदभाव और महिलाओं के सीमित अवसर उनकी सांस्कृतिक भागीदारी को प्रभावित करते हैं।
- **डिजिटल विभाजन, फेक न्यूज़ और सांस्कृतिक विकृति :** डिजिटल युग ने भारतीय संस्कृति के प्रसार के नए अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियाँ भी उभर कर सामने आई हैं। डिजिटल विभाजन के कारण शहरी और शिक्षित वर्ग को अधिक लाभ मिलता है, जबकि ग्रामीण और निम्न आय वर्ग इससे पीछे रह जाता है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ और भ्रामक धार्मिक-सांस्कृतिक सामग्री के प्रसार से सामाजिक तनाव और भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है। इससे सांस्कृतिक मूल्यों और विश्वास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अतः डिजिटल माध्यम एक ओर सांस्कृतिक विकास का साधन है, तो दूसरी ओर यह विकृति और विभाजन का कारण भी बन सकता है।

इस प्रकार, ये सभी कारक भारतीय संस्कृति के पारंपरिक स्वरूप को चुनौती देते हुए उसमें गहरे परिवर्तन ला रहे हैं।

भारतीय संस्कृति की वर्तमान संभावनाएँ

- **योग, आयुर्वेद और वैश्विक "सॉफ्ट पावर" :** भारतीय संस्कृति की प्रमुख संभावनाएँ योग और आयुर्वेद के वैश्विक प्रसार से जुड़ी हैं। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (21 जून) को 170 से अधिक देशों में मनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि योग अब केवल स्वास्थ्य अभ्यास नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक-आध्यात्मिक पहचान बन चुका है। इसी प्रकार आयुर्वेदिक उत्पादों का वैश्विक बाजार तेज़ी से बढ़ रहा है, जो लगभग 15–16 अरब डॉलर के स्तर तक पहुँच चुका है। इससे भारतीय संस्कृति का प्राकृतिक, संतुलित और समग्र स्वास्थ्य दृष्टिकोण विश्व स्तर पर स्वीकार किया जा रहा है। इस प्रकार भारत "सॉफ्ट पावर" के रूप में उभर रहा है, जहाँ आर्थिक लाभ के साथ सांस्कृतिक प्रभाव भी बढ़ रहा है।

- **डिजिटल माध्यमों द्वारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण :** डिजिटल प्लेटफॉर्म भारतीय संस्कृति के पुनर्जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भजन, लोक संगीत, शास्त्रीय नृत्य, त्योहार और भाषाई विविधता व्यापक रूप से प्रस्तुत की जा रही है। #YogaDay, #BharatCulture जैसे डिजिटल अभियानों ने सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाया है। OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय इतिहास, लोककथाएँ और परंपराएँ आधुनिक दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं, जिससे युवा पीढ़ी अपनी जड़ों से जुड़ रही है।
- **नीतिगत एवं संस्थागत प्रयास :** भारतीय संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए विभिन्न नीतिगत प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत भारतीय ज्ञान प्रणाली (IKS) को शिक्षा में शामिल करने का प्रयास किया गया है, जिससे वेद, उपनिषद, योग और आयुर्वेद जैसे विषयों को अकादमिक आधार मिल रहा है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा विरासत संरक्षण, संग्रहालयों के विकास और सांस्कृतिक महोत्सवों के आयोजन से भी सांस्कृतिक पुनर्जीवन को बढ़ावा मिला है। साथ ही विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों द्वारा आयोजित सेमिनार, वेबिनार और डिजिटल आर्काइव परियोजनाएँ भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।
- **युवा पीढ़ी की भूमिका और सांस्कृतिक नवीनीकरण :** युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति के संरक्षण और नवाचार की प्रमुख वाहक बनकर उभर रही है। सोशल मीडिया, ब्लॉग, पॉडकास्ट और डिजिटल कंटेंट के माध्यम से युवा लोक कला, भाषाओं और परंपराओं को नए रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। कई युवा संगठन स्थानीय संस्कृति, लोक भाषाओं और आदिवासी परंपराओं के संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही युवा पारंपरिक तत्वों को आधुनिक शैली के साथ जोड़कर एक "हाइब्रिड संस्कृति" का निर्माण कर रहे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति अधिक प्रासंगिक, गतिशील और वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली बन रही है।

इस प्रकार योग, डिजिटल माध्यम, नीतिगत प्रयास और युवा भागीदारी भारतीय संस्कृति के भविष्य के लिए सशक्त संभावनाएँ प्रस्तुत करते हैं।

समाजवैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से विश्लेषण

- **कार्यात्मकवादी दृष्टिकोण :** कार्यात्मकवादी सिद्धांत (दुर्खाइम, टालकॉट पार्सन्स) के अनुसार संस्कृति सामाजिक स्थिरता, मूल्य संरक्षण और सामाजिक नियंत्रण का आधार होती है। भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता, परिवार-केन्द्रित जीवन और परंपरागत मूल्यों ने लंबे समय तक समाज को स्थिर बनाए रखा। किंतु वैश्वीकरण और बाजारवाद के प्रभाव से पारिवारिक विघटन, मूल्य संकट और व्यक्तिवाद बढ़ा है। इसके बावजूद नई सांस्कृतिक प्रवृत्तियाँ जैसे डिजिटल अभिव्यक्ति, योग और आयुर्वेद आदि संस्कृति के पुनर्गठन का संकेत देती हैं।
- **संघर्ष सिद्धांत आधारित व्याख्या :** संघर्ष सिद्धांत (मार्क्स, वेबर) के अनुसार संस्कृति शक्ति और वर्चस्व का माध्यम भी होती है। भारतीय समाज में जाति आधारित असमानता, धार्मिक विशेषाधिकार और आर्थिक विभाजन इसी दृष्टि से समझे जा सकते हैं। ऊँची जातियों का सांस्कृतिक संसाधनों पर नियंत्रण तथा निम्न वर्गों का हाशिए पर रहना सामाजिक असंतुलन को दर्शाता है। इसी प्रकार साम्प्रदायिक राजनीति में धर्म का उपयोग शक्ति संघर्ष के रूप में होता है। अतः भारतीय संस्कृति की चुनौतियाँ केवल बाहरी प्रभावों से नहीं, बल्कि आंतरिक संरचनात्मक असमानताओं से भी जुड़ी हैं।
- **प्रतीकात्मक परस्परक्रियावाद :** मीड और गोफमैन के अनुसार सांस्कृतिक अर्थ दैनिक सामाजिक अंतःक्रियाओं से निर्मित होते हैं। वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों (जैसे मीम्स, रील्स, हैशटैग और इमोजी) ने पारंपरिक सांस्कृतिक प्रतीकों को नए अर्थ दिए हैं। युवा पीढ़ी अपनी पहचान, आस्था और जीवनशैली को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यक्त कर रही है। इससे संस्कृति एक गतिशील, संकर और निरंतर पुनर्निर्मित होने वाली प्रक्रिया के रूप में उभर रही है।
- **आधुनिकीकरण सिद्धांत और भारतीय संदर्भ :** आधुनिकीकरण सिद्धांत के अनुसार समाज पारंपरिक से आधुनिक संरचना की ओर बढ़ता है। भारतीय संदर्भ में ग्राम-आधारित जीवन से शहरी जीवन की ओर परिवर्तन, तथा धार्मिक विश्वासों के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास प्रमुख उदाहरण हैं। योग और आयुर्वेद को अब वैज्ञानिक और स्वास्थ्यपरक दृष्टि से प्रस्तुत किया जा रहा है । इन सभी सिद्धांतों से स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति न तो स्थिर है और न ही पूर्णतः परिवर्तित, बल्कि यह पुनर्गठन, संकरण और निरंतर विकास की प्रक्रिया में है, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का समन्वय दिखाई देता है।

समाजवैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर व्यावहारिक सुझाव

- **पाठ्यक्रम-सुधार:** भारतीय ज्ञान-प्रणाली (वेद, उपनिषद, भारतीय दर्शन, योग-आयुर्वेद, गणित, नैतिक विज्ञान आदि) को वैज्ञानिक अनुसंधान के साथ जोड़कर पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, ताकि युवा पीढ़ी में इसकी बेहतर समझ विकसित हो।
- **बहुसांस्कृतिक सामाजिक शिक्षण:** स्कूल-स्तर पर बहुधर्मात्मकता, जाति-संवेदनशीलता और लिंग समानता/लैंगिक संवेदनशीलता विषयक संवाद/कार्यक्रम आयोजित किए जाएँ, ताकि डिजिटल साम्प्रदायिक विद्वेष की विपरीत दिशा में सांस्कृतिक संवाद बढ़ सके।
- **संस्कृति-संरक्षण निधि:** सरकार और स्वतंत्र संस्थाएँ मिलकर लोक कला संरक्षण कोष और आदिवासी संस्कृति संरक्षण प्रोजेक्ट की स्थापना करें, जिससे खतरे में पड़ी लोक-कलाएँ और भाषाएँ बचाई जा सकें।
- **डिजिटल-संरक्षण मानक:** डिजिटल-संस्कार और अनुचित सांस्कृतिक विकृति से बचाव के लिए डिजिटल-सांस्कृतिक नैतिकता दिशा निर्देश जारी किए जाएँ, जिससे धार्मिक-सांस्कृतिक प्रतीकों के व्यावसायी विकृत उपयोग पर अंकुश लग सके।
- **स्थानीय-सांस्कृतिक संग्रहण:** विश्वविद्यालयों, नागरिक-संस्थाएँ और युवा-ग्रुप द्वारा लोक कथा आर्काइव, भाषा का डिजिटल संरक्षण, और लोक नृत्य संग्रह के लिए स्थानीय स्तर पर प्रोजेक्ट शुरू किए जाएँ।
- **सांस्कृतिक-संवाद मंच:** विविध धर्म, जाति और लिंग-आधारित समुदायों के बीच नागरिक संवाद कार्यक्रम (जैसे सामुदायिक योग शिविर, लोक संगीत एवं धार्मिक धर्म संवाद सत्र आदि) आयोजित किए जाएँ, ताकि साम्प्रदायिक विभाजन की विपरीत दिशा में सांस्कृतिक सह अस्तित्व को बढ़ावा मिल सके।

निष्कर्ष (Conclusion)

वर्तमान समय में भारतीय संस्कृति अनेक चुनौतियों के बीच परिवर्तनशील अवस्था में है। पश्चिमीकरण, शहरीकरण, बाजारवाद, जाति, धर्म, लिंग आधारित असमानताएँ तथा डिजिटल विकृति ने पारंपरिक मूल्यों और सामाजिक संरचना पर दबाव डाला है। विशेष रूप से पारिवारिक विघटन, उपभोक्तावाद और सांप्रदायिक तनावों ने सांस्कृतिक संतुलन को प्रभावित किया है। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति की अंतर्निहित लचीलता और बहुलतावादी स्वरूप ने नई संभावनाओं को जन्म दिया है। योग और आयुर्वेद की वैश्विक स्वीकृति, डिजिटल माध्यमों द्वारा सांस्कृतिक पुनर्जागरण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जैसे नीतिगत प्रयास तथा युवा पीढ़ी की सक्रिय भागीदारी ने इसे "जीवंत और प्रासंगिक" बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

समाजवैज्ञानिक दृष्टि से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संस्कृति का भविष्य न तो पूर्ण पतन का है और न ही केवल पुनरुत्थान का, बल्कि यह एक संकर (hybrid), गतिशील और निरंतर पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण और आधुनिकीकरण के बीच यह अपनी पारंपरिक जड़ों को बनाए रखते हुए नए सामाजिक, आर्थिक और डिजिटल संदर्भों में स्वयं को ढाल रही है। अध्ययन की परिकल्पनाएँ भी इस तथ्य की पुष्टि करती हैं कि जहाँ वैश्वीकरण ने कुछ मूल्यों को कमजोर किया है, वहीं सांस्कृतिक संकरण और डिजिटल माध्यमों ने नए अवसर भी प्रदान किए हैं।

अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि शिक्षा, नीतिगत समर्थन, डिजिटल जागरूकता और युवा सहभागिता को सुदृढ़ किया जाए, तो भारतीय संस्कृति भविष्य में एक सशक्त "सॉफ्ट पावर" के रूप में उभरते हुए वैश्विक स्तर पर मानवीय और नैतिक मूल्यों को स्थापित कर सकती है।

संदर्भ (References) :

1. भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय. (2020). *राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (National Education Policy-2020)*. नई दिल्ली: भारत सरकार प्रकाशन विभाग.
2. भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय. (2025). *वार्षिक समीक्षा-2025: मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर (Year End Review-2025: Ministry of Culture)*. नई दिल्ली: संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार.

3. विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन. (2026). *भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य वर्ष 2025: पुरातत्व, धरोहर और संस्कृति (India's Cultural Landscape in 2025: Archaeology, Heritage)*. नई दिल्ली: विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन.
4. नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS). (2020). *समकालीन भारत में सामाजिक-सांस्कृतिक समस्याएँ (Socio-cultural Issues in Contemporary India)*. नई दिल्ली: NIOS प्रकाशन.
5. एड्यूमोंड. (2020). *भारतीय संस्कृति का SWOT विश्लेषण (SWOT Analysis of Indian Culture)*. एड्यूमोंड (EduMound). ऑनलाइन प्रकाशन, https://www.edumound.com/article/swot-analysis-of-indian-culture/
6. गिडेंस, ए. (1990). *आधुनिकता के परिणाम (The Consequences of Modernity)* . लंदन: Polity Press.
7. गिडेंस, ए. (1999). *जोखिम वाला समाज: एक नई आधुनिकता की ओर (Risk Society: Towards a New Modernity)* . बेवर्ली हिल्स: Sage Publications.
8. मुखर्जी, रा.क. (बिना तारीख). *भारतीय समाज और संस्कृति*. नई दिल्ली: ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस.
9. श्रीनिवास, एम.एन. (1966). *आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन (Social Change in Modern India)* . बर्कली: University of California Press.
10. राधाकृष्णन, पी. (2020). *वैश्वीकरण और भारत में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद (Globalisation and Cultural Nationalism in India)*. नई दिल्ली: Sage Publications.

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

हिंदी सिनेमा से युवाओं का बदलता सामाजिक व्यवहार

डॉ अभिषेक कुमार सरोज
असि. प्रोफेसर–समाजशास्त्र
मदनमोहन मालवीय पी जी कॉलेज
कालाकांकर प्रतापगढ़।
संबद्ध–प्रो.राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज (उ. प्र.)

सारांश–
हिंदी सिनेमा भारतीय समाज के सांस्कृतिक, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का महत्वपूर्ण प्रतिबिंब रहा है। समय के साथ सिनेमा की विषयवस्तु, प्रस्तुति शैली और तकनीकी स्वरूप में निरंतर परिवर्तन हुए हैं, जिनका सीधा प्रभाव विशेष रूप से युवा वर्ग पर पड़ा है। डिजिटल युग के आगमन ने इन परिवर्तनों को और अधिक तीव्र बना दिया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन जैसी आधुनिक तकनीकों ने हिंदी सिनेमा के निर्माण, प्रसार और उपभोग की पारंपरिक प्रणालियों को पूरी तरह बदल दिया है, जिससे युवाओं की भागीदारी और पहुँच में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है।

यह शोध–पत्र हिंदी सिनेमा और डिजिटल माध्यमों के संयुक्त प्रभाव के संदर्भ में युवाओं के बदलते सामाजिक व्यवहार का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि हिंदी सिनेमा आज केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गया है, बल्कि यह युवाओं के विचार, दृष्टिकोण, जीवनशैली, भाषा–शैली, पहनावे, संबंधों और सामाजिक मूल्यों को भी प्रभावित कर रहा है। डिजिटल माध्यमों के विस्तार के कारण युवाओं को विविध प्रकार की फिल्मों और वैश्विक विषयवस्तु तक आसान पहुँच मिली है, जिससे उनकी सोच में खुलापन, सामाजिक जागरूकता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और रचनात्मकता का विकास हुआ है। इसके विपरीत, हिंदी सिनेमा और डिजिटल प्लेटफॉर्म के अत्यधिक प्रभाव से युवाओं में उपभोक्तावादी प्रवृत्ति, आभासी जीवनशैली, सामाजिक अलगाव, सांस्कृतिक असंतुलन तथा मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ भी उभरकर सामने आई हैं। कई बार फिल्मी आदर्शों और वास्तविक जीवन के बीच अंतर के कारण युवाओं में असंतोष और अवास्तविक अपेक्षाएँ विकसित होती हैं, जो उनके सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करती हैं। अतः यह आवश्यक है कि युवा वर्ग हिंदी सिनेमा और डिजिटल माध्यमों के प्रभाव को समझते हुए उनका उपयोग संतुलित, विवेकपूर्ण और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ करे, ताकि उनका सामाजिक व्यवहार स्वस्थ, जिम्मेदार और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बन सके।

कुंजीभूत शब्द: हिंदी सिनेमा, डिजिटल मीडिया, युवा व्यवहार, सोशल मीडिया, ओटीटी प्लेटफॉर्म, सामाजिक परिवर्तन

सिनेमा केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज की मानसिकता, सांस्कृतिक मूल्यों और जीवनशैली को प्रभावित करने वाला एक सशक्त माध्यम है। यह सामाजिक यथार्थ को प्रस्तुत करने के साथ–साथ लोगों की सोच और दृष्टिकोण को भी आकार देता है। भारत में हिंदी सिनेमा ने समय–समय पर सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विभिन्न ऐतिहासिक चरणों में फिल्मों ने पारिवारिक संबंधों, देशभक्ति, प्रेम, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता तथा संघर्ष जैसे विषयों को प्रभावशाली ढंग से चित्रित किया है। डिजिटल क्रांति के बाद सिनेमा के उपभोग की पारंपरिक पद्धतियों में व्यापक बदलाव आया है। पहले जहाँ फिल्में देखने का प्रमुख माध्यम सिनेमाघर हुआ करते थे, वहीं अब युवा वर्ग मोबाइल फोन, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट टीवी जैसे डिजिटल उपकरणों के माध्यम से किसी भी स्थान और समय पर फिल्में देख सकता है। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं और ओटीटी मंचों ने मनोरंजन की पहुँच को अत्यंत सरल और व्यापक बना दिया है।

इस तकनीकी परिवर्तन का युवाओं के सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। उनकी सोच, भाषा शैली, पहनावा, रहन–सहन, सामाजिक संबंधों की प्रकृति तथा व्यवहार के तरीकों में परिवर्तन स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। डिजिटल माध्यमों ने जहाँ युवाओं को वैश्विक संस्कृति से जोड़ा है, वहीं उनके सामाजिक दृष्टिकोण और जीवनशैली को भी नया स्वरूप प्रदान किया है।

हिंदी सिनेमा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य –

भारतीय सिनेमा का विकास एक लंबी ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है। प्रारंभिक दौर में फिल्में मूक हुआ करती थीं, जिनमें संवादों के स्थान पर हाव–भाव और दृश्य प्रभावों के माध्यम से कथानक प्रस्तुत किया जाता था। बाद में ध्वनि तकनीक के विकास के साथ बोलती फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, जिसने सिनेमा को व्यापक लोकप्रियता दिलाई। इसी चरण से हिंदी सिनेमा का व्यवस्थित विस्तार आरंभ हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी सिनेमा ने सामाजिक यथार्थ को प्रमुखता से प्रस्तुत करना शुरू किया। इस कालखंड की फिल्मों में समाज सुधार, पारिवारिक संबंध, नैतिक मूल्यों, आदर्शवाद तथा सामूहिक जीवन की भावनाओं को विशेष महत्व दिया गया। फिल्में केवल मनोरंजन का साधन न रहकर सामाजिक चेतना का माध्यम बनने लगीं।

1. स्वर्णिम युग का सिनेमा –

बीसवीं शताब्दी के मध्य काल, विशेष रूप से 1950 से 1970 के बीच का समय, हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर के रूप में देखा जाता है। इस अवधि में फिल्मों की कथावस्तु अधिक यथार्थवादी और संवेदनशील रही। सामाजिक असमानता, निर्धनता, वर्ग विभाजन तथा मानवीय संघर्षों को गहन भावनात्मकता के साथ चित्रित किया गया। इस दौर की फिल्मों ने समाज की वास्तविक परिस्थितियों को कलात्मक अभिव्यक्ति प्रदान की।

2–व्यावसायिक सिनेमा का दौर –

1970 से 1990 के बीच हिंदी सिनेमा में व्यावसायिकता का प्रभाव बढ़ने लगा। फिल्मों का उद्देश्य व्यापक दर्शक वर्ग का मनोरंजन बन गया, जिसके कारण कथानकों में एक्शन, रोमांस, संगीत और नाटकीय तत्वों की प्रधानता बढ़ी। इस समय फिल्मों में नायक का व्यक्तित्व अधिक प्रभावशाली, साहसी और विद्रोही रूप में प्रस्तुत किया गया। अन्याय और भ्रष्ट व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष करने वाले पात्रों ने दर्शकों, विशेषकर युवाओं, पर गहरा प्रभाव डाला।

3– आधुनिक सिनेमा–

इक्कीसवीं सदी के आरंभ से हिंदी सिनेमा की विषयवस्तु और प्रस्तुति शैली में विविधता आई है। बदलती सामाजिक परिस्थितियों और नई पीढ़ी की अपेक्षाओं के अनुरूप फिल्मों में नवीन विषयों को स्थान दिया जाने

लगा। शिक्षा प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक समानता, युवा समस्याएँ, शहरी जीवन, तथा बदलते पारिवारिक संबंध जैसे विषय प्रमुखता से उभरकर सामने आए। तकनीकी उन्नति और वैश्विक प्रभाव के कारण फिल्मों की निर्माण शैली और प्रस्तुति में भी आधुनिकता दिखाई देने लगी।

डिजिटल युग का विस्तार और सिनेमा–

डिजिटल तकनीक के विकास ने मनोरंजन जगत, विशेष रूप से सिनेमा, में व्यापक और परिवर्तनकारी प्रभाव डाला है। आधुनिक साधनों ने फिल्म निर्माण, वितरण और प्रचार के तरीकों को पूरी तरह नया रूप दिया है।

1 – इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रभाव– आज इंटरनेट ने फिल्मों के प्रचार–प्रसार को तेज और व्यापक बना दिया है।

YouTube Instagram और Facebook जैसे मंचों के माध्यम से फिल्म के ट्रेलर, टीजर और गीत कुछ ही समय में करोड़ों दर्शकों तक पहुँच जाते हैं। इससे दर्शकों में फिल्मों के प्रति उत्सुकता तेजी से बढ़ती है और प्रचार की लागत भी कम होती है।

2 – ओटीटी प्लेटफॉर्म का विकास– ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं ने मनोरंजन देखने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। NetfliÛ, Amazon Prime Video और Disney+ Hotstar जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म के कारण अब दर्शक घर बैठे फिल्में और वेब–सीरीज देख सकते हैं। इससे युवाओं को विदेशी भाषाओं और अंतरराष्ट्रीय विषयों पर आधारित सामग्री देखने का अवसर मिला है, जिससे उनका दृष्टिकोण अधिक व्यापक हुआ है।

3 – डिजिटल सिनेमैटोग्राफी – आधुनिक डिजिटल उपकरणों ने फिल्म निर्माण को अधिक उन्नत बना दिया है। डिजिटल कैमरे, विजुअल इफेक्ट्स (VFX) और उन्नत संपादन सॉफ्टवेयर की सहायता से फिल्में अधिक आकर्षक और प्रभावशाली बन रही हैं। इन तकनीकों ने युवाओं में रचनात्मकता और तकनीकी कौशल के प्रति रुचि को भी बढ़ावा दिया है।

युवाओं पर हिंदी सिनेमा का सामाजिक प्रभाव–

हिंदी सिनेमा केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह युवाओं के विचारों, व्यवहार, जीवनशैली और सामाजिक दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करता है। फिल्मों में प्रस्तुत कथानक, पात्र और संवाद युवाओं के मन पर स्थायी छाप छोड़ते हैं।

1– जीवनशैली पर प्रभाव– फिल्मों में दिखाई गई आधुनिक जीवनशैली का युवाओं पर सीधा प्रभाव पड़ता है। वे फिल्मों में प्रदर्शित फैशन, हेयरस्टाइल, पहनावे के तरीके और बोलने की शैली को अपनाने लगते हैं। इसके परिणामस्वरूप सिनेमा युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण और आत्म–प्रस्तुति को प्रभावित करता है।

2 – भाषा और संचार शैली– हिंदी फिल्मों के लोकप्रिय संवाद अक्सर युवाओं की रोजमर्रा की भाषा का हिस्सा बन जाते हैं। आधुनिक फिल्मों के प्रभाव से 'कूल' भाषा, नए स्लैंग शब्दों और हिंदी–अंग्रेजी के मिश्रण (हिंग्लिश) का प्रयोग बढ़ा है। इससे युवाओं की संवाद शैली अधिक अनौपचारिक और प्रभावशाली बनी है।

3– प्रेम और संबंधों की धारणा – समकालीन हिंदी सिनेमा ने प्रेम, विवाह और संबंधों के पारंपरिक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। फिल्मों में दर्शाए गए लिव–इन रिलेशनशिप, डेटिंग संस्कृति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे विचारों को युवा वर्ग तेजी से स्वीकार कर रहा है। इससे रिश्तों को देखने का नजरिया अधिक आधुनिक और व्यक्तिगत हुआ है।

4– करियर और महत्वाकांक्षा – कई प्रेरणादायक फिल्में युवाओं को अपने सपनों का पीछा करने की सीख देती हैं। इन फिल्मों के प्रभाव से युवाओं में खेल, संगीत, अभिनय, उद्यमिता और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। सिनेमा उन्हें जोखिम लेने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

5– सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूकता – हिंदी सिनेमा समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करता है। फिल्मों के माध्यम से युवाओं में लैंगिक समानता, शिक्षा का महत्व, पर्यावरण संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ी है। सिनेमा सामाजिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बन गया है।

डिजिटल मीडिया और युवाओं का व्यवहारिक परिवर्तन–

डिजिटल मीडिया के तीव्र विकास ने युवाओं के व्यवहार, सोचने के तरीके और सामाजिक संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। इंटरनेट और स्मार्ट उपकरणों के व्यापक उपयोग के कारण युवाओं की जीवनशैली अधिक आभासी और तकनीक–निर्भर होती जा रही है।

1– आभासी सामाजिकता – सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Instagram Facebook और WhatsApp ने युवाओं के संवाद के तरीकों को बदल दिया है। अब आमने–सामने बातचीत की अपेक्षा ऑनलाइन चौटिंग और वर्चुअल संवाद अधिक प्रचलित हो गए हैं। इससे संचार तेज हुआ है, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क कम हुआ है।

2 –आत्म–अभिव्यक्ति के नए मंच – डिजिटल प्लेटफॉर्म ने युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के नए अवसर प्रदान किए हैं। वे अपने विचार, कला, संगीत, नृत्य और अभिनय को ऑनलाइन साझा कर सकते हैं। YouTube और Instagram जैसे मंचों ने रचनात्मक युवाओं को पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

3– त्वरित प्रसिद्धि की चाह – डिजिटल युग में रील्स, शॉर्ट वीडियो और वायरल ट्रेंड्स का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। कम समय में अधिक लोकप्रियता पाने की इच्छा युवाओं को आकर्षित करती है। इससे वे लगातार नए और आकर्षक कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित होते हैं।

4 –मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव – डिजिटल दुनिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। ऑनलाइन तुलना, लाइक्स और फॉलोअर्स की प्रतिस्पर्धा, तथा ट्रोलिंग जैसी समस्याएँ तनाव, चिंता और अवसाद को बढ़ा सकती हैं। आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने से वास्तविक सामाजिक संबंध भी प्रभावित होते हैं।

5– सूचना का अतिप्रवाह – इंटरनेट पर अत्यधिक सामग्री की उपलब्धता के कारण युवाओं का ध्यान आसानी से भटकता है। लगातार डिजिटल सामग्री देखने से उनकी एकाग्रता और अध्ययन क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। जानकारी की अधिकता कभी–कभी मानसिक थकान भी उत्पन्न करती है।

सकारात्मक प्रभाव–

डिजिटल मीडिया और सिनेमा के विकास ने युवाओं के जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन लाए हैं। इन माध्यमों ने न केवल मनोरंजन प्रदान किया है, बल्कि शिक्षा, जागरूकता और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराए हैं।

1– सामाजिक जागरूकता में वृद्धि – डिजिटल मीडिया और फिल्मों के माध्यम से युवाओं को समाज से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी मिलती है। वे सामाजिक समस्याओं, अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होते जा रहे हैं।

2– वैश्विक संस्कृति से परिचय– इंटरनेट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने युवाओं को विभिन्न देशों की संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैलियों से परिचित कराया है। इससे उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ है और वे वैश्विक सोच विकसित कर पा रहे हैं।

3 – रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहन – डिजिटल साधनों की सहायता से युवा अपने विचारों को नए और रचनात्मक रूप में प्रस्तुत कर पा रहे हैं। फिल्म निर्माण, वीडियो संपादन, ग्राफिक डिजाइन, संगीत निर्माण और लेखन जैसे क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिला है।

4 –सामाजिक मुद्दों पर खुली चर्चा– डिजिटल प्लेटफॉर्म ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मजबूत किया है। युवा अब शिक्षा, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त करते हैं और चर्चाओं में भाग लेते हैं।

5– नई रोजगार संभावनाएँ– डिजिटल क्रांति के कारण रोजगार के अनेक नए क्षेत्र विकसित हुए हैं। कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल मार्केटिंग, एनीमेशन, फिल्म निर्माण, सोशल मीडिया प्रबंधन और ऑनलाइन शिक्षा जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए नए करियर अवसर उत्पन्न हुए हैं।

नकारात्मक प्रभाव–

1 –उपभोक्तावाद में वृद्धि – आधुनिक मीडिया और विज्ञापन लोगों को अनावश्यक वस्तुएँ खरीदने के लिए प्रेरित करते हैं। इससे जरूरतों की जगह इच्छाएँ बढ़ती हैं और व्यक्ति भौतिकवादी बनता जाता है।

2 – पारिवारिक संवाद में कमी– मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत कम हो गई है। लोग साथ बैठकर समय बिताने की बजाय स्क्रीन पर अधिक समय देते हैं।

3– हिंसा और आक्रामकता का प्रभाव– फिल्मों, टीवी कार्यक्रमों और वीडियो गेम्स में बढ़ती हिंसा का बच्चों और युवाओं के व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे आक्रामक व्यवहार को सामान्य मानने लगते हैं।

4– सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण– पाश्चात्य संस्कृति के अत्यधिक प्रभाव से पारंपरिक रीति–रिवाज, भाषा और नैतिक मूल्य धीरे–धीरे कमजोर हो रहे हैं। लोग अपनी संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं।

5–डिजिटल लत और समय की बर्बादी– इंटरनेट, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स की लत से लोग अपने महत्वपूर्ण कार्यों, पढ़ाई और जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दे पाते, जिससे समय और उत्पादकता दोनों की हानि होती है।

हिंदी सिनेमा, डिजिटल मीडिया और सांस्कृतिक द्वंद्व–

आज का भारतीय युवा पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक जीवनशैली के बीच संतुलन बनाने का प्रयास कर रहा है। एक ओर परिवार, संस्कार और परंपराएँ उसके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आधुनिक सोच और नए जीवन के तरीके भी उसे आकर्षित करते हैं। हिंदी सिनेमा और डिजिटल मीडिया इस सांस्कृतिक द्वंद्व को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करते हैं। फिल्मों और वेब सामग्री में पारंपरिक पारिवारिक भावनाओं के साथ–साथ आधुनिक विचारधाराओं को भी दिखाया जाता है। इसका युवाओं की सोच, व्यवहार और जीवनशैली पर गहरा प्रभाव पड़ता है।

इस प्रकार, सिनेमा और डिजिटल माध्यम न केवल मनोरंजन के साधन हैं, बल्कि वे युवाओं के सांस्कृतिक दृष्टिकोण और जीवन मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं।

केस अध्ययन (उदाहरण)–

1– युवा प्रेरणा और शिक्षा– 3 प्कपवजे जैसी फिल्मों ने पारंपरिक शिक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। इस प्रकार की कहानियाँ युवाओं को अपनी रुचि, प्रतिभा और क्षमता के अनुसार करियर चुनने के लिए प्रेरित करती हैं। वे यह संदेश देती हैं कि केवल अंक ही सफलता का मापदंड नहीं हैं।

2– महिला सशक्तिकरण– Dangal ने बेटियों को खेलों में आगे बढ़ने और अपने सपनों को पूरा करने की प्रेरणा दी। यह कहानी दर्शाती है कि अवसर और प्रोत्साहन मिलने पर महिलाएँ किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकती हैं। साथ ही, यह लैंगिक समानता का सशक्त संदेश देती है।

3– सामाजिक समानता– ।rticle 15 जैसी फिल्मों ने समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और असमानता जैसे संवेदनशील विषयों को उजागर किया। ऐसी प्रस्तुतियाँ युवाओं में सामाजिक जागरूकता बढ़ाती हैं और समानता व न्याय के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करती हैं।

शोध पद्धति (संक्षेप में) – यह शोध द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है। पुस्तकों, शोध पत्रों, समाचार लेखों, फिल्म समीक्षाओं और डिजिटल मीडिया रिपोर्टों का अध्ययन करके विश्लेषण किया गया है।

निष्कर्ष – हिंदी सिनेमा और डिजिटल युग ने युवाओं के सामाजिक व्यवहार, सोच और जीवनशैली में व्यापक परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। आज का युवा पहले की तुलना में अधिक जागरूक, आत्मविश्वासी, अभिव्यक्तिशील और महत्वाकांक्षी बन गया है। वे सामाजिक, शैक्षणिक और समसामयिक मुद्दों पर खुलकर अपने विचार प्रकट करते हैं तथा पारंपरिक मान्यताओं को तर्क के आधार पर परखने का प्रयास करते हैं।

हालाँकि, इन सकारात्मक परिवर्तनों के साथ कुछ चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। डिजिटल माध्यमों के अत्यधिक उपयोग से युवाओं में लत की समस्या बढ़ रही है। आभासी संबंधों की बढ़ती प्रवृत्ति वास्तविक सामाजिक संबंधों को प्रभावित कर रही है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक असंतुलन, समय की बर्बादी और मानसिक तनाव जैसी समस्याएँ भी देखने को मिल रही हैं।

अतः आवश्यक है कि सिनेमा और डिजिटल मीडिया का उपयोग संतुलित, सजग और सकारात्मक दिशा में किया जाए। शैक्षणिक संस्थानों, परिवारों और नीति–निर्माताओं को समन्वय स्थापित कर युवाओं का उचित मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि वे तकनीक और मीडिया का उपयोग अपने रचनात्मक, बौद्धिक और सामाजिक विकास के लिए प्रभावी रूप से कर सकें।

सुझाव–

1. शैक्षणिक पाठ्यक्रम में मीडिया साक्षरता को शामिल किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी मीडिया के प्रभाव को समझ सकें और डिजिटल साधनों का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना सीखें।
2. युवाओं को डिजिटल संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना आवश्यक है, जिससे वे स्क्रीन समय को नियंत्रित कर सकें और तनाव व डिजिटल लत से बच सकें।
3. सामाजिक विषयों पर आधारित सार्थक फिल्मों और डिजिटल सामग्री को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जो शिक्षा, समानता और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती हों।
4. परिवारों में आपसी संवाद को बढ़ावा देना चाहिए ताकि युवाओं को उचित मार्गदर्शन और भावनात्मक सहयोग मिल सके।
5. सांस्कृतिक शिक्षा और पारंपरिक मूल्यों के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, जिससे युवाओं में अपनी संस्कृति के प्रति सम्मान और जुड़ाव बना रहे।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. आहूजा, राम (2014). भारतीय समाज. जयपुररू रावत पब्लिकेशन्स, पृ. 120
2. सिंह, योगेंद्र (2008). भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन. नई दिल्लीरू रावत पब्लिकेशन्स, पृ. 85
3. दुबे, एस. सी. (1990). भारतीय समाज. नई दिल्लीरू नेशनल बुक ट्रस्ट, पृ. 57
4. गुप्ता, एम. एल. एवं शर्मा, डी. डी. (2011). समाजशास्त्र. आगरारू साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, पृ.120
5. जैन, पी. सी. (2016). समाजशास्त्र के सिद्धांत. नई दिल्लीरू ग्रंथ शिल्पी, पृ. 105
6. कुमार, कीर्ति (2012). जनसंचार माध्यम और समाज. नई दिल्लीरू राजकमल प्रकाशन, पृ. 147.
7. पांडेय, विनोद (2018). मीडिया, युवा और बदलता समाज. नई दिल्लीरू वाणी प्रकाशन, पृ. 80

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता और विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि का सम्बन्ध : एक अध्ययन

डॉ.सरोज कुमार राही
असि. प्रोफेसर – शिक्षक शिक्षा विभाग
डॉ0 राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय ढिंढुई प्रतापगढ़
संबद्ध–प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज

सारांश –
शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर काफी हद तक शिक्षक की व्यावसायिक दक्षताओं पर निर्भर करता है। शिक्षक केवल ज्ञान प्रदान करने वाला व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का प्रमुख मार्गदर्शक भी होता है। प्रभावी शिक्षण के माध्यम से शिक्षक विद्यार्थियों में सीखने की रुचि विकसित करता है तथा उनकी शैक्षिक उपलब्धि को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रस्तुत शोध पत्र में शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं और विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध का अध्ययन द्वितीयक (सेकेंडरी) आंकड़ों के आधार पर किया गया है। अध्ययन हेतु विभिन्न शोध पत्रों, शैक्षिक जर्नलों, सरकारी एवं गैर-सरकारी रिपोर्टों, शिक्षा संबंधी नीति दस्तावेजों तथा सर्वेक्षणों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण किया गया है। विश्लेषण से यह ज्ञात हुआ कि शिक्षक का विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल, कक्षा प्रबंधन, मूल्यांकन क्षमता, संप्रेषण कौशल तथा शैक्षिक तकनीकी का प्रयोग विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जिन शिक्षकों में ये दक्षताएँ अधिक विकसित होती हैं, उनके विद्यार्थी अध्ययन में अधिक रुचि लेते हैं और बेहतर शैक्षिक प्रदर्शन करते हैं।

अतः निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता और विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य सकारात्मक एवं सार्थक संबंध पाया जाता है। शिक्षकों की दक्षताओं में वृद्धि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने का महत्वपूर्ण आधार सिद्ध हो सकती है।

कुंजीभूत शब्द – व्यावसायिक दक्षता, शैक्षिक उपलब्धि, शिक्षक गुणवत्ता, शिक्षण कौशल, कक्षा प्रबंधन

शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास की आधारशिला मानी जाती है। किसी देश की प्रगति उसकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर निर्भर करती है, और शिक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता में शिक्षक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक ज्ञान के संप्रेषक मात्र नहीं होते, बल्कि वे विद्यार्थियों के बौद्धिक, नैतिक एवं व्यक्तित्व विकास के मार्गदर्शक भी होते हैं। एक दक्ष शिक्षक शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को सार्थक, रोचक एवं उद्देश्यपूर्ण बनाता है, जिससे विद्यार्थियों में सीखने की रुचि विकसित होती है और उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है। वर्तमान समय में वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति तथा ज्ञान–विज्ञान के तीव्र विस्तार के कारण शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार की आवश्यकता और अधिक बढ़ गई है। विद्यालयी

शिक्षा को प्रभावी बनाने तथा विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी युग के अनुरूप तैयार करने के लिए शिक्षण पद्धतियों, मूल्यांकन प्रणाली तथा अधिगम संसाधनों में निरंतर परिवर्तन किए जा रहे हैं। इन परिवर्तनों को सफलतापूर्वक लागू करने में शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता निर्णायक भूमिका निभाती है।

हाल के वर्षों में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भी शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति, सतत प्रशिक्षण, कौशल विकास तथा शिक्षण की गुणवत्ता को विशेष प्राथमिकता दी गई है। नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, शैक्षिक तकनीकों तथा छात्र-केंद्रित शिक्षण रणनीतियों में दक्ष बनाया जाए, जिससे शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली एवं परिणामोन्मुख हो सके। व्यावसायिक दक्षता से आशय शिक्षक की उन ज्ञानात्मक, कौशलात्मक एवं व्यवहारिक क्षमताओं से है जिनके माध्यम से वह शिक्षण कार्य को प्रभावी ढंग से संपादित करता है। इसमें विषय-वस्तु का गहन ज्ञान, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग, कक्षा प्रबंधन, प्रभावी संप्रेषण, मूल्यांकन कौशल, शैक्षिक तकनीकी का उपयोग तथा विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सम्मिलित होते हैं। जब शिक्षक इन दक्षताओं से युक्त होता है, तब वह विद्यार्थियों की अधिगम आवश्यकताओं को समझते हुए शिक्षण को अधिक सरल, स्पष्ट एवं रुचिकर बना सकता है।

अतः यह स्पष्ट है कि शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता और विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य घनिष्ठ संबंध विद्यमान है। शिक्षक जितना अधिक प्रशिक्षित, दक्ष एवं अद्यतन ज्ञान से युक्त होगा, विद्यार्थियों का शैक्षिक प्रदर्शन उतना ही अधिक प्रभावी होगा। इसी संदर्भ में प्रस्तुत अध्ययन शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध का विश्लेषण करने का प्रयास करता है।

अध्ययन की आवश्यकता–

इस अध्ययन की आवश्यकता निम्न कारणों से अनुभव की गई–

1. शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर गिरावट पर चिंता
2. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान
3. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन
4. शिक्षण प्रक्रिया को अधिक परिणामदायी बनाने की आवश्यकता

अध्ययन के उद्देश्य–

1. शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं की अवधारणा को स्पष्ट करना
2. विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के प्रमुख घटकों की पहचान करना
3. व्यावसायिक दक्षता एवं शैक्षिक उपलब्धि के मध्य संबंध का विश्लेषण करना

साहित्य समीक्षा–

विभिन्न विद्वानों एवं शोधकर्ताओं ने शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य घनिष्ठ संबंध को स्वीकार किया है। संबंधित अध्ययनों को वर्षानुसार निम्न प्रकार व्यवस्थित किया गया है–

Benjamin Bloom (1976) ब्लूम ने अपने Mastery Learning Theory में बताया कि यदि शिक्षक योजनाबद्ध शिक्षण, निरंतर मूल्यांकन तथा सुधारात्मक शिक्षण विधियों का प्रयोग करें तो अधिकांश विद्यार्थी उच्च स्तर की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षक की शिक्षण दक्षता विद्यार्थियों के प्रदर्शन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।1

Lee Shulman (1986) शुलमैन के अनुसार प्रभावी शिक्षण के लिए शिक्षक में विषय–वस्तु ज्ञान के साथ-साथ पैडागॉजिकल कंटेंट नॉलेज का होना आवश्यक है। जिस शिक्षक को विषय की गहन समझ होती है, वह विद्यार्थियों को जटिल अवधारणाएँ भी सरल रूप में समझाने में सक्षम होता है, जिससे उनकी शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है।2

डार्लिंग-हैमंड (2000) के अध्ययन से ज्ञात हुआ कि प्रशिक्षित एवं व्यावसायिक रूप से दक्ष शिक्षक विद्यार्थियों की शैक्षणिक सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिन विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या अधिक होती है, वहाँ विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम बेहतर होता है।3

मार्जानो (2003) ने कक्षा प्रबंधन, शिक्षण रणनीतियों एवं शिक्षक-विद्यार्थी संबंधों को विद्यार्थियों की उपलब्धि बढ़ाने वाले प्रमुख कारक माना। सुव्यवस्थित कक्षा वातावरण विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है।4

Punya Mishra एवं डंजजीमू ज्ञवमीसमत (2006) इन्होंने TPACK डवकमस प्रस्तुत करते हुए कहा कि आधुनिक युग में प्रभावी शिक्षण के लिए विषय ज्ञान, शिक्षण ज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान का समन्वय आवश्यक है। तकनीकी दक्षता से युक्त शिक्षक डिजिटल माध्यमों द्वारा विद्यार्थियों की रुचि एवं सहभागिता बढ़ा सकते हैं।5

हैटी ने अपने प्रसिद्ध शोध टपेपइसम स्मंतदपदह में 800 से अधिक मेटा-विश्लेषणों के आधार पर निष्कर्ष निकाला कि शिक्षक की गुणवत्ता विद्यार्थियों की उपलब्धि को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली विद्यालयीय कारक है। शिक्षक की प्रतिपुष्टि (feedback), स्पष्ट शिक्षण एवं सक्रिय सहभागिता को उन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।6

उपरोक्त अध्ययनों से स्पष्ट है किकृ प्रभावी शिक्षण कौशल विद्यार्थियों की उपलब्धि बढ़ाते हैं। प्रशिक्षित शिक्षक विद्यार्थियों की सीखने की गति को तीव्र करते हैं। तकनीकी दक्षता डिजिटल शिक्षण को प्रभावी बनाती है। सकारात्मक कक्षा वातावरण शैक्षिक प्रगति में सहायक होता है। अतः साहित्य समीक्षा से यह निष्कर्ष निकलता है कि शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता शिक्षा की गुणवत्ता निर्धारण का प्रमुख आधार है

व्यावसायिक दक्षता की अवधारणा–

व्यावसायिक दक्षता से आशय शिक्षक की उन समग्र क्षमताओं से है, जिनके माध्यम से वह शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण तथा परिणामोन्मुख बना सकता है। यह केवल विषय ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें शिक्षण कौशल, व्यवहारिक दक्षता, संप्रेषण क्षमता, तकनीकी ज्ञान तथा कक्षा संचालन की योग्यता भी सम्मिलित होती है। एक व्यावसायिक रूप से दक्ष शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों एवं क्षमताओं को समझते हुए शिक्षण को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि अधिगम प्रक्रिया अधिक सरल, रोचक और स्थायी बन सके। ऐसी दक्षता शिक्षक को कक्षा की विविध परिस्थितियों में उचित निर्णय लेने, शिक्षण विधियों में आवश्यक परिवर्तन करने तथा विद्यार्थियों को प्रेरित करने में सक्षम बनाती है। परिणामस्वरूप शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार होता है और विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में वृद्धि होती है। व्यावसायिक दक्षता बहुआयामी अवधारणा है, जिसके विभिन्न घटक मिलकर शिक्षक की प्रभावशीलता का निर्माण करते हैं। इसके प्रमुख घटकों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है–

1.विषय ज्ञान दक्षता – विषय ज्ञान दक्षता से आशय शिक्षक की अपनी विषयवस्तु पर गहरी, स्पष्ट एवं अद्यतन समझ से है। जिस शिक्षक को अपने विषय का व्यापक ज्ञान होता है, वह विद्यार्थियों को जटिल तथ्यों और सिद्धांतों को सरल भाषा में समझा सकता है। विषय में दक्षता शिक्षक के आत्मविश्वास को बढ़ाती है तथा विद्यार्थियों में विश्वास उत्पन्न करती है। यह दक्षता विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान करने और ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ने में सहायक होती है।

2.शिक्षण कौशल – शिक्षण कौशल वह क्षमता है जिसके माध्यम से शिक्षक विषयवस्तु को विद्यार्थियों के स्तर, रुचि एवं आवश्यकता के अनुसार प्रस्तुत करता है। इसमें उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन, उदाहरणों का

प्रयोग, शिक्षण सामग्री का प्रभावी उपयोग, प्रश्नोत्तर विधि, समूह चर्चा तथा गतिविधि आधारित शिक्षण शामिल होते हैं। कुशल शिक्षक कठिन विषयों को भी रोचक बना देता है, जिससे विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखने में भाग लेते हैं।

3.कक्षा प्रबंधन दक्षता — कक्षा प्रबंधन दक्षता से आशय कक्षा में अनुशासन, व्यवस्था एवं सकारात्मक शिक्षण वातावरण बनाए रखने की क्षमता से है। एक दक्ष शिक्षक कक्षा में समय प्रबंधन, विद्यार्थियों की सहभागिता, व्यवहार नियंत्रण तथा सीखने के अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। सुव्यवस्थित कक्षा विद्यार्थियों में एकाग्रता बढ़ाती है और शिक्षण प्रक्रिया को बाधारहित बनाती है।

4.मूल्यांकन दक्षता — मूल्यांकन दक्षता शिक्षक की वह योग्यता है जिसके माध्यम से वह विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का सही आकलन करता है। इसमें उपयुक्त परीक्षण विधियों का चयन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन, उत्तर पुस्तिकाओं का निष्पक्ष परीक्षण तथा विद्यार्थियों को सुधारात्मक सुझाव देना शामिल है। प्रभावी मूल्यांकन से विद्यार्थियों की कमजोरियों की पहचान होती है और उन्हें सुधारने के अवसर प्राप्त होते हैं।

5.संचार कौशल — संचार कौशल शिक्षक की स्पष्ट, प्रभावी एवं सरल अभिव्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है। शिक्षक का बोलने का ढंग, भाषा की स्पष्टता, शारीरिक हाव-भाव तथा विद्यार्थियों से संवाद स्थापित करने की शैली शिक्षण को प्रभावशाली बनाती है। अच्छे संचार कौशल से शिक्षक और विद्यार्थी के बीच सकारात्मक संबंध स्थापित होते हैं, जिससे अधिगम प्रक्रिया सुगम बनती है।

6.तकनीकी दक्षता — आधुनिक शिक्षा में तकनीकी दक्षता का विशेष महत्व है। इससे आशय शिक्षक की डिजिटल उपकरणों, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, कंप्यूटर तथा ऑनलाइन शिक्षण संसाधनों के प्रभावी उपयोग की क्षमता से है। तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षक शिक्षण को दृश्य, श्रव्य एवं इंटरैक्टिव बनाता है, जिससे विद्यार्थियों की रुचि एवं सहभागिता बढ़ती है।

7.व्यक्तित्व दक्षता — व्यक्तित्व दक्षता शिक्षक के व्यवहार, दृष्टिकोण, नेतृत्व क्षमता, धैर्य, संवेदनशीलता तथा प्रेरणादायक गुणों को दर्शाती है। एक सकारात्मक एवं प्रेरक व्यक्तित्व वाला शिक्षक विद्यार्थियों में आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। शिक्षक का नैतिक आचरण, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार तथा सहयोगी दृष्टिकोण विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायक होता है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यावसायिक दक्षता शिक्षक के ज्ञान, कौशल एवं व्यवहार का समन्वित रूप है। इन दक्षताओं से युक्त शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाता है, जिससे विद्यार्थियों के अधिगम स्तर एवं शैक्षिक उपलब्धि में उल्लेखनीय सुधार होता है।

विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि–

शैक्षिक उपलब्धि से अभिप्राय विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से अर्जित ज्ञान, कौशल, समझ, दक्षताओं तथा उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन से है। यह केवल परीक्षा में प्राप्त अंकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास, व्यवहारिक क्षमता, चिंतन शक्ति तथा सीखने के प्रति दृ ष्टिकोण को भी सम्मिलित करती है। शैक्षिक उपलब्धि किसी भी शिक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण सूचक मानी जाती है, क्योंकि इसके माध्यम से यह ज्ञात किया जाता है कि शिक्षण प्रक्रिया कितनी सफल रही तथा विद्यार्थियों ने निर्धारित अधिगम उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया।

शैक्षिक उपलब्धि बहुआयामी होती है और इसे विभिन्न संकेतकों के आधार पर समझा जा सकता है। इसके प्रमुख संकेतकों का विवरण निम्नलिखित है—

1. परीक्षा परिणाम — परीक्षा परिणाम शैक्षिक उपलब्धि का सबसे सामान्य एवं प्रचलित मापदंड है। लिखित, मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षाओं में प्राप्त अंक विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन स्तर को दर्शाते हैं। उच्च परीक्षा परिणाम यह संकेत देते हैं कि विद्यार्थी विषयवस्तु को समझने एवं पुनः प्रस्तुत करने में सक्षम हैं।

2. कक्षा सहभागिता — कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी भी उनकी शैक्षिक प्रगति का महत्वपूर्ण संकेतक है। प्रश्न पूछना, चर्चा में भाग लेना, समूह कार्यों में सहयोग करना तथा शिक्षण गतिविधियों में रुचि दिखाना यह दर्शाता है कि विद्यार्थी अधिगम प्रक्रिया में संलग्न हैं।

3. समस्या समाधान क्षमता — अर्जित ज्ञान का व्यवहारिक परिस्थितियों में प्रयोग करने की क्षमता शैक्षिक उपलब्धि का महत्वपूर्ण पक्ष है। विद्यार्थी जब तार्किक चिंतन, विश्लेषण एवं निर्णय क्षमता का उपयोग करके समस्याओं का समाधान करते हैं, तब यह उनके वास्तविक अधिगम स्तर को प्रदर्शित करता है।

4. रचनात्मकता — नवीन विचार उत्पन्न करने, मौलिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने तथा कल्पनाशीलता का प्रदर्शन करने की क्षमता भी शैक्षिक उपलब्धि का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। रचनात्मक विद्यार्थी परियोजनाओं, लेखन, कला, मॉडल निर्माण एवं नवाचार गतिविधियों में अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं।

5. उपस्थिति एवं अनुशासन — विद्यालय में नियमित उपस्थिति, समयपालन तथा अनुशासित व्यवहार भी शैक्षिक सफलता से संबंधित होते हैं। नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहने वाले विद्यार्थी शिक्षण प्रक्रिया से निरंतर जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी अधिगम क्षमता में वृद्धि होती है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि शैक्षिक उपलब्धि एक व्यापक अवधारणा है, जो विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार, सहभागिता तथा समग्र शैक्षिक विकास को प्रतिबिंबित करती है। विद्यार्थियों की उपलब्धि का समुचित मूल्यांकन इन सभी संकेतकों के संतुलित विश्लेषण द्वारा ही संभव है।

शोध पद्धति—

प्रस्तुत अध्ययन वर्णनात्मक शोध पर आधारित है, जिसका उद्देश्य विषय से संबंधित उपलब्ध तथ्यों का व्यवस्थित विश्लेषण करना है। यह शोध पूर्णतः द्वितीयक (सेकेंडरी) आंकड़ों पर आधारित है, जिनका संकलन विभिन्न प्रामाणिक स्रोतों से किया गया है। अध्ययन हेतु शैक्षिक शोध पत्र, सरकारी शिक्षा रिपोर्टें, शैक्षिक सर्वेक्षण, शिक्षाशास्त्र संबंधी पुस्तकें, जर्नल तथा शिक्षा नीति दस्तावेजों का उपयोग किया गया। इन स्रोतों से प्राप्त सामग्री ने अध्ययन को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया।संकलित तथ्यों का विश्लेषण तुलनात्मक एवं व्याख्यात्मक पद्धति द्वारा किया गया, जिससे विषय की स्पष्ट एवं तार्किक व्याख्या संभव हो सकी।

व्यावसायिक दक्षता एवं शैक्षिक उपलब्धि का संबंध—

शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता और विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि के मध्य अत्यंत घनिष्ठ, प्रत्यक्ष तथा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक वह प्रमुख कड़ी है जो पाठ्यवस्तु, शिक्षण पद्धति तथा अधिगम प्रक्रिया को विद्यार्थियों से जोड़ती है। शिक्षक की दक्षता का स्तर जितना उच्च होता है, शिक्षण प्रक्रिया उतनी ही प्रभावी, व्यवस्थित एवं परिणामोन्मुख बनती है। एक दक्ष शिक्षक न केवल ज्ञान का संप्रेषण करता है, बल्कि वह विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करता है तथा उन्हें सक्रिय अधिगम की दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है। परिणामस्वरूप विद्यार्थियों की समझ, कौशल, अध्ययन रुचि तथा शैक्षिक प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार होता है।

व्यावसायिक दक्षता शिक्षण की गुणवत्ता को बहुआयामी रूप से प्रभावित करती है। शिक्षक का विषय ज्ञान विद्यार्थियों की अवधारणात्मक स्पष्टता को विकसित करता है। जब शिक्षक विषयवस्तु पर गहरी

पकड़ रखता है, तब वह कठिन तथ्यों को सरल उदाहरणों के माध्यम से समझा सकता है, जिससे विद्यार्थियों की विषय संबंधी समझ मजबूत होती है। इसी प्रकार शिक्षण कौशल शिक्षक को यह सक्षम बनाता है कि वह विद्यार्थियों की आयु, मानसिक स्तर तथा रुचि के अनुरूप शिक्षण विधियों का चयन कर सके। गतिविधि आधारित शिक्षण, प्रश्नोत्तर विधि, समूह चर्चा तथा शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग विद्यार्थियों को अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित करता है।

कक्षा प्रबंधन दक्षता भी विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण तत्व है। एक सुव्यवस्थित, शांत एवं अनुशासित कक्षा वातावरण विद्यार्थियों को एकाग्र होकर अध्ययन करने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षक की कक्षा संचालन क्षमता समय के सदुपयोग, विद्यार्थियों की सहभागिता तथा सकारात्मक अनुशासन बनाए रखने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त मूल्यांकन दक्षता शिक्षक को विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति का सही आकलन करने में सक्षम बनाती है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन के माध्यम से विद्यार्थियों की कमजोरियों की पहचान की जा सकती है तथा उन्हें सुधार के अवसर प्रदान किए जा सकते हैं।

आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में तकनीकी दक्षता का महत्व भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षक डिजिटल उपकरणों, ऑनलाइन संसाधनों, स्मार्ट कक्षाओं तथा मल्टीमीडिया साधनों का प्रभावी उपयोग करते हैं, जिससे शिक्षण अधिक स्पष्ट, आकर्षक एवं संवादात्मक बनता है। इससे विद्यार्थियों की रुचि बढ़ती है और वे जटिल विषयों को भी सरलता से समझ पाते हैं। संचार कौशल भी शिक्षक की प्रभावशीलता का महत्वपूर्ण आधार है। स्पष्ट, सरल एवं प्रभावी अभिव्यक्ति विद्यार्थियों को विषयवस्तु समझने में सहायता करती है तथा शिक्षक-विद्यार्थी संबंधों को सुदृढ़ बनाती है।

निम्न सारणी शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं एवं विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि पर उनके प्रभाव को स्पष्ट करती है—

व्यावसायिक दक्षता	**विद्यार्थियों पर प्रभाव**
विषय ज्ञान दक्षता	अवधारणाओं की स्पष्ट एवं गहन समझ विकसित होती है
शिक्षण कौशल	अध्ययन में रुचि बढ़ती है तथा अधिगम सक्रिय बनता है
कक्षा प्रबंधन दक्षता	अनुशासित एवं अनुकूल अध्ययन वातावरण निर्मित होता है
मूल्यांकन दक्षता	कमजोरियों की पहचान एवं शैक्षिक सुधार संभव होता है
तकनीकी दक्षता	डिजिटल माध्यमों से अधिगम सरल, रोचक एवं प्रभावी बनता है
संचार कौशल शिक्षक	विद्यार्थी संबंध सुदृढ़ होते हैं एवं समझ बेहतर होती है

उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि शिक्षक की व्यावसायिक दक्षता विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को प्रत्यक्ष तथा बहुआयामी रूप से प्रभावित करती है। दक्ष शिक्षक अधिगम को प्रभावी बनाकर विद्यार्थियों के ज्ञानार्जन स्तर, कौशल विकास, समस्या समाधान क्षमता तथा परीक्षा परिणामों में सुधार लाते हैं। अतः शिक्षा की गुणवत्ता उन्नत करने के लिए शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं का विकास अत्यंत आवश्यक है।

निष्कर्ष— प्रस्तुत अध्ययन के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती है। अध्ययन से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं—

1. व्यावसायिक रूप से दक्ष शिक्षक विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि में उल्लेखनीय वृद्धि करते हैं। जिन शिक्षकों में विषय ज्ञान, प्रभावी शिक्षण कौशल तथा कक्षा संचालन की क्षमता विकसित होती है, उनके विद्यार्थी विषयवस्तु को बेहतर ढंग से समझते हैं और शैक्षिक कार्यों में अधिक सफल होते हैं।

2. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने में सहायक सिद्ध होते हैं। नियमित प्रशिक्षण से शिक्षकों की शिक्षण विधियों, मूल्यांकन तकनीकों तथा छात्र-केंद्रित दृष्टिकोण में सुधार होता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया अधिक प्रभावी बनती है।

3. तकनीकी दक्षता आधुनिक शिक्षा की अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है। डिजिटल उपकरणों एवं ई-लर्निंग संसाधनों का प्रभावी उपयोग शिक्षण को अधिक रोचक, स्पष्ट एवं सहभागितापूर्ण बनाता है, जिससे विद्यार्थियों की समझ और उपलब्धि में वृद्धि होती है।

4. सकारात्मक एवं अनुशासित कक्षा वातावरण विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन को बेहतर बनाता है। शांत, सहयोगात्मक एवं प्रेरक वातावरण में विद्यार्थी अधिक एकाग्रता के साथ अध्ययन करते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता में सुधार होता है।

5. शिक्षक का व्यक्तित्व विद्यार्थियों की प्रेरणा, आत्मविश्वास एवं सीखने की रुचि को प्रभावित करता है। सहानुभूतिपूर्ण, प्रोत्साहन देने वाला तथा नैतिक मूल्यों से युक्त शिक्षक विद्यार्थियों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उपरोक्त निष्कर्षों से स्पष्ट है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षताओं का विकास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शिक्षक की प्रभावशीलता ही विद्यार्थियों की शैक्षिक सफलता का प्रमुख आधार है।

सुझाव

प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि को उन्नत बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं—

1.शिक्षकों के लिए नियमित एवं व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इन प्रशिक्षणों के माध्यम से शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों, मूल्यांकन तकनीकों, कक्षा प्रबंधन कौशल तथा विषयगत अद्यतन जानकारी से परिचित कराया जा सकता है। सतत व्यावसायिक विकास कार्यक्रम शिक्षकों की दक्षताओं में वृद्धि करते हैं, जिससे शिक्षण अधिक प्रभावी बनता है।

2.शिक्षण प्रक्रिया में आधुनिक तकनीकी उपकरणों एवं डिजिटल संसाधनों का प्रयोग बढ़ाया जाना चाहिए। स्मार्ट बोर्ड, प्रोजेक्टर, ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तथा मल्टीमीडिया साधनों का उपयोग शिक्षण को अधिक स्पष्ट, आकर्षक एवं सहभागितापूर्ण बनाता है। तकनीक आधारित शिक्षण विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने और जटिल विषयों को सरल बनाने में सहायक होता है।

3.शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं विकासोन्मुख बनाया जाना चाहिए। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल निरीक्षण न होकर शिक्षकों की क्षमताओं को पहचानना तथा उनमें सुधार के अवसर प्रदान करना होना चाहिए। रचनात्मक प्रतिपुष्टि (फीडबैक) शिक्षकों को अपने शिक्षण व्यवहार में आवश्यक सुधार करने हेतु प्रेरित करती है।

4.शिक्षण विधियों का चयन विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों, आयु स्तर तथा बौद्धिक क्षमता के अनुरूप किया जाना चाहिए। छात्र-केंद्रित शिक्षण, गतिविधि आधारित अधिगम, समूह कार्य, परियोजना पद्धति तथा अनुभवात्मक शिक्षण जैसी विधियाँ विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रिया में शामिल करती हैं।

5.शिक्षकों को प्रेरक, सहयोगात्मक एवं छात्र-केंद्रित शिक्षण दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जब शिक्षक विद्यार्थियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं तथा उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तब विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, सीखने की रुचि एवं शैक्षिक प्रदर्शन में सकारात्मक सुधार होता है।

उपरोक्त सुझावों के प्रभावी क्रियान्वयन से शिक्षकों की व्यावसायिक दक्षता में वृद्धि की जा सकती है, जो अंततः विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धि एवं शिक्षा की समग्र गुणवत्ता को उन्नत करने में सहायक सिद्ध होगी।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. Bloom] B- S- (1976)- Human Characteristics and School Learning- New York: McGraw & Hill-
2. Darling & Hammond] L- (2000)- Teacher Quality and Student Achievement- Education Policy Analysis Archives] 8(1)-
3. Hattie J- (2009)- Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta & Analyses Relating to Achievement- London: Routledge-
4. Koehler M- J & Mishra] P- (2006)- Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge- Teachers College Record] 108(6)
5. Marzano R- J- (2003)- Classroom Management That Works- AleÛandria: ASCD-
6. Shulman L- S- (1986)- Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching- Educational Researcher] 15(2)

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

सांप्रदायिकता : एक राजनीतिक विश्लेषण

डॉ0 अर्चना सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति शास्त्र
महाराज बलवंत सिंह पी0जी0, कालेज
गंगापुर, वाराणसी

सारांश

सांप्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो हर धर्म के अनुयायी समूह की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक इकाई पर बल देती है तथा उनकी विभिन्नता एवं ऐसे अनुयायी समूहों के आपसी विरोध/प्रतिरोध को उजागर करती है। सांप्रदायिकता सामान्यतः किसी भी धार्मिक समूह के तंग, विभाजक, स्वार्थी एवं उग्र व्यवहार से जुड़ी हुई है। सांप्रदायिकता विभिन्न धार्मिक समुदायों में डर, संदेहास्पद, शत्रुता एवं द्वेष की स्थिति है। धर्म के मानने वाले लोगों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक हित भी एक जैसे ही होते हैं। सांप्रदायिक विचारधारा का यह पहला आधार है। इसी से धर्म पर आधारित सामाजिक, राजनीतिक समुदायों की धारणा का जन्म होता है।

सांप्रदायिक विचारधारा भारत जैसे बहुभाषी समाज में एक धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हित अर्थात् सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक अन्य किसी भी धर्म के अनुयायियों के सांसारिक हितों से भिन्न हैं। यह चरण उदार सांप्रदायिकता का चरण कहलाता है। इस चरण में सांप्रदायिकतावादियों की आस्था उदारवादी, लोकतंत्रवादी और राष्ट्रीयतावादी मूल्यों में है। सांप्रदायिकता के इस उदारवादी चरण में अलग–अलग समुदायों के विभिन्न सांसारिक हित होते हुए भी विभिन्न सांप्रदायिक हितों को परस्पर समाहित किया जा सकता है। तथा इस प्रकार भारत को राष्ट्र बनाया जा सकता है। उग्रवादी साम्प्रदायिकता के साथ पैदा होता है जो कि मूल रूप से उग्रवादी और हिंसक तौर–तरीकों में विश्वास रखता है। इस बात पर बल दिया जाता है कि हिंदू मुसलमानों के सांसारिक हित एक जैसे हो ही नहीं सकते, बल्कि उनमें आपसी विरोध निरंतर बना रहता है। विपिन चंद्र के अनुसार, "सांप्रदायिकता ही वह विचारधारा है जिसके आधार पर सांप्रदायिक राजनीति खड़ी होती है। सांप्रदायिक विचारधारा सांप्रदायिक हिंसा पैदा करती है।

मुख्य शब्द– सांप्रदायिकता, हिंदू, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, समुदाय, राष्ट्र।

भारत में सांप्रदायिकता के मुख्यतः तीन प्रकार के दृष्टिकोण हैं– पहला कैंब्रिज स्कूल है जिसके अंतर्गत मुख्य विचारक फ्रांसिस रोबिंसन, अनिल सील, गॉर्डन जॉनसन आदि हैं, जिनका विचार है कि भारत में सांप्रदायिकता का विकास मध्यकालीन युग में हिंदू–मुसलिम प्रतिस्पर्धा एवं एक दूसरे से घृणा के कारण हुआ। इस स्कूल के अनुसार, भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों में विभाजन के लिए ब्रिटिश शासन की 'फूट डालो और शासन करो' की नीति उत्तरदायी नहीं थी, बल्कि भारत के विभिन्न समुदायों में पहले से ही

भिन्न–भिन्न स्तरों पर विभाजक तत्त्व विद्यमान थे। अतः यह विभाजनकारी प्रवृत्ति भारतीय समाज की एक स्थाई विशेषता रही है। इस स्कूल का यह भी मत है कि भारत में राष्ट्रवाद पैदा ही नहीं हुआ एवं स्वतंत्रतापूर्व राजनीति केवल सत्ता प्रदत्त एवं सत्ता केंद्रित थी, जो धर्म एवं जाति जैसी संकीर्ण पहचानों का प्रयोग करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी।

इसके विपरीत राष्ट्रवादी विचारक हैं जिनका सीधा–सीधा मानना है कि भारत में साप्रदायिकता औपनिवेशिक शासन की देन है। भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास में सांप्रदायिक पहचान का कोई अस्तित्व नहीं था। आधुनिक भारत में सांप्रदायिकता के विकास के लिए ब्रिटिश शासन और उसकी फूट डालो और शासन करो की नीति खासतौर पर उत्तरदायी थी। राज्य के हाथ में जितनी शक्ति थी, उसका इस्तेमाल या तो राष्ट्रीय एकता को बढ़ाने के लिए किया जा सकता था या फिर विघटनकारी शक्तियों को बढ़ावा देने में औपनिवेशिक शासन ने दूसरा रास्ता चुना। इस प्रकार भारत में सांप्रदायिकता के उदय और विकास के लिए विभाजनकारी प्रकृति वाला ब्रिटिश शासन जिम्मेदार था।

भारतीय संदर्भ में सांप्रदायिकता एक आधुनिक घटना है। सल्तनत या मुगलकाल में हिंदू–मुसलमान सांप्रदायिक दंगों का विवरण प्रमुख रूप से नहीं मिलता। मध्यकाल में हिंदू एवं मुसलमानों के सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में आपसी सहयोग था। कई शताब्दियों तक एक–दूसरे के साथ रहने के कारण दोनों समुदायों में काफी हद तक समानता आ चुकी थी। भारत में सांप्रदायिकता एवं राष्ट्रवाद दोनों एक जैसी आधुनिक प्रक्रिया की उपज हैं। देश की बढ़ती आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक एकता न इन दोनों प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया जो कि मूलतः आधुनिक घटनाएं हैं। "सांप्रदायिकता का जन्म राष्ट्रवाद के संतुलन के साथ समानांतर प्रक्रिया में हुआ। 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की कोशिश की। यह हिंदू मुसलिम एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके बावजूद भी ब्रिटिश विचारकों ने इसे एक सांप्रदायिक विद्रोह का नाम दिया। परंतु इसके ठीक विपरीत भारतीय विचारकों ने इसे धर्म निरपेक्ष आंदोलन के रूप में देखा।

सांप्रदायिक संघर्ष मुख्य रूप से ब्रिटिश शासनकाल में 1857 के विद्रोह के बाद दृष्टिगत होते हैं। इसके लिए दो कारण उत्तरदायी थे– पहला, फूट डालो और शासन करो की ब्रिटिश नीति तथा दूसरा हिंदू एवं मुसलमानों के अभिजात वर्गों की राजनीतिक सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा। जब अंग्रेज भारत में आए, देश के शासन एवं सार्वजनिक जीवन में मुसलमानों का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण था क्योंकि अंग्रेजों के आगमन से पूर्व मुसलिम शासक वर्ग सत्ता में था। अतः अपना आधिपत्य जमाने के लिए मुसलमानों को कमजोर करना आवश्यक था। फलस्वरूप अंग्रेजों ने हिंदू समर्थक एवं मुसलिम विरोधी नीतियां अपनाई। जिसके कारण मुसलमान वर्ग काफी पिछड़ गया। भले ही 1857 का विद्रोह हिंदू–मुसलिम एकता का उदाहरण था, किंतु अंग्रेजों ने इसे मुसलमान विद्रोह ही माना। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने कठोर मुसलिम–विरोधी नीति अपनाई। काफी उच्च वर्गीय मुसलमान परिवारों के प्रभुत्व को जहां विद्रोह हुआ था, वहां से समाप्त कर दिया गया। बहुत से मुसलमानों ने अपनी संपत्ति और भूमि खो दी थी जिसके कारण वे गरीब और दुःखी हो गए।

पाश्चात्य शिक्षा व औपनिवेशिक शासन द्वारा दी गई सुविधाओं से हिंदुओं में राष्ट्रीय चेतना का उद्‌भव हो रहा था। अंग्रेज, हिंदू जनमानस में उभर रही इस राष्ट्रवादी चेतना से भयभीत हो गए और उन्हें डर था कि हिंदू और मुसलमान राष्ट्रीय हित के नाम पर एकजुट ना हो जाएं और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू न कर दें। परिणामस्वरूप अंग्रेजों ने मुसलमानों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाना शुरू किया। अंग्रेजों ने इस प्रकार की नीतियां अपनाई जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में आपसी घृणा व फूट पैदा हो जाए और वे कभी एक न हो पाएं। अंग्रेजों ने सांप्रदायिकता का प्रयोग हिंदू–मुसलिम एकता को नष्ट

करने व अपना शासन कायम रखने के लिए किया। 1920 अंग्रेजी शासन ने मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्त्व एवं उनकी सहायता की आवश्यकता देखते हुए उनके लिए विशेष सुविधाओं का समर्थन किया। "सांप्रदायिकता एक ब्रिटिश डिजाइन था जिसे राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए तैयार किया गया था, यह एक ऐसी कूटनीति थी जिसमें कांग्रेसी राष्ट्रवाद– जो हिंदू–मुसलिम दोनों समुदायों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ने के लिए एकजुट कर रहा था, उसको नष्ट करने के लिए इस डिजाइन का प्रयोग किया गया। ब्रिटिश शासन ने भारत में सांप्रदायिकता को कई तरह से बढ़ावा दिया। उसने हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों को अलग–अलग समुदायों का दर्जा दिया, जिनकी सामाजिक–राजनीतिक पहचान में कुछ भी साझा नहीं था। अंग्रेजों ने कहा कि भारत न तो एक राष्ट्र है और न राष्ट्र के रूप में उसका विकास हो रहा है। उसका गठन तो धर्म पर आधारित ऐसे समुदायों से हुआ है, जिनके हित आपस में टकराते हैं। इसके अलावा, सांप्रदायिकता को सरकारी संरक्षण दिया गया और सांप्रदायिक व्यक्तियों, पात्रों एवं आंदोलनों के प्रति असाधारण सहिष्णुता दिखाई गई। सांप्रदायिक मांगों को तुरंत स्वीकार कर लिया जाता था। उदाहरण के लिए, 1906 में मुसलिम लीग ने वायसराय के समक्ष अपनी सांप्रदायिक मांगें रखी ही थी कि उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया गया। पांचवां, सांप्रदायिक आधार पर बनाए गए चुनाव क्षेत्रों ने सांप्रदायिक राजनीति के विकास में महत्त्वपूर्ण औजार का काम किया। इसके अतिरिक्त सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए भारतीय इतिहास का प्रयोग भी किया गया। प्राचीन और मध्ययुगीन भारतीय इतिहास को क्रमशः हिंदुओं और मुसलमानों का युग बताया गया। ब्रिटिश विचारक जेम्स मिल ने प्राचीन काल को हिंदू युग एवं मध्यकाल को मुसलिम युग का नाम दिया। साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने मध्यकाल को हिंदू–मुसलिम विवाद का एक युग घोषित कर दिया। मुसलिम सांप्रदायिकतावादियों पर इसकी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक ही था। उनके अनुसार, 19वीं सदी में राजनीतिक सत्ता छिन जाने के बाद एक समुदाय के रूप में मुसलमानों का पतन हुआ और हिंदू आगे बढ़ गए। '

सांप्रदायिकता के विकास का एक अन्य कारण ब्रिटिश उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था तथा इसके कारण उत्पन्न पिछड़ापन भी था। औपनिवेशिक शोषण के फलस्वरूप भारतीय जनता पर इसका जो प्रभाव पड़ा, उसके कारण ऐसी स्थितियां पैदा हो गईं जो भारतीय समाज के विभाजन और कलह में सहायक थी। बेकारी खास तौर पर शिक्षित एवं मध्य वर्ग के लिए, विकट समस्या बन गई थी। 1927 के बाद विश्वव्यापी मंदी के दौरान आर्थिक अवसर सीमित हो गए और भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो गए। इसी कारण सरकारी नौकरियां, वकालत, डॉक्टर आदि जैसे पेशों तथा उद्योग–धंधों में प्रतिद्वंद्विता पैदा हो गई। अपने निजी संघर्ष को एक विस्तृत आधार देने के लिए तथा प्रतिद्वंद्विता के बीच से अपनी निजी सफलता बढ़ाने के लिए जाति, प्रांत और धर्म जैसी सामूहिक पहचानों का सहारा लिया गया। अतः इससे सांप्रदायिकता और बढ़ गई।[8] भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष विदेशी शासन को देश से बेदखल करने के लिए शुरू किया गया। क्योंकि यह भारत का आर्थिक शोषण कर रहा था और इसके कारण गरीबी बढ़ रही थी। वहीं समाज के कुछ वर्गों ने इस गरीबी को धार्मिक एवं सामुदायिक भेदभाव के रूप में देखा।

भारत में सांप्रदायिकता का आरंभ 19वीं सदी के अंत में तब हुआ, जब 1880 के दशक में सर सैय्यद अहमद खां ने अपने समर्थकों में, कांग्रेस एवं इसके नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति विरोधी मत पैदा कर दिए। इसका कारण यह था कि सर सैय्यद अहमद खाँ एवं कुछ अन्य मुसलमान नेता कांग्रेस को हिंदुओं का प्रतिनिधि संगठन मानते थे।

आरंभ में सर सैय्यद अहमद खां राष्ट्रवादी थे और हिंदू–मुसलिम एकता के समर्थक थे। उन्होंने कभी कहा था, याद रखिए कि हिंदू और मुसलमान केवल दो शब्द हैं, और हिंदू, मुसलमान और ईसाई एक राष्ट्र के अंग हैं। अब वह समय बीत चुका है जब धर्म के भेद पर देशवासियों को दो विभिन्न राष्ट्रों में बांटा जाए।

सर सैय्यद अहमद खां राष्ट्रवाद के विरोधी नहीं थे पर राष्ट्र की एक अलग धारणा के समर्थक थे। उनका मानना था कि, राष्ट्र विभिन्न प्रकार के राजनैतिक अधिकारों के पात्र समुदायों का एक संघ है, ये अधिकार उनकी वंशावलियों और राजनैतिक महत्त्व पर निर्भर होते हैं, और भूतपूर्व वर्ग का होने के नाते मुसलमानों का ब्रिटिश साम्राज्य में विशिष्ट स्थान है। परंतु 1885 के बाद जब कांग्रेस लोकप्रिय हुई तो वे कांग्रेस का विरोध इस आधार पर करने लगे कि कांग्रेस ब्रिटिश विरोधी तथा जनतांत्रिक थी। उन्होंने इस बात का प्रचार किया कि यदि ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और यदि सत्ता भारतीयों को हस्तांरित कर दी गई तो हिंदू लोग मुसलामानों पर शासन करेंगे। इसके मुख्य उद्देश्य मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करना और मुसलमानों में राजनीतिक आंदोलन फैलाना आदि थे। सैय्यद अहमद का मानना था कि भारत में मुसलमान हित की सबसे अच्छी देखभाल अंग्रेज ही कर सकते हैं। मुसलमानों को सरकार के प्रति निष्ठावान रहना चाहिए। उन्होंने कहा, "कांग्रेस एक हिंदू संस्था है, जिसके उद्देश्य मुसलमानों के हितों के विरुद्ध हैं। सैय्यद अहमद खां और उनके सहयोगियों ने मुसलमानों की ऐतिहासिक भूमिका को देखते हुए कहा कि, "सरकारी नौकरियों एवं विधायिकाओं आदि में मुसलमानों के लिए आरक्षण होना चाहिए तथा विधान परिषद् में उनकी संख्या हिंदुओं से कम नहीं होनी चाहिए। इसके साथ–साथ मुसलमानों को राजनीति एवं सरकार का विरोध न करने की सलाह दी। सैय्यद अहमद की मृत्यु के बाद भी मुसलिम संप्रदायवादियों ने सरकार के प्रति वफादारी की नीति बनाए रखी।

लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया, यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कहा कि यह केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किया गया है। परंतु हिंदू–मुसलिम एकता के बीच खाई पैदा करने के रूप में देखा गया। लोगों ने व्यापक स्तर पर इसका विरोध किया। उनका मानना था कि यह कदम हिंदुओं और मुसलमानों की सांस्कृतिक अखंडता को नष्ट करने वाला कारक था। बंगाल में हिंदू व मुसलिम कई सदियों से सहअस्तित्व में रह रहे थे। इसका धार्मिक आधार पर विभाजन ब्रिटिश सरकार की एक सुनियोजित सोची–समझी चाल थी। बंग–भंग के विरोधियों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का निर्णय किया और स्वदेशी आंदोलन की शुरूआत की। वहीं दूसरी ओर, काफी मुसलमानों ने सरकार के पक्ष का समर्थन किया। लेकिन बहुत सारे मुसलमान बंग–भंग के खिलाफ भी थे। इस तरह से बंगाल के विभाजन ने एक सांप्रदायिक मोड़ ले लिया।

1909 में, भारतीय परिषद अधिनियम (Indian Council Act) एक्ट के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की प्रत्येक विधानसभा के लिए मुसलमानों को अपने समुदाय पर आधारित चुनाव मंडलों में अपने प्रतिनिधियों को, अपनी जनसंख्या के अनुपात से कहीं अधिक अनुपात में चुनने का अधिकार मिला। 1912 के पूर्व मुसलिम लीग की मुख्य मांगें पृथक चुनाव प्रणाली को बनाए रखना, राष्ट्रीय कांग्रेसी स्वदेशी कार्यक्रमों का विरोध और बंगाल विभाजन का समर्थन करना था। इसके बाद, भारतीय मुसलमानों में राजनीतिक चेतना लगातार बढ़ती गई। प्रथम विश्वयुद्ध के ठीक पहले मुसलिम मध्य वर्ग राजनीतिक दृष्टि से अधिकाधिक परिपक्व हुआ। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के भी प्रमुख नेता उपस्थित थे जिनमें पंडित मदनमोहन मालवीय और महात्मा गांधी प्रमुख थे। आगा खां ने लीग के नए राष्ट्रीय दृष्टिकोण का अनुमोदन नहीं किया और कुछ ही दिनों बाद लीग से त्यागपत्र दे दिया। यह इस बात का परिचायक था कि मुसलिम लीग राजनीतिक रूप से उग्रवादी हो रही थी। मुसलमान समुदाय का एक युवा वर्ग कांग्रेस के उद्देश्यों व कार्यक्रमों के प्रति सहानुभूति रखने लगा और 1913 में लीग का उद्देश्य भारत में औपनिवेशिक स्वशासन की मांग करना निर्धारित किया गया।

हिंदू सांप्रदायिकता का उदय 1870 के दशक से ही हिंदू जमींदारों, साहूकारों और विभिन्न पेशों में लगे मध्यवर्ग के लोगों द्वारा मुसलिम विरोधी भावनाएं भड़काई जा रही थीं। हिंदू सांप्रदायिकतावादियों ने भी

मुसलमानों की देखादेखी विधायिका और सरकारी नौकरियों में हिंदू सीटों के आरक्षण की मांग की। 1907 में पंजाब हिंदू सभा की स्थापना हुई। इसका विशेष उद्देश्य समस्त हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा एवं हिंदुओं को उत्साहित और सर्तक करना था। इसकी स्थापना मुख्य रूप से मुसलिम लीग एवं दूसरी संस्थाओं की स्थापना के प्रतिक्रियास्वरूप हुई थी। हिंदू सांप्रदायिक विचारधारा और राजनीति की नींव इसके नेताओं बी. एन. मुखर्जी तथा लालचंद ने रखी। इनका विचार था कि कांग्रेस, मुसलमानों को तुष्ट करने के लिए हिंदू हितों की उपेक्षा कर रही है। इसलिए इन्होंने हिंदू हितों व धर्म की रक्षा हेतु, कांग्रेस में शामिल नहीं होने को कहा और उसके समाप्त करने की भी बात की।

1909 के अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के अंदर ही हिंदू सांप्रदायिकता ने गंभीर रूप धारण किया। पंजाब में हर विषय, चाहे वह राजनीतिक हो या आर्थिक, सांप्रदायिक बन गया, जिससे हिंदू और मुसलमानों में तनाव की स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। तत्पश्चात् अखिल भारतीय हिंदू महासभा का जन्म हुआ। हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन 9 और 10 अप्रैल 1915 को हुआ। इस दो दिवसीय सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रतिनिधियों ये हिंदू एकता और समाज सुधार पर बल दिया। इस सम्मेलन में जाति–व्यवस्था का बहिष्कार, निम्न वर्गों का उद्धार, विधवा विवाह आदि मुख्य विषय थे। महासभा के नेताओं ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया। इन सब घटनाओं के बाद भी हिंदू महासभा, मुसलिम लीग की तुलना में धीरे–धीरे आगे बढ़ रही थी। इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण यह था कि मुसलमानों में जमींदारों, अभिजात वर्गीय लोग तथा उच्च वर्ग के लोगों का प्रभाव अधिक था, जबकि हिंदुओं में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण वैज्ञानिक दृष्टि और राष्ट्रीयता की ओर झुकाव बढ़ रहा था।

यह समझौता प्रगतिशील था परंतु कांग्रेस द्वारा पृथक निर्वाचन मंडलों तथा सीटों के आरक्षण की मांग स्वीकार करने से, कांग्रेस ने सांप्रदायिक राजनीति को भी स्वीकार कर लिया था, क्योंकि समझौते में यह भी माना गया कि भारत विभिन्न समुदायों का देश है और उनके हित परस्पर अलग–अलग हैं।

प्रथम विश्व युद्ध के बाद खिलाफत और असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादी विचारधारा और मजबूत हुई। गांधीजी द्वारा शुरू किए गए असहयोग आंदोलन में मुसलमानों ने पूरा सहयोग दिया। इसी प्रकार, तुर्की के सुल्तान के सम्मान की रक्षा करने के लिए जब खिलाफत आंदोलन हुआ, तब गांधीजी ने इसमें बढ़–चढ़कर अपना सहयोग दिया तथा हिंदू–मुसलिम एकता को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। सन् 1919–20 के समय को हिंदू–मुसलिम एकता का स्वर्ण युग कहा गया। गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के सहयोग से मुसलिम नेताओं ने खिलाफत कांफ्रेंस की स्थापना की। कांग्रेस ने खिलाफत संबंधी अन्याय के विरुद्ध संघर्ष का फैसला लिया और ब्रिटिश माल के बहिष्कार और सरकार के साथ अहसयोग की नीति अपनाई। असहयोग आंदोलन भारत का पहला राष्ट्रीय जन आंदोलन था जिसे कांग्रेस ने खिलाफत कांफ्रेंस की मदद से शुरू किया। अपने नेताओं के आह्वान पर मुसलमानों ने बड़ी संख्या में इस आंदोलन में भाग लिया। इस आंदोलन की विशेषता हिंदू और मुसलमानों के बीच अद्वितीय भातृत्व था। इस आंदोलन में कई मुसलमान नेता, जैसे– मोहम्मद अली और शौकत अली बंधु गिरफ्तार हुए। इस आंदोलन के हर चरण में मुसलमानों ने खुलकर भाग लिया। भारतीय मुसलमानों की राजनीतिक चेतना के विकास में असहयोग आंदोलन का काफी महत्व है। राजनीतिक चेतना जो पहले उच्च एवं मध्य वर्गीय मुसलमानों में ही थी, वह अब निम्न वर्गीय जनसाधारण में भी फैलने लगी। इस बात में कोई दो राय नहीं कि खिलाफत आंदोलन एक धार्मिक मुद्दा था, परंतु यह स्वराज्य के संघर्ष से जुड़ा हुआ था और इसने मुसलमानों की राष्ट्रीय चेतना की और भी विकसित किया। पहली बार हिंदुओं और मुसलमानों ने भारत के लिए स्वशासन जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य के लिए परस्पर सहयोग किया। इस दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुसलिम लीग एक–दूसरे के काफी निकट आ गए थे।

चौरा–चौरी कांड के बाद गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अहयोग आंदोलन वापस ले लिया। गांधी के इस निर्णय से लोगों में काफी हताशा छा गई। भारतीय मुसलमानों ने जो संघर्ष शुरू किया था उसका एक मुख्य लक्ष्य था कि उनका पवित्र तीर्थ तुर्की के सुल्तान को लौटा दिया जाए क्योंकि वह सारी दुनिया के मुसलमानों का धर्म प्रमुख था। लेकिन उधर स्वयं तुर्की के लोगों ने अपने राज्य को धर्मनिरपेक्ष बना दिया जिससे भारतीय मुसलमानों में हताशा और बढ़ गई। असहयोग आंदोलन के खत्म होने और खलीफा के पद की समाप्ति के साथ हिंदू–मुसलिम एकता का भी अंत होने लगा। राष्ट्रीय एकता के बदले सांप्रदायिक शत्रुता एवं विभाजन की भावना बढ़ने लगी। खिलाफत आंदोलन के कई नेताओं ने अपनी गलती स्वीकार की और अली बंधुओं पर मुसलिम समुदाय के प्रति धोखा करने का आरोप लगाया।

असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद का समय निराशा का काल था उसने राजनीतिक अलगाववाद बीजारोपण किया। सांप्रदायिक दंगों ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष हेतु जन आंदोलन को और भी कमजोर कर दिया। 1923 से 1928 के काल में यह कटुता और भी भयानक व विस्तृत रूप से हिंदू–मुसलिम विवाद के रूप में सामने आई। इसके बाद बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जिससे कि सारे भारत में छिटपुट सांप्रदायिक दंगे, थोड़े–थोड़े अंतराल के बाद होते रहे। बहुत सारे दंगे जो कि सांप्रदायिक प्रकृति के थे, विभिन्न धार्मिक उत्सव जैसे होली, मोहर्रम, ईद, दशहरा आदि के दौरान घटित हुए। ब्रिटिश प्रशासन ने भी इस नुकसानकारक सांप्रदायिक तनाव के माहौल को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पुराने सांप्रदायिक संगठन जो कि कुछ समय तक निष्क्रिय हो गए थे उनका अपनी सांप्रदायिक मांगों को लेकर पुनरुत्थान होने लगा। मुसलिम लीग जिसमें उच्च वर्गीय सांप्रदायिक नेतृत्व फिर हावी हो गया था, एक बार फिर से सक्रिय हो गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार उसमें कोई राष्ट्रवादी तत्व नहीं था।

1923 में हिंदू महासभा का भी पुनर्जन्म हुआ, जिसका उद्देश्य था हिंदू जाति की स्थापना और हिंदू राष्ट्र की उन्नति। इसने खुलेआम मुसलिम विरोधी भावनाएं, उभारना शुरू कर दिया। मदनमोहन मालवीय के नेतृत्व में, खिलाफत आंदोलन में भाग लेने के कारण गांधी की आलोचना की गई। गांधी जी को एक पत्र में मोहम्मद अली ने लिखा कि मुसलिमों को हिंदू समुदाय में कोई विश्वास नहीं है, क्योंकि वे हिंदू राज के पक्ष में हैं। मुसलिम, अंग्रेजी शासन की साफ–सुथरी शासन की दासता ज्यादा पसंद करेंगे बजाए कि हिंदू राज के कमजोर चरित्र की अधीनता को स्वीकारने के।

साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार, 1922 और 1927 के बीच लगभग 112 बड़े सांप्रदायिक दंगे हुए।" इन दंगों के कारण हिंदू महासभा और भी शक्तिशाली बन गई तथा इसकी शाखाएं पूरे भारत में फैलने लगी। इससे हिंदुओं को ब्रिटिश एवं मुसलिम दोनों के खिलाफ गुस्सा निकालने का मौका मिला। उन्होंने यह नारा दिया कि हिंदुत्व खतरे में है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस) का जन्म 1925 में हुआ। जिसका उद्देश्य हिंदुओं को एकीकृत करना था। आर.एस.एस का मुख्य लक्ष्य हिंदू महासभा के समान ही था। इनका उद्देश्य हिंदू जाति, हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता का हिंदू राष्ट्र के रूप में विकास करना था।

हिंदू–मुसलिम एकता का पुनः प्रयास : राष्ट्रवादी नेतृत्व ने हिंदू–मुसलिम एकता एवं सांप्रदायिक मामलों को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन यह प्रयास काफी हद तक असफल रहा। 1928 के दौरान ऐसी कोशिशें अपनी चरम सीमा पर थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति से भारतीय जनता में व्यापक गुस्सा और हताशा पनपी, क्योंकि इसमें केवल गैर–भारतीय प्रतिनिधि ही थे। सभी भारतीय राजनीतिक दलों ने इसके बहिष्कार का निर्णय किया। मुसलिम लीग साइमन कमीशन के मुद्दे पर एकमत नहीं बना सकी। फलस्वरूप लीग में फूट पड़ गई। साइमन कमीशन की चुनौती का सामना करने के लिए सांप्रदायिक मुद्दों को सुलझाना जरूरी था और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रयास किए गए।

1927 में मुसलिम सांप्रदायिक नेताओं की एक बड़ी बैठक दिल्ली में हुई जिसे दिल्ली प्रस्ताव कहा जाता है। इसमें चार सूत्रीय मांगपत्र तैयार किया गया। पहला, सिंध को एक अलग राज्य बनाया जाए; दूसरा, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत को वही संवैधानिक दर्जा दिया जाए जो अन्य प्रांतों को मिला हुआ था; तीसरा, केंद्रीय विधायिका में 3310 प्रतिशत प्रतिनिधित्व; चौथा, पंजाब और बंगाल में प्रतिनिधित्व का अनुपात जनसंख्या के आधार पर हो एवं अन्य प्रांतों में मुसलमानों के लिए सीटों का मौजूदा आरक्षण बना रहे।" कांग्रेस के प्रस्ताव नेहरू रिपोर्ट के रूप में सामने आए, जिसमें संविधान के आधारभूत तत्त्वों को समाहित किया गया। कमेटी ने संयुक्त निर्वाचक इकाइयों, सिंध के पृथक्करण तथा बलूचिस्तान और उत्तर–पश्चिम सीमांत प्रांत को दूसरे प्रांतों के समान बनाने की सिफारिश की। इसने पृथक चुनाव क्षेत्रों की योजना को सहमति नहीं दी। इसके अतिरिक्त केंद्रीय एवं प्रांतीय विधायिका सभाओं में सीटों का आरक्षण कुल जनसंख्या में मुसलमानों के अनुपात के आधार पर निर्धारित किया गया। लीग के नेता जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में कई संशोधन लाने को कहा जिनमें से एक संशोधन केंद्रीय विधायिका में एक–तिहाई स्थान मुसलमानों के लिए आरक्षित करने के लिए था। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसी के साथ कांग्रेस व मुसलिम लीग के बीच समझौते की संभावनाएं भी समाप्त हो गईं। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है जो सभी धर्मो को समान सम्मान देता है। राजनीति से साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के लिए शिक्षा का प्रसार तार्किक सोच और सख्त चुनावी कानूनों की आवश्यकता है।

निष्कर्ष–

भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता एक अत्यन्त जटिल और संवेदनशील विषय है। यह केवल धर्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जब राजनीति में धर्म का उपयोग सत्ता प्राप्ति या विशेष समूह के हितों के लिए किया जाता है तो वह साम्प्रदायिकता का रूप ले लेती है। साम्प्रदायिकता वह विचारधारा है जिसमें एक धार्मिक समुदाय के हितों को दूसरे समुदाय के हितों से अलग और कभी–कभी उनके विरूद्ध माना जाता है इसमें यह धारणा प्रबल होती है कि एक धर्म के अनुयायियों के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक हित समान होते हैं। भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता की जड़े ब्रिटिश शासन की 'फूट डालो और राज करो' की नीति में निहित है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

1. स्मिथ, डब्ल्यु0 सी0, (1946). मार्डम इस्लाम इन इंडिया, लंदन, पृ0 157
2. चन्द्र, विपिन (2002), भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, पृ0 319
3. पांडे, ज्ञानेन्द्र (1990), द क ंसट्रक्शन ऑफ कम्यूनिलिज्म, दिल्ली, पृ0 8
4. चन्द्र, सतीश, (1972), पार्टीज एंड पालिटिक्स एट दि मुगल कोर्ट, 1707–1740, दिल्ली, पृ0 26
5. सिंह, रणधीर., (1988), ''थियोराइजिंग कम्युनिलिज्म'', इकोनोमिक एण्ड पालिटिकल वीकली, जुलाई पृ0 1541–1548
6. चन्द्र, विपीन (2004), आध ुनिक भारत का इतिहास और साम्प्रदायिकता, दिल्ली, पृ0 26

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

युवा पीढ़ी पर सोशल मीडिया का प्रभाव

नीतू सिंह
शोध छात्रा – समाजशास्त्र
राजा श्री कृष्ण दत्त पी .जी. कॉलेज जौनपुर।
संबद्ध– वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर (उ. प्र.)

सारांश –

वर्तमान समय को सूचना प्रौद्योगिकी और संचार क्रांति का दौर माना जाता है, जिसमें सोशल मीडिया ने मानव जीवन के विभिन्न आयामों को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इसने व्यक्ति की सोच, जीवनशैली, सामाजिक व्यवहार और पारस्परिक संबंधों में उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग सोशल मीडिया का सबसे सक्रिय उपयोगकर्ता है, जिसके कारण इसका प्रभाव उनके व्यक्तित्व, दृष्टिकोण और सामाजिक सहभागिता पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है।

यह शोधपत्र युवा पीढ़ी पर सोशल मीडिया के सकारात्मक तथा नकारात्मक प्रभावों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अध्ययन में सोशल मीडिया उपयोग के प्रमुख कारणों, मनोवैज्ञानिक प्रभावों, पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों में आए परिवर्तनों, शिक्षा और रोजगार के अवसरों पर प्रभाव, सांस्कृतिक बदलाव, राजनीतिक जागरूकता, सामाजिक आंदोलनों में सहभागिता तथा मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े पहलुओं का विस्तार से विवेचन किया गया है। यह अध्ययन द्वितीयक स्रोतों पर आधारित विश्लेषणात्मक पद्धति का अनुसरण करता है। निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि सोशल मीडिया युवाओं के लिए ज्ञानार्जन, रचनात्मक अभिव्यक्ति, व्यावसायिक अवसरों और सामाजिक संपर्क का प्रभावी माध्यम बन चुका है। इसके विपरीत, अत्यधिक उपयोग से मानसिक तनाव, सामाजिक दूरी, आभासी निर्भरता, साइबर अपराध तथा सांस्कृतिक मूल्यों में ह्रास जैसी समस्याएँ भी उत्पन्न हो रही हैं।

अंततः अध्ययन इस बात पर बल देता है कि सोशल मीडिया का संतुलित एवं विवेकपूर्ण उपयोग अत्यंत आवश्यक है। साथ ही डिजिटल साक्षरता का प्रसार, अभिभावकों का मार्गदर्शन और प्रभावी नीतिगत नियंत्रण इसके दुष्प्रभावों को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

कुंजीभूत शब्द: सोशल मीडिया, युवा पीढ़ी, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल संस्कृति, सामाजिक परिवर्तन।

वर्तमान युग में इंटरनेट तथा डिजिटल प्रौद्योगिकी के तीव्र विकास ने विश्व को आपसी संपर्क के एक साझा मंच पर ला खड़ा किया है। संचार के आधुनिक साधनों ने भौगोलिक सीमाओं के महत्व को कम करते हुए मानव समाज को अधिक परस्पर जुड़ा हुआ बना दिया है। सोशल मीडिया मंच अब पारस्परिक संवाद, विचार–विनिमय, सूचना प्रसार और मनोरंजन के प्रभावशाली माध्यम के रूप में स्थापित हो चुके हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग इन मंचों का सर्वाधिक सक्रिय उपयोगकर्ता है, क्योंकि यही वर्ग किसी भी देश की

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का प्रमुख आधार माना जाता है। युवा अवस्था मानव जीवन का वह महत्वपूर्ण चरण है जिसमें व्यक्ति सीखने, आत्म–पहचान विकसित करने और सामाजिक भूमिका को समझने की प्रक्रिया से गुजरता है। इस अवधि में व्यक्ति के विचार, व्यवहार, जीवन–पद्धति तथा संबंधों का स्वरूप तेजी से निर्मित होता है। ऐसे में सोशल मीडिया का प्रभाव युवाओं के व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक दृष्टिकोण, जीवनशैली और भविष्य की दिशा पर गहराई से परिलक्षित होता है। सोशल मीडिया ने युवाओं को अपनी बात खुलकर व्यक्त करने, नवीन शैक्षिक संसाधनों तक पहुँचने, व्यावसायिक अवसरों की खोज करने तथा वैश्विक समुदाय से जुड़ने का सशक्त माध्यम प्रदान किया है। इसके माध्यम से रचनात्मकता और संवाद की संभावनाएँ विस्तृत हुई हैं। इसके विपरीत, इसका अनियंत्रित और अत्यधिक उपयोग अनेक चुनौतियों को भी जन्म देता है, जिनमें डिजिटल लत, मानसिक तनाव, अवसाद, साइबर उत्पीड़न, भ्रामक सूचनाओं का प्रसार, अनुपयुक्त सामग्री की उपलब्धता तथा वास्तविक सामाजिक संबंधों में दूरी जैसी समस्याएँ प्रमुख हैं।

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग पर सोशल मीडिया के विविध आयामों में पड़ने वाले प्रभावों का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करना है, ताकि इसके सकारात्मक पक्षों को समझते हुए नकारात्मक परिणामों के प्रति भी जागरूकता विकसित की जा सके।

सोशल मीडिया इंटरनेट आधारित एक आधुनिक संचार प्रणाली है, जो उपयोगकर्ताओं को डिजिटल मंच के माध्यम से सामग्री के सृजन, आदान–प्रदान तथा साझा करने की सुविधा प्रदान करती है। यह पारंपरिक संचार माध्यमों से भिन्न है, क्योंकि इसमें संवाद एकतरफा न होकर सहभागितापूर्ण और अंतःक्रियात्मक होता है। सोशल मीडिया ने संचार प्रक्रिया को अधिक सरल, त्वरित और व्यापक बनाया है, जिससे व्यक्ति, समूह और समुदाय वैश्विक स्तर पर एक–दूसरे से जुड़ सके हैं।

सोशल मीडिया का स्वरूप बहुआयामी है, जिसमें व्यक्तिगत अभिव्यक्ति, सामाजिक संपर्क, सूचना प्रसार, व्यावसायिक प्रचार और ज्ञान–साझाकरण जैसे विभिन्न पक्ष सम्मिलित होते हैं। यह मंच उपयोगकर्ताओं को केवल जानकारी प्राप्त करने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उन्हें स्वयं सामग्री निर्माण कर समाज के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर भी प्रदान करता है।

सोशल मीडिया की प्रमुख विशेषताएँ–

1.त्वरित संचार **—** संदेशों और सूचनाओं का तत्काल आदान–प्रदान संभव होता है।

2. वैश्विक पहुँच **—** भौगोलिक सीमाओं से परे विश्वभर के लोगों से संपर्क स्थापित किया जा सकता है।

3. सहभागिता आधारित संवाद **—** उपयोगकर्ता सक्रिय रूप से चर्चा, प्रतिक्रिया और विचार–विमर्श में भाग लेते हैं।

4. मल्टीमीडिया सामग्री **—** पाठ, चित्र, ऑडियो और वीडियो जैसे विभिन्न माध्यमों में सामग्री साझा की जा सकती है।

प्रत्येक व्यक्ति स्वयं सूचना और विचारों का सृजनकर्ता बन सकता है। समकालीन समाज में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन भर नहीं रह गया है, बल्कि यह सामाजिक जागरूकता, आर्थिक गतिविधियों, शैक्षणिक विकास और राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। इसने सामाजिक परिवर्तन की गति को तीव्र करते हुए संचार की पारंपरिक संरचनाओं को नया स्वरूप प्रदान किया है।

युवा पीढ़ी और सोशल मीडिया का संबंध –

युवा वर्ग स्वभावतः जिज्ञासु, नवोन्मेषी तथा सामाजिक सहभागिता में सक्रिय माना जाता है। यही विशेषताएँ उन्हें नई तकनीकों और आधुनिक संचार माध्यमों को शीघ्र अपनाने के लिए प्रेरित करती हैं।

डिजिटल उपकरणों की आसान उपलब्धता, सस्ते इंटरनेट सेवाओं का प्रसार तथा तकनीकी साक्षरता में वृद्धि ने युवाओं के दैनिक जीवन में सोशल मीडिया के उपयोग को अत्यंत सामान्य बना दिया है। परिणामस्वरूप, सोशल मीडिया आज युवा जीवनशैली का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुका है।

युवा अवस्था व्यक्तित्व निर्माण, सामाजिक पहचान के विकास तथा भविष्य की दिशा निर्धारित करने का संवेदनशील काल होता है। इस अवधि में युवा नए अनुभवों की खोज करते हैं, व्यापक सामाजिक संपर्क स्थापित करना चाहते हैं और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के अवसर तलाशते हैं। सोशल मीडिया इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सुलभ एवं प्रभावी मंच प्रदान करता है।

युवाओं द्वारा सोशल मीडिया उपयोग के प्रमुख कारण –

1.सामाजिक संपर्क – मित्रों, परिवार और परिचितों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना।

2. मनोरंजन – संगीत, वीडियो, खेल तथा अन्य डिजिटल सामग्री के माध्यम से अवकाश का उपयोग।

3. सूचना प्राप्ति – नवीन घटनाओं, समसामयिक विषयों और ज्ञानवर्धक सामग्री तक त्वरित पहुँच।

4. शैक्षणिक उद्देश्य – ऑनलाइन अध्ययन सामग्री, वर्चुअल कक्षाओं और शैक्षणिक चर्चाओं में भागीदारी।

5. व्यावसायिक संभावनाएँ – रोजगार, इंटर्नशिप तथा करियर से संबंधित अवसरों की जानकारी प्राप्त करना।

6. आत्म–अभिव्यक्ति – विचारों, भावनाओं, रचनात्मकता और प्रतिभा को सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुत करना।

7. सामाजिक पहचान निर्माण – डिजिटल समुदायों में सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी पहचान स्थापित करना।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सोशल मीडिया केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि युवाओं के दैनिक व्यवहार, सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण सामाजिक माध्यम बन गया है।

सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव –

1- **शिक्षा में सहायक** – सोशल मीडिया शिक्षा का प्रभावी माध्यम बन चुका है। ऑनलाइन कक्षाएँ, शैक्षणिक वीडियो, वेबिनार और डिजिटल सामग्री छात्रों को नई जानकारी प्रदान करती हैं। युवा विभिन्न विषयों की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।

2- **ज्ञान और जागरूकता में वृद्धि** – सोशल मीडिया राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से युवाओं को अवगत कराता है। इससे सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषयों पर उनकी समझ विकसित होती है।

3- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** – युवा अपने विचारों, प्रतिभाओं और रचनात्मकता को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। लेखन, कला, संगीत, फोटोग्राफी और अभिनय जैसी प्रतिभाओं को पहचान मिलती है।

4- **रोजगार एवं व्यवसाय के अवसर** – डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, ब्लॉगिंग, फ्रीलांसिंग आदि के माध्यम से युवा स्वरोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सोशल मीडिया व्यवसायिक प्रचार का सशक्त माध्यम बन गया है।

5- **सामाजिक जुड़ाव** – सोशल मीडिया दूर–दराज के लोगों को भी जोड़ता है। इससे सामाजिक संबंध मजबूत होते हैं तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान बढ़ता है।

6- **सामाजिक आंदोलनों में भागीदारी** – युवा सामाजिक मुद्दों पर जागरूक होकर अभियानों में भाग लेते हैं। सामाजिक न्याय, पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकार जैसे विषयों पर जनजागरण संभव हुआ है।

सोशल मीडिया के नकारात्मक प्रभाव –

1- **लत** – सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग युवाओं को आभासी दुनिया में व्यस्त कर देता है। इससे समय की बर्बादी होती है तथा पढ़ाई और कार्य प्रभावित होते हैं।

2- **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव** – अत्यधिक उपयोग से तनाव, अवसाद, चिंता और अकेलापन बढ़ता है। लाइक्स और फॉलोअर्स की प्रतिस्पर्धा युवाओं में हीन भावना उत्पन्न करती है।

3- **साइबर बुलिंग** – ऑनलाइन अपमान, धमकी और अफवाहें युवाओं के मानसिक संतुलन को प्रभावित करती हैं।

4- **सामाजिक अलगाव** – युवा वास्तविक जीवन के संबंधों से दूर होकर आभासी दुनिया में अधिक समय बिताते हैं। इससे पारिवारिक संबंध कमजोर होते हैं।

5- **अश्लील एवं भ्रामक सामग्री** – अश्लीलता और फर्जी समाचार युवाओं के नैतिक मूल्यों और सोच को प्रभावित करते हैं।

6- **शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव** – लंबे समय तक स्क्रीन देखने से आँखों की समस्या, सिरदर्द और नींद में कमी जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

सामाजिक संबंधों पर सोशल मीडिया का प्रभाव –

सोशल मीडिया ने मानव संबंधों की संरचना, स्वरूप और संवाद शैली में महत्वपूर्ण परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। इसने जहाँ एक ओर लोगों को आपस में जोड़ने और संवाद के नए अवसर प्रदान किए हैं, वहीं दूसरी ओर प्रत्यक्ष सामाजिक संपर्क की परंपरागत प्रणालियों को भी प्रभावित किया है। सामाजिक संबंधों पर इसके प्रभावों को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों दृष्टिकोणों से समझा जा सकता है।

सकारात्मक प्रभाव –

1- **नए सामाजिक संबंधों का निर्माण –** सोशल मीडिया विभिन्न पृष्ठभूमियों, संस्कृतियों और क्षेत्रों के लोगों को एक मंच पर लाकर नए मित्र बनाने के अवसर प्रदान करता है।

2- **वैश्विक स्तर पर संपर्क –** व्यक्ति भौगोलिक सीमाओं से परे विश्वभर के लोगों से जुड़ सकता है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समझ और सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा मिलता है।

3- **विचारों का मुक्त आदान–प्रदान –** सोशल मीडिया संवाद का खुला मंच प्रदान करता है जहाँ लोग सामाजिक, शैक्षणिक और सामयिक विषयों पर अपने विचार साझा कर सकते हैं।

4- **समान रुचियों वाले समूहों का निर्माण –** उपयोगकर्ता अपनी रुचियों, पेशों या उद्देश्यों के अनुसार डिजिटल समुदायों से जुड़कर सामूहिक सहभागिता कर सकते हैं।

5- **संबंधों को बनाए रखने में सहायक –** दूर रहने वाले मित्रों और परिजनों से निरंतर संपर्क बनाए रखना सरल हो गया है, जिससे संबंधों में निरंतरता बनी रहती है।

6- **सामाजिक सहयोग और समर्थन –** ऑनलाइन समूहों के माध्यम से लोग भावनात्मक समर्थन, परामर्श और सामाजिक सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।

नकारात्मक प्रभाव –

1- पारिवारिक संवाद में कमी – अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग के कारण परिवार के सदस्यों के बीच प्रत्यक्ष संवाद कम होता जा रहा है।

2- वास्तविक संबंधों में दूरी – लोग आभासी संपर्क को प्राथमिकता देने लगे हैं, जिससे आमने–सामने मिलने की प्रवृत्ति घट रही है।

3- दिखावटी सामाजिकता – सोशल मीडिया पर संबंधों का प्रदर्शन अक्सर वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव की अपेक्षा औपचारिकता तक सीमित रह जाता है।

4- अकेलेपन की भावना – आभासी मित्रता वास्तविक सामाजिक संतुष्टि प्रदान नहीं कर पाती, जिससे व्यक्ति मानसिक रूप से अलगाव महसूस कर सकता है।

5- संबंधों में विश्वास की कमी – ऑनलाइन पहचान की सत्यता संदिग्ध होने के कारण धोखाधड़ी और विश्वासघात की संभावना बढ़ जाती है।

6- समय की गुणवत्ता में गिरावट – परिवार और मित्रों के साथ बिताया जाने वाला गुणवत्तापूर्ण समय डिजिटल व्यस्तता के कारण प्रभावित होता है।

इस प्रकार, सोशल मीडिया सामाजिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने के साथ–साथ उनमें औपचारिकता, दूरी और कृत्रिमता भी उत्पन्न कर सकता है। अतः इसके संतुलित उपयोग की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सांस्कृतिक प्रभाव–

सोशल मीडिया समकालीन समाज में सांस्कृतिक परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। इसका प्रभाव विशेष रूप से युवा पीढ़ी के जीवन के विभिन्न पहलुओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। डिजिटल मंचों के माध्यम से विभिन्न देशों और समुदायों की जीवनशैलियाँ, परंपराएँ, विचारधाराएँ और व्यवहार प्रतिरूप तेजी से एक–दूसरे तक पहुँच रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान–प्रदान की प्रक्रिया तीव्र हो गई है। युवाओं की भाषा–शैली पर सोशल मीडिया का गहरा प्रभाव पड़ा है। संवाद के डिजिटल रूपों ने संक्षिप्त भाषा, मिश्रित शब्दावली तथा नए अभिव्यक्ति–प्रकारों को जन्म दिया है। इसके अतिरिक्त, पहनावे की शैली, खान–पान की आदतों और दैनिक जीवन पद्धति में भी उल्लेखनीय परिवर्तन देखे जा सकते हैं। युवा वर्ग प्रायः उन जीवनशैलियों का अनुसरण करने लगा है जो उन्हें डिजिटल मंचों पर आकर्षक और आधुनिक प्रतीत होती हैं। सोशल मीडिया के प्रभाव से वैश्विक संस्कृति का प्रसार तेज हुआ है, जिसके परिणामस्वरूप पाश्चात्य जीवनशैली और उपभोक्तावादी प्रवृत्तियों का प्रभाव बढ़ा है। इससे पारंपरिक सामाजिक मूल्यों, रीति–रिवाजों और सांस्कृतिक मान्यताओं में क्रमिक परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। कई बार यह परिवर्तन सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा देता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में सांस्कृतिक असंतुलन और परंपरागत पहचान के क्षरण का कारण भी बन सकता है। अतः स्पष्ट है कि सोशल मीडिया सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान करता है, जिससे युवाओं के दृष्टिकोण, व्यवहार और सामाजिक मान्यताओं में व्यापक बदलाव देखने को मिलते हैं।

राजनीतिक जागरूकता पर सोशल मीडिया का प्रभाव –

आज के समय में सोशल मीडिया राजनीतिक सूचनाएँ प्राप्त करने का एक प्रमुख माध्यम बन गया है। इसके द्वारा लोग देश–दुनिया की राजनीतिक गतिविधियों से आसानी से अवगत हो जाते हैं। विशेष रूप से युवा वर्ग विभिन्न राजनीतिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त करता है और चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लेता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनसहभागिता बढ़ती है।

हालाँकि, सोशल मीडिया का एक नकारात्मक पक्ष भी है। कई बार अप्रमाणित समाचार, भ्रामक सूचनाएँ और पक्षपातपूर्ण प्रचार तेजी से फैलते हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः राजनीतिक विषयों पर सोशल मीडिया का उपयोग करते समय जानकारी की सत्यता की जाँच करना आवश्यक है।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव –

सोशल मीडिया का व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूपों में देखा जा सकता है, परंतु अत्यधिक उपयोग कई मनोवैज्ञानिक समस्याओं को जन्म देता है।

मुख्य प्रभाव निम्नलिखित हैं:

1- **आत्मसम्मान में कमी** – दूसरों की आकर्षक जीवनशैली और उपलब्धियों को देखकर व्यक्ति स्वयं को कमतर समझने लगता है, जिससे आत्मविश्वास घटता है।

2- **तुलना करने की प्रवृत्ति** – लोग अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। यह आदत असंतोष और मानसिक तनाव को बढ़ाती है।

3- **आभासी पहचान और वास्तविक पहचान में संघर्ष** – सोशल मीडिया पर लोग स्वयं की एक अलग छवि प्रस्तुत करते हैं, जो वास्तविक जीवन से भिन्न हो सकती है। इस अंतर के कारण मानसिक द्वंद्व और असहजता उत्पन्न होती है।

4- **यान केंद्रित करने की क्षमता में कमी** – लगातार स्क्रीन देखने और बार–बार सूचनाएँ प्राप्त होने से एकाग्रता प्रभावित होती है, जिससे पढ़ाई और कार्यक्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है।

5- **भावनात्मक अस्थिरता** – अत्यधिक उपयोग से चिंता, चिड़चिड़ापन, अकेलापन और अवसाद जैसी समस्याएँ बढ़ सकती हैं, जिससे व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर हो सकता है।

अनुसंधान पद्धति –

यह शोध अध्ययन द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है। इसमें आवश्यक जानकारी विभिन्न पुस्तकों, शोध लेखों, पत्र–पत्रिकाओं तथा विश्वसनीय इंटरनेट स्रोतों से संकलित की गई है। एकत्रित सामग्री का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं विश्लेषण करके निष्कर्ष तैयार किए गए हैं।

समाधान एवं सुझाव –

सोशल मीडिया के प्रभावों को संतुलित करने तथा उसके दुष्प्रभावों को कम करने के लिए कई व्यवहारिक उपाय अपनाए जा सकते हैं, जिन्हें शोध कार्यों में सीधे रूप से उपयोग किया जा सकता है।

1- सोशल मीडिया का उपयोग आवश्यकता के अनुसार और निश्चित समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। अत्यधिक उपयोग मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक समस्याओं को जन्म दे सकता है, इसलिए संतुलित उपयोग आवश्यक है।

2- लोगों को डिजिटल माध्यमों के सुरक्षित और जिम्मेदार उपयोग के प्रति जागरूक किया जाना चाहिए। डिजिटल साक्षरता बढ़ने से व्यक्ति सही और गलत जानकारी में अंतर समझने में सक्षम होता है।

3- बच्चों और किशोरों की ऑनलाइन गतिविधियों पर अभिभावकों को उचित ध्यान देना चाहिए। उचित मार्गदर्शन और संवाद के माध्यम से उन्हें सुरक्षित इंटरनेट उपयोग की शिक्षा दी जा सकती है।

4- ऑनलाइन धोखाधड़ी, डेटा चोरी और साइबर अपराधों से बचाव के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी शिक्षा प्रदान करना आवश्यक है। इससे उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी सुरक्षित रहती है।

5- ऐसी सामग्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक और समाजोपयोगी हो। सकारात्मक सामग्री सोशल मीडिया के उपयोग को रचनात्मक दिशा प्रदान करती है।

6- दैनिक जीवन में कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित कर समय का उचित प्रबंधन करना चाहिए। इससे सोशल मीडिया पर अनावश्यक समय व्यतीत करने की आदत कम होती है।

7- सोशल मीडिया के अत्यधिक उपयोग से उत्पन्न तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याओं के प्रति जागरूकता फैलाना आवश्यक है। समय–समय पर परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम इस दिशा में सहायक सिद्ध हो सकते हैं।

इन उपायों को अपनाकर सोशल मीडिया के उपयोग को अधिक सुरक्षित, संतुलित और लाभकारी बनाया जा सकता है।

निष्कर्ष – सोशल मीडिया आज के आधुनिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। विशेष रूप से युवा वर्ग के जीवन में इसकी भूमिका अत्यंत प्रभावशाली है। यह एक ओर ज्ञान, सूचना, संवाद और अवसरों का सशक्त माध्यम है, वहीं दूसरी ओर इसके अनुचित और अत्यधिक उपयोग से अनेक समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं।

सोशल मीडिया का संतुलित और विवेकपूर्ण उपयोग युवाओं के व्यक्तित्व विकास, शैक्षिक प्रगति, रोजगार के अवसरों तथा सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। इसके माध्यम से युवा अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित कर सकते हैं और वैश्विक स्तर पर जुड़ सकते हैं।

इसके विपरीत, अनियंत्रित उपयोग मानसिक तनाव, सामाजिक दूरी, सांस्कृतिक परिवर्तन तथा व्यवहार संबंधी समस्याओं को जन्म दे सकता है। अत्यधिक निर्भरता व्यक्ति के वास्तविक जीवन, पारिवारिक संबंधों और सामाजिक मूल्यों को प्रभावित कर सकती है।

अतः यह आवश्यक है कि युवा सोशल मीडिया का उपयोग ज्ञानवर्धन, रचनात्मक गतिविधियों और सकारात्मक उद्देश्यों के लिए करें। साथ ही, परिवार, शिक्षण संस्थानों और सरकार को मिलकर डिजिटल साक्षरता तथा जागरूकता कार्यक्रमों का संचालन करना चाहिए, ताकि इसके दुष्प्रभावों को कम किया जा सके और इसका उपयोग समाज के हित में किया जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन. (2022). किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर डिजिटल माध्यमों का प्रभाव. जिनेवा: WHO प्रकाशन।
2. यूनेस्को. (2021). डिजिटल साक्षरता और युवा विकास. पेरिस: UNESCO पब्लिशिंग।
3. शर्मा, आर. के., (2019). सोशल मीडिया और समाज. नई दिल्ली: शैक्षिक प्रकाशन।
4. भारतीय प्रेस सूचना ब्यूरो, (2023). डिजिटल भारत और सोशल मीडिया जागरूकता रिपोर्ट. नई दिल्ली: भारत सरकार।
5. अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, (2020). सोशल मीडिया उपयोग और युवाओं का मनोविज्ञान. वॉशिंगटन डी.सी.: APA प्रकाशन।

Journal of Socio-Educational & Cultural Research
International Journal of Arts & Social Sciences
Published by Srijan Research Foundation, Varanasi India
Vol.12, N. 24, March 2026
DOI: 10.13140/RG.2.2.13106.57283
www.jsecrjournal.in

युवा पीढ़ी में बढ़ती नशाखोरी : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ. अखिलेश कुमार सरोज
असि. प्रोफेसर– समाजशास्त्र
डॉ .राजेश्वर सेवाश्रम महाविद्यालय ढिंढुई , प्रतापगढ़
संबद्ध–प्रो.राजेंद्र सिंह (रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय प्रयागराज (उ. प्र.)

सारांश – *नशाखोरी समकालीन समाज की एक गंभीर और बहुआयामी सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से युवा वर्ग पर अधिक दृष्टिगोचर होता है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य नशाखोरी के कारणों, स्वरूप तथा उसके सामाजिक, आर्थिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभावों का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना है। अध्ययन में यह पाया गया कि मादक द्रव्यों का बढ़ता उपयोग न केवल व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि पारिवारिक संरचना में विघटन, सामाजिक असंतुलन तथा आर्थिक हानि जैसी समस्याओं को भी जन्म देता है। इसके अतिरिक्त, बुरी संगति, पारिवारिक विघटन, मानसिक तनाव तथा सामाजिक मूल्यों में गिरावट जैसे कारक नशाखोरी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।*

यह शोध इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि नशाखोरी की समस्या का समाधान केवल व्यक्तिगत स्तर पर संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए सामाजिक जागरूकता, नैतिक शिक्षा, पुनर्वास सेवाओं तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी प्रयासों के समन्वित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। अतः युवा पीढ़ी को इस दुष्प्रवृत्ति से बचाने हेतु समग्र एवं प्रभावी नीतिगत हस्तक्षेप अनिवार्य है।

कुंजीभूत शब्द – मादक द्रव्य व्यसन, नशाखोरी, युवा वर्ग, सामाजिक समस्या, सामाजिक विघटन, पारिवारिक प्रभाव, मानसिक स्वास्थ्य, पुनर्वास, नशामुक्ति, सामाजिक जागरूकता।

कोई भी समाज सामाजिक समस्याओं से पूर्णतः मुक्त नहीं होता, बल्कि समय के साथ विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ उसके समक्ष उभरती रहती हैं। वर्तमान युग में नशाखोरी अथवा मादक द्रव्य व्यसन एक गंभीर सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसका प्रभाव विशेष रूप से युवा वर्ग पर अधिक स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। युवा किसी भी राष्ट्र की प्रगति और विकास के आधार होते हैं, किंतु नशे की बढ़ती प्रवृत्ति उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को बाधित कर रही है।

यद्यपि मादक पदार्थों का प्रयोग प्राचीन काल से किसी न किसी रूप में समाज में विद्यमान रहा है, तथापि वर्तमान समय में इसका स्वरूप अधिक व्यापक, जटिल और चिंताजनक हो गया है। पहले जहाँ इसका उपयोग सीमित अवसरों तक ही देखा जाता था, वहीं आज यह धीरे–धीरे लोगों की दैनिक जीवनशैली का हिस्सा बनता जा रहा है। आधुनिक जीवन की प्रतिस्पर्धा, तनाव, सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक संक्रमण ने इस समस्या को और अधिक गहन बना दिया है। विभिन्न अध्ययनों से यह संकेत मिलता है कि भारत में नशाखोरी

की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है, जिसमें युवाओं की भागीदारी सर्वाधिक है। नशे की अवस्था में व्यक्ति का व्यवहार असामान्य हो जाता है, उसकी निर्णय क्षमता कमजोर पड़ जाती है तथा वह अपने सामाजिक और नैतिक दायित्वों से विमुख होने लगता है। इसके परिणामस्वरूप न केवल उसका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होता है, बल्कि पारिवारिक संबंधों में भी तनाव उत्पन्न होता है।

इसके अतिरिक्त, नशाखोरी सामाजिक विघटन, अपराध, हिंसा तथा आर्थिक अस्थिरता जैसी समस्याओं को भी जन्म देती है। यह समस्या केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहती, बल्कि समाज के समग्र संतुलन को प्रभावित करती है। अतः नशाखोरी का अध्ययन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक हो जाता है, ताकि इसके मूल कारणों की पहचान कर प्रभावी समाधान विकसित किए जा सकें।

अध्ययन के उद्देश्य– प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य नशाखोरी की समस्या को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समझना तथा इसके विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना है। इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

1. समाज में नशाखोरी के प्रति जागरूकता विकसित करना।
2. नशाखोरी के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणामों से लोगों को अवगत कराना।
3. युवा वर्ग को मादक द्रव्यों की लत से बचाने हेतु प्रभावी उपायों की पहचान करना।
4. नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के उपायों का अध्ययन करना।
5. इस समस्या के समाधान में व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी संस्थाओं की भूमिका का विश्लेषण करना।

अध्ययन पद्धति – प्रस्तुत शोध में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया गया है। अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आंकड़ों का उपयोग किया गया है, जिससे विषय की व्यापक समझ विकसित की जा सके। प्राथमिक स्रोतों के अंतर्गत साक्षात्कार के माध्यम से प्रत्यक्ष जानकारी एकत्रित की गई, जबकि द्वितीयक स्रोतों में विभिन्न समाजशास्त्रीय पुस्तकों, शोध पत्रों, जर्नलों तथा सरकारी एवं गैर–सरकारी रिपोर्टों का अध्ययन किया गया। इन सभी स्रोतों से प्राप्त तथ्यों का विश्लेषण कर नशाखोरी की समस्या का समग्र एवं संतुलित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

नशाखोरी का स्वरूप –

प्रत्येक समाज में संगठन एवं विघटन की प्रक्रियाएँ निरंतर साथ–साथ चलती रहती हैं। सामाजिक परिवर्तन के इस क्रम में कुछ प्रवृत्तियाँ समाज के संतुलन को बनाए रखती हैं, जबकि कुछ समस्याएँ सामाजिक संरचना को कमजोर करती हैं। नशाखोरी भी ऐसी ही एक गंभीर सामाजिक समस्या है, जो विभिन्न ऐतिहासिक कालों में अलग–अलग रूपों में विद्यमान रही है और समय के साथ इसका स्वरूप अधिक जटिल एवं व्यापक होता गया है। नशाखोरी केवल एक व्यक्तिगत आदत नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो व्यक्ति के व्यवहार, सोच और जीवनशैली को गहराई से प्रभावित करती है। यह समस्या धीरे–धीरे व्यक्ति को अपनी गिरफ्त में लेती है, जिससे वह मादक द्रव्यों पर निर्भर हो जाता है और सामान्य जीवन जीने की उसकी क्षमता प्रभावित होने लगती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, मादक द्रव्य व्यसन वह अवस्था है जिसमें किसी व्यक्ति में नशीले पदार्थों के निरंतर सेवन के कारण शारीरिक एवं मानसिक निर्भरता विकसित हो जाती है। इस स्थिति में व्यक्ति न केवल उस पदार्थ के बिना असहज महसूस करता है, बल्कि उसका व्यवहार, निर्णय क्षमता एवं सामाजिक उत्तरदायित्व भी प्रभावित होते हैं।

नशाखोरी का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह परिवार और समाज पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके कारण पारिवारिक संबंधों में तनाव, सामाजिक असंतुलन, आर्थिक कठिनाइयाँ

तथा अपराध जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार नशाखोरी का स्वरूप बहुआयामी है, जिसे समझने के लिए समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अत्यंत आवश्यक है।

नशाखोरी के प्रकार –

मादक द्रव्यों को उनके प्रभाव के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रत्येक प्रकार का नशीला पदार्थ मानव मस्तिष्क एवं शरीर पर अलग–अलग प्रभाव डालता है, जिससे व्यक्ति के व्यवहार, सोच और स्वास्थ्य पर विविध प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। सामान्यतः नशाखोरी के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैंकृ

1. अवसादक – अवसादक पदार्थ ऐसे रसायन होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की गतिविधियों को धीमा कर देते हैं। इनके सेवन से व्यक्ति को अस्थायी शांति या तनाव में कमी का अनुभव होता है, किंतु दीर्घकालिक उपयोग से शारीरिक निर्भरता तथा मानसिक सुस्ती उत्पन्न हो सकती है। इनका अधिक सेवन निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है और व्यक्ति की कार्यक्षमता घट जाती है। शराब (अल्कोहल), अफीम तथा कुछ औषधीय दवाएँ इस श्रेणी में आती हैं।

2. उत्तेजक – उत्तेजक पदार्थ मस्तिष्क की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं तथा व्यक्ति में अस्थायी ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास की अनुभूति उत्पन्न करते हैं। प्रारंभिक अवस्था में ये पदार्थ व्यक्ति को सक्रिय और सतर्क बनाते हैं, परंतु लगातार सेवन से चिंता, अनिद्रा, उच्च रक्तचाप तथा मानसिक अस्थिरता जैसी समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। कोकीन, निकोटीन, कैफीन तथा एम्फैटेमिन इसके प्रमुख उदाहरण हैं।

3. मतिभ्रमकारी – मतिभ्रमकारी पदार्थ व्यक्ति की संवेदनाओं और वास्तविकता की अनुभूति को विकृत कर देते हैं। इनके प्रभाव में व्यक्ति ऐसी चीजें देख या महसूस कर सकता है जो वास्तविकता में मौजूद नहीं होतीं। यह स्थिति मानसिक असंतुलन, भ्रम तथा भय जैसी अवस्थाओं को जन्म देती है। लंबे समय तक इनके उपयोग से मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। एलएसडी, मेस्कालाइन तथा साइलोसाइबिन जैसे पदार्थ इस श्रेणी में शामिल होते हैं।

नशाखोरी एक बहुआयामी सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्या है, जिसके पीछे अनेक व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक कारण निहित होते हैं। यह केवल किसी एक कारक का परिणाम नहीं है, बल्कि विभिन्न परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से विकसित होती है। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

1. पाश्चात्य जीवन शैली का प्रभाव – आधुनिकता और वैश्वीकरण के प्रभाव से युवाओं में पाश्चात्य जीवन शैली अपनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिसमें नशे को अक्सर एक फैशन या आधुनिकता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इस मानसिकता के कारण युवा आकर्षणवश नशे की ओर प्रवृत्त हो जाते हैं।

2. गरीबी एवं मानसिक तनाव – आर्थिक अभाव, बेरोजगारी तथा जीवन की कठिन परिस्थितियाँ व्यक्ति को मानसिक तनाव की ओर ले जाती हैं। कई बार व्यक्ति अपने दुःख, असफलता या निराशा से बचने के लिए नशे का सहारा लेने लगता है, जो धीरे–धीरे उसकी आदत बन जाती है।

3. बुरी संगत – सामाजिक परिवेश का व्यक्ति के व्यवहार पर गहरा प्रभाव पड़ता है। विशेषकर युवा वर्ग अपने मित्रों और साथियों से अत्यधिक प्रभावित होता है। बुरी संगत में पड़कर वे जिज्ञासा या दबाववश नशे की शुरुआत करते हैं, जो समय के साथ लत में बदल जाती है।

4. नैतिक मूल्यों का पतन – समाज में नैतिक शिक्षा एवं अनुशासन की कमी भी नशाखोरी के प्रसार का एक महत्वपूर्ण कारण है। जब व्यक्ति में सही–गलत का भेद करने की क्षमता कमजोर हो जाती है, तब वह आसानी से नकारात्मक प्रवृत्तियों की ओर आकर्षित हो जाता है।

5. स्वास्थ्य के प्रति अज्ञानता – नशे के दुष्परिणामों के प्रति पर्याप्त जानकारी का अभाव भी इस समस्या को बढ़ाता है। कई लोग यह नहीं समझ पाते कि मादक पदार्थ उनके शरीर और मन पर कितना गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं, जिसके कारण वे अनजाने में इसके आदी हो जाते हैं।

6. पारिवारिक विघटन – परिवार सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख आधार होता है। संयुक्त परिवारों का विघटन, पारिवारिक संबंधों में तनाव, माता–पिता का व्यस्त जीवन तथा बच्चों पर निगरानी की कमी जैसे कारक युवाओं को गलत दिशा में ले जा सकते हैं। ऐसे वातावरण में उचित मार्गदर्शन के अभाव में नशाखोरी की प्रवृत्ति विकसित हो सकती है।

7. प्रेम में असफलता या भावनात्मक आघात – व्यक्तिगत जीवन में असफलताएँ, विशेषकर प्रेम संबंधों में निराशा, व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोग अपने दुखों से बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, जो धीरे–धीरे उनकी आदत बन जाती है।

नशाखोरी के प्रभाव बहुआयामी होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्तरोंकृव्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिककृपर गहरा प्रभाव डालते हैं। इसके दुष्परिणाम केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहते, बल्कि यह समग्र सामाजिक संरचना को प्रभावित करते हैं।

1. व्यक्तिगत स्तर पर – नशाखोरी का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। निरंतर मादक द्रव्यों के सेवन से हृदय, यकृत, किडनी तथा मस्तिष्क संबंधी गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति मानसिक असंतुलन, अवसाद, चिंता तथा व्यवहारिक विकारों का शिकार हो जाता है। धीरे–धीरे उसकी निर्णय क्षमता कमजोर पड़ जाती है और वह अपने जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है। नशे की लत के कारण आत्मविश्वास में कमी आती है तथा व्यक्ति स्वयं को समाज से अलग–थलग महसूस करने लगता है।

2. पारिवारिक स्तर पर – नशाखोरी का प्रभाव परिवार पर भी अत्यंत नकारात्मक रूप से पड़ता है। नशे के कारण व्यक्ति की आय का बड़ा हिस्सा व्यर्थ खर्च हो जाता है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न होता है। इसके साथ ही परिवार में तनाव, कलह और अस्थिरता बढ़ जाती है। कई मामलों में घरेलू हिंसा, उपेक्षा तथा पारिवारिक जिम्मेदारियों से विमुखता जैसी समस्याएँ सामने आती हैं। परिणामस्वरूप पारिवारिक संबंध कमजोर पड़ जाते हैं और परिवार का विघटन होने की संभावना बढ़ जाती है।

3. सामाजिक स्तर पर – नशाखोरी समाज के व्यापक ढांचे को भी प्रभावित करती है। इसके कारण अपराधोंकृ जैसे चोरी, हिंसा, दुर्घटनाएँ आदिकृमें वृद्धि देखी जाती है। समाज में असुरक्षा की भावना बढ़ती है तथा सामाजिक संतुलन बिगड़ता है। इसके अतिरिक्त नशे के आदी व्यक्तियों की कार्यक्षमता में कमी आने से उत्पादकता घटती है, जिससे आर्थिक विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार नशाखोरी न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक प्रगति में भी बाधा उत्पन्न करती है।

आर्थिक प्रभाव –

नशाखोरी का प्रभाव केवल स्वास्थ्य या सामाजिक संबंधों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका गहरा प्रभाव व्यक्ति, परिवार और समाज की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ता है। मादक द्रव्यों के निरंतर सेवन से आर्थिक संसाधनों का अनावश्यक और अनियंत्रित उपयोग होता है, जिससे आर्थिक असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसके प्रमुख आर्थिक प्रभाव निम्नलिखित हैं–

1. नशे पर अत्यधिक खर्च – नशाखोरी करने वाले व्यक्ति अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा मादक पदार्थों की खरीद पर खर्च कर देते हैं। यह खर्च धीरे–धीरे इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और

जिम्मेदारियों की उपेक्षा करने लगता है। परिणामस्वरूप परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगती है और बचत की संभावना समाप्त हो जाती है।

2. उपचार पर व्यय – नशे की लत के कारण व्यक्ति को विभिन्न शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिनके उपचार में काफी धन खर्च होता है। अस्पतालों में भर्ती, दवाइयाँ, चिकित्सकीय परीक्षण एवं पुनर्वास केंद्रों पर होने वाला खर्च परिवार के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन जाता है। कई बार यह खर्च इतनी अधिक मात्रा में हो जाता है कि परिवार कर्ज लेने को मजबूर हो जाता है।

3. आय का नुकसान – नशे की स्थिति में व्यक्ति की कार्यक्षमता और उत्पादकता में कमी आ जाती है। वह अपने कार्यस्थल पर नियमित और प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर पाता, जिससे उसकी आय प्रभावित होती है। कई मामलों में नशे के कारण व्यक्ति अपनी नौकरी भी खो देता है, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति और अधिक कमजोर हो जाती है।

4. संपत्ति का ह्रास – नशाखोरी की लत व्यक्ति को आर्थिक रूप से इतना कमजोर बना देती है कि वह अपनी संपत्ति बेचने या गिरवी रखने के लिए मजबूर हो जाता है। घर, जमीन, गहने तथा अन्य चल–अचल संपत्तियों का ह्रास होने लगता है। कुछ मामलों में व्यक्ति अपनी पूरी जीवनभर की कमाई नशे की लत में गंवा देता है, जिससे उसका भविष्य और परिवार दोनों संकट में पड़ जाते हैं।

नशाखोरी जैसी गंभीर सामाजिक समस्या के समाधान हेतु केवल उपचारात्मक उपाय ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि इसके लिए प्रभावी रोकथाम आवश्यक है। नशाखोरी की प्रवृत्ति को प्रारंभिक स्तर पर ही नियंत्रित करने के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं सामाजिक स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। इसके प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैंकृ

1. नैतिक शिक्षा एवं समाजीकरण को बढ़ावा देना–

व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में नैतिक शिक्षा और उचित समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यदि बच्चों को प्रारंभ से ही सही और गलत का अंतर समझाया जाए तथा उनमें नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए, तो वे नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रह सकते हैं। विद्यालयों एवं परिवारों में नैतिक शिक्षा को प्रोत्साहित करना इस दिशा में अत्यंत प्रभावी कदम है।

2. स्वास्थ्य जागरूकता अभियान – नशाखोरी के दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करना आवश्यक है। इसके लिए विभिन्न माध्यमोंकृजैसे मीडिया, कार्यशालाएँ, सेमिनार एवं सामाजिक अभियानोंकृके माध्यम से जनजागरूकता बढ़ाई जा सकती है। जब लोगों को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होगा कि नशा उनके जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर सकता है, तो वे इससे दूर रहने का प्रयास करेंगे।

3. नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना – नशे के आदी व्यक्तियों के उपचार एवं पुनर्वास के लिए नशामुक्ति केन्द्रों की स्थापना अत्यंत आवश्यक है। इन केंद्रों में चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक सहायता प्रदान कर व्यक्ति को नशे की लत से मुक्त किया जा सकता है। साथ ही, ऐसे केंद्र समाज में जागरूकता फैलाने का भी कार्य करते हैं।

4. योग एवं ध्यान का अभ्यास – योग एवं ध्यान व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनके नियमित अभ्यास से तनाव, चिंता और मानसिक अशांति को कम किया जा सकता है, जो नशाखोरी के प्रमुख कारणों में से एक हैं। योग के माध्यम से व्यक्ति आत्म–नियंत्रण विकसित कर सकता है और स्वस्थ जीवन शैली अपना सकता है।

5. पारिवारिक सहयोग – परिवार व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। यदि परिवार का वातावरण सकारात्मक और सहयोगात्मक हो, तो व्यक्ति नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रह सकता है। माता–पिता एवं अन्य पारिवारिक

सदस्यों को चाहिए कि वे अपने बच्चों पर ध्यान दें, उनसे संवाद बनाए रखें तथा उन्हें सही मार्गदर्शन प्रदान करें। परिवार का समर्थन नशे की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

नशाखोरी जैसी गंभीर सामाजिक समस्या के समाधान के लिए सरकार और गैर–सरकारी संगठनों (NGOs) का संयुक्त एवं समन्वित प्रयास अत्यंत आवश्यक है। सरकार इस दिशा में नीतियाँ बनाकर, कानून लागू करके तथा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नशा–नियंत्रण और पुनर्वास का कार्य करती है, जबकि गैर–सरकारी संगठन समाज में जागरूकता फैलाने और व्यक्तियों को नशे से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकारी स्तर पर मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण और उपयोग पर नियंत्रण हेतु कठोर कानून लागू किए जाते हैं। इसके साथ ही, नशामुक्ति केंद्रों की स्थापना की जाती है, जहाँ नशे के आदी व्यक्तियों का उपचार, परामर्श और पुनर्वास किया जाता है। सरकार समय–समय पर जनजागरूकता अभियान चलाती है, जिससे लोगों को नशे के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी मिल सके और वे इस समस्या से दूर रह सकें।

शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी नशा–विरोधी शिक्षा प्रदान की जाती है, जिससे युवाओं में जागरूकता और आत्म–नियंत्रण की भावना विकसित हो सके। साथ ही, विभिन्न माध्यमों जैसे टेलीविजन, रेडियो और सोशल मीडिया का उपयोग कर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। गैर–सरकारी संगठनों की भूमिका भी इस दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये संगठन समाज के विभिन्न वर्गों में जाकर नशे के प्रति जागरूकता फैलाते हैं, परामर्श सेवाएँ प्रदान करते हैं और नशामुक्ति कार्यक्रम संचालित करते हैं। कुछ संगठन विशेष रूप से युवाओं को सकारात्मक गतिविधियों की ओर प्रेरित करते हैं, ताकि वे नशे से दूर रह सकें।

उदाहरण के रूप में ज्ञपतंद ठमकप द्वारा आरंभ किया गया "नवज्योति" अभियान नशामुक्ति के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहल माना जाता है। इस प्रकार के प्रयासों से न केवल नशे के आदी व्यक्तियों को सहायता मिलती है, बल्कि समाज में सकारात्मक संदेश भी प्रसारित होता है।

अतः यह कहा जा सकता है कि नशाखोरी की समस्या के प्रभावी समाधान हेतु सरकार और गैर–सरकारी संगठनों का सहयोग एवं समन्वय अत्यंत आवश्यक है। इनके संयुक्त प्रयासों से समाज में जागरूकता बढ़ती है और नशे की समस्या को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है।

निष्कर्ष – नशाखोरी आज के समय की एक अत्यंत गंभीर और व्यापक सामाजिक समस्या के रूप में उभरकर सामने आई है, जिसका प्रभाव केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह व्यक्ति के साथ–साथ उसके परिवार और संपूर्ण समाज को भी प्रभावित करता है। इसके परिणामस्वरूप शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा सामाजिक और आर्थिक जीवन भी असंतुलित हो जाता है। विशेष रूप से युवा वर्ग में नशाखोरी की बढ़ती प्रवृत्ति देश के भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुकी है, क्योंकि युवा ही किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति और विकास का आधार होते हैं। यदि समय रहते इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण नहीं किया गया, तो इसके दुष्परिणाम व्यापक और दूरगामी हो सकते हैं।

अतः यह आवश्यक है कि नशाखोरी की समस्या के समाधान हेतु सरकार, गैर–सरकारी संगठन, शैक्षणिक संस्थान, परिवार तथा समाज सभी मिलकर समन्वित प्रयास करें। जागरूकता, शिक्षा, सकारात्मक सामाजिक वातावरण और प्रभावी नीतियों के माध्यम से ही इस समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। साथ ही, युवाओं को सही दिशा प्रदान कर उन्हें एक स्वस्थ, सशक्त और नशामुक्त समाज के निर्माण में सहभागी बनाया जा सकता है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. https://www-lhindi-com/essay-on-drugabuse-in-hindi/
2. गोपाल कृष्ण, समाजशास्त्र, एस०बी०पी०डी० पब्लिशिंग हाउस 3/20–बी निकट तुलसी सिनेमा, आगरा– 282002 (उ०प्र०) पृ.–241
3. आहूजा, रामः सामाजिक समस्यायें G4, 4832/24 अंसारी रोड दरियागंज नई दिल्ली–110002, पृ. 410
4. मुकर्जी एवं अग्रवालः समाजशास्त्र, एस०बी०पी०डी० पब्लिकेशन्स, 3/20 बी0 आगरा–मथुरा बाईपास रोड निकट तुलसीसिनेमा आगरा 282002, पृ. 223
5. सरोज ए. के. (2021) ग्रामीण युवकों में नशाखोरी की समस्या (जनपद जौनपुर के महाराजगंज ब्लॉक का एक समाजशास्त्री अध्ययन) शोध प्रबंध
6. Kellar, Mark; "Alcoholism: Nature and eÛtent of the Problem" in the Annals of the American Academy of Political and social sciences] Vol] 315 January 1958 P-05